(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम विधान सभा के छठे सत्र का पंद्रहवां दिवस [संख्या 11

वृहस्पतिवार

दिनांक 3 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11, बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मेघराज तावड़।

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर

237. **श्री मेघराज तावड** (गोगुन्दा) : क्या जनजातिय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) श्री माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, उदयपुर कब से कार्य कर रहा है ? इसके क्या उद्देश्य थे ? क्या उद्देश्यों के अनुकूल संस्थान कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या शोध कार्य किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि संस्था अपने शोध कार्यों के सुझाव/प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजती है ? यदि हां, तो आज तक संस्थान द्वारा भेजे गये कितने प्रस्तावों पर अमल किया गया और प्रस्ताव सुझावानुसार कौन कौन से कार्य आदिवासियों के विकास के लिये हाथ में लिये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि शोध कार्यों की अधिकांश पुस्तकें अंग्रेजी में छापी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, जन जातिय क्षेत्रीय विकास (श्री गोविन्द आमलिया) : (1) श्री माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान 2 जनवरी, 1964 से कार्य कर रहा है। संस्थान के उद्देश्य निम्न हैं :

1. राज्य की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना।

2. शोध परिणामों की राज्य के अन्य लोगों के जीवन स्तर से तुलना करना।

3. आदिवासी विकास के लिये विचार गोष्ठियां एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना।

Page No 2

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

4. शोध प्रकाशन, ग्रध्ययन प्रतिवेदन एवं एकल ग्रध्ययन प्रकाशित करना ।

5. राज्य सरकार को जनजाति कल्याण एवं ग्रन्य मामलों पर सलाह देना ।

6. ग्रनुसूचित जनजातियों से संबंधित ग्रध्ययन करने वाले शोधार्थियों को ग्रावश्यक सुविधायें जैसे पुस्तकें, शोध मार्ग-दर्शन इत्यादि उपलब्ध कराना ।

7. राज्य सरकार को जनजाति विकास योजना तैयार करने में ग्रावश्यक सहयोग देना ।

संस्थान इनके ग्रनुकूल कार्य करता है एवं संस्थान द्वारा किये गये शोध कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां । संस्थान ग्रपने ग्रध्ययन प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजता है, जो इन प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों व सुझावों को संबंधित विभागों व राज्य सरकार को भेजते हैं । इन पर ग्रावश्यक निर्णय ग्रौर क्रियान्वयन राज्य सरकार व संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है ।

(3) जी नहीं । संस्थान द्वारा शोध कार्यों के ग्राधार पर हिन्दी व ग्रंग्रेजी दोनों में ही पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है । संस्थान की मासिक पत्रिका "ट्राइब" का प्रकाशन ग्रंग्रेजी में इसलिये किया जाता है कि यह देश के ग्रन्य प्रान्तों को भी भेजी जाती है ग्रौर ग्रन्य संस्थान भी ग्रंग्रेजी माध्यम से ही ग्रपनी पत्रिका का प्रकाशन करते हैं ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि शोध संस्थान में ग्रध्ययन किया जाता है, उस ग्रध्ययन से ग्रादिवासियों की सांस्कृतिक, राजनैतिक ग्रौर ग्रार्थिक स्थिति में सुधार के लिये प्रस्ताव राज्य सरकार को ग्रमल के लिये भेजे जाते हैं, क्या संबंधित विभाग उन सुझावों को मानता है ? यदि मानता है, तो कौन कौन से ऐसे सुझाव हैं जिन पर राज्य सरकार ने ग्रमल किया है ? पहली बात । दूसरा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रस्ताव भी हैं जो ग्रलग ग्रलग विभागों को भेजे जाते हैं ग्रौर उनको नहीं माना गया हो ?

श्री गोविन्द ग्रामलिया : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ऐसे कोई निश्चित सुझाव नहीं हैं । शोध के साथ जो सुझाव दिये जाते हैं, जैसे सागड़ी प्रथा है, बन्धुग्रा मजदूरी का सुझाव है, राज्य सरकार उन सुझावों को कार्य रूप में परिणत करने का कार्य कर रही है ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सागड़ी प्रथा के ऊपर जो ग्रध्ययन किया गया है, शोध किया गया है उसकी एक किताब भी छपी थी । उस किताब को पब्लिक में नहीं निकाल कर लॉक-ग्रप में रख दिया गया है । सही तथ्य जनता में पब्लिश नहीं करके लॉक-ग्रप में रख दिया गया है, बाहर नहीं ग्राने दिया गया है । वह किताब श्री मनोहरसिंह मेहता के पास है ।

श्री गोविन्द ग्रामलिया : गलत है ।

Page No 3

(3)

श्री मेघराज तावड़ : यह बात गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो मंत्रीजी इस्तीफा दे दें ।

श्री अध्यक्ष : दोनों के इस्तीफे देने से तो आदिवासियों का नुकसान होगा ।

श्री मेघराज तावड़ : आदिवासियों के उत्थान से संबंधित किताब रोक दी गई, उसको राज्य सरकार ने लॉक-अप में बन्द कर दिया । उसमें आंकड़ों के साथ लिखा गया था··

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि आदिम जाति शोध संस्थान आदिवासियों की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के सम्बन्ध में अध्ययन करता है । मंत्रीजी ने जो जवाब दिया, सागड़ी प्रथा के बारे में सर्वेक्षण किया गया उसकी रिपोर्ट को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था । राज्य सरकार ने उसका अध्ययन किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1977 में पहली बार केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक उत्थान के लिये सर्वेक्षण कराया गया और उसकी रिपोर्ट 1979-80 में राज्य सरकार को प्राप्त हो गई थी तो उस पर राज्य सरकार ने 3 वर्ष तक क्या कदम उठाये ? उस रिपोर्ट से तो आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हो सकता था··

जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री (श्री दुलाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सागड़ी प्रथा के बारे में पुस्तक 70 में जारी की गई । हमारी प्रधान मंत्रीजी का स्पष्ट रुख है कि हम सागड़ी प्रथा को खतम करना चाहते हैं अतः किताब को लॉक-अप में बन्द करने का सवाल नहीं है । आपकी नॉलेज में हो तो दूसरी बात है । आदिवासियों के उत्थान की अगर कोई भी किताब कहीं रखी गई हो तो हम उसको जारी कर देंगे । माननीय सदस्य ने जो ट्राइबल एरिया की बात कही है उसके संबंध में जो भी क्वेश्चन करेंगे हम उसका जवाब देंगे ।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिम जाति शोध संस्थान ने 31 जुलाई, 1980 को राजस्थान की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। यह मेरी समझ में नहीं आता । विजय वर्मा, आयुक्त गृह विभाग ने टिप्पणी की है कि राजस्थान ट्राइबल सब प्लान से 44 प्रतिशत आदिवासियों की समस्यायें हल हो जायेंगी। लेकिन तीन वर्ष से उस रिपोर्ट को दबाये हुए बैठे हैं ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो दे देने दीजिये कि मंत्रीजी क्या कहना चाहते हैं ....

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट तो आदिवासियों को ऋण उपलब्ध कराने और कुएं के लिये बिजली का कनेक्शन दिये जाने के संबंध में...........

श्री नन्दलाल मीणा : आर्थिक विकास की बात कहिये । बजट में बहुत ढिंढ़ोरा पीट रहे हैं उसका ।

श्री दुलाराम : आदिम जाति शोध संस्थान से जो सुझाव प्राप्त होते हैं वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को जाते हैं, वह आगे पास कर देते हैं..........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिम जाति शोध संस्थान के बारे में .....

श्री दुलाराम : मैं आपको पक्का विश्वास देता हूं कि कोई एक भी केस सागड़ी का आप हमारी जानकारी में लावें, हम उस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, किसी अन्य तरीके से इस प्रश्न को उठावें।

अगला प्रश्न।

श्री रंगजी मीणा, श्री कैलाश मेघवाल!

गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता

238. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लोढ़ा ने अपने निर्णय में हाई कोर्ट में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता हेतु पृथक् विभाग बनाने का निर्देश दिया था ?

(2) यदि हां, तो यह निर्देश कब दिया गया ? कृपया उस निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाये हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिंधी): (1) यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री गुमानमल लोढ़ा ने अपने एक निर्णय में उच्च न्यायालय में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता हेतु पृथक् प्रकोष्ट (सैल) बनाने बाबत आब्जर्वेशन्स किये थे।

(2) यह आब्जर्वेशन्स सिविल सैकण्ड अपील नम्बर 38/73 में दिनांक 9-2-82 को किये। उस निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) राज्य में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दिये जाने से संबंधित कार्यक्रम बहुत पहले से ही चल रहा है। उक्त आब्जर्वेशन्स के कारण ही यह कार्यक्रम चलाया गया हो, ऐसा नहीं है; बल्कि इस राज्य में तो मुफ्त कानूनी सहायता का कार्यक्रम सन् 1975 से ही आरम्भ किया हुआ है। इस संबंध में राज्य स्तर पर विधि मंत्री की अध्यक्षता में विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय में विधिक सहायता समिति बनी हुई है जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिनकरलाल जी मेहता हैं।

(निर्णय की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता

(श्री कैलाश मेघवाल)
जो 1975 से चालू होना बताते हैं यह सब प्रचार-प्रसार और विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसी भी विवाद में कोई पक्षकार गरीब है, उसकी पहचान की क्या प्रक्रिया है? इनका यह कहना है कि मुफ्त कानूनी सहायता के लिये पांच लाख रुपये बांटे हैं। ये एक साल में केवल तीन लाख रुपये ही खर्च कर पाये हैं। अभी भी मंत्री महोदय ने भाषण दिया कि पांच लाख रुपये का प्रावधान रखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया आपके पास है जिसके आधार पर पांच लाख रुपये का जो प्रावधान आपने किया है वह खर्च हो जायेंगे?

श्री अहमदबख्श सिंधी : वह व्यक्ति इस कार्यक्रम के तहत सहायता पाने का अधिकारी है जो गरीबी की रेखा से नीचे है, जिसकी आमदनी सालाना 3600 रुपये से कम है। उसे हम कानूनी सहायता देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : जैसे?

श्री अहमदबख्श सिंधी : इसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि सलाहकार बोर्ड बना दिया गया है, हाई कोर्ट की कमेटी बना दी गई है। रेवेन्यू बोर्ड की कमेटी बनाने का मामला विचाराधीन है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर कमेटियां बनाई जायेंगी। जो पैसा अलॉट किया जायगा वह पूरा का पूरा खर्च करने की कोशिश की जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। सारा खर्चा 1975 से करना बताया गया है। जैसा आपने निवेदन किया, एक साल में केवल तीन-चार हजार रुपये ही खर्च कर पाये हैं। मैं यह पढ़ना चाहता हूं, जिसके आधार पर यह जजमेंट लिखा गया है--

'I am constrained to observe that there is no arrangement in the Registry of the Highcourt for taking notice of such applications and prayers of poor litigants for providing free legal aid and legal assitance. It is a sad commentary on the functioning of our constituting containing directive principles for providing legal aid to the poor and needy that an application made in the year 1973 by the respondents mentioning that he has lost his eye-sight and cannot afford to come and argue his case personally or engage a lawyer, was allowed to remain in debris of the papers and no one had any time to read and look into it far from taking steps to provide legal aid or legal assistance. The Registry should now immediately set up a separate cell ... ...'

यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह जो आपने कह दिया, आपके पास कौनसी

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रक्रिया है जिससे गरीब की पहचान हो जायेगी ? आपकी नीति क्या है और इसको आप क्या स्वरूप देना चाहते हैं, यह बता दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । बातें न करें, माननीय सदस्य, आपस में ।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस केस का हवाला दिया है वह 1973 का है । उस वक्त लीगल ऐड मूवमेंट नहीं चला था ।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : उस वक्त मंत्री भी नहीं थे ।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं हूं या नहीं हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये इर्रेलेवेंट जवाब दे रहे हैं ।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : I am always relevant, mind it. मैं कभी इर्रेलेवेंट नहीं बोलता हूं । मैंने जैसा आपके सामने अर्ज किया, मैं इस मूवमेंट में खुद दिलचस्पी ले रहा हूं ख़ास तौर से, ताकि गरीबों को कानूनी सहायता मिल सके । कन्सल्टेशन की, कोर्ट फीस की, हर प्रकार की सहायता दी जायगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या इसके लिये नियम बना दिये हैं ? किस तरह से गरीबों को मुफ्त सहायता मिलेगी ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : नियम विचाराधीन हैं ।

श्री दीपेन्द्रसिंह : बड़े ज्ञानी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री चतुर्भुज ।

भू-सीलिंग कानून

239. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) प्रदेश में भू-सीलिंग कानून कब से लागू है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में भू-सीलिंग कानून से बचने के लिये भू-स्वामियों ने जमीनों को अवैध तथा झूठे खातों में दर्ज करा रखा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त जाली व अवैध खातों से भूमि छुड़ाने हेतु क्या कोई कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गोविन्द आमलिया) : (1) राज्य में दिनांक 15-12-63 से पुराना सीलिंग कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को संशोधित करते हुए लागू किया गया था । एवं दिनांक 1-1-73 से पुराने कानून को रिपील करते हुए, नया कानून यानी राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 लागू हुआ । यह कानून उपनिवेशन परियोजना क्षेत्र के अलावा राज्य के समस्त क्षेत्रों में दिनांक

(श्री गोविन्द मामलिया)
1 जनवरी, 1973 को लागू हुआ था एवं उपनिवेशन परियोजना क्षेत्र में यह दिनांक 6 अप्रेल, 1973 को लागू हुआ था ।

(2) इस प्रकार के मामले यदि सक्षम अधिकारीगण के समक्ष आते हैं तो वे उचित न्यायिक कार्यवाही करते हैं तथा यदि राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाय तो उचित जांच करवाकर गुणावगुण के आधार पर न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान में सीलिंग के कानून से बचने के लिये लोग कार्यवाही कर रहे हैं । वह इसलिये कर रहे हैं कि आप कानून गलत बना रहे हैं । आपने भूतपूर्व जागीरदारों से जमीनें बचाने के लिये क्या कार्यवाही की ? क्या उसमें आपका कानून सक्षम है ?

श्री रघवीरसिंह कौशल (बारां) : पुराने कानून के स्थान पर नया कानून जो लागू हुआ है उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, उससे जो बाधा उत्पन्न हो रही है उससे बचने के लिये क्या एक कानून ही रखने की आप व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

राज्य मन्त्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा) : माननीय सदस्य यदि कोई स्पेसिफिक केस बतायेंगे, ऐसा खाता रखने वाले हैं तो राज्य सरकार उस पर उचित कार्यवाही करने पर विचार करेगी ।

श्री चतुर्भुज : सीलिंग कानून से बचने के लिये मेरे परिवार में यहां भी खातेदार हैं और अजमेर में भी खातेदार हैं ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसा हो सकता है, परन्तु राज्य सरकार के सामने अगर कोई ऐसा मामला आया हो और राज्य सरकार ने उस पर विचार नहीं किया हो तो वह आप बतायें । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि उनके ध्यान में अगर ऐसा मामला हो तो वह राज्य सरकार के समक्ष लायें, उस पर उचित कार्यवाही होगी ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सीलिंग की जमीन ली है, उसमें से जो काश्तकार शुरू से ही खेती करते हैं उनको आपने जमीन दी है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । अगला प्रश्न । श्री सुरजा राम !

बीकानेर जिले में भू-आवंटन

240. श्री सुरजा राम टांक (नोखा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पिछले 3 सालों में बीकानेर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषकों, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के कितने-कितने आवेदन-पत्र भूमि आवंटन बाबत प्रप्त हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त व्यक्तियों में से कितनों को भूमि आवंटन की जा चुकी है तथा कितने मामले विचाराधीन हैं ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) पिछले तीन सालों में बीकानेर जिले के राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषकों, गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के 3280 आवेदन-पत्र भूमि आवंटन बावत प्राप्त हुए उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त व्यक्तियों में से 231 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा 2464 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं। 585 आवेदन-पत्र पात्रता के अभाव में अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री सुरजाराम टांक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत् मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में किसी को भी बीकानेर में भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। जो 700 अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं उनको भूमि आवंटन नहीं की गई है। जैसा मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है, उनको भूमि नहीं दी है। जो पहले मामले चल रहे थे उनको खारिज कर दिया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के कुल 672 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं उनमें से 126 व्यक्तियों को जमीन का आवंटन कर दिया गया है। 178 आवेदन-पत्रों को पात्रता के अभाव में खारिज कर दिया गया है और 368 व्यक्तियों का मामला विचाराधीन है। उनकी पात्रता के बारे में रेवेन्यू ऑफिस से सूचना प्राप्त करनी पड़ती है कि इन्होंने जो सूचना दी है वह गलत है या ठीक। इस कारण यह विचाराधीन है। यह कहना कि अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अलॉटमेंट नहीं किया गया, गलत है। मेरे पास जो सूची है उसमें अनुसूचित जाति के 126 आदमियों का अलॉटमेंट किया गया है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की 76 एप्लीकेशन अन्डर कन्सीडरेशन है, 14 अलॉटमेंट किये गये हैं।

श्री सुरजाराम टांक : मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो 2464 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिये बकाया हैं, क्या राज्य सरकार का मत है कि उनको भूमि अलॉट करेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बीकानेर जिले का है··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल प्रश्नकर्ता को मैंने अवसर दे दिया है।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भूमिहीनों को कृषि भूमि अलॉटमेंट का कार्यक्रम था·······

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। प्रश्नकर्ता।

श्री सुरजाराम टांक : जो वहां काश्तकार हैं वह परेशान हो रहे हैं, उनको जमीन अलॉट नहीं की गई है। जो जिले के अन्दर रह रहे हैं उनको तो कम से कम··· ··

श्री अध्यक्ष : जिले के बाद तहसील वाले कह देंगे कि हम भी एलीजेबल हैं। इसके लिये नियम बने हुए हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, उपनिवेशन विभाग में आपने नियम बना दिया कि 20 प्रतिशत भूमि का आवंटन इनको करने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : यह काम पूरा नहीं हुआ है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है कि जितने लोगों को जमीन अलॉट कर दी गई है, क्या उनको कब्जा दे दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री दीपचन्द।

राजगढ़ (चूरू) में सब-जेल की व्यवस्था

241. **श्री दीपचन्द** (सादुलपुर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ जिला चूरू की जेल जो पुराने गढ़ में थी, उसे एक साल पहले बन्द कर दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजगढ़ में उप-खण्ड अधिकारी तथा मुन्सिफ कोर्ट है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विचाराधीन कैदियों के मामलों की सुनवाई हेतु सब-जेल रतनगढ़ से राजगढ़ लाना/ले जाना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार कैदियों के लाने/ले जाने के खर्च एवं न्याय की दृष्टि से राजगढ़ में सब-जेल का निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, कारागृह (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। राजगढ़ में उप कारागृह का नया भवन बनाये जाने के लिये 37,500 वर्ग फीट भूमि आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय प्रावधान होने पर भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री दीपचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ की जो जेल है वहां से कम से कम 10-15 कैदियों को रोजाना राजगढ़ में लाया/ले जाया जाता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 10-15 आदमियों, जो आते-जाते हैं, का सरकार का खर्चा होता है। सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजगढ़ में एक अलग से जेल बनाये जाने की घोषणा करें। वहां के सिपाही और थानेदार शराब की मस्ती में रंगरेली करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह

(श्री दीप चन्द)

खतरनाक है। कोई कैदी भाग भी सकता है। राजगढ़ में जेल के लिये दो साल पूर्व जमीन का आवंटन कर रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कैदियों के लिये जल्दी से जल्दी उस इलाके में जेल की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर कोई विचाराधीन कैदी बनता हो, तो वह वहां से भाग भी सकता है। राजगढ़ का इलाका हमारे प्रभारी मंत्री महोदय बैद जी जानते हैं कि खतरनाक इलाका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजगढ़ के इलाके में जेल हो, नहीं तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि अगर कोई अप्रिय घटना घट गई तो उसके लिये वह जिम्मेदार होंगे ......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा.....

श्री मेघराज तावड़ : जरा सोच कर जवाब देना, जिम्मेदारी की बात है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप जैसी जिम्मेदारी से ज्यादा जिम्मेदारी है मेरे पर।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य श्री दीपचन्द जी ने यहां पर हालत बतायी, उससे ऐसा मालूम होता है कि हमारे यहां पर कानूनी व्यवस्था बहुत खराब है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : मंत्रीजी तो कारागार विभाग से संबंधित हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : ऐसा लगता है कि पहले वाले मंत्री जी तो कुछ नहीं कर सके पर आप शायद कुछ कर गुजरो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर ऑर्डर।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे ख्याल से आपको, माननीय सदस्य, यह भी पता नहीं होगा कि राजगढ़ कहां पर स्थित है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जैसा कि माननीय सदस्य, श्री दीपचन्दजी ने फर्माया, मैं उनके सुझावों से पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों से रतनगढ़ जेल में 4-5 कैदियों से ज्यादा कैदी नहीं रहे हैं और आज के दिन तो सिर्फ एक कैदी है जो कि रतनगढ़ से राजगढ़ लाया जाता है। उसको लाने/ले जाने की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा राजगढ़ की जो जेल थी उसको हम वैसे बन्द नहीं करना चाहते थे पर जब पी. डब्ल्यू. डी. ने रिकमन्ड किया कि इस जेल की बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर है तब उसको बन्द किया गया। उस जेल को बन्द करने के बाद में सरकार ने फाइनेन्स डिपार्टमेंट को लिखा कि राजगढ़ में नयी जेल बनायी जाना आवश्यक है। अब चूंकि इस प्लान में उसकी बिल्डिंग

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)
बनाने के लिये पैसा नहीं रखा जा सका तो हमने इसको आगे के सालों में बनाने के लिये....

(व्यवधान)

आप चुप रहिये ।

हमने, अध्यक्ष महोदय, ऐट्थ फाइनेन्स कमीशन को लिखा कि राजगढ़ में जेल बनाने के लिये 15 लाख रुपये का प्रावधान रखा जाय । 30 पर्सन्स के रहने की व्यवस्था का प्रपोजल है । वहां पर जेल बनायी जा सके इसके लिये हम परश्यू करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । कृपया शान्त रहें । श्री राजबहादुर जी ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अभी बताया हमने ऐट्थ फाइनेन्स कमीशन को लिखा है । तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, यहां पर मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी बैठे हैं, यह जो प्रपोजल भेजे जाते हैं, क्या वह इण्डिविजुअली, डिपार्टमेंट के अलग अलग भेजे जाते हैं या सभी डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट के पास प्रपोजल्स आ जाते हैं उसके बाद राज्य सरकार द्वारा सभी प्रपोजल्स एक साथ भेजे जाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । मैं एक एक को अवसर दे दूंगा । ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री ने जो उत्तर दिया उसमें दो तरह से बात कही गयी है । एक तरफ तो उन्होंने कहा पी. डब्ल्यू. डी. की रिकमण्डेशन के आधार पर कि वहां के जेल की बिल्डिंग की हालत खराब है, जेल को बन्द किया गया । दूसरी तरफ उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि वहां पर कैदियों की संख्या कम है इसलिये जेल को बन्द किया गया ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्य, मेरा कहने का मतलब यह था कि चूंकि पी. डब्ल्यू. डी. की रिकमण्डेशन आई थी कि बिल्डिंग की हालत खराब है इसलिये हमने उसको शिफ्ट किया वरना हम तो उसको शिफ्ट करने के खिलाफ थे । इसीलिये हमने राजगढ़ में नयी जेल का भवन बने, इसके लिये लिखा । जैसा कि माननीय सदस्य, श्री राजबहादुरजी ने फर्माया, तो पहले हमने गवर्नमेंट को लिखा और फिर गवर्नमेंट ने ऐट्थ फाइनेन्स कमीशन को इसके लिये लिखा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, हमने ऐट्थ फाइनेन्स कमीशन को लिखा है, अभी तक सातवें फाइनेन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तो दी ही नहीं है, ऐट्थ फाइनेन्स कमीशन की बात कहां से आ गई ? माननीय मंत्रीजी को यह भी पता नहीं है, कौनसा फाइनेन्स कमीशन है और किसमें वह जेल बनेगी ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप चिन्ता न करें, आपके लिये जेल में व्यवस्था कर दी गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। नहीं, कृपया (व्यवधान) शान्त रहें। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ले लिया है मैंने। श्री सुजानसिंह।

तहसील बहरोड़ के ग्राम सिलारपुर, नाघोड़ी में उचित मूल्य की वस्तुओं के डीलर्स

242. **श्री सुजानसिंह यादव** (बहरोड़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) ग्राम सिलारपुर एवं नाघोड़ी, तहसील बहरोड़ में उचित मूल्य की वस्तुओं के विक्रेता कौन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डीलर के विरुद्ध कई शिकायतें नागरिकों ने जिलाधीश को प्रस्तुत की हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राइवेट डीलर के स्थान पर उचित मूल्य की वस्तुओं के वितरण हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति, नीमराना को नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासी राम यादव) : (1) श्री सतपाल ग्राम सिलारपुर व नाघोड़ी तहसील बहरोड़ में उचित मूल्य के दुकानदार हैं।

(2) जी हां।

(3) इस समिति का नियमानुसार आवेदन-पत्र जिलाधीश, अलवर के समक्ष प्रस्तुत होने पर जिलाधीश द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। राज्य सरकार केवल कपड़ा, चीनी और मिट्टी के तेल का इस प्रणाली के माध्यम से वितरण करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो गांवों को मिला कर एक ग्राम पंचायत है, उसमें लगभग पिछले सात माह से बहुत ही जबर्दस्त गड़बड़ी इन चीजों के वितरण में चल रही है। जनता की शिकायतों को लेकर मैं जिलाधीश महोदय से मिला और एस. डी. ओ. साहब से भी मिला हूं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : आप मंत्री जी से नहीं मिले।

श्री सुजानसिंह यादव : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीमराना गांव में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति है जो बार-बार संबंधित अधिकारियों से विनम्र निवेदन करती है कि उनके गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारु रूप से चले, उसके लिये ग्राम सेवा सहकारी समिति, नीमराना को उचित मूल्य की दुकान दी जाय। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, वहां के सरपंच, जो कि हमारे खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रीजी के विशेष कृपा पात्र हैं, की कृपा दृष्टि से पहले एक डीलर की नियुक्ति वहां पर हुई थी जो कि वहां पर खाद्यान्न वस्तुओं का ब्लेक करते हुए पकड़ा गया। वहां से संबंधित प्रवर्तन अधिकारी ने उसका सीधा चालान एस. डी. ओ. कोर्ट में पेश किया। एस. डी. ओ. ने उस पर 75 रुपये का जुर्माना किया। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के करीब सौ

(श्री सुजानसिंह यादव)
से अधिक लोगों ने जाकर संबंधित अधिकारियों को निवेदन किया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, नीमराना के माध्यम से वहां पर चीनी और दूसरी राशन की चीजों का वितरण होना चाहिये, पर मंत्री जी की मेहरबानी नहीं होने से यह व्यवस्था नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उस डीलर के ऊपर 75 रुपये फाइन होने के बावजूद मंत्रीजी के दबाव के कारण वहां पर डीलर बदला नहीं जा रहा है और ग्राम सेवा सहकारी समिति, नीमराना के माध्यम से वहां वितरण नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें, ऐसा डाइरेक्शन आप दें जिससे वह कोई काम करें और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यवधान नहीं डालें। एक मंत्री स्तर के व्यक्ति का इतने नीचे स्तर पर चले जाना उचित नहीं है। दो गांवों में चीनी के वितरण में काफी दिक्कत हो रही है। यह व्यवधान उनके द्वारा डाला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उन गांवों में करीब 150 हरिजन परिवार हैं जिनको कि पिछले सात महीने से चीनी उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करके यह चाहूंगा कि वहां पर ग्राम सेवा सहकारी समिति, नीमराना के माध्यम से वितरण कराये जाने की व्यवस्था करावें।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं उनके लिये मुझे सख्त एतराज है। मेरा कोई भी सरपंच वहां पर कृपा पात्र नहीं है और न ही उसने मुझे कोई वोट दिया है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिलकुल ही गलत कह रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सरपंच से कोई लेना-देना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया और न ही राज्य मंत्री स्तर तक मेरे पास कोई फाइल ही आई है। अगर किसी आदमी की शिकायत हुई और उसने ब्लैक किया तो उसका चालान हो गया। उसको हटा दिया गया है। आज इस प्रश्न के उत्तर के दौरान मैंने फाइल देखी है। उसमें ऐसा पाया गया कि एक दुकानदार बाबा ने दो किलो चीनी वहां पर एक हैडमास्टर साहब को दे दी थी। इस सिलसिले में एनफोर्समेंट ऑफिसर ने उसका चालान किया और उस पर एस. डी. ओ. द्वारा 75 रुपये का जुर्माना किया गया। इसके अलावा जैसी कि गांव वालों ने शिकायत की कि वितरण प्रणाली ठीक नहीं है, 60 प्रतिशत लोगों को चीनी नहीं मिली, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि इसकी जांच करने पर पता लगा कि 60 प्रतिशत लोगों को चीनी मिल गयी और यह शिकायत तथ्यहीन है। मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है। कौन-कौन

Page No 14

(15)

(श्री घासीराम यादव)
दुकानदार चीनी के वितरण के लिये हैं, मुझे पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार को इसका पूरा जवाब देना चाहिये। जब राज्य सरकार की नीति है कि सार्वजनिक वितरण का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिये तो राज्य सरकार वहां पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से वितरण कार्य क्यों नहीं कराना चाहती है?

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, किसी भी गांव में राशन की दुकान देने का काम मेरा नहीं है। यह तो कलेक्टर के द्वारा आदेश दिये जाते हैं। यह मंत्री का काम नहीं है कि वह किसी को डाइरेक्शन दे या टेलीफोन करे कि तुम फलां व्यक्ति को दुकान दो और फलां को मत दो। मैंने इसके लिये कोई डाइरेक्शन नहीं दिये थे और न कोई टेलीफोन ही किया था। नीमराना ग्राम पंचायत की जहां तक बात है, मैं आपसे निवेदन करूं कि इसके लिये जब लिखा गया कि नीमराना ग्राम सेवा सहकारी समिति को वितरण व्यवस्था दी जाय तो एस. डी. ओ. ने यह बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, नीमराना वहां पर चीनी वगैरह बांटने को तैयार नहीं है। माननीय सदस्य मेरे ऊपर बेकार ही चार्ज लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो गांवों से संबंधित प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनय विनय करके अपने विचार रखना चाहता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मंत्री महोदय सदन में मेरे ऊपर कोई लांछन लगा रहे हैं। मैं तो इस बात पर दृढ़ हूं कि यह चीनी वितरण को-ऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू होना चाहिये। मैं किसी प्राइवेट डीलर में इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं। इसलिये मंत्री महोदय को सद्बुद्धि दें ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : सहकारी समिति को देने में क्या आपत्ति है? आप घोषणा कीजिये ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराज जायं। अगला प्रश्न।

श्री घासीराम यादव : कौन मना करता है।

श्री अध्यक्ष : मैं अब किसी पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे मंत्री महोदय का स्तर मालूम पड़ता है। वह नहीं चाहते कि वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चले।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। कृपया। आसन पैरों पर है।

कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जहां मतभेद बने रहते हैं लेकिन प्रश्नोत्तर काल अलग-

(श्री अध्यक्ष)

वधि का माध्यम है। यहां पर अधिकतर महत्वपूर्ण प्रश्न ही आते हैं लेकिन उन सबका हल पूरक प्रश्नों के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता। अल्प समय में जितना आसन आवश्यक समझता है उतने पूरक प्रश्नों की इजाजत दे दी जाती है। आगे ऐसे कई बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आसन से सहयोग करें और इस प्रश्न को यहीं समाप्त किया जाये। प्रश्नकर्ता को यदि इसके पश्चात् भी कुछ शिकायत रहती है तो हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार विधान सभा में अन्य तरीकों से भी बहुत से प्रश्न उठाये जा सकते हैं। कृपया उन माध्यमों का उपयोग करें। यदि कोई शिकायत हो तो मुझे आप चैम्बर में मिलें।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी निवेदन यह है कि चीनी को-ऑपरेटिव सोसायटी के थ्रू बंटवाई जाय। मंत्री महोदय से आश्वासन दिला दें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सही बात है। को-ऑपरेटिव मूवमेंट को नहीं चलाना चाहते हैं यह।

श्री घासीराम यादव : मैं निवेदन कर चुका हूं, को-ऑपरेटिव सोसायटी ने यह कहा है कि हम यह कार्य नहीं कर सकते। एस. डी. ओ. ने पूछा है। अगर वह तैयार होगी तो उसको दे देंगे।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव ने आदेश जारी किये हैं कि को-ऑपरेटिव सोसायटी वितरण करे लेकिन मंत्री महोदय ने व्यवधान डाला उसकी वजह से को-ऑपरेटिव सोसायटी नहीं बांट रही है। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूंलाल लाल मीणा।

फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन

243. श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि राजस्थान में फिल्म उद्योग के विकास के पर्याप्त अवसर हैं? यदि हां, तो सरकार इसके लिये किस तरह की योजना बना रही है?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री सुरेन्द्र व्यास) : फिल्म उद्योग के विकास के संबंध में नीति का निर्धारण विचाराधीन है।

श्री भैरूंलाल मीणा : यह कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान की आर्थिक स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है और यह कई लाख की योजना है। फिल्म निर्माण के लिये कम कीमत पर जमीन उपलब्ध कराई जाये, फिल्म बनाने के लिये सब्सिडी दी जाय, आदि ऐसे मुद्दे हैं जो जल्दी निर्णीत होने वाले नहीं है, लेकिन सूचना इकट्ठी कर रहे हैं डिफरेन्ट स्टेट्स से।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थानी भाषा में फिल्म बनेगी तो उसके लिये सरकार सहयोग करेगी जिस प्रकार से दूसरी स्टेट्स में वहां की भाषा के लिये किया जा रहा है? इसके

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)
लिये सरकार क्या सोच रही है, आप विस्तार से जानकारी दें ।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या सरकार बृज भाषा में भी फिल्म बनाने का विचार रखती है ?

श्री दीपेन्द्र सिंह : क्या उसमें श्री यदुनाथ सिंहजी को हीरो रखा जायेगा ?

श्री मेघराज तावड़ : क्या सरकार मारवाड़ी भाषा में भी फिल्म बनाने का विचार रखती है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी तरफ से तो राजस्थानी भाषा में फिल्म नहीं बनायेगी लेकिन उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री राजबहादुर : बृज भाषा राजस्थान की बोली है उसे भी उतना ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जितना कि और दूसरी भाषा को मिलता है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई निश्चित नीति का निर्धारण किया गया तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी भाषा हो—बृज भाषा हो, राजस्थानी हो या मारवाड़ी हो सब के लिये विचार होगा ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं राजस्थानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष हैं ......

श्री अध्यक्ष : आसन से ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : क्या राजस्थान में फिल्म उद्योग के लिये विकास निगम बनाने की कार्यवाही की जा रही है ? वर्तमान में राजस्थान में जो फिल्में शूट होती हैं चाहे वे हिन्दी की हों या राजस्थानी की हों उनको आप क्या सुविधायें देते हैं ? नम्बर दो, क्या राजस्थानी में शूटिंग की हुई फिल्म को आप सब्सिडी देते हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अभी कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं । इन सारे प्रश्नों पर अभी विचार कर रहे हैं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कार्पोरेशन बनाने से पहले ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य और पूछना चाहते हैं । केवल एक माननीय सदस्य को अवसर दूंगा । श्री चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : जनता सिनेमा देश में निर्मित हो, इस नाते से राज्य सरकार के सामने क्या कुछ योजना है ?

श्री अध्यक्ष : जनता सिनेमा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : जनता पार्टी तो गयी और अब जनता सिनेमा ला दो ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा । यह अन्तिम प्रश्न होगा ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप राजस्थानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष हैं ....

श्री अध्यक्ष : आसन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । अगला प्रश्न ।

श्री मेघराज तावड़ : अगर राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने की दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जायेगा और यदि राजस्थान में फिल्म बनायेंगे तो उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ दिया जायेगा ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थानी फिल्म उद्योग के लिये, राजस्थानी भाषा में फिल्म बनाने के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह अलग से प्रश्न है ।

श्री मेघराज तावड़ : अलग से नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आज स्थगित प्रश्न भी हैं । इसलिये अब स्थगित प्रश्न लिये जाते हैं । ऑर्डर प्लीज ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 फरवरी, 1983)

राजस्थान नहर परियोजना में अभियन्ताओं के रिक्त पद

74. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान नहर परियोजना में अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त पद कब से रिक्त पड़े हैं एवं अब तक उन्हें क्यों नहीं भरा गया ?

राजस्थान नहर मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान नहर परियोजना में 45 अभियन्ताओं के पद संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार रिक्त हैं ।

(2) उक्त पद उनके आगे परिशिष्ट 'ख' में अंकित तिथि से रिक्त हैं । रिक्त पदों में अधिकांश वे ही पद हैं जो दिनांक 1-1-83 से ही नवसृजित हुए हैं, जिनको शीघ्र भरा जा रहा है । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी, हमारे मुख्य मंत्रीजी हर बार कहते हैं कि राजस्थान नहर योजना में बहुत प्रगति कर रहे हैं । एक प्रगति तो यह हो रही है कि 45 अभियन्ताओं के पद रिक्त पड़े हैं । तो यह प्रगति कौन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर में दिया है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : वर्तमान में जो रिक्त पद पड़े हैं उनका चार्ज किस किस के पास है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं इस भ्रम को भी दूर करना चाहता हूं । मैंने मूल प्रश्न के जवाब में कहा है कि अधिकांश पद वह हैं जो 1-1-83 से सृजित हुए हैं । 45 में से 37 पद वह हैं जो 1-1-83 के बाद सृजित हुए हैं ।

(श्री चन्दनमल बैद)
अब बाकी आठ पद रहे । दो पद ऐसे हैं जो फरवरी, 82 से रिक्त हैं । ज्यादा से ज्यादा 6 पद हैं जो आज के दिन रिक्त मान सकते हैं । बाकी 37 पद 1-1-83 से सृजित हुए हैं उनका या तो सहायक अभियन्ताओं के पास चार्ज होगा या डिवीजन ही अभी क्रियेट न हुआ हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रश्न पूछने की मन्शा यह थी कि बीस सूत्री कार्यक्रम में पहला सूत्र सिंचाई का है जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं । इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि आपको जानकारी दूं, आपके एरिया की बात है, एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, श्री गोयल दो एस. ई. के चार्ज का काम करते हैं घोटाले का आरोप लगाते हैं......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, यदि आपका यह उद्देश्य था कि कोई एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर दो एस. ईज. का चार्ज होल्ड करते हैं तो प्रश्न को उस तरह से प्रारूपित करते, उसका जवाब आ जाता ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । यह पद निलम्बन के कारण खाली है या और किसी वजह से खाली है ?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह गुमराह करने वाली बात है, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के पास दो-दो, तीन-तीन एस. ई. का चार्ज है । मंत्री महोदय इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं । हकीकत यह है कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के पास दो-दो तीन-तीन एस. ईज. के चार्ज हैं इसलिये यह कह रहे हैं सारे पद भरे हुए हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इन्जीनियर्स की कुल 226 पोस्ट हैं । 45 पोस्ट खाली हैं । जो पोस्ट डबल चार्ज में हैं वह भी खाली बताई हैं । दो पोस्ट फरवरी से खाली हैं । केवल 6 पोस्ट खाली हैं जिनको कि खाली कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । निलम्बन के कारण से खाली हैं क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपको सूची दूंगा जिनके पास दो-दो चार्ज हैं ।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 92
(दिनांक 22 फरवरी, 1983)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल । प्रश्न संख्या 92 ।

(व्यवधान)

इस प्रश्न को प्रश्नकर्ता ने स्थगित करने के लिये रिक्वेस्ट की इसलिये इसको फिर स्थगित किया जाता है ।

प्रश्न संख्या 115

(दिनांक 23 फरवरी, 1983)

श्री कुन्जीलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री रघुवीरसिंह कौशल ।

Page No 19

(७)

राज्य परिवहन निगम के वाहनों पर मध्य प्रदेश में जुर्माने

244. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या परिवहन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत दो वर्षों में राज्य परिवहन निगम के वाहनों पर मध्य प्रदेश में कितनी धनराशि के जुर्माने हुए तथा अधिकतम जुर्माना किस वाहन पर कितना, किस कारण हुआ ?

राज्य मन्त्री, परिवहन (श्री जयकृष्ण शर्मा) : गत दो वर्षों में परिवहन निगम के 58 वाहनों पर मध्य प्रदेश क्षेत्र में कुल 6,725 रुपये की राशि के जुर्माने हुए हैं तथा अधिकतम जुर्माना कोटा आगार के वाहन संख्या 3164 पर 600 रुपये रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टीफिकेट एवं परमिट न होने तथा वाहन ओवर लोड होने के कारण किया गया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उज्जैन गया था। मैं जिस गाड़ी से उज्जैन गया था उस गाड़ी का परमिट उस रूट का नहीं था। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 58 गाड़ियों के चालान मध्य प्रदेश में हुए हैं, यह शर्म की बात है। मैं जिस गाड़ी से गया था उसमें कोई टूल्स नहीं थे, उसमें स्टैपनी नहीं थी। जो झालावाड़ से उज्जैन गाड़ी जाती है उसमें स्टैपनी न हो, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ? क्या हम लोग जो टैक्स देते हैं ? इस बारे में क्या आप किसी के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करेंगे ? अगर नहीं करेंगे, तो सारी जिम्मेदारी आपकी है आप इस्तीफा दे दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी वह मैंने दी है। मैं उनकी जानकारी के लिये कह दूं कि जो भी वाहन चलते हैं उनके अन्दर परमिट और रजिस्ट्रेशन की किताब वाहन के साथ नहीं चलती थी। यह सदा से चलता रहा है। वह किताबें हैड ऑफिस में रहती थीं। जब रूट्स पर एक दूसरे से नाराजगी हो जाती है, जैसा कुछ दिन पहले दिल्ली में हुआ, आपने भी सुना होगा, तो इस तरह की कार्यवाही चालू हो जाती है। अब हमने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आदेश दिये हैं, जितनी रजिस्ट्रेशन बुक, परमिट बुक हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपी बनवा कर हैड ऑफिस में रखें और एक कापी गाड़ी में रखी जाय ताकि इस प्रकार की कार्यवाही न हो। जहां तक प्रश्न ओवर लोड का आता है, भविष्य में जिस समय भी ऐसी कोई बात हो दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं यह भी आदेश दे दिये हैं कि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बुक, डुप्लीकेट परमिट बुक बनवा कर हर एक गाड़ी को दी जाये। इसमें अगर नैग्लीजेंसी होगी तो वहां जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन पर उसका उत्तरदायित्व होगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं एक प्रश्न और करूंगा। 24-6-82 को जिस गाड़ी से मैं गया था, आर. एस. जी. 5785, उस गाड़ी का परमिट नहीं था। परमिट आर. आर. जी. 7028 का था। क्या आप इस संबंध में एक्शन लेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसा नहीं होता है। वहां फ्लीट सिस्टम है, जो भी गाड़ी होती है वह गाड़ी भेज देते हैं। अगर उन्होंने ऐसी कार्यवाही की है तो उन्होंने गलत किया है....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : न्यायालय ने जुर्माना भी गलत किया है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : नहीं बताने की वजह से हुआ होगा। अगर 3164 का परमिट नहीं था तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपकी बात पर कह रहा हूं। अगर परमिट नहीं था जो कि मेरी जानकारी में नहीं है, और फ्लीट सिस्टम होगा तो उसकी कार्यवाही करेंगे।

झालावाड़ जिले की आवासन योजना

245. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग): क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन स्थानों पर आवासन योजना लागू हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भवानी मंडी तथा सुनेल कस्बे में पंजीकरण हेतु कितने फार्म आये ? दोनों स्थानों के पंजीकृत व्यक्तियों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सुनेल तथा भवानी मंडी में आवासन योजना हेतु भूमि अवाप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो मकानों का निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया और अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

आवासन मंत्री (श्री दुलाराम) : (1) झालावाड़ जिले में झालावाड़, सुनेल व भवानी मंडी में आवासन योजना लागू की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) भवानी मंडी के लिये 266 तथा सुनेल के लिये 345 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। आवेदकों की सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) सुनेल में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है। बोर्ड को भूमि का कब्जा मिल जाने के बाद ही निर्माण कार्य की योजना बनायी जायेगी। भवानी मंडी में अवाप्ति हेतु प्रस्तावित 42.10 बीघा भूमि में से मात्र 18 बीघा भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। शेष भूमि पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। जब तक मंडल को पर्याप्त भूमि नहीं मिल जाती निर्माण कार्य की योजना बनाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, झालावाड़ में कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ ? झालावाड़ में निर्माण कार्य कब से कार्य रूप में परिणत कर दिया जायेगा ?

श्री दुलाराम : आवासन मंडल की योजना लागू करने के लिये 200 प्रार्थना-पत्र कम से कम होने चाहिये। उसके बाद ही योजना पर विचार किया जाता है। अगर आप 200 प्रार्थना-पत्र करवा देंगे तो हम योजना शुरू करवा देंगे। यह मैंने सूची दे दी है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, भवानी मंडी और सुनेल कस्बे में तो

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)
पंजीकरण पूर्ण हो चुका है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से जो भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है वह कब तक चलेगी ? क्या कार्यवाही पूरी होने की कोई सीमा है ?

श्री दुलाराम : कौन सी मंडी की बात कर रहे हैं आप ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : सुनेल और भवानी मंडी में पिछले दो वर्षों से आपकी यह कार्यवाही खड्डे में पड़ी हुई है । आपका कार्यकर्ता होने की वजह से अभी तक आपने वह भूमि अवाप्त नहीं की, क्या यह सही है ?

श्री दुलाराम : मैंने अलग-अलग बता दी । सुनेल में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य । ऑर्डर, ऑर्डर . ।

अगला प्रश्न ।

श्री अनंग कुमार जैन : एक लम्बे अर्से से वह पत्रावलियां मंत्री महोदय के बस्ते में बन्द हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य । उत्तर नहीं आयेगा ।

बयाना (भरतपुर) के कब्रिस्तान की भूमि पर अनधिकृत कब्जे

246. श्री जगन्नाथसिंह (बयाना) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या भरतपुर जिले में कस्बा बयाना में एक कब्रिस्तान (मीराना) स्थित है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर ?

(2) क्या उपरोक्त कब्रिस्तान की भूमि में नाजायज कब्जे करने की कोशिश की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा ?

(3) क्या सरकार ने उक्त कब्रिस्तान से नाजायज कब्जे हटाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ? नहीं, तो क्यों ?

वक्फ मंत्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) : (1) जी हां । कब्रिस्तान (मीराना) रकबा 89 बीघा 19 बिस्वा है ।

(2) अभी कोई नाजायज कब्जा नहीं हो रहा है । फिलहाल ।

एक माननीय सदस्य : पहले हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : खुदा की फजल से हुए हों ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : (3) अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिये कार्यवाही करने के अधिकार वक्फ बोर्ड में निहित हैं तथापि नाजायज कब्जों को हटाने के लिये मुकदमा जाब्ता फौजदारी दफा 145 के अन्तर्गत अदालत में दायर किया हुआ है ।

(व्यवधान)

(श्री अहमदबक्श सिंधी)
पहले के कब्जे हैं नाजायज। अभी नहीं हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : जब कब्जा ही नहीं तो मुकदमा किस बात का है।

श्री अहमद बक्स सिंधी : पहले का कब्जा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आपस में बातें नहीं करें।

श्री अहमद बक्श सिंधी : विवादग्रस्त भूमि कुर्क कर रिसीवर मुकर्रर किया हुआ है। राजकीय विभागों के लिये वक्फ बोर्ड से किराया तय करने तथा लीज पर भूमि लेने के लिये निर्देश दिये जा चुके हैं। वक्फ सम्पत्तियों पर नाजायज कब्जों को रोकने व दूर करने के उद्देश्य से राजस्थान गवर्नमेंट प्रिमिसेज (इविक्शन ऑफ अन-ऑथोराइज्ड आक्यूपेशन) एक्ट, 1976, संशोधित, 1982 के अन्तर्गत इनको उक्त अधिनियम के क्षेत्र में सम्मिलित कर समस्त उप-खण्ड अधिकारीगण को अपने-अपने क्षेत्र की वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में बेदखली की फौरी कार्यवाही करने के लिये एस्टेट ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

श्री जगतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब उसके ऊपर अभी कब्जे नहीं किये गये हैं, तो जो मुकदमे आप दायर बता रहे हैं ये कब्जे कब के हैं और इनको हटाने के लिये मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ? मैंने नाम भी पूछे ह कि वह किस-किस के कब्जे हैं और उन पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? नम्बर एक। कितनी भूमि खाली है ? एक दूसरा प्रश्न यह पूछूंगा, 1978 में जब तत्कालीन मुख्य मंत्री वहां किसी एक छात्रावास का उद्घाटन करने के लिये गये थे तब उन्होंने उद्घाटन किया था या वापस आ गये थे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री अहमद बक्श सिंधी : बयाना में मीराना नाम से जाना जाने वाला कब्रिस्तान खसरा नं. 1215, 1217, 1219 की कुल भूमि 89 बीघा 19 बिस्वा अंकित है। वैसे इस कस्बे में 35 कब्रिस्तान अलग-अलग जगहों पर हैं। इस कब्रिस्तान में वर्तमान में किसी व्यक्ति द्वारा नाजायज कब्जा किये जाने की कोशिश नहीं की जा रही है। पूर्व में उक्त भूमि पर निम्न लोगों के कब्जे हैं।

संस्था एवं विभागों द्वारा कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण संस्था एवं विभागों द्वारा गवर्नमेंट एजेन्सी...

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : संस्था कौनसी ?

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : तत्कालीन वक्फ कमेटी द्वारा दिये गये लीज के आधार पर ....

(व्यवधान)

मैं बता रहा हूं, आपको। सब विवरण आ जायेगा।

श्री नाथूराम चौधरी (नागौर) : मंत्री महोदय पान खा रहे हैं इसलिये आवाज

Page No 23

(श्री महाराम चौधरी)
साफ नहीं आ रही है। हमारे बात ही समझ में नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद (रूपबास) : आप हो-हल्ला तो मचा रहे हो, क्योंकि आपकी बात आ रही है। इसलिये आप बोलने देना नहीं चाहते हो।

श्री जगन्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक मतलब की चीज पूछी थी वह लिस्ट बता दी जाय। मंत्री महोदय, सरकारी कब्जा बता रहे हैं। हम व्यक्ति विशेष का कब्जा पूछ रहे हैं।

श्री रामप्रसाद : माननीय अध्यक्ष मंत्री महोदय किन किन आदमियों के कब्जे हैं ? किन-किन के पैट्रोल पम्प लगे हुए हैं ? इस बात की पूरी जानकारी दे दीजिये।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : जिन व्यक्तियों के कब्जे हैं उनमें खसरा नम्बर 1215 में गंगाराम, रामस्वरूप, ओमप्रकाश रामजीलाल ने पत्थर की डोली बना रखी है तथा बुन्दू खां, मूलसिंह ने करीब तीन फीट की पक्की दीवार बना रखी है। शेष भूमि खाली है इस खसरे में। दूसरे खसरा नम्बर 1217 में महेन्द्र कुमार एडवोकेट व साधूराम ने जगह-जगह घेर कर नाजायज कब्जे कर नींव भर कर पाटोड़ डाल रखी है। इस आराजी में 662 फीट इन्टू 619 फीट तथा साढ़े 6 फीट तिकोना घेर कर पंचायत समिति बयाना ने क्वार्टर्स बना रखे हैं। यह जमीन कलेक्टर ने उसको नाजायज रूप से दी है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : बिलकुल।

श्री दीपेन्द्रसिंह : कलेक्टर के खिलाफ…

श्री अहमद बक्श सिन्धी : बिलकुल करेंगे, कोई भी हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : कौनसे कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? कलेक्टर का नाम बतायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह : कलेक्टर का नाम बतायें, किसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, नियमों का ध्यान रखें।

श्री जगन्नसिंह : आध घंटे की चर्चा के लिये दे दें।

श्री अध्यक्ष : आध घंटे की चर्चा इस तरह से नहीं मिलती। इसके लिये हमारे नियम हैं। नियमों की पुस्तिका को पढ़िये, उसमें कई तरह के माध्यम बताये हैं, उन माध्यमों के जरिये से पूछें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

Page No 24

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 फरवरी, 1983)

मन्दिरों की भूमि का कब्जा दिलाना

115. **श्री कुंजीलाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य में मन्दिरान की माफी की जमीन का दाखिला खारिज वापस मन्दिरों के नाम खोला गया है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार मन्दिरों को उनकी जमीन का पुनः कब्जा दिलाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । अब तक 2488 मामलों में मन्दिरों की माफी की जमीन का दाखिल खारिज वापस मंदिरों के नाम खोले गये ।

(2) जी हां ।

अतारांकित प्रश्नोतर

जिला जैसलमेर में 'प्रशासन गांवों की ओर 'कार्यक्रम

248. **श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र के ग्रामों में कितने मामले निर्णीत किये गये एवं कितने मामले विचाराधीन हैं ? कृपया ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) शेष विचाराधीन मामलों को कब तक निर्णीत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) "प्रशासन गांवों की ओर" राजस्व अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र के 28 गांवों में कुल 261 मामले निर्णीत किये गये और 139 मामले विचाराधीन हैं । ग्रामवार सूची सदन पटल पर रख दी गई है ।

(2) शेष विचाराधीन मामलों का निर्णय तीन माह में कर दिया जावेगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

आर. डी. 507 के एस्केप में पानी छोड़ा जाना

249. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान मुख्य नहर की किस-किस आर. डी. पर एस्केप बानये हुए हैं ?

(2) राजस्थान मुख्य नहर की आर डी. 507 के एस्केप में वर्ष 1982 में कब-कब व कितना-कितना पानी छोड़ा गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस एस्केप में बारह महीने पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो क्या उस पानी का कृषि कार्य में उपयोग नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर विचार करेगी ?

Page No 25

(श्री देवीसिंह भाटी)

(4) क्या यह भी सही है कि राजस्थान नहर पर पानी की कमी रहते हुए भी एस्केप पर फालतू पानी छोड़ा जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त एस्केप से गेगड़ा व संसारदेसर गांव पानी के रिसने से खाली हो गये हैं ? यदि हां, तो प्रभावित ग्रामीणों को सरकार अन्यत्र बसाने का कोई विचार रखती है ? तथा उन्हें कोई अनुदान व सहायता देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की बुर्जी 507 पर एस्केप बना हुआ है, और बुर्ज 750 पर निर्माणाधीन है । इसके अतिरिक्त बुर्जी 1121.20 पर एक एस्केप बनाने का प्रावधान रखा गया है ।

(2) राजस्थान मुख्य नहर की आर. डी. 507 के एस्केप में वर्ष 1982 में जितना जितना पानी छोड़ा गया उसका पूर्ण विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(3) जी हां, इस पानी का उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है । इस एस्केप का एकत्रित पानी प्रणाली में आवश्यकतानुसार लिंक चैनल द्वारा रोजड़ी वितरिका में 30 आर. डी. पर डाल कर उसका उपयोग कृषि एवं सिंचाई कार्य हेतु लिया जा रहा है ।

(4) जी नहीं । राजस्थान नहर पर पानी की कमी नहीं है । एस्केप में पानी उस समय छोड़ा जाता है, जब कभी विरंदवाल हैड से हमारे द्वारा दिये गये मांग-पत्र से बहुत अधिक पानी आ जाता है, आवश्यकता से अधिक आये पानी को सभी नहर पूर्ण चलाने के बाद ही मुख्य नहर की सुरक्षा हेतु एस्केप में छोड़ा जाता है ।

(5) जी नहीं । लोग गेगड़ा व संसारदेसर गांव पूर्णतः आबाद हैं, व अपनी खेती-बाड़ी कर रहे हैं । प्रभावित ग्रामवासियों को सरकार द्वारा दूसरी जगह पर बसाने के लिये गांवों को खाली कराने की कोशिश उपनिवेशन विभाग द्वारा सन् 1977-78 में की गई थी, लेकिन ग्रामवासी गांव छोड़ना नहीं चाहते थे । ऐसी स्थिति में सरकार ग्रामीणों को नियमानुसार सहायता देगी ।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन

251. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने पर सिंचित व असिंचित प्रति मुरब्बा कितनी राशि वसूल की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि समतल पक्की भूमि तथा दोमट भूमि की कीमत समान रूप से ली जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि चक के आउटलेट (मोघे) के पास वाले मुरब्बे की तथा आखिरी छोर के मुरब्बे की भी समान कीमत ली जाती है ?

Page No 26

(२६)

(श्री देवीसिंह भाटी)

(4) क्या राज्य सरकार उपरोक्त असमानता दूर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया विभाग की नीति से अवगत करावें ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने पर सिंचित व असिंचित भूमि की प्रति मुरब्बा कीमत राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 17 (1) के अधीन भूमि की मृदा (वर्गीकरण) के अनुसार निम्नलिखित राशि वसूल की जाती है :

1. सिंचित वर्ग :

(क) नाली 35,000) रु. प्रति मुरब्बा

(ख) लाइटलूम 29,531.25 रु. प्रति मुरब्बा

(ग) सेन्डीलूम 21875) रु. प्रति मुरब्बा

2. असिंचित वर्ग :

(1) अनकमाण्ड 6,562.50 रु. प्रति मुरब्बा

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । यदि आउटलेट के पास वाले मुरब्बे और अन्तिम छोर के मुरब्बे की भूमि का वर्गीकरण समान होता है तो कीमत भी समान ही ली जाती है ।

(4) जी नहीं । विभागीय नीति के अनुसार भूमि की कीमत चक के आउटलेट (मोघे) के पास या दूरी पर आधारित नहीं है बल्कि भूमि के वर्गीकरण पर आधारित है और तदनुसार ही कीमत ली जाती है ।

सिंचाई वितरक प्रणाली को पक्का किया जाना

252. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या सी. ए. डी. एवं राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

सिंचित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर वितरक प्रणाली को पक्का किया गया ? नहरों की कुल कितनी कि. मी. लम्बाई है जिसमें से मार्च, 1981 तक कितने कि. मी. लम्बी नहरों का कार्य हो चुका था तथा मार्च, 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कितने कि. मी. नहरों का कार्य किया जा चुका ?

उत्तर

सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में राजस्थान नहर परियोजना कार्यक्रम में माह जनवरी, 83 तक परियोजना क्षेत्र में 11.31 कि. मी. लम्बाई में वितरक प्रणाली की नहरों को पक्का किया जा चुका है । इस संगठन के अधीन राजस्थान मुख्य नहर के कि. मी. 74 तक निकलने वाली वितरक प्रणाली की नहरों की कुल लम्बाई 1.850.00 कि. मी. है, जिसमें से से 915 कि. मी. परियोजना क्षेत्र में है । मार्च, 81 तक 1753 कि. मी. लम्बी वितरक प्रणाली की नहरों को पक्का किया जा चुका था, जिसमें से 873 कि. मी. लम्बी नहरें परियोजना क्षेत्र की थीं । वर्ष

(सी.ए.डी. एवं राज. नहर परि. मंत्री) 81–82 में 25 कि. मी. लम्बी नहरों को पक्का किया गया जिसमें से 10 कि. मी. नहरें परियोजना क्षेत्र की थी। मार्च, 82 के बाद दिसम्बर, 82 तक 8.24 कि. मी. परियोजना क्षेत्र एवं 6.76 कि. मी. परियोजना क्षेत्र के बाहर कुल 15.00 कि. मी. लम्बाई में नहरों को पक्का किया गया।

किशनपुरा पंचायत को मांडा योजनान्तर्गत लेना

253. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, अन्ता की ग्राम पंचायत, किशनपुरा के सभी गांवों की कुल आबादी का 70 प्रतिशत से भी अधिक जनजाति का है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत को मांडा योजना के अन्तर्गत लिये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जनगणना, 1971 के अनुसार पंचायत समिति अन्ता की ग्राम पंचायत किशनपुरा के सभी 8 गांवों की कुल आबादी का 42.75 प्रतिशत जनजाति की आबादी है।

(2) ग्राम पंचायत किशनपुरा के बोरदा, मून्डला, कुश्या व कुन्डला गांव मांडा योजना में सम्मिलित हैं। शेष चार ग्रामों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मांडा योजना में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं है।

खदान विकास योजना

254. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि खान एवं भूगर्भ विभाग द्वारा खानों के पट्टेधारियों को उनकी खानों का वैज्ञानिक विधि से विकास करने में सहायता देने की दृष्टि से चलाई जा रही खदान विकास योजना को बन्द कर दिया गया था ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना कब बन्द की गई और उसके बन्द करने के क्या कारण थे ? यदि उसे बन्द करने में एक कारण घाटा जाने का है तो वाणिज्यिक घोषित करने के बाद कब-कब कितना-कितना घाटा गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ?

(3) उक्त योजना के बन्द करने की तारीख को खदान विकास योजना के खातों में किस-किस पट्टेधारी में कितनी-कितनी बकाया थी और वह कब से चली आ रही थी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना को दिनांक 29-2-80 से बन्द कर दिया गया था। यह सही है कि वाणिज्यिक घोषित करने के पश्चात् निरन्तर घाटा होने से इस योजना को बन्द किया गया था। इस योजना को सन् 1969–70

Page No 28

(28)

(खनिज मंत्री)

से वाणिज्यिक घोषित करने के बाद 1979-80 तक निम्न प्रकार का घाटा/लाभ हुआ:-

वर्ष	लाभ	घाटा
1969-70	–	4,24,000.00
1970-71	80,241.64	–
1971-72		1,56,057.56
1972-73		1,27,308.82
1973-74		1,13,983.00
1974-75		2,15,205.00
1975-76		3,72,000.00
1976-77		2,49,000.00
1977-78		3,43,818.00
1978-79		3,32,872.00
1979-80		2,41,493.00

(3) इस योजना के बन्द करने की तारीख 29-2-80 तक जिन जिन पट्टेधारियों में किराया बाकी था, उसकी सूची संलग्न की जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

खनिज परामर्शदात्री समिति का गठन

255. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने खनिज परामर्शदात्री समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो इस मंडल के क्या क्या कार्य है ?

(2) उक्त मण्डल के कितने सदस्य है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । मंडल के कार्य निम्न प्रकार हैं :

1. खनिज संबंधित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में किये जा रहे प्रयत्नों में समन्वय और एकीकरण करना ।

2. विभिन्न कार्यक्रमों में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करना ।

(खनिज मंत्री)

3. कठिनइयों एवं क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रमों पर विचार कर विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं में यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो उसमें सुझाव देना।

4. मंडल के कार्य सलाहात्मक और समन्वयात्मक होंगे।

(2) इस मंडल में 12 सदस्य हैं जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औषधालय/चिकित्सालय की स्थापना

256. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्रीय परिषद् की 28वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सरकार ने राजस्थान में राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत औषधालय/चिकित्सालय स्थापित करने एवं उनके लिये आवास किराये पर लेने संबंधी कार्यकलापों पर सिफारिशें करने हेतु एक समिति का गठन किया है?

(2) यदि हां, तो इस समिति का गठन कब किया गया है, इसमें कौन-कौन सदस्य हैं तथा इसको कब तक अपनी सिफारिशें देने हेतु कहा गया है?

(3) क्या इस समिति ने कोई प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन के पटल पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस समिति का गठन श्रम विभाग, राजस्थान के आदेश संख्या एफ. 1 (14) (20) ले/वाई. एस. आई./82, दिनांक 22-11-82 को किया गया था। इसमें सदस्य श्रम आयुक्त, राजस्थान, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ई. एस. आई.) राजस्थान, जयपुर, अतिरिक्त निदेशक, कर्मचारी बीमा निगम, जयपुर व श्री हजारी लाल शर्मा, इंटक जयपुर हैं।

सिफारिशें प्रेषित करने हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं है।

(3) जी नहीं।

लाइसेंसधारी बोहरे

257. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में कुल कितने लाइसेंसधारी बोहरे हैं, जो ग्रामीणों को रकम कर्ज पर देते हैं? तथा इस कर्ज पर ब्याज किस दर से वसूल किया जाता है? साहूकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिना लाइसेंस के ग्रामों में

(राजस्व मंत्री)
साहूकार भारी ब्याज पर कर्ज देते हैं ? यदि हां, तो उक्त तहसील के किस-किस बोहरे के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में 203 लाइसेंसधारी साहूकार हैं, जो ग्रामीणों को रकम कर्ज पर देते हैं और इस कर्ज पर 12 प्र. श. प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि वसूल करते हैं । साहूकारों की सूची संलग्न है ।

(2) राजस्व अभियान "प्रशासन गांवों की ओर" की अवधि में तहसील प्रतापगढ़ में 174 प्रकरण सामने आये, जिनमें नियमानुसार जांच की जा रही है, तथा तत्पश्चात् विधिवत् कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

न्यायाधीशों के रिक्त पद

259. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) प्रदेश में हाई कोर्ट जज, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कितने-कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त पदों के भरने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है । यदि हां, तो क्या और अब ये पद कब तक भर दिये जायेंगे ।

उत्तर

(1) राज्य में 6 स्थान हाई कोर्ट जज के, 8 पद राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के तथा 15 पद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के रिक्त हैं । यदि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के 8 पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के 23 पद रिक्त हो जायेंगे ।

(2) हाई कोर्ट के जजों के रिक्त पदों की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही की जाने की अपेक्षा है । राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के रिक्त पदों की पूर्ति उच्च न्यायालय द्वारा इस माह में किये जाने की संभावना है । मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के रिक्त पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है । लोक सेवा आयोग से चयन कर सिफारिश करने का अनुरोध किया जा चुका है । और यह नियुक्तियां इस वर्ष में होने की संभावना है ।

बसों के किराये में वृद्धि

260. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1982 के लागू होने के पश्चात् प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने बसों का किराया डेढ़ा और दुगना कर दिया है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने मालिकों को किराया दर में वृद्धि करने की छूट दी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्राइवेट बस मार्गों पर किराया नियन्त्रित करने के लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । इस संबंध में इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(यातायात मंत्री)

(2) सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। केवल किराये में कर व सरचार्ज व अतिरिक्त सरचार्ज को शामिल कर किराये की नई दरें कायम की गई हैं। किराये में वृद्धि नहीं हुई है।

बस रूटों पर स्कोप निर्धारण

261. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में यात्रियों के लिये बस चलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा रूटों पर स्कोप निर्धारण किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस स्कोप निर्धारण प्रणाली से बस आॅपरेटर्स का ही हित साधन होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्कोप निर्धारण प्रणाली के कारण ही बस यातायात में अव्यवस्था है और उनमें भयंकर भीड़ चलती है एवं इसलिये यात्रियों को अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या राज्य सरकार यात्रियों के हित में स्कोप निर्धारण प्रणाली को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 (3) में समय-समय पर स्कोप में वृद्धि किये जाने का प्रावधान है।

(4) मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत मार्गों पर स्कोप उस क्षेत्र में यात्रा करने वाली जनता को पर्याप्त बस सेवा प्रदान करने और वाहन स्वामियों के बीच अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने की दृष्टि से रखा गया है। इसलिये इसे समाप्त करने का कोई विचार नहीं है।

रोड टैक्स की बकाया

262. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

अलवर जिले में किन-किन प्राइवेट बस आॅपरेटर पर कितनी-कितनी रकम रोड टैक्स की कितने समय से बाकी है ? कृपया बस नम्बर एवं मालिक के नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

वांछित सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सस्ते दर की राशन दुकान का आवंटन

263. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला बीकानेर की तहसील कोलायत के ग्राम गुड़ा में सस्ते दर के राशन

(श्री देवीसिंह भाटी)
की दुकान किस व्यक्ति को कब से आवंटित है ?

(2) क्या यह सही है कि सस्ते दर की दुकान आवंटन में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है ?

(3) क्या यह सही है कि नवगठित गुड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने जिला रसद अधिकारी को सस्ते दर की दुकान आवंटन करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त समिति का प्रार्थना-पत्र किस आधार पर निरस्त किया गया ?

(4) किसी भी ग्राम अथवा क्षेत्र में नई सहकारी समिति के गठित होने पर समिति को ही प्राथमिकता दी जाती है अथवा पूर्व में व्यक्ति विशेष को आवंटित दुकान ही यथावत् रहती है ? कृपया राज्य सरकार की नीति से अवगत करावें ।

(5) जिला प्रशासन बीकानेर ने वर्ष 1980 से जनवरी, 1983 तक किस-किस व्यक्ति व सहकारी समिति को पूर्व आवंटित सस्ते दर की दुकानें किन-किन आधारों पर निरस्त की हैं व नये आवंटन किन-किन को किये गये ? कृपया निरस्त किये गये आवंटी व नये आवंटियों की सूची मय पता व आदेश तिथि सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) गुड़ा बहुद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुड़ा दिनांक 9-10-82 से ग्राम गुड़ा में उचित मूल्य की दुकान का कार्य कर रही है ।

(2) जी हां ।

(3) बहुद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुड़ा दिनांक 23-8-77 से उचित मूल्य के दुकानदार हैं । बीच में कार्य न करने के कारण दिनांक 22-4-80 को श्री हनुमान प्रसाद को उचित मूल्य की दुकान स्वीकृत की गई थी । ग्रामवासियों द्वारा जून से सितम्बर, 82 तक की लेवी चीनी उपलब्ध नहीं कराये जाने की शिकायत पर तथा गुड़ा बहुद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति को जो पहले से ही उचित मूल्य की दुकानदार थी, द्वारा पुनः कार्य करने की इच्छा प्रकट करने पर दिनांक 9-10-82 को वितरण का कार्य अस्थाई रूप से दे दिया गया है ।

(4) राज्य सरकार की नीति के अनुसार यदि किसी ग्राम अथवा क्षेत्र में निजी व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान आवंटित है तथा उस स्थान पर सहकारी समिति गठित होकर उचित मूल्य की दुकान का कार्य करने की इच्छा व्यक्त करती है तो उस ग्राम अथवा क्षेत्र में सहकारी समिति को भी नियुक्त करते हुए पूर्व में नियुक्त दुकानदार एवं सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित कर वितरण कार्य प्रारंभ रखा जाता है ।

(5) वर्ष 1980 से जनवरी, 1983 तक पूर्व में आवंटित जिन दुकानों को निरस्त कर नये आवंटन किये गये, की सूची मय कारण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22 फरवरी, 1983)

उदयपुर डिवीजन के हाई कोर्ट में विचाराधीन मामले

59. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) 1982 के अन्त तक उदयपुर डिवीजन के फौजदारी, सिविल तथा कानून व्यवस्था के कितने मामले राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर में विचाराधीन हैं ? विभिन्न मामलों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा आदिवासी बहुल जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के पिछड़े वर्ग को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर डिवीजन के फौजदारी, सिविल तथा कानून व्यवस्था के कुल 2,868 मुकदमे दिनांक 31-12-82 तक राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन हैं । विभिन्न मामलों के आंकड़ों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) आदिवासी जिलों में सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिये राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जहां तक संभव हो सका है तहसील स्तर पर न्यायालय स्थापित किये गये हैं । वर्तमान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में विभिन्न प्रकार के संलग्न मानचित्र में दिखाये गये न्यायालय स्थापित किये हुए हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 फरवरी, 1983)

तहसील शाहबाद में कृषि भूमि का अनियमित आवंटन

104. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार को तहसील शाहबाद, जिला कोटा में अगस्त, 1980 के कृषि भूमि के अनियमित आवंटन की जानकारी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में अतिरिक्त जिलाधीश एवं तहसीलदार, शाहबाद ने जांच की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश के अनेक निवासियों को भूमि का आवंटन हुआ है ?

(4) 3 व 5 अगस्त सन् 1980 को आवंटित कृषि भूमि की सूची नाम सहित सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(राजस्व मन्त्री)

(3) आवंटियों में कुछ व्यक्तियों के मध्य प्रदेश के निवासी होने का सन्देह है। जिनके आवंटन नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत निरस्त करने हेतु कार्यवाही जिलाधीश, कोटा के समक्ष विचाराधीन है।

(4) दिनांक 3-8-80 को आवंटन के आदेशों की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है। दिनांक 5-8-80 को कोई आवंटन नहीं हुआ है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 24 फरवरी, 1983)

अलवर संभाग में विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसें

112. **श्री शीतमल जैन** (अलवर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) अलवर संभाग में विभिन्न मार्गों पर चलने वाली बसों के कितने शिड्यूल हैं? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) 1 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक किस-किस मार्ग पर कितने शिड्यूल रद्द किये गये? कृपया तिथिवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर संभाग में विभिन्न मार्गों पर 259 अनुसूचित सेवाओं से 803 परिचक्र दैनिक संचालन हेतु निर्धारित हैं। उक्त संभागान्तर्गत आगारवार निर्धारित अनुसूचित सेवा व परिचक्रों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)

(2) 1 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 83 तक मार्ग वार तथा माहवार निरस्त हुए परिचक्रों की सूची, मय दैनिक निरस्त हुए औसत परिचक्रों को दर्शाते हुए संलग्न है। उक्त अवधि में माहवार निर्धारित परिचक्र एवं संचालित परिचक्रों की संख्या भी सूची में अंकित है।

(परिशिष्ठ--ब)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:

(1) श्री महावीर प्रसाद जैन-टौंक जिले में स्थित मोती बांध से कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पानी होते हुए भी सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध न कराने के विषय में।

(2) श्री हंसराज शर्मा--भारत निर्मित विदेशी शराब की जिला भरतपुर के आबकारी अधिकारियों द्वारा गत 24 फरवरी को की गई नीलामी व उसमें की गई अनियमितताओं के विषय में।

(3) श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री दाऊदयाल जोशी-बारां व कोटा में वितरित

Page No 35

35

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने वाले राशन का गेहूं खाने योग्य न होने के विषय में।

(4) श्री अनंग कुमार जैन व श्री बालचन्द्र आर्यवीर--झालावाड़ जिला चिकित्सालय में जूनियर स्पेशलिस्ट महिला चिकित्सक एवं नेत्र विशेषज्ञ का पद लम्बे अर्से से रिक्त होने के विषय में।

(5) श्री हीरालाल आर्य--पीपल्दा क्षेत्र के इटावा कस्बे में 30 के. वी. पावर स्टेशन के लिये लगाये गये ट्रांसफार्मर को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् द्वारा अन्यत्र ले जाने की कार्यवाही के विषय में।

(6) श्री यदुनाथ सिंह--भरतपुर जिले की गुड़गांव नहर व भरतपुर फीडर से पानी उपलब्ध न कराने के विषय में।

(7) सुश्री पुष्पा जैन --जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ गांवों की भूमि फायरिंग रेंज के लिये अवाप्त करने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(8) श्री राम किशोर मीणा--राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लगभग 100 पद रिक्त होने के कारण काश्तकारों को असुविधा होने के विषय में।

(9) श्री कैलाश मेघवाल--गत 14 फरवरी को अजमेर नगर में फाईसागर रोड स्थित एक बंगले से अलवर गेट के पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक बस को बंगले का फाटक तोड़ कर निकाल लेने एवं जब्त कर लेने के विषय में।

(10) श्री मेघराज तावड़--राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा 1983 की परीक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा के विषय में।

(11) श्री महाराम चौधरी--गत 24 फरवरी को ग्राम केची, थाना गंगानगर पीलीबंगा, जिला गंगानगर के बस स्टेण्ड पर एक कार चालक की लापरवाही से कुछ बच्चों की मृत्यु व कुछ आदमियों के घायल होने के विषय में।

(12) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी--मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान द्वारा वन पालों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु गत 29 व 30 नवम्बर को ली गयी परीक्षा का परीक्षा परिणाम अभी तक प्रकाशित न करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं :

(13) श्री त्रिलोक सिंह--सीमेंट की कीमतें बढ़ाने के कारण चूरू, गंगानगर, सीकर व झुन्झुनू में सीमेंट न मिलने के विषय में।

(14) श्री वंशीलाल पटवा--नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा 48 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है।

(1) श्री नन्दलाल मीणा- नगरपालिका, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की सीमा वृद्धि के आदेश निरस्त करने के विषय में।

श्री नन्दलाल का ही यह प्रस्ताव भी है।

चित्तौड़गढ़ जिले की 11 तहसीलों में कम संख्या में अकाल राहत कार्य पर लोगों को लगाने के विषय में।

(2) श्री रामकिशोर मीणा–दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा कथित अनियमितताओं के विषय में।

(3) श्री हंसराज शर्मा–नगरपालिका, सवाई-माधोपुर द्वारा सरकार से पुष्टि न कराने पर भी गृह कर लगाने के विषय में।

(4) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी–मनोहरपुर नगरपालिका, जिला जयपुर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में।

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी–पुलिस विभाग में ए. एस. आई. की परीक्षाओं के अन्तर्गत शारीरिक परीक्षा तथा ए. एस. आई. की परीक्षा एक ही तिथि को होने के विषय में।

(6) श्री जीतमल जैन–अलवर स्थित भारत एलम्स एण्ड कैमिकल्स फैक्ट्री द्वारा जल प्रदूषण।

(7) श्री हरीश शर्मा–कोटा के मोडक गांव के पास स्थित मंगलम् सीमेंट फैक्ट्री द्वारा वायु प्रदूषण।

(8) श्री बंशीलाल पटवा–भीलवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं के विषय में।

(9) श्री देवीसिंह भाटी–जिला बीकानेर के ग्रामीण अंचल में अकाल राहत कार्य व पशु पोषण केन्द्र शुरू न करने के विषय में।

आॅर्डर प्लीज।

इस विषय में श्री देवीसिंह भाटी व श्री चन्द्रवीरसिंह ने आज भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से प्राप्त तथ्यों के अध्ययन के पश्चात् मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अथवा व्यक्तिगत हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इन पर चर्चा की अनुमति भी नहीं होगी :

(1) श्रीमती विद्या पाठक–सांगानेर हवाई अड्डे के पास दुकानदारों के साथ थाना सांगानेर के कुछ कर्मचारियों द्वारा गाली-गलोच व मारपीट।

(2) श्री हाजी चाव खां–नगरपालिका कामां, जिला भरतपुर के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा अनियमितताएं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री जीतमल जैन—अलवर के इण्डेन गैस के विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को गैस के साथ हाट-प्लेट खरीदने के लिये मजबूर करना।

(4) श्री हरीश शर्मा—तहसील रामगंज मंडी के ग्राम खेड़ारूढा के श्री चुन्नीलाल की बंदूक की चोरी के विषय में।

(5) श्री रामकंवार बैरवा—गत 14 फरवरी को 'प्रशासन गांवों की ओर' अभियान में दो व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की कब्जाशुदा भूमि आवंटित न करने के विषय में।

माननीय सदस्य इन प्रश्नों को अन्य माध्यम से उठा सकते हैं।

अतः इन पर दो मिनट की चर्चा की अनुमति भी नहीं दी जायगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मैं अब जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं, वह अपनी बात 2-2 मिनट में समाप्त करने की कृपा करें। श्री त्रिलोक सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बंसी लाल पटवा, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा 48 अस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के विषय में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रस्ताव दिया है, उपनिवेशन क्षेत्र में इस सरकार की कैसी नीति है ......

श्री अध्यक्ष: इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी, उसके बारे में समय न लें।

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्था को हम चेलेन्ज नहीं कर रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अव्यवस्था न फैलायें। कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी: XXX

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठ जायें। अंकित नहीं हो रहा है। कृपया नियमों का ध्यान रखें।

श्री देवीसिंह भाटी: XXX

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बहुत एतराज करने की बात है। कृपया बैठ जायें। यह कोई तरीका नहीं है बहस का। अंकित नहीं हो रहा है। मैं इस तरह इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी: XXX

श्री अध्यक्ष: अवहेलना कर रहे हैं आसन के आदेशों की। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी: XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर नाम से संबोधित करूंगा, माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से संबोधित करता हूं। कृपया सदन से बाहर पधार जायं। कृपया बाहर जाइये। यह तरीका नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सरकार की क्या नीति है।

श्री अध्यक्ष : नीति का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जायं। ऑर्डर प्लीज। इस तरह अवहेलना की जाती है। मैं माननीय सदस्यों की सुविधा......

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्वयं जानते हैं, इतनी बड़ी संख्या में सदैव स्थगन प्रस्ताव आते हैं उनमें जो उपयोगी विषय मैं समझता हूं, मेरी जैसी अक्ल है, आपमें ज्यादा अक्ल हो सकती है, उनको मैं सरकार के पास जानकारी के लिये भेजता हूं कि सरकार से जानकारी मिल जाय। जब जानकारी आ जाती है तो उसके पश्चात् उचित समझता हूं तो उस पर वक्तव्य देने की व्यवस्था करता हूं। अगर वक्तव्य नहीं हो तो मैं उस अवस्था में अस्वीकार किये जाने पर माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने के लिये 2 मिनट का अवसर देता हूं। यदि आपका स्थगन प्रस्ताव आया और उस पर मैंने राज्य सरकार से सूचना मंगवाना उचित नहीं समझा और अस्वीकार कर दिया तो उस अवस्था में माननीय सदस्यों को दो मिनट का अवसर देता हूं। माननीय सदस्य जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम समझा गया है इस दृष्टि से कि इसमें कुछ न कुछ जनहित निहित होता है और माननीय सदस्यों को सुविधा हो। माननीय सदस्य, जो कोलायत से पधारते हैं, चाहे कोई कारण हो, चाहे मुझे सूचना मिली हो, को मैंने दो मिनट का अवसर दिया है ताकि वे अपनी बात कह दें लेकिन प्रतिदिन जब शून्य काल होता है, चाहे उनके प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी मंगा लूं, चाहे उस पर सरकार से वक्तव्य दिलाऊं, चाहे अस्वीकार कर दूं, एक उन्होंने रास्ता पकड़ लिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बार बार माननीय सदस्य को निवेदन किये जाने पर भी उनका हमेशा यह रवैया रहा है कि आसन की अवहेलना कर पांच दस मिनट लें अपनी बात को कहने के लिये। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

माननीय सदस्यगण, आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं......

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : यह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वैसे आप किसी विषय को बहुत उपयोगी समझ सकते हैं लेकिन पूरे सदन के माननीय सदस्यों के जितने भी प्रस्ताव आते हैं, प्रश्न आते हैं, जितनी उनकी कठिनाइयां हैं उनके लिये मुझे सीमित समय देना होता है। कई माननीय सदस्य चाहते हैं

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ग्रध्यक्ष)

कि दो चार पांच मिनट का ग्रवसर दिया जाय । ग्राज भी बहुत सा ग्रपना समय करीब दस बारह मिनट का व्यर्थ में चला गया । मुझ से ग्रलग से कल माननीय सदस्य ने एक शिकायत की कि मेरा यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है । मैंने भी पाया कि इसको मैंने ग्रस्वीकार कर दिया है तो भी इस पर जानकारी मंगा ली जाय । कल एक ग्रन्य माननीय सदस्य ने व्यवस्था दिये जाने के पश्चात् ऐसा महसूस किया कि मेरे पास कुछ पत्रावलियां हैं, मैं इस संबंध में ग्रौर कहना चाहता हूं तो मैंने निवेदन किया, मैंने ग्रपनी व्यवस्था बदली । जहां तक हो, माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये मैं विचार करता हूं । माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन का समय बहुत कीमती है । कई तरह के प्रश्न सामने ग्राते हैं इसलिये मेरी कठिनाई को समझें । ग्रापको यदि कोई कठिनाई है तो यहां सदन का समय लेने के बजाय मेरे चैंम्बर में पधार जावें, वहां मुझे समझाने की कोशिश करें । मैं तो उदार दिल से पुर्नविचार करने को तैयार रहता हूं । हालांकि नियमों से सभी माननीय सदस्य परिचित हैं । कई वयोवृद्ध सदस्य बैठे हैं, वह जानते हैं कि यह भी टाइम था कि जब ग्रासन ने कह दिया कि यह हो गया तो वह हो गया । लेकिन हम तो उस पर पुर्नविचार करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं । ग्राबादी बढ़ गई है, समस्याएं बढ़ गई है, इसलिए कृपया····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : ग्रध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि ग्राप बहुत उदार हैं ····

श्री ग्रध्यक्ष : ज्यादा उदारता का फिर लाभ भी नहीं उठाया जावे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी उदारता को देख कर हम भी इस बात का प्रयत्न करते हैं कि बहुत ही उदार हों ·······

श्री ग्रध्यक्ष : यह भी बात सही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन, ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा ग्रापने स्वयं फर्माया कि कई समस्याएं ऐसी होती हैं उन समस्याग्रों के समाधान के लिये हम लोग यहां ग्राये हैं ।

श्री ग्रध्यक्ष : बिलकुल सही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई यह समझे कि केवल विधायक बनना ही प्रर्याप्त है तो वह बात नहीं है । विधायक बन कर जनता की समस्याग्रों को सरकार के सामने रखना ग्रौर सदन का ध्यान ग्राकर्षित करना है । माननीय सदस्य जो कोलायत से ग्रौर जैसलमेर से ग्राये हैं, मैं समझता हूं उनके निर्वाचन क्षेत्र में इससे बड़ी कोई समस्या नहीं हो सकती कि उपनिवेशन क्षेत्र के कारण से उनके यहां फेमिन के वर्क्स नहीं खोले जावें । ग्रध्यक्ष महोदय, दोनों क्षेत्रों से ग्राप परिचित हैं । ग्राप जैसलमेर से परिचित हैं ग्रौर बीकानेर में कोलायत के क्षेत्र से भी ग्राप परिचित हैं । वहां भयंकर ग्रकाल है लेकिन ग्रकाल राहत कार्य नहीं खुल रहे हैं । वहां पर ग्रभी नहर का पानी नहीं पहुंचा । जैसलमेर में तो पहुंचने का ग्रभी सवाल ही पैदा नहीं हुग्रा । कोलायत क्षेत्र में सिंचाई नहीं हो रही है । उपनिवेशन क्षेत्र के नाम

(श्री भैंरोंसिंह शेखावत)

पर वहां फेमिन के काम नहीं खोले जावें और लोग भूखों मरें, बेरोजगार होकर त्राहि त्राहि करते फिरें, यदि इस समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित नहीं करायेंगे तो यह विधायक हैं किसलिये । मैं ऐसा समझता हूं कि आपने जिस प्रकार से उदारता बताई है, माननीय सदस्य अपनी बात कुछ रख दें और सरकार की प्रतिक्रिया इस संबंध में मालूम हो जावे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य का आक्रोश स्वाभाविक है । अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस आक्रोश को व्यक्त करें भाषा में, शब्दों में तो वह व्यक्त करने का अवसर निश्चित रूप से मिलना चाहिये । मैं अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जहां काम खुल सकते हैं वहां निश्चित रूप से काम खुलवायें । जिस समय पानी आ जावे उस समय काम नहीं खुलवायें, यह तो समझ में आ सकता है लेकिन बिना पानी हुए काम नहीं खुलें, यह अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि विपक्ष के नेता महोदय ने.......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

ऐसा है कि विपक्ष के नेता महोदय ने जो सुझाव दिया है, कहीं मेरा कोई एतराज नहीं है उस सुझाव को मानने से । लेकिन होता क्या है, इनमें माननीय सदस्य तत्काल कुछ कहना चाहते हैं । कई दफा मैं कहता हूं कि सरकार से जानकारी मंगायें, उस वक्त वही साहब यह चाहते हैं कि जानकारी नहीं तत्काल ही उसको रिजेक्ट कर दिया जावे, हम अभी भाषण करेंगे । उनकी मंशा हमको मालूम हो इसके लिये या तो आप कैटेगराइज करके दे दीजिये ऐसा इशारा कि इस पर तत्काल व्यवस्था हो । मैं समझता हूं कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं, जिस ढंग से प्रश्न वगैरह लाते हैं मैंने उनसे कहा है कि आप इतने अपने क्षेत्र के प्रति, राजस्थान नहर एरिया के प्रति जागरूक हैं । मेरी भावनाओं से वे अच्छी तरह से परिचित हैं । यह नहीं है कि परिचित नहीं हैं । माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि अगर वह आकर व्यक्तिगत तौर पर यह कहते हैं कि इस पर सरकार से सूचना मंगवाई जानी चाहिये तो भी मैं जनहित के मामलों में, चाहे अकाल राहत के हों, चाहे और हों, सदैव सोच-विचार करके व्यवस्था करता हूं । लेकिन आप मेरी कठिनाई भी समझें । रोज करीब तीस स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देनी होती है, सबको निपटाना होता है । उसके बाद में सब माननीय सदस्य जानते हैं कि उनको वास्तव में कोई कठिनाई होती है तो मैं बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करता हूं, जनहित को उच्चतम स्थान देते हुए । यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि किस तरह के हम चयन करते हैं । मैं उसके लिये कोई वाहवाही नहीं लेना चाहता, माननीय सदस्य भी प्रशंसा के पात्र हैं । जिस तरह की समस्यायें आप लाते हैं, उनके लिये हमारी कोशिश रहती है काफी प्रतिशत, इस तरह के जो मामले हैं उनमें कुछ न कुछ राहत मिल जाती है, यह भी माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहता हूं । इसलिये सदन की कार्यवाही अच्छे वातावरण में चलायें, इस तरह से बाधा डालकर के नहीं । आप दूसरे

(श्री अध्यक्ष)

तरीके हैं उनको अपनाइये । मैं तो इस सदन का सेवक हूं । माननीय सदस्य जैसा चाहते हैं मैं भी चाहता हूं कि विषय अच्छे अच्छे आवें, लम्बी चर्चा हो । इसमें जनता का भी हित है, इस सभा का भी हित है और शासन का हित है । सबका हित है, यही मेरी प्रार्थना है ।

(व्यवधान)

उस प्रश्न पर अभी बोलें उसके बजाय मैं सरकार से जानकारी ले लेता हूं । इसमें तत्काल का सवाल नहीं है । मैं सरकार को भेज दूंगा आप चाहेंगे उतने समय के लिये ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उत्तर दे रहे हैं मंत्रीजी । मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा है कि मंत्री महोदय कुछ कहें । आसन को भी समय के बंटवारे को देखना होगा । माननीय सदस्य को वास्तव में तकलीफ है तो मुझसे मिलें, बतायें, परिस्थितियों से कुछ मैं भी परिचित हूं, आपकी कठिनाई है उसको सुन लूंगा । उस हिसाब से फिर विवाद का विषय होगा और मैं उचित समझूंगा तो वक्तव्य दिलाने का आदेश भी दे सकता हूं । लेकिन तत्काल नहीं, मुझे क्षमा करें ।

श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा ।

श्रीमती विद्या पाठक । (सांगानेर) : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय । माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों रात को मेरे पास करीब पचास-साठ लोग साढ़े ग्यारह बजे आये । उनका कहना यह है कि पुलिस वालों ने उनकी मार-पिटाई की है। पैसे मांगने पर पैसे नहीं देते हैं, सामान बिना पैसे के ले जाते हैं। आसन की ओर से व्यवस्था की गई है कि दो मिनट बोलने का अवसर भी नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष : पुनर्विचार करके जिन लोगों को मैंने अनुमति दी है उसके बाद में दे दूंगा दो मिनट का समय । दुबारा इस प्रश्न को उठायें ।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास में पिछले करीब दो वर्षों से 42-44 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्यरत थे । ज्यों ही अध्यक्ष बदले गये उसके बाद तुरन्त उन कर्मचारियों को निकाल दिया गया । उनमें से कुछ को रख लिया, कुछ को नहीं रखा । इस तरह से भेद खोला गया उसके परिणामस्वरूप सारे ही कर्मचारियों में असंतोष है । जो कर्मचारी पिछले दो-दो, पौने दो-दो वर्षों से बगीचों में, दीगर दूसरे स्थानों पर कार्यरत थे, इस तरह से उन कर्मचारियों को निकालने से एक तो बगीचों का जो कार्यक्रम था, वह कार्यक्रम वहां खराब हो रहा है । इसके अतिरिक्त जो लम्बी अवधि तक सेवारत रहे उनको निकाला गया । उनके स्थान पर अस्थाई कर्मचारी दूसरे भर्ती किये गये । यह नीतिगत न होकर नियम विरुद्ध है । मान लो, यदि किसी कर्मचारी को निकाला जाता है और दुबारा उसी स्थान पर भर्ती की जाती है तो उसी कर्मचारी को फर्स्ट चांस देना चाहिये, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिये लेकिन वहां पर इस तरह से नहीं हो रहा है । इसके परिणामस्वरूप लोगों में असंतोष है, आन्दोलन

(श्री बन्शीलाल पटवा)

की भावना उग्र हो रही है । मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो कर्मचारी चालीस और पैंतालीस के बीच निकाले गये, जिनको रखा गया फिर निकाला गया उन कर्मचारियों को काम पर रखा जाय ताकि उन गरीब परिवारों को राहत मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और स्थगन प्रस्ताव अस्पताल से संबंधित है, उस संबंध में विस्तार से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय है ।

श्री बंशीलाल पटवा : दूसरा प्रस्ताव अस्पताल से संबंधित है उसमें जानकारी आ गई है ।

श्री अध्यक्ष : कह दीजिये आप ।

(12.30 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

श्री बन्शीलाल पटवा : पिछले दिनों गांधी अस्पताल में 42 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती किये गये । उसके बाद 8 कर्मचारी और भर्ती किये गये । उन कर्मचारियों की भर्ती में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया । यह भी लोगों की शिकायत है कि उनमें 48 वर्ष के ओवर ऐज व्यक्ति भी हैं, इस तरह के तीन-चार कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई । मिलीभगत के आधार पर वह नियुक्तियां की गई । इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि गांधी अस्पताल व जिले की दूसरी डिस्पेंसरियों में जो अस्थाई कर्मचारी दो-दो साल से थे, उन लोगों को साक्षात्कार के लिये आमन्त्रित नहीं किया गया । नियोजन कार्यालय ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सूचना मांगी थी कि आपके गांधी अस्पताल में कौन-कौन अस्थाई कर्मचारी हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, उनकी सूची भेजें ताकि उनको भी साक्षात्कार में भेजा जा सके । उनकी सूची मांगने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नियोजन कार्यालय को सूची नहीं भेजी । पक्षपातपूर्ण रवैया अपना कर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 42 और 48 वर्ष के भर्ती किये गये वह मिलीभगत के आधार पर किये गये । इस तरह के ओवर ऐज कर्मचारी हैं । इसकी जांच होनी चाहिये । जो कर्मचारी अस्थाई रूप से पार्ट टाइम काम करते थे, उन्होंने मुख्य मंत्री और हैल्थ मिनिस्टर और औरों को कई शिकायतें भेजीं । जिला कार्यालय को शिकायत भेजी लेकिन आज दिन तक उसकी जांच नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग के लोग, जो पार्ट टाइम कार्यरत थे, साक्षात्कार के लिये नहीं जा सके और नहीं जाने के कारण सलेक्ट नहीं हो सके । मेरा निवेदन है कि जो कर्मचारी पिछले दिनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भर्ती किये गये, उसमें मिलीभगत और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह सारी जो भर्ती की गई है उनकी जांच होनी चाहिये । जो ओवर ऐज हैं उनको हटाया जाये । जो इस तरह से नियोजन कार्यालय में सूची नहीं भेजी उसके कारण जो कर्मचारी साक्षात्कार में नहीं जा सके वह फिर से जा सकें, इस दृष्टि से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो भर्ती की गई है उसके बारे में विस्तार से जांच करके इसके लिये जो दोषी हैं, जिन्होंने पक्षपात किया, मिलीभगत करके ओवर ऐज कर्मचारियों को भर्ती किया, अस्थाई कर्मचारियों,

(श्री सुन्दरलाल पटवा)
जो पार्ट टाइम कार्यरत थे, को साक्षात्कार में इस तरह से शरीक नहीं होने दिया, उन दोषियों को दण्ड दिया जाये । जो कर्मचारी साक्षात्कार से वंचित रह गये हैं उनको काम धन्धे पर लगाया जाए ।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा !

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक करीब 20–25 लाख का अब तक गबन कर चुके हैं । जब से सेवाकाल में हैं तब से दौसा में ही बने हुए हैं । अपने सेवा काल में सात बार निलम्बित हो चुके हैं । सभापति महोदया, इस व्यवस्थापक को पैंडिंग इन्क्वायरी होते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा साजिशपूर्ण तरीके से बहाल किया गया है । जब रजिस्ट्रार महोदय विदेश गये हुए थे, उनकी जानकारी को छिपा कर, ऊपर से संरक्षण होने की वजह से इन्क्वायरी पैंडिंग होते हुए इनको बहाल किया गया । इनके एक के बाद एक लगातार गंभीर अनियमितताओं और गबन के मामले प्रकाश में आ रहे हैं । वर्ष 75–76, 76–77, 77–78, तथा 78–79 तक इन्होंने इस समिति के प्रशासक और बोर्ड की सहमति के बगैर जितने भी कार्य किये उन सबको 9-1-81 की जनरल मीटिंग में अस्वीकार कर दिया गया । सन 62-63,-64 65, 77–78 तथा 78–79 की आडिट रिपोर्ट में भी इनके विरुद्ध भयंकर अनियमितताओं तथा गबन के मामले हैं । इनके अतिरिक्त एक मिस्टर बी. के. महर्षि है, जोइंट रजिस्ट्रार जयपुर जोन का चार्ज उनको दिया हुआ है तथा इसके साथ-साथ उनको इस समय उस क्रय-विक्रय सहकारी समिति का प्रशासक भी बना रखा है । चूंकि इसमें गंभीर अनियमितताएं हैं, इसलिये जयपुर जोन के किसी अधिकारी को इस समिति का प्रशासक बनाना किसी भी तरीके से सही नहीं माना जा सकता । जो एडीशनल रजिस्ट्रार मिस्टर पी. एन. भार्गव हैं उनके भी बहुत गंभीर मामले हैं । यह दोनों अधिकारी श्री अक्षयसिंह ढाबरिया को बराबर संरक्षण दे रहे हैं । उनके जितने भी मामले हैं, विधान सभा में जो अभी आपको राज्य सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है उसमें सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है । सभापति महोदया, इस समिति में 65 और 66 साल तक के व्यक्ति सेवा कर रहे हैं । आपको ताज्जुब होगा, वे खुद अपने हस्ताक्षर तक नहीं कर सकते हैं, बिलकुल अनपढ़ हैं । 800–850 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह ले रहे हैं । उनके बारे में बताया गया है कि उनको आड़त में स्पेशलिस्ट होने की वजह से रखा गया था । सभापति महोदया, 30 जून, 75 से जुलाई, 82 तक, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इस समिति में एक नये पैसे का भी आड़त का कार्य नहीं हुआ । इसके बावजूद उनको 820रुपया प्रति माह दे रहे हैं । आपको सुन्कर ताज्जुब होगा, गंगासहाय पंडा नाम का व्यक्ति है जो 65 साल से ज्यादा उम्र का है । उससे छोटी एक बहिन है, उससे छोटा एक किशनलाल पंडा नाम का अध्यापक है जो दो साल पहले रिटायर हो चुका है । उससे छोटा एक नारायण नाम का व्यक्ति है जो टीचर है । वह इस जून महीने में रिटायर हो रहा है । उन से बड़ा आदमी अब तक सेवा में बना हुआ है ।

(श्री रामकिशोर मीणा)

इससे ज्यादा और गंभीर अनियमितता का कोई मामला हो नहीं सकता लेकिन चूंकि ये दोनों अधिकारी व्यवस्थापक को बचा बराबर रहे हैं इस वजह से इस समिति में लाखों करोड़ों का गबन है । आपको ताज्जुब होगा, चीनी, गुड़ जैसे मामलों में छीजत नहीं हो सकती लेकिन डेढ़ डेढ़ सौ क्विंटल चीनी की छीजत बतायी है । लोहे के सरिये जैसी चीज, जिसमें छीजत नाम मात्र की भी नहीं हो सकती, में दौसा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा 200 क्विंटल लोहे के सरियों की छीजत बतायी है । इसी तरह से गुड़ के अन्दर छीजत बताई गयी है । सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं । ऑडिट निरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, यदि इनके रिकार्ड को तुरन्त जब्त नहीं किया गया तो इस समिति को करोड़ों रुपये की हानि से नहीं बचाया जा सकता । सभापति महोदया, 6 लाख रुपये ऐसे व्यक्तियों में बकाया हैं जो कि वसूली योग्य रहे ही नहीं । समिति में यह व्यवस्था होती है कि समिति के सदस्यों को ही उधार दिया जाता है लेकिन इनका रिकार्ड देखने से पता लगता है कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों को करीब चार लाख रुपये उधार दिये गये हैं जो कि किसी भी कीमत पर वसूली योग्य नहीं हैं । ऐसी गंभीर अनियमितताएं होने के बावजूद ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से उनको निलम्बित नहीं किया गया है । सारे के सारे मामले सी. आई. डी. और एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट में चल रहे हैं लेकिन उच्चाधिकारियों, जो कि खुद बहुत बड़े गबनों के अन्दर लिप्त हैं, ने उनको बचा रखा है । कोर्ट तक ने स्टे दे रखा है । उनका जो सस्पेंशन हुआ उसके बारे में स्टे था उसको वैकेट करा दिया और उसके बाद उनको बहाल किया । ऐसी गंभीर अनियमितताएं होने के बावजूद ऊपर के अधिकारी, राज्य सरकार पूरी तरह से संरक्षण देकर ऐसे अधिकारी को बचा रही है । सभापति महोदया, मेरा यह अनुरोध है यदि उनको तुरन्त नहीं हटाया गया, सेवामुक्त नहीं किया गया तो इस समिति का सारा का सारा लाखों रुपयों का कारोबार ठप्प हो जायेगा । ऐसे-ऐसे व्यक्तियों पर देनदारी रह जायगी जिनको समिति के नाम तक की जानकारी नहीं है । गलत आदमियों में समिति का ऋण बताया गया है । जो सरकारी स्थायी सम्पत्ति है उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं अपने खुद के घर में काम ले रहे हैं, ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करके इस तरह के मामले प्रकाश में आ रहे हैं ।

(12.40 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि इन सब बातों की तुरंत गंभीरतापूर्वक छानबीन की जाय । उस व्यवस्थापक को तुरन्त सेवा मुक्त किया जाय अन्यथा बहुत बड़ी सहकारी समिति के ठप्प हो जाने की उम्मीद है । राज्य सरकार का जितना भी पैसा लगा हुआ है वह सारे का सारा डूबत खाते में चला जायेगा, ऐसा अन्देशा है ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज !

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके चैम्बर में उपस्थित हुआ था शंका समाधान के लिये । मैं चाहता हूं कि......

श्री अध्यक्ष : हां, आप उस पर बोल लीजिये ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने 22-2-82 को एक स्थगन प्रस्ताव के जरिये सूचित किया था कि नगरपालिका, प्रतापगढ़ की सीमा-वृद्धि का मसला राज्य सरकार के पास सन् 1977 से विचाराधीन है, उसके बारे में राज्य सरकार ने इस तरह के निर्णय लिये हैं। उस स्थगन प्रस्ताव को आपने निरस्त कर दिया । आपकी व्यवस्था के बारे में मुझे एतराज नहीं है, उस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना है किन्तु वस्तु स्थिति के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आजादी के पहले सन् 1938 में प्रतापगढ़ की नगरपालिका का गठन किया गया, उस वक्त प्रतापगढ़ की आबादी करीब 10 हजार थी । उसके बाद सन् 1977 तक नगरपालिका, प्रतापगढ़ में जब जब चुनाव हुए, कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई । 1977 में नगरपालिका का कांग्रेस का बोर्ड बना उस समय उसके सदस्यों और चेयरमैन ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित किया कि नगरपालिका की सीमा पिछले 38–39 वर्षों से नहीं बढ़ी है, सीमा बढ़ाने का प्रश्न राज्य सरकार को प्रस्तुत करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, इस नगरपालिका ने 1977 में यह प्रस्ताव पारित किया । उसके बाद सन् 1981 में नगरपालिका हमारी बनी, कांग्रेस की भारी पराजय हुई । अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका क्षेत्र का विकास होना चाहिये, प्रतापगढ़ की आवासीय समस्याओं का समाधान होना चाहिये, प्रतापगढ़ में सार्वजनिक चिकित्सालय का अभाव है, वहां पोस्ट ऑफिस के लिये डाक तार विभाग जमीन की मांग कर रहा है, उसकी जमीन के लिये और गरीब तबके के लोगों को आवासीय सुविधा देने के लिये भू-खण्ड मुहैया करवायेंगे, इन सब बातों की हमने घोषणा की थी । इस सारी कार्यवाही के बारे में हमने भू-खण्ड चाहा था । अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा इस पर गहनता से विचार करने के बाद दिनांक 6-12-82 को स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी की । अधिसूचना जारी करके बताया कि प्रतापगढ़ नगरपालिका की सीमा वृद्धि का जो प्रस्ताव सन् 1977 से विचाराधीन है, सारी आपत्तियों को अमान्य करते हुए स्वीकार किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इसके लिये अपने राज-पत्र में जो नोटिफिकेशन निकाला उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । उसके बाद क्या हुआ, यह स्पष्ट होगा । "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं. 38 सन् 1959) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अनुसरण में नगरपालिका प्रतापगढ़ की सीमा वृद्धि करने के संबंध में जन आपत्तियां आमंत्रित करते हुए इस विभाग की उद्घोषणा दिनांक 26-10-1979 को निर्गमित की गई थी तथा राजस्थान राज-पत्र भाग 6 (क) में दिनांक 1-11-79 को प्रकाशित हुई थी । इस प्रकार उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में जो आपत्तियां प्राप्त हुई उन पर गहनतम विचार

(श्री नन्दलाल मीणा)

किया गया व राज्य सरकार ने उन पर विचार करने तथा आश्वस्त होने पर उन्हें अमान्य कर दिया। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 4 की उपधारा (1) खण्ड (बी) और (सी) व (डी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा नगरपालिका, प्रतापगढ़ की सीमा निम्न प्रकार से विस्तृत करती है।

उत्तर में ग्राम बगवास रघुनाथपुरा की राजस्व सीमा, जो पश्चिम में पंचायत अमलावद, पंचायत समिति प्रतापगढ़ की है,

दक्षिण में ग्राम मानपुरा की राजस्व सीमा जो पंचायत बसाड़, पंचायत समिति प्रतापगढ़ की है।

उपरोक्त ग्रामों को नगरपालिका प्रतापगढ़ में सम्मिलित करने पर नगरपालिका की नवीन सीमाएं इस प्रकार होंगी—

पूर्व में प्रतापगढ़ की राजस्व सीमा,

उत्तर में प्रतापगढ़ की राजस्व सीमा एवं ग्राम बगवास व रघुनाथपुरा की राजस्व सीमा,

दक्षिण में प्रतापगढ़ की राजस्व सीमा व ग्राम मानपुरा की राजस्व सीमा।"

उपरोक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावित होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह गजट नोटिफिकेशन हुआ 13-12-1982 को। इसके पश्चात् 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि जो नगरपालिका की सीमा में आई उससे प्रभावित लोगों ने कुछ किया, उसकी जानकारी मैं गये सत्र में आपको करा चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री 30 जुलाई, 1982 को प्रतापगढ़ प्रवास पर गये थे। उनसे कुछ लोग सहकारी समितियों के माध्यम से मिले। उन्होंने यह चाहा कि यह जमीन नगरपालिका में न जाय और सहकारी समितियों के जरिये उनको यह जमीन मिल जाय ताकि उन लोगों की खेती के लिये जमीन बच सके। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्या होता है? यह गजट नोटिफिकेशन हुआ 13-12-82 को। उसके बाद हमारे सांसद, श्री जयनारायण जी रोत, जो सलूम्बर के हैं, मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं, स्वायत्त शासन मंत्री से मिले। उन्होंने दो लाइनों में एक पत्र लिखा:

"माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय,

राजस्थान सरकार,
जयपुर।

प्रतापगढ़ की नगरपालिका की सीमा वृद्धि वर्तमान में स्थगित की जाय, यह जन हित में है।"

अध्यक्ष महोदय, इस पर राजस्थान सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करने के बावजूद एक नया राज-पत्र में आदेश प्रसारित करवाया और उसमें यह लिखवाया, "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं. 38 सन् 1959) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) और (सी) (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इस विभाग की

(श्री नन्दलाल मीणा)
अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (ए) (4) एल एस जी/77/1767, दिनांक 6-12-82 जो राजस्थान राजपत्र भाग 6 (क), दिनांक 13-12-82 में प्रकाशित हुई है, के द्वारा नगरपालिका, प्रतापगढ़ की सीमा विस्तृत की गई थी।

अब राज्य सरकार उक्त विस्तृत सीमा से ग्राम बगवास एवं रघुनाथपुरा की राजस्व सीमा, जो पंचायत अमलावाड़, पंचायत समिति, प्रतापगढ़ के हैं, तथा ग्राम मानपुरा की राजस्व सीमा, जो पंचायत बसाड़ा, पंचायत समिति. प्रतापगढ़ के थे, को उक्त नगरपालिका, प्रतापगढ़ की विस्तृत सीमा से उत्तर में ग्राम बगवास एवं रघुनाथपुरा की राजस्व सीमा तथा दक्षिण में ग्राम मानपुरा की राजस्व सीमा को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगरपालिका, प्रतापगढ़ की सीमा से पृथक् करने का विचार रखती है।"

अध्यक्ष महोदय, जब गजट नोटिफिकेशन सीमा वृद्धि का 13-12-82 को जारी हुआ उसके ठीक 29 दिन बाद राजस्थान सरकार के सामने कौन सी समस्या आ गई कि जो सीमा वृद्धि की गई उसको रोकने का विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। समय काफी हो गया। अन्य किसी तरीके से इसको उठायें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, समय का सवाल नहीं है। राजस्थान सरकार को मिलने वाली 3,39,850) रुपये की राशि पर, अध्यक्ष महोदय, सलूम्बर के विधायक और स्वायत्त शासन मंत्री महोदय के माध्यम से राजस्थान में बड़ा भारी डाका डाला गया। वहां की जनता आज भी आशा कर रही है कि प्रतापगढ़ की सीमा बढ़ेगी। प्रतापगढ़ के नागरिकों को आवासीय भू-खण्ड मिलेंगे और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाएं बनेंगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : वहां आवासन मण्डल की योजना बन रही है। ऐसा लगता है कि वहां के एम. पी., एम. एल. ए. और मंत्री तक ने साजिश करके जो पूर्व में, कांग्रेस के समय में 77 में निर्णय लिया गया था सीमा वृद्धि का उसके बारे में पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने सीमा वृद्धि के मामले को रोकने का षडयंत्र किया है वे कांग्रेसी नहीं हैं, वे स्वार्थी तत्व हैं। अपनी भूमि के रूपान्तरण का पैसा जमा कराना पड़ेगा। वह नहीं कराना पड़े इसलिये स्वायत्त शासन मंत्री और वहां के एम. पी. श्री जयनारायणजी ने मिल कर, अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन लाख का घोटाला राजस्थान के खजाने में किया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौनसी परिस्थितियां पैदा हो गयी थीं आपके सामने जिनके कारण आपने 77 के मसले पर जो 82 में स्वीकृति दी थी और 29 दिन बाद जब सारी आपत्तियां तय हो गयी थीं·····

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही नहीं है कि·······

(व्यवधान)

(श्री नन्दलाल मीणा)
व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण सौदेबाजी हुई है जिसमें माननीय मंत्री महोदय सम्मिलित हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें । आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ऊपर उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप किया है । यदि आप बोलने की अनुमति दें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं बताऊं कि जो कुछ आरोप लगाये हैं वह मिथ्यापूर्ण और निराधार हैं, सत्य से दूर हैं । यह बात सही है कि वहां पर सीमा वृद्धि की गई नगरपालिका की । वहां के सांसद कांग्रेस कमेटी, और ग्राम पंचायत, जो सीमा वृद्धि में आती थी ने और जिला परिषद् ने बहुत जबर्दस्त एतराज किया कि राजनैतिक द्वेषभाव के आधार पर बी. जे.पी. की नगरपालिका और कांग्रेस के सरपंचों के इलाके को मिलाया गया है । इससे गरीब काश्तकारों का नुकसान होगा । इसलिये उनकी भावनाओं को····

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान न डालें ।

उनकी भावनायें और उनके रिप्रेजेन्टेशन सरकार को प्राप्त हुए । वे भी जन प्रतिनिधि हैं । वहां के सांसद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद् और लोगों ने लिख कर भेजा है । उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार कर निर्णय लिया जाय । आज सिर्फ राजनैतिक द्वेष के आधार पर बी. जे. पी. की नगरपालिका कांग्रेस की पंचायतों की जमीन को हड़पना चाहती है, काश्तकारों को परेशान करना चाहती है, यह कैसे करने दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब इस पर चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

आप अन्य किसी तरीके से इसे उठावें । आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय । मैं वाद-विवाद नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह वाद-विवाद का विषय नहीं है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक बात कह गये । जिस समय सरकार यह निर्णय लेती है कि अमुक क्षेत्र को नगरपालिका में मिलाया जाये उसके पहले ऑब्जेक्शन उठाने का समय देती है । यह निर्णय नगरपालिका का नहीं है । राज-पत्र में आया है । सरकार की आज्ञा से आया है । राज-पत्र में आया है । उसमें ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये, उसके बाद आय हैं । इसमें राजनैतिक सौदेबाजी हुई है । मैं फिर यह आरोप लगा रहा हूं । दोहरा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा । आॅर्डर प्लीज । कृपया बैठ जाय ।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी काल अटेन्शन मोशन है इसी प्रतापगढ़ नगरपालिका के बारे में । व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : काल अटेन्शन पर यह व्यवस्था नहीं दी गई है। यह व्यवस्था स्थगन प्रस्तावों पर दी गई है ।

श्री बंशीलाल पटवा : सब्जेक्ट एक ही है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सीकर नगरपरिषद में सेम यही की यही बात हुई है ।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जहां-जहां चुनाव होने वाले है भीलवाड़ा, सीकर सब जगह इस प्रकार की कार्यवाही की है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । श्री हंसराज शर्मा ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नगरपालिका सवाई माधोपुर में अवैध रूप से लगाये गये हाउस टैक्स के सम्बन्ध में ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पॉइंट ऑफ ऑर्डर । केवल एक फुल फ्लेज्ड मंत्री महोदया यहां पर बैठी हैं, उनकी बिजली की डिबेट है इसलिये बैठी हैं, और कोई मंत्री नहीं है । एक स्वायत्त शासन मंत्री है । और मंत्री महोदय आ जायें तो क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष : पॉइंट ऑफ ऑर्डर निरस्त किया गया ।

समय का ध्यान रखें । श्री हंसराज शर्मा ।

श्री हंसराज शर्मा : ..जो हाउस टैक्स वसूल किया जा रहा है उसके सम्बन्ध में आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा । सवाई माधोपुर नगरपालिका में आज से करीबन 15-20 वर्ष पहले वहां के बोर्ड ने हाउस टैक्स लगाया परन्तु उसकी आम जनता को सूचना नहीं दी गई । 12/15 साल के पहले जो हाउस टैक्स लगाया था वह फाइलों में पड़ा रहा । जो हाउस टैक्स लगाया गया उसका टैक्निकल अधिकारियों के द्वारा असेसमेन्ट नहीं कराया गया । इस समय हाउस टैक्स की वसूली प्रारम्भ कर दी गई है । वहां के लोगों पर जो हाउस टैक्स लगाया है उसमें एक बटा आठ हिस्से की छूट दी जानी चाहिये थी, वह नहीं दी गई । एक बटा दस हिस्से की छूट दी गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस टैक्स लगाने के बाद में उसकी सूचना राज्य सरकार को आनी चाहिये थी । इतने साल पहले का हाउस टैक्स लगा हुआ है जिसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, पब्लिक को सूचना नही दी गई है और राज्य सरकार की बिना स्वीकृति के ही वसूली करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हाउस टैक्स वसूल किया जा रहा है वह बिलकुल गलत है । राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं ली गई है । लोगों को हाउस टैक्स के मामले में परेशान किया जा रहा है । यदि कोई इजाजत लेता है तो इजाजत नहीं मिलती है, प्रमाण-पत्र नहीं मिलता है । आज की तारीख में कम से कम 15 लाख रुपया हाउस टैक्स का बकाया है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करें और जांच करने के

(श्री हंसराज शर्मा)

बाद नगरपालिका को आदेश दें। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि हाउस टैक्स के बिना वहां का विकास नहीं हो सकता है लेकिन जो गलत ढंग से वसूल किया जा रहा है उसको तुरन्त रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी मनोहरपुर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के बारे में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय होते तो मैं केवल दो शब्दों में बात कह देता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साढ़े आठ महीने से मनोहरपुर नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। सफाई कर्मचारियों, जो हरिजन भाई है, को साढ़े आठ महीने से तनख्वाह न मिलने के बाद उनके घर की स्थिति क्या होगी, यह आप सोच सकते हैं। उस क्षेत्र की विधायिका, श्रीमती कमलाजी यहां पर बैठी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि साढ़े आठ महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण, उन्होने साढ़े तीन महीने तक तो इन्तजार किया उसके बाद आज से पांच महीने पहले हड़ताल शुरू की हड़ताल के बाद आज स्थिति यह है कि इस शहर के चारों तरफ गन्दगी छा गई है। कुत्तें, सूअर बीच बाजार में मरे हुए पड़े हैं। लोग उठाते नहीं हैं। वहीं पर ढेर लगा दिया और उनको मिट्टी में गाड़ दिया। इस प्रकार के वहां कई स्तम्भ बन गये। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज से 15 दिन पहले उस स्थान पर होकर आया हूं। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरिजन कर्मचारियों को साढ़े आठ महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही है। एक कुत्ता मरा हुआ नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय के सामने आ गया रात को, तो तनख्वाह देने की बात नहीं की बल्कि उन्होने हरिजनों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत की। हरिजनों को पकड़ा गया। हरिजनों की पिटाई हुई। एक तरफ तो वे पेट से भूखे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ उनकी पिटायी हो रही है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि अनुदान मिलने वाला है या मिल गया होगा, अनुदान से पैसा काट लीजिये और इन हरिजनों को तनख्वाह चुका दीजिये। यह अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? इस स्थगन प्रस्ताव को मूव करने का कारण यही है कि जो डाउन ट्राडन लोग हैं, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनके लिये हमको कार्य करना चाहिये। मुझे परसों ही मालूम हुआ कि केवल मनोहरपुर ही नहीं, राजस्थान की 9 नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें छः महीने से, पांच महीने से, सात महीने से तनख्वाह नहीं दी गयी हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस अनुदान से उनकी व्यवस्था करवा दीजिये या आप दूसरी व्यवस्था करवा दीजिये। अगर मनोहरपुर नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और हरिजनों के साथ अत्याचार करते है, मारपीट करते हैं तो ऐसे अध्यक्ष की क्या जरूरत हैं। विकास हो नहीं रहा है, सफाई हो ही नहीं रही है। तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसके बाद मनोहरपुर की क्या स्थिति बनी है? मैं राज्य सरकार से, विशेष कर विधायिका महोदया से निवेदन करूंगा, आप वहां की विधायिका हैं,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

वहां की प्रतिनिधि हैं, क्या आप उन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देना चाहती हैं? क्या यह चाहती हैं कि वे भूखे मर जायं? मैं आशा करता हूं, राज्य सरकार कुछ कार्यवाही करेगी, उनको राहत देगी और तनख्वाह दिलाने की कोशिश करेगी। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन। केमिकल्स के बारे में...

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र ..

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न कई बार आ चुका है, माननीय सदस्य। संक्षेप में कहें।

श्री जीतमल जैन : जब से आप इस आसन पर विराजमान हुए हैं..

श्री अध्यक्ष : कुछ सुधार तो हुआ है उसके बाद।

श्री जीतमल जैन : कुछ भी नहीं हो रहा है। हर वर्ष यह समस्या आती है और हर वर्ष किसानों के खेतों की फसल चौपट होती है। 1981 के अंदर तत्कालीन उद्योग मंत्री ने यहां कहा था और स्वीकार किया था कि अलवर के मत्स्य-औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्ट्री भारत एलम्स एण्ड केमिकल्स के विषैले धुएं से कुछ गांवों की फसल को नुकसान पहुंचा है। आगे उन्होंने फिर कहा, "जिन किसानों की फसल नष्ट हो रही है उन्हें मुआवजा दिलाने के लिये कानूनी राय ली जा रही है। इसके अलावा सरकार ने फैक्ट्री मालिकों से कहा है कि विषैली गैस से खराब हुई सौ एकड़ से ज्यादा जमीन वे खरीदें और प्रभावित किसान परिवारों के एक-एक सदस्य को फैक्ट्री में नौकरी दें।" उनका यह भी मानना था कि इस विषैली गैस से मानव व पशु जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को 1981 में मान चुकी है कि मानव और पशु जीवन इससे प्रभावित होते हैं। हर बार किसानों की फसल नष्ट होती हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले सारे किसान छोटे-मोटे किसान हैं, किसी के पास दो-तीन बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। दुःख इस बात का है कि आज तीन साल हो गये बराबर इस प्रश्न को विधान सभा में उठाते हुए, परन्तु सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले सकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहना चाहूंगा कि सरकार का अगर इस बारे में जवाब नहीं आये तो दो मिनट, चार मिनट हर विधान सभा के सत्र में बोलने से तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिये आप इस बात के लिये सरकार को मजबूर करें, आखिर इस समस्या का क्या समाधान करना चाहती है। किसानों के जीवन के साथ, उनके परिवारों के जीवन के साथ कब तक खिलवाड़ करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष : एक एन्वायरनमेंट समिति गठित कर रहे हैं विधान सभा की, उसको अपन ट्राई करेंगे।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, बात फिर वहीं की वहीं है। मैं फिर

(श्री जीतमल जैन)

निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि इस बारे में किसानों को राहत देनी है। यह वायदा किया था कि उस जमीन को फैक्ट्री खरीद लेगी और कुछ हिस्सा रीको खरीद लेगा लेकिन आज तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। प्रस्ताव से क्या होता है ? इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री को कई पत्र लिखे हैं, उनका विवरण देने लगा तो उससे सदन का समय नष्ट होगा। इसलिये सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन इस करूंगा कि सरकार शीघ्र कार्यवाही करे ताकि किसानों को हर साल होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री बन्शीलाल पटवा। भीलवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितता के सम्बन्ध में।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।
यह जो स्थागन प्रस्ताव है,

राहत कार्य शुरू करने और पोषण केन्द्रों के बारे में, उसके सम्बन्ध में मैं पुनर्विचार करके कोई व्यवस्था करूंगा।

श्री देवीलाल भाटी (कोलायत) : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी ली जायेगी इसको इस तरह से संशोधित कर दिया जाता है।

श्री हाजी चांद खां साहब। नगरपालिका कामां जिला भरतपुर में अनियमितता, क्या नाराजगी हो गई इनसे ?

श्री चाद खां (कामां): अध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका कामां के बारे में दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा। असलियत यह है साहब, नगरपालिका कामां एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जगह है जैसे मुसलमानों के हज के लिये काबा यानी अरब जाते हैं इसी तरह से चारों दिशाओं से वहां पर हिन्दू तीर्थ यात्री हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कामा में सड़कों और पानी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे कि हमारे देश का नाम हो और जो लोग यात्रा करके जायें, वह हमारी तारीफ करें, हमारे सूबे की तारीफ करें और वापस फिर आयें। लेकिन वहां क्या हो रहा है ? वहां का जो नगरपालिका का चेयरमैन है वह वहां पर गड़बड़ी कर रहा है। वहां पर निर्माण कार्यों हेतु जो टेण्डर आमंत्रित किये गये थे, अध्यक्ष महोदय, वह एक नम्बर की ईंट के लिये आमंत्रित किये गये थे और निर्माण कार्यों में चूना लगाने के लिये टेण्डर दिये गये थे लेकिन वहां पर एक नम्बर की बजाय 3 नम्बर की ईंटें लगाई जा रही हैं और बजाय चूना मसाले के मिट्टी से दीवारों को चिनवाया जा रहा है। इस प्रकार लाखों रुपयों का घोटाला किया जा रहा है। एक तो मेरी यह शिकायत है।

दूसरी शिकायत यह है कि एस.डी.एम. साहब ने 48 जो अनधिकृत कब्जे लोगों ने

(श्री चांद खां)

कर लिये थे उन लोगों के लिये एक व्यवस्था की थी, 6 हजार रुपये तक की आय के लोगों के लिये 10 रु. प्रति गज के हिसाब से जमा कराने के आदेश जारी किये थे लेकिन चेयरमैन साहब ने एस. डी. एम. साहब के सुझाव को रद्द कर दिया और अपना सुझाव 5 रुपये प्रति गज के हिसाब से दे दिया जिससे नगरपालिका को लाखों रुपये की क्षति हुई ।

तीसरी बात यह है कि जो हमारा बोरखेड़ा गांव है उसमें जो पहाड़ है उस पहाड़ पर श्री रमेशकुमार का बजरी का ठेका है। मगर वह चोरी करके दीगर धातुओं को कामां नगरपालिका से निकाल कर ले जाना चाहते हैं । लेकिन नगरपालिका के सैक्रेटरी बगैर चुंगी के नहीं निकालने देते हैं इसलिये उनसे वह नाराज है । यह वही पहाड़ है जिसके लिये मैंने कल सरकार को बताया था अध्यक्ष महोदय, वहां से कई किस्म की धातुयें निकल रही हैं जो अनियमित हैं । उसको ले जाने के लिये एक चौथाई रास्ता कामां में से निकलता है । नगरपालिका का जो सैक्रेटरी हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है और उनसे यह कहा जा रहा है कि जो यह मिट्टी हमारी बाहर जा रही है इसको कुछ दिन रखने की हमको इजाजत दो उन्होंने यह बात साफ कर दी कि अगर आप चाहें तो 4 घन्टे से अधिक नहीं रोक सकता । उन्होंने ठेकेदार की बात को नहीं माना । इसके लिये उनको धमकी दी कि आपका यहां से तबादला करा दिया जायेगा । जब ठेकेदार ने अपने बिलों को पास कराना चाहा तो सैक्रेटरी साहब ने देखा कि जो टेण्डर है वह तो एक नम्बर की ईंट का है परन्तु मिट्टी से चिनाई हो रही है । तो उन्होंने कहा कि मैं इन टेण्डरों के मुताबिक काम चाहता हूं अतः मैं इन बिलों को मन्जूर नहीं करता । इस पर चेयरमैन साहब और ठेकेदार ने उनको तबादले की धमकी दी । मुझे जानकारी मिली है कि उनका तबादला इस बिना पर कर दिया गया कि वह छोटी जाति के आदमी हैं । उनका तबादला हुए आज ढाई महीने हो गये हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उस सैक्रेटरी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो उनका तबादला नहीं किया जाना चाहिए। इन मामलों की अगर सरकार जांच कराना चाहती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि तब तक उनको वहां रखा जाय जब तक जांच हो । मैं आज सुबह मंत्री महोदय से मिला था और इनके सामने सारी बात कही, लिखित में भी उनको दिया । इनको बताया कि आप उनको यहां नहीं रख कर चाहे बीकानेर भेजें लेकिन जब तक आप जांच करायें तब तक उनको वहां रहने दें । वरना वह लोग सब मामले दबा देंगे और सारे बिल मन्जूर हो कर सारा-सारा पैसा जिन्होंने गलतियां की हैं उनके पास पहुंच जायगा । लेकिन मंत्री महोदय ने मेरी बात से बिल्कुल इन्कार कर दिया इन्होंने बताया कि मैं उनका ट्रान्सफर कैन्सल नहीं कर सकता । मैं उनको वहां पर नहीं रख सकता । यह बड़े ताज्जुब और बड़ी शर्म की बात है । मंत्री महोदय, उनसे क्या चाहते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां कम से कम 10 लाख रुपये का घोटाला है । 10 लाख रुपये की चोरी की जा रही है । वह आदमी, जिसका ट्रान्सफर हुये ढाई महीने हुये हैं, जो छोटी जाति का है उसको वहां नहीं रखा जा सकता ? नगरपालिका के सैक्रेटरी को यहां बुलाया गया और यहां

(श्री चाव खां)

बुलाकर के सारे वायदे करा कर उसे नगर से कामां नगरपालिका में भेजा गया। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरा क्षेत्र है वह एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, उसके लिये वैसे ही सरकार पैसा नहीं देती है, अनुदान नहीं देती है और जो पैसा वहां · · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री चाव खां : खर्च हो रहा है उस पैसे को भी, अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से खाया जा रहा है। एक शिकायत नहीं मेरी 20 शिकायत हैं। मैं इन्क्वायरी चाहता हूं। जब तक इन्क्वायरी हो, अध्यक्ष महोदय, इस सैकेटरी को, व्यक्ति को वहां रखना चाहता हूं। अगर ज्यादा दिन नहीं रखना चाहते हो तो जांच जल्दी करा दें। मंत्री महोदय, उसकी जांच एक सप्ताह में करवा लें, 15 दिन में करवा लें, उसके बाद में उसका तबादला कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर इस प्रकार मेरी बात को नहीं माना गया तो साफ जाहिर है कि इस घोटाले में मंत्री जी भी शामिल हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दोनों का अवसर एक साथ ही इसलिये दे दिया था।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो नगरपालिका के बारे में फर्माया था।

श्री अध्यक्ष: आपका ध्यान ही नहीं था, आप तो ध्यानमग्न थे। आपको याद नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं · ·

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में फर्मा दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वैसे सारे राजस्थान पर अकाल के बादल मंडरा रहे हैं लेकिन राजस्थान सरकार अकाल की समस्या से निपटने के लिये किस ढंग से सक्रिय है इसका एक जीता-जागता उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्रतापगढ़, जो चित्तौड़ जिले की एक तहसील है, जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं, के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं

अध्यक्ष महोदय, नवम्बर महीने में अकाल राहत समिति की बैठक चित्तौड़गढ़ जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में हुई। समिति ने गिरदावरी के आधार पर चित्तौड़गढ़ जिले के कुल 2365 गांवों में से 2287 गांवों को अकालग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये। 25 पर्सेन्ट खराबा जिन गांवों में हुआ वह 15 गांव हैं और 50 पर्सेन्ट तक खराबे के 158 हैं, 50 से 75 प्रतिशत तक के 1498 गांव हैं और 75 पर्सेन्ट से अधिक खराबे के अध्यक्ष महोदय, 618 गांव हैं। मेरी प्रतापगढ़ तहसील में, अध्यक्ष महोदय, 531 गांवों में से 128 गांव ऐसे हैं जो 50 से 75 पर्सेन्ट तक खराबे में आंके गये हैं और 403 गांव ऐसे हैं जो 75 पर्सेन्ट से अधिक खराबे में आंके गये हैं। पूरी तहसील में वहां पर 80 से 90 पर्सेन्ट लोग आदिवासी रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी, 1983 तक जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके आधार पर राजस्थान सरकार ने केवल

(श्री नन्दलाल मीणा)

246 राहत कार्य सारे जिले में खोले । उसका अनुपात, अध्यक्ष महोदय, मैंने निकाला है, केवल 4 परसेन्ट लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है और गांव में अगर निर्माण के हिसाब से हिसाब लगाया जाय, अध्यक्ष महोदय, तो 200 गांवों के बीच में एक जगह अकाल राहत कार्य खोले हैं, ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले के लोग, खास करके प्रतापगढ़ तहसील के लोग, रोजी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं । स्थिति यह बन गई है कि राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, वह अकाल राहत कार्य खोल नहीं सकती है । दूसरी बात यह है कि हनुमानप्रसाद जी प्रभाकर अकाल राहत मंत्री हैं, वह भी वहां गये थे । इन्होंने वहां कांग्रेस के लोगों की मीटिंग बुला ली, बी. जे. पी. के हम 2 विधायक हैं उनको इन्होंने नहीं बुलाया । यह इस प्रकार का भेद-भाव करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की शंका है उसके लिए आपके माध्यम से मैं यह आश्वासन लेना चाहूंगा, सरकार यह जो राजनीति के आधार पर चित्तौड़गढ़ जिले के उन 75 परसेन्ट से अधिक, 50 परसेन्ट से अधिक प्रभावित अकालग्रस्त गांवों में आज दिन तक काम नहीं खोल कर मनमाने ढंग से काम खोल रही है, अध्यक्ष महोदय, कहीं कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़ जाय, कहीं ऐसा न हो कि इलाके में लूट-खसोट शुरू हो जाय । मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्य मन्त्री थे, और आप शिक्षा मन्त्री थे उस समय कोटड़ा के आदिवासियों ने भूख के मारे दिन दहाड़े सरे आम दुकानें लूटने का दुस्साहस किया था । उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था पेट के सामने अपने सारे आदर्शों, सिद्धान्तों को ताक में रख दिया था ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री नन्दलाल मीणा : कहीं वैसी हिंसा की पुनरावृत्ति प्रतापगढ़ तहसील में न हो जाए इसलिए मेरा निवेदन है आप × × × इनको कहें कि तत्काल राहत कार्य शुरू करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने परीक्षाओं के बारे में दिया था ।

श्री अध्यक्ष : आपने परीक्षाओं के बारे में दिया था, राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है कि जो परीक्षाओं के बारे में तिथि की शिकायत थी, उन तिथियों को इस तरह बदल दिया गया है कि परीक्षार्थी दोनों जो परीक्षायें है उनमें सम्मिलित हो सकें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा । ऑर्डर प्लीज ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : 8 दिन हो गये, बीमारी लग गयी ...

श्री अध्यक्ष : बहुत से उत्तर आये हैं और कई मेरे पास विचाराधीन हैं । माननीय सदस्य मैं और मंगवा लूंगा ।

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह मैंने महत्वपूर्ण माना है। उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी ले रहे हैं। शीघ्र जानकारी मंगवायी जाये, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं। अवहेलना नहीं करें, अंकित न हो।

ऊर्जा मन्त्री जी का वक्तव्य

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या ...

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दुबारा दे दी थी, आप सदन में विराज नहीं रही थीं।

ऊर्जा मन्त्री जी पहले बिजली की सप्लाई के बारे में वक्तव्य देंगी। इस संबंध में 5 माननीय सदस्यों श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री बालचन्द्र आर्य वीर, श्री हंसराज शर्मा, श्री चुन्नीलाल, श्री नाथूसिंह ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। और इसके अलावा नाथूसिंह ने ... ...

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : मैंने भी दिया था। मेरा नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी व्यवस्था दे रहा हूं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना दी थी माननीय सर्व श्री राज बहादुर, यदुनाथसिंह, भैरूसिंह गुर्जर, रामकंवार बैरवा, कमलेन्द्रसिंह, हरीश शर्मा और अनंग कुमार ने।

आप और हम सब बिजली की सप्लाई से चिंतित है, परिस्थितियां क्या हैं, उनसे भी परिचित हैं। चूंकि अब रवी की सिंचाई का लीन सीजन चल रहा है इसलिए मैंने यह आवश्यक समझा कि राज्य सरकार एक वक्तव्य दे कि वर्तमान में सप्लाई की पोजीशन क्या है। लीन पीरियड को देखते हुए क्या व्यवस्था की जा रही है, इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदया वक्तव्य देंगी। बिजली की सप्लाई को आम चर्चा का विषय बनाया जाय, इसके लिये आप जानते हैं दो दफा आसन और सदन ने व्यवस्था की कि बिजली बोर्ड के बारे में चर्चा हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह भी चर्चा काफी लम्बी चली। इस चर्चा को ज्यादा लम्बा नहीं होने दिया जाय, इसके लिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अमुक तहसील या अमुक जिले या अमुक क्षेत्र में बिजली सप्लाई की क्या स्थिति है इसके बारे में यहां तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकेगा। इसमें मैं समय निश्चित कर देता हूं। इस पर लगभग 35 मिनट तक चर्चा होगी। मन्त्री महोदया पहले वक्तव्य देंगी, उसके बाद में एक दल से एक-एक माननीय सदस्य...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): एक दल से एक ही माननीय सदस्य ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। बिजली को विषय बनायें, उससे बिजली नहीं मिलने वाली है। सप्लाई की क्या पोजीशन है, इस बारे में सदन के माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु समय को देखते हुए मैं आधे

(श्री अध्यक्ष)

घण्टे का समय निश्चित करता हूं। आधा घण्टा पश्चात् यह चर्चा समाप्त हो जायेगी। पहले कृपया शांति से ऊर्जा मन्त्री जी को आप सुनें, उसके बाद में सुझाव के तौर पर आप यह मान कर निवेदन करें कि यदि आप ऊर्जा मन्त्री होते तो इन परिस्थितियों में क्या करते। कोई सुधार ला सकने की बात कर सकें तो ज्यादा उचित होगा। जो बिजली मिलने की कठिनाई है, उस कठिनाई से आप और हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। इस बारे में कोई रचनात्मक सुझाव हो तो इस आधे घण्टे के समय के अन्दर माननीय सदस्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। महत्वपूर्ण विषय है, मैं जानता हूं।

सूचना-प्राप्ति प्रश्न

माननीय उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तीन बातों की जानकारी करना चाहता हूं।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मन्त्री) : पहले आप सुन लें, फिर ···

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिजली से सम्बन्धित नहीं है। एक तो, अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर नहीं हैं। कब चुनाव होंगे, क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : पहले भी आपने याद दिलाया था। हम इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं याद दिलाता हूं तभी याद आती है। सरकार को भी मैं याद दिलाता हूं तभी याद आता है।

श्री अध्यक्ष : आप वयोवृद्ध और सबसे पुराने इस सभा के सदस्य हैं इसलिए आपका दायित्व कुछ अधिक है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अधिक है, इसलिए मैं दायित्व के निर्वहन में आपको और राज्य सरकार को याद दिला रहा हूं कि इस सत्र के आरम्भ होने से डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है। कृपया उस पद के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था दें कि वह पद रिक्त रहेगा या उस पद पर कोई नियुक्त किया जायेगा। एक तो यह है।

समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कमेटीज के चुनाव के बारे में। फाइनेंशियल कमेटीज का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया। खास तौर से पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, पी.यू.सी. और एस्टीमेट्स कमेटी के पिछली बार भी चुनाव नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्ष : इस बार चुनाव होंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आखिरी दिनों में चुनाव न रखें। उन दिनों में भगवान जाने इस सदन में किस प्रकार का वातावरण बनता है। उसमें, अध्यक्ष महोदय, आप भी रवाना हो जाते हैं और हम भी रवाना हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बजट पास किये बगैर तो रवाना कैसे होंगे ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव का भी एक प्रोग्राम बना दें।

सांसद के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

तीसरा मेरा निवेदन है कि एक विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर यहां काफी चर्चा हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अब वो उतना जोश नहीं दिखता है माननीय सदस्यों में। उस सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहूंगा कि स्थिति क्या है। वह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव अब तक जीवित है या अपने आप खतम हो गया है या आपको उस सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यवस्था देनी है ? मैं इसका भी स्पष्टीकरण चाहूंगा कि उस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की स्थिति क्या है, उसके ऊपर किस प्रकार का निर्णय लेने वाले हैं ?

श्रीमती कमला : वक्तव्य के बाद ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जहां तक इस सभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न है, उपाध्यक्ष का चुनाव जल्दी करवाया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी सत्र में हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : इस सत्र में होना चाहिए हम भी काफी कठिनाई में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार महसूस कर रही है क्या ?

श्री अध्यक्ष : महसूस बिलकुल कर रही है।

दूसरा प्रश्न उठाया वित्तीय समितियों के चुनाव के बारे में। इस सम्बन्ध में मैं स्वयं चिंतित था। इस सम्बन्ध में बात करके मैं आपको सूचित कर दूंगा, उसका किस तरह का कार्यक्रम है।

तीसरा प्रश्न था, श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के विरुद्ध जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया था उस बारे में मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि वह विचाराधीन है। उसमें कई तरह के प्रश्न खड़े हो गये। कुछ समय पूर्व प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें भी यह प्रश्न आया। यह प्रश्न लोक सभा अध्यक्ष जी स्वयं ने उठाया कि इस तरह की हमारे देश की परम्परा रही है कि एक सभा का सदस्य दूसरी सभा में विशेषाधिकार हनन होने के प्रश्न पर बुलाया नहीं जाना चाहिये। ऐसा बहुत पहले तय किया गया था। उस प्रस्ताव को हमारी सभा ने भी माना था। इस तरह की स्वच्छ परम्परा बन गयी थी। इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं, इस सदन के अलग-अलग पक्ष के जो नेतागण हैं, उनसे विचार-विनिमय करने के पश्चात् इस हाउस में उसको दुबारा प्रस्तुत किया जाये। आपकी राय भी लूंगा कि उसमें क्या किया जाय। इस सम्बन्ध में मैं विचार करूंगा लेकिन तत्काल तो मैं यह कह सकता हूं कि सदन के समक्ष विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने दिन पेण्डिंग रखना चाहते हैं ? हाउस में जिस तरह हीट जैनरेट हुई थी उस दिन, उससे तो ऐसा लगता था कि वाजपेयी जी को आज ही बुला कर प्रताड़ित किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : वापस उतनी हीट .....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हीट जनरेट

Page No 59

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
नहीं करना चाहता। हीट तो खतम हुई। मैं तो आपमें हीट जनरेट करना चाहता हूं कि आप रूलिंग दे दें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था करेंगे।

श्रीमती कमला : सदन के माननीय सदस्यों ने......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। मन्त्री महोदया, एक मिनट।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष का चुनाव तो अपने आप हो जायेगा। किसानों की जो समस्या है......

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, कई प्रिविलेज मोशन इस सदन में मूव हुए थे। एक मैगजीन में मुख्य मन्त्री जी के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये थे। कुछ माननीय सदस्यों ने ..

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। आप यह कहेंगे एक तो अमुक...

श्री नाथू सिंह : एक जस्टिस कृष्णा अय्यर के विरुद्ध मेरे द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा गया था उन दोनों के बारे में भी आप...

श्री अध्यक्ष : वह सब प्रश्न विचाराधीन हैं, उनके बारे में व्यवस्था दे देंगे।

श्री नाथू सिंह : कृपया, एक मिनट बिराजें तो

श्री अध्यक्ष : कृपया आप ही बैठ जायें। इस पर ...

श्री नाथू सिंह : इस पर नहीं...

श्री अध्यक्ष : बिजली पर मैं इजाजत नहीं दूंगा। आॅर्डर प्लीज। कुछ भी नहीं। ऊर्जा मन्त्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में काश्तकारों को पर्याप्त विद्युत सप्लाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती कमला (ऊर्जा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से और कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राज्य की बिजली की स्थिति के बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। उसके बारे में आपके आदेश के मुताबिक जो स्थिति है आज के दिन और जो पहले रही है, किस दौर से राज्य को गुजरना पड़ा है, आगे किस प्रकार की व्यवस्था करके बढ़ना चाहते हैं, इन सब के सम्बन्ध में मैं अपना एक वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूं।

राजस्थान की वर्तमान में कुल प्रतिष्ठापित क्षमता विभिन्न अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं एवं राजस्थान अणु विद्युत् गृह से उपलब्ध बिजली सहित 1293.44 मेगावाट है। राजस्थान की वर्तमान में अनुमानित अनियन्त्रित मांग लगभग 221 लाख यूनिट प्रति दिन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): यह अनियन्त्रित मांग शब्द गलत है।

श्रीमती कमला : यह सही है। अन कन्ट्रोल्ड डिमान्ड का अर्थ है यह।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, हिन्दी में एम. ए. हैं इसलिये गलती होने का सवाल नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (बारची) : मन्त्री महोदय बोलें तो बीच में न बोलें।

श्रीमती कमला : जिसमें से कृषि की मांग लगभग 100 लाख यूनिट एवं उद्योगों की अनुमानित मांग लगभग 92 लाख यूनिट प्रति दिन है। घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की मांग क्रमशः लगभग 10 व 8 लाख यूनिट प्रतिदिन है। जल प्रदाय एवं आवश्यक सेवाओं की अनुमानित मांग लगभग 6 लाख यूनिट है तथा रोड लाइट व बल्क सप्लाई की मांग लगभग 5 लाख यूनिट प्रतिदिन है। किन्तु इसके पेटे आम तौर पर हमारी उपलब्धि 140 लाख यूनिट अधिकतम एवं 80 लाख न्यूनतम रही है। सिर्फ साल के एक माह में यह उपलब्धि 140 से 176 लाख यूनिट भी रही है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि पिछले 4 वर्षों से लगातार मानसून की विफलता के कारण राज्य में जल-बिजली परियोजनाओं से विद्युत उपलब्धि में लगातार कमी हुई है जिसके फलस्वरूप राज्य को गम्भीर विद्युत संकट से गुजरना पड़ रहा है।

राज्य के विद्युत उपलब्धि के स्रोत भाखड़ा-व्यास एवं चम्बल जल विद्युत परियोजनाओं एवं सतपुड़ा तापीय परियोजना तथा रावतभाटा स्थित राजस्थान अणु विद्युत गृह हैं। राज्यों की विद्युत उपलब्धि के स्रोत अधिकतर परियोजनाओं के ही हैं जो कि मध्य प्रदेश, पंजाब व हरियाणा से भागीदारी में हैं एवं जिनमें राजस्थान के हिस्से की प्रतिष्ठापित क्षमता 695.77 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त दूसरा मुख्य स्रोत राजस्थान अणु विद्युत गृह है जहां 220-220 मेगावाट क्षमता की दो इकाइयां प्रतिष्ठापित हैं। सतपुड़ा तापीय परियोजना में राजस्थान की भागीदारी 40 प्रतिशत है जिसमें से राजस्थान के हिस्से की प्रतिष्ठापित क्षमता 125 मेगावाट है।

वर्ष 1982-83 में सिंगरोली तापीय परियोजना, जो केन्द्रीय परियोजना के अन्तर्गत स्थापित की गई है, से राजस्थान को 35 मेगावाट विद्युत मिलनी शुरू हो गयी है। इसके अतिरिक्त कोटा तापीय परियोजना की 110 मेगावाट की प्रथम इकाई का परीक्षण हो चुका है, जिससे परीक्षण काल जनवरी, 1983 में करीब 52 लाख यूनिट उत्पादन हुआ और 31.84 लाख यूनिट ग्रिड में आये।

राजस्थान अणु विद्युत गृह की प्रथम इकाई खराबी के कारण 4 मार्च, 1982 से बंद पड़ी है तथा दूसरी इकाई भी एक बार जनवरी से जुलाई, 1982 तक, दुबारा 4 सितम्बर, 1982 से 20 फरवरी, 1983 तक बन्द रही। इस प्रकार राजस्थान अणु शक्ति गृह से अप्रेल, 1982 से जनवरी, 1983 तक वर्ष 1881-82 के इन्हीं महीनों की तुलना में कुल 5032.73 लाख यूनिट बिजली कम उपलब्ध हुई।

चम्बल परियोजना के गांधी सागर जलाशय में पानी का स्तर इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में लगभग 4.26 फीट कम रहने के कारण इस परियोजना से भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्युत की उपलब्धि कम रही है। केन्द्रीय परियोजना-बदरपुर से जहां हमें

(श्रीमती कमला)

20से 25 लाख यूनिट प्रति दिन तक बिजली उपलब्ध हुई है, बदरपुर से मशीनों के बार-बार खराब होने के कारण उस मात्रा में लगातार विद्युत् उपलब्ध नहीं हो सकी। सतपुड़ा से भी हमारे हिस्से की बिजली चालू वर्ष के प्रथम 10 महीनों में 1912.88 लाख यूनिट कम मिली। विद्युत् की कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार एवं विद्युत् मण्डल ने केन्द्र सरकार से इस बारे में बातचीत की और इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य विद्युत् मन्डल ने चम्बल-सतपुड़ा से वर्ष 1981-82 के प्रथम 10 महीनों की तुलना में चालू वर्ष में 778.54 यूनिट बिजली अधिक उपलब्ध कराई। इसके बावजूद भी उक्त परियोजना में हमारे हिस्से से वह काफी कम रही है तथा पिछले 3 दिनों से तो मध्य प्रदेश से विद्युत् उपलब्धि लगभग नहीं है जिससे करीब 12 लाख यूनिट की और कमी हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल से हमारे हिस्से की पूर्ण बिजली उपलब्ध कराने के लिए लगातार बातचीत द्वारा कोशिश की जाती रही है। केन्द्र-सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि अणु विद्युत् गृह से जो विद्युत् उपलब्धि में कमी चल रही है उसे केन्द्र सरकार के अन्य स्रोतों से पूरा किया जाय। माननीय प्रधान मन्त्री जी व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के हम बहुत आभारी हैं जिन्होंने समय-समय पर राजस्थान की बिजली समस्या पर ध्यान देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बिजली की मांग के संदर्भ में यह भी बताना उचित होगा कि वर्ष 1982-83 में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में काफी वृद्धि हुई है। फरवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि में 26,894 अतिरिक्त कुओं का ऊर्जीकरण किया गया है। इन नये कनेक्शनों के लिए प्रति दिन करीब 9 से 10 लाख यूनिट विद्युत् की अधिक आवश्यकता हुई है। इसी तरह लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों में विद्युत् की आवश्यकता लगभग 15 लाख यूनिट प्रति दिन बढ़ गई है। इस प्रकार विद्युत् की उपलब्धि वर्तमान मांग से काफी कम रही है और राज्य को इस कारण भारी विद्युत् संकट से गुजरना पड़ रहा है। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी कृषि उपज को बचाने हेतु पूरी कोशिश की गई है यद्यपि कृषि क्षेत्र की वांछित मांग की पूर्णतया पूर्ति नहीं की जा सकी है। विद्युत् के इस गहन संकट के कारण न चाहते हुए भी लघु उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों की आपूर्ति में कटौती हेतु मजबूर होना पड़ा। कृषि उपभोक्ताओं को पूर्व में पांच घंटे एवं दिनांक 1/3/83 से 6 घंटे तथा दिनांक 3/3/83 के प्रातः काल से 7 घंटे प्रति दिन विद्युत् दी जा रही है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : क्या फायदा है ?

एक माननीय सदस्य : कुछ तो बढ़ाया है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : × × ×

एक माननीय सदस्य : × × ×

श्रीमती कमला : इसके अतिरिक्त अधिक उपलब्धि की अवस्था में कृषि उपभोक्ताओं

× × ×अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती कमला)

को और भी विद्युत् दे दी जाती है। मध्य प्रदेश से ज्यादातर विद्युत् रात्रि में ही उपलब्ध होती है। बदरपुर से भी अन्य स्थानों की मांग कम होने के कारण बिजली रात्रि के समय अधिक उपलब्ध होती है। फलतः कृषि हेतु केवल दिन में ही उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है तथा उन्हें दिन व रात में बराबर बराबर बिजली दी जाती है। इस रबी के मौसम में कृषि उपभोक्ताओं के गत वर्ष की अपेक्षा 26,894 कनेक्शन्स अतिरिक्त हो जाने पर भी नवम्बर, दिसम्बर, 1982 एवं जनवरी, फरवरी, 1983 में गत वर्ष के इन ही महीनों की तुलना में 202 घंटे अधिक विद्युत् उपलब्ध कराई गई है।

राज्य को सिंगरोली से अपने हिस्से की बिजली पूरी मिल सके इसके लिए आगरा भरतपुर 220 के. वी. लाइन खींची जाकर भरतपुर में 220 के. वी. सब स्टेशन का निर्माण कर दिया गया है जिससे सिस्टम में 80 मेगावाट बिजली लाने की क्षमता उपलब्ध हो गई है। उपभोक्ताओं को वोल्टेज में सुधार तथा वितरण में स्थिरता लाने हेतु विभिन्न सब स्टेशनों पर केपेसिटर्स लगाये गये हैं तथा राणाप्रताप सागर व जवाहर सागर की मशीनों को सिन्क्रोनस कण्डेन्सर्स की तरह चलाने के लिए व्यवस्था की गई है। वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर्स लगाये गये हैं तथा नये सब स्टेशन्स बनाये गये है जिससे ट्रिपिंग विद्युत् सप्लाई में व्यवधान को प्रभावी ढंग से रोका जा सका है। यह काम तत्परता से चालू है तथा यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष पहले के मुकाबले स्थिर तौर पर बिजली उपलब्ध हो रही है। वर्ष 1983-84 में राज्य को कोटा तापीय परियोजना की 110-110 मेगावाट की दो इकाइयों से वाणिज्यिक आधार पर बिजली उपलब्ध हो जायगी।

सिगरोली की तीन अतिरिक्त इकाइयों के आगामी वर्ष में उत्पादन की संभावना है जिससे राज्य को 89 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। राज्य में आगामी वर्ष में विद्युत् की उपलब्धि बढ़ाने के लिए जल विद्युत् परियोजनाएं निर्माण कर 9 मेगावाट क्षमता की अनूपगढ़ जल विद्युत् परियोजना को स्वीकृत कर दिया गया है और शीघ्र ही उसका कार्य हाथ में लिया जा रहा है। अन्य मिनी हाइड्रो योजनायें बनाई जाकर केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु भेज दी हैं और उम्मीद है कि उनकी स्वीकृति प्राप्त होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत् की इस उपलब्धि की भारी सीमितता के दौरान में भी सरकार व विद्युत् मण्डल ने इस बात की भरसक व्यवस्था की है कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी को यथा-सम्भव ढंग से बिजली उपलब्ध कराई जाय और इसी कारण मैं समझती हूं कि हम जो व्यवस्था कर पाये हैं, कुछ तो भगवान की दया से और कुछ राज्य सरकार की कोशिशों से हमारी रबी की फसल बची। अन्य उपभोक्ताओं को इस दौरान में कुछ संकट हुआ है उसके लिए मैं क्षमा चाह सकती हूं।

श्री अध्यक्ष: जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि इसमें ये प्रश्न नहीं आयेंगे, उनको रात को बिजली मिल रही है, दो घन्टे मिल रही है, सात घन्टे का कह दिया। ये प्रश्न नहीं आयेंगे। बुनियादी सवाल यह है कि

(श्री अध्यक्ष)

अभी सप्लाई की पोजीशन क्या है। उसमें यदि कोई त्रुटि रही हो तो बतायें। जितना माल है उतना ही देंगे, ज्यादा तो आप लायेंगे कहां से। उनके प्रयत्न करने से कहीं से आ सकती थी बिजली, तो वह प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन अभाव अभियोग के प्रश्न जैसे मेरे यहां बिजली नहीं मिली, फसल जल गई, किसान कर्जा लेकर के आये और कर्जा ऊपर हो गया, ये सब प्रश्न इसमें नहीं आयेंगे। इसलिये मैं प्रत्येक दल से एक या दो माननीय सदस्यों को, उस दल की संख्या देखते हुए अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर): वितरण व्यवस्था····

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर। आपके बिजली कम है इसलिए ज्यादा···

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: जिनके प्रस्ताव हैं उन्हें बुलायें।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव वाले अब आये। प्रस्ताव वालों को और अवसर दूंगा। जो माननीय सदस्य मेरी आई कैच कर लेंगे उनको मैं अवसर दूंगा। श्री नाथूसिंह जी, चलिये, संक्षेप में। नहीं तो आपके दल का समय जायगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): धन्यवाद साहब। बिलकुल संक्षेप में।

अध्यक्ष महोदय, विद्युत मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उसमें केवल वास्तविक स्थिति का वर्णन किया लेकिन वस्तु स्थिति यह है जैसा आपने कहा कि ···

श्री अध्यक्ष: आप इनके स्थान पर होते तो क्या कर सकते, उस दृष्टि से कहें।

श्री नाथूसिंह: हां, उसी दृष्टि से बताऊंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, विद्युत मन्त्रीजी को मालूम होगा, राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पिछले लगभग दस महीनों में जो पावर कट रहा है इण्डस्ट्रीज के लिए, अलग अलग निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, वह 68 पर्सेन्ट है जो कि आल इण्डिया रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पिछले दो सालों में 167 दिन बिलकुल भी बिजली नहीं मिली, यह भी एक आल इण्डिया रिकार्ड है राजस्थान का। इस समय कुछ स्टेट्स इण्डिया में ऐसी हैं जिनके सामने बिजली की समस्या है।

श्रीमती कमला: बिलकुल ही बिजली नहीं आई राजस्थान में, मैं समझती हूं ऐसा तो कोई दिन नहीं था। यह ठीक है, किसी सैक्टर में कम-ज्यादा हुई होगी पर बिलकुल ही बिजली नहीं आई, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ।

श्री नाथूसिंह: वही मैं बता रहा हूं। अलग-अलग मैं आपको बता रहा हूं। खेती की स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, खेती में भी 5 घण्टे·····

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: वह तो इनके घर का फ्यूज उड़ गया।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

श्री नाथूसिंह : खेती की स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

कि खेती के लिये पांच घन्टे में से रेगुलरली तीन घण्टे बिजली किसानों को दी जाती थी। उस तीन घण्टे में भी, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों रेगुलरली नहीं दी जाती थी, जैसे कभी एक घण्टा ...

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, न अमुक लाइन में दोष है या वोल्टेज कम आता है, ज्यादा आता है यह प्रश्न इसमें नहीं आयेंगे। इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि जब बिजली बोर्ड के बारे में चर्चा हो उस वक्त आ जाय, इसमें सीमित मायने में ...

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में राजस्थान में इसलिए दिक्कत आ रही है कि जो बिजली बाहर दूसरी स्टेट्स से हमारे हिस्से की हमें मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। इसके अलावा हमारे ओन सोसेज ...

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कहेंगे इतनी मिलनी चाहिये, इतनी मिली। इसको लिमिट कर दिया है मैंने ...

श्री नाथूसिंह : वही मैं बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां ओन रिसोर्सेज से हमें बिजली पैदा करनी चाहिये थी वह भी हमने नहीं की।

(1.35 म.प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, अभी जो बिजली हमें मिलनी चाहिये वह थी, जितनी बिजली की हमें आवश्यकता थी वह थी 59990 लाख यूनिट। हमारे राज्य को इसके बदले में केवल 42725 लाख यूनिट मिले। 17265 लाख यूनिट की बिजली की कमी रही।

श्री सभापति : आप कृपया संक्षेप में कह दीजिये। बाकी बहुत से लोग बोलना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह : मैं संक्षेप में कह रहा हूं। वह इसलिए रही कि नाथपा झाकड़ी का हिस्सा ...

(व्यवधान)

इसी तरह की दूसरी यूनिट्स हैं हमारा उनका हिस्सा हमें कम मिला।

श्री सभापति : कृपया जो प्रश्न पूछना है पूछ लीजिये। इस तरह के भाषण का तो यह समय नहीं है।

श्री नाथूसिंह : नहीं। मैं पाइन्टेड प्रश्न पूछता हूं।

श्री सभापति : पाइन्टेड क्वेश्चन अभी तक तो आपने पूछा नहीं है।

श्री नाथूसिंह : मैं बिजली मन्त्री से पूछना चाहूंगा इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया के चेयरमैन राजस्थान आये थे, उन्होंने 5-6 महीने पहले कहा था कि राजस्थान में यदि किसी बिजली घर की कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें तो उसका खर्चा वह वहन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा

(श्री नाथूसिंह)
था कि कोई बिजलीघर स्थापित करें उसकी जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें उसमें भी हैल्प करने को तैयार हैं। क्या इस तरह के प्रपोजल्स, विद्युत मन्त्रीजी ने आई. डी. बी. आई. के चेयरमैन ने दिये थे? सभापति महोदय, उसके पश्चात् न तो आज तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है और न ...

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री महाराम।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। आपने काफी पूछ लिया।

श्री नाथूसिंह : कहां से कितनी बिजली मिलनी चाहिये और कितनी नहीं। मिली इसका भी जवाब दीजिये।

श्री माहाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, मैं बिजली मन्त्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं, बिजली बोर्ड का जो एक सरकारीकरण हो रहा है उस सम्बन्ध में कोई विचार करके और जन-प्रतिनिधियों को साथ लेकर के वितरण व्यवस्था के सुधार के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

दूसरा मेरा सवाल यह है, जो राजस्थान सरकार की बिजली उत्पादन की स्वयं की और अंतरराज्यीय योजनायें हैं वह तो क्षमता के अनुसार कार्य करें। उसमें आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे तो हम सहमत हैं लेकिन बिजली वितरण करने के अन्दर बिजली बोर्ड में जो अव्यवस्था फैली हुई है और सरकारी अधिकारियों के अन्दर भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है? उसमें रीति-नीति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री महाराम चौधरी : अभी तो तीसरा प्रश्न है। मैं पाइन्टेड क्वेश्चन ...

(व्यवधान)

और बहुत उपयोगी प्रश्न है।

श्री सभापति : सभी को मौका दूंगा, आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : एक मिनट।

सभापति महोदय, किसान अनपढ़ होते हैं, उनको बिजली लेने के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कनेक्शन देने के अन्दर जो जटिलताएं हैं उनका सरलीकरण करें और किसी प्रकार से इन नियमों का सुधार करें जिससे किसानों को आसानी से बिजली मिल सके।

श्री सभापति : इसमें किसानों की बात नहीं, पर्याप्त सप्लाई करने की बात है।

श्री महाराम चौधरी : जितनी बिजली है और हम जितनी बिजली दे सकते हैं, बिजली नियमों का तो हम सरलीकरण चाहते ही हैं उसके वितरण की प्रक्रिया का भी सरलीकरण चाहते हैं।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई!

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : पाइन्ट आफ आर्डर। मुख्य मन्त्री के स्थानपर वय

(श्री देवीसिंह भाटी)
कोई माननीय सदस्य बैठ सकते हैं ? भैरूसिंहजी गुर्जर वहां बिराज रहे हैं । वह स्थान उनके लिए है या इनका चुनाव करके इनकी पार्टी ने इन्हें मुख्य मन्त्री नियुक्त कर दिया ?

श्री सभापति : कृपया ! श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, मैं माननीय विद्युत मन्त्री महोदया से····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी रवाना कैसे हो गये हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो आपकी कृपा से हो गये ।

श्री सभापति : आसन और जो सदस्य बोलते हैं उनके बीच में से निकलने का प्रयत्न नहीं करें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ख्याल रखा जायगा ।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदया, मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा । जोधपुर संभाग टेल पर आया हुआ है और बिजली उत्पादन बहुत दूर है, सात घण्टे आपने जो किया है, पहले पांच घण्टे था, उसके लिये तो धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं चाहता हूं सात घण्टे तक बिजली दें तो आप कृपया आपने एस. ई. और चीफ इन्जीनियर साहब को डायरेक्शन दें कि वहां पर सात घण्टे में एक भी झटका नहीं लगे । जितना वोल्टेज तीन सौ साढ़े तीन सौ, जितना भी वोल्टेज है वह सात घन्टे तक मेन्टेन रहना चाहिये, इस बात का आप उनको डायरेक्शन दे दें । वरना हमारा बोरुंदा जैसा इलाका है वहां पर पानी तीन-तीन सौ फीट गहरा है । वहां जब एक बार झटका लगता है तो एक मील जाकर के वापिस पानी लाना पड़ता है । एक तो यह बात है ।

दूसरा, जोधपुर संभाग के अन्दर कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे नागौर है, जोधपुर का पोर्सन है, पाली का इलाका है जहां पानी कम है । वहां पर अगर एक साथ सात घण्टे तक बिजली देते हैं तो वहां पर कुओं में सात घण्टे का पानी नहीं है इसलिये आप एस. ई. को अधिकार दें कि चार घण्टे का पानी हो तो वह चार घण्टे एक टाइम दे दें और चार घण्टे दूसरे टाइम दे सकते हैं । यह दो बातें हैं इनके ऊपर आप ध्यान देकर अधिकारियों को डायरेक्शन दे दें ।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन ।

(व्यवधान)

एक-एक करके बोलें, सब एक साथ तो नहीं बोल सकते ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, जैसाकि मंत्री महोदया ने अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है, कि विद्युत उनके पास कम उपलब्ध है । मैं पूछना चाहूंगी मंत्री महोदया, कि विद्युत आप कम दे रही हैं लेकिन फ्लेट रेट पूरी चार्ज कर रही हैं ? जब विद्युत आप कम दे रही हैं तो क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि काश्तकारों के साथ उसने फ्लैट रेट का

(सुश्री पुष्पा जैन)

जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करें ? जितनी प्रतिशत फ्लेट रेट के हिसाब से बिजली काश्तकारों को मिलनी चाहिए आप वह बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। आपने फ्लेट रेट तो डेढ़ा कर दिया और विद्युत् जितनी पर्सेंटेज से मिलनी चाहिए थी वह कई पर्सेंट कम हो गई। लिहाजा क्या सरकार सोचेगी कि यह जो आप विद्युत् उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं तो फ्लेट रेट को हटा देंगे या कम कर देंगे ? यह तो हुई एक बात। दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगी कि जितनी विद्युत् आपके पास उपलब्ध है उसमें इण्डस्ट्री और डोमेस्टिक का हिस्सा छोड़ कर जो काश्तकारों के लिए बिजली उपलब्ध है उसमें भी चोरी की जाने वाली विद्युत् को छोड़ कर के बाकी विद्युत काश्तकारों में डिवाइड कीजिए तो मैं समझती हूं कि डेढ़ घण्टा भी काश्तकारों को बिजली उपलब्ध नहीं होगी। उस डेढ़ घण्टा बिजली को पाने लिए पूरे दिन, पूरी रात किसान को चौकन्ना रहना पड़ता है कि पता नहीं कब बिजली आ जाय और उसे अपने सूखे खेतों को पानी देना पड़े। सभापति महोदय, मैं चार्ज लगाना चाहूंगी कि कुछ राजनीतिक भेदभाव के कारण बिजली नहीं देते हैं। कुछ किसान जब शोर मचाते हैं और बार-बार सरकार को मजबूर करते हैं तो उनकी उस कमी को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारी कभी इस तरह से, एक तरफ से बन्द करके दूसरी तरह दो घण्टा बिजली दे देते हैं, कभी चार घण्टा दे देते हैं। जिनको डेढ़ घण्टा बिजली की मात्रा भी उपलब्ध नहीं करवा रहे क्या सरकार उनके बारे में विचार करेगा ? क्या मंत्री महोदया इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देंगी।

श्री सभापति : श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो किसानों को रात्रि में बिजली सप्लाई होती है, उसके बाद भी पूरी सप्लाई नहीं होती है, आंख मिचौनी होती है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जितनी भी बिजली देंगे, उनको दिन में देंगे ?

श्री सभापति : रामनारायण डूंडी।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, अभी ऊर्जा मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया और पांच घन्टे से सात घण्टे काश्त-कारों के लिए बिजली मुहैया कराने की जो घोषणा की उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही यह निवेदन करना चाहूंगा, जब फेक्ट फाईंडिंग हुई थी उस वक्त हमारे कोटा के ताप घर की दोनों इकाइयां सुचारु रूप से चल रही थीं। उस समय हमें जो बिजली मिली, उसको देखते हुए किसानों ने अपनी खेती 10 या 12 घण्टे के हिसाब से बो दी। जब फसल पकने पर आई उस समय हमें केवल पांच घण्टा बिजली मिली उसमें भी कहीं पर वोल्टेज के डाउन होने, कहीं पर मोटरों के न चलने के संबंध में मैं मंत्री महोदय से बार-बार मिला, इनके अधिकारियों से भी मिला। उन्होंने इसको रोकने की कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की, फिर भी......

श्री सभापति । कृपया प्रश्न पूछिये ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न काफी लम्बा है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपने कहा कि प्रश्न पूछिये, यह प्रसंग पर आ रहे हैं ।

श्री रामनारायण डूडी : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा, जो जोधपुर के अन्दर बोरूंदा, हरियाढाणी, अनसीढाव गांव, अलग-अलग सैक्टर हैं, वहां पर गहरे कुए हैं 250-300 फीट पर पानी निकलता है । वहां 100 हार्स पावर की मोटर्स लगी हुई हैं । मैं खुद एक रात को वहां था तो 200 वोल्टेज बिजली आ रही थी, झटका लगा और लोग दूसरे दिन शिकायत करने लगे कि मोटर जल गई ।

श्री सभापति : बोरूंदा में लाइन 132 के वी. की मन्जूर कर दी है ।

श्री रामनारायण डूडी : यह हालत है, लोगों का नुकसान हो गया । उन्होंने 13-14 घण्टे के हिसाब से फसल बोई है । मेरा निवेदन है, आज काश्तकारों की जो मांग है वह 10 घण्टे की है। आप 15 दिन के लिए 10 घण्टे बिजली मुहैया करादें ताकि आखिरी बार की जो फसल है उसको बिजली से पानी दे सकें।

दूसरा, मेरा निवेदन करना यह है कि कैपेसिटर्स में आई. डी. बी. आई. का लाखों रुपया खर्च हुआ है । यह जो कैपेसिटर्स हैं वह आज खराब पड़े हैं । आप अविलम्ब अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि वह इनको ठीक करें। तीसरी बात, जोधपुर संभाग के लिए एडीशनल चीफ इंजीनियर का पोस्ट थी उसको अबॉलिश करके डिप्टी चीफ इंजीनियर की पोस्ट रख दी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर के लिए स्वयं निर्णय करने के लिए किसी सक्षम अधिकारी की पोस्ट क्रियेट की जाये न कि जयपुर से कन्ट्रोल करें।

श्री सभापति : आप अपने आपको बिजली सप्लाई नहीं होने तक सीमित रखें। श्री रामधन चौधरी !

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज नागौर जिले की लाडनूं तहसील, जहां से मैं आया हूं, की यह हालत है कि आपने जो ट्यूब वैल लगाये हैं पीने के पानी के लिए, उनके लिए तीन घंटे बिजली देते हैं जबकि एक-एक ट्यूब वैल से 10-12 गांव जुड़े हुए हैं । मेरा निवेदन है कि हमारा सिंचाई वाला इलाका नहीं है कम से कम पीने का पानी तो दो। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि जो लाडनूं तहसील है, कृपा करके वहां कम से कम 10-12 घण्टे बिजली दें जिससे हमें पीने का पानी सुलभ हो सके।

श्री सभापति: श्री अनंगकुमार जैन ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा । प्रथम, राजस्थान के मुख्य मंत्री, शिवचरण जी माथुर ने राजस्थान टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अन्दर यह घोषणा की थी कि अब राजस्थान के अन्दर बिजली कटौती का युग समाप्त हो गया । यह घोषणा उन्होंने

(श्री अनंग कुमार जैन)

किस आधार पर की थी, इसका जवाब देने की कृपा करें? बिजली कटौती का युग समाप्त हो गया है या बिजली कटौती का युग चालू हो गया है?

दूसरा, सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार अपनी अक्षमताओं के कारण गांधी सागर डैम से जितना शेयर है उतनी बिजली प्राप्त नहीं कर सकी। इसके बारे में आपने क्या-क्या प्रयास किये? आप अपनी अक्षमताओं के कारण इसको क्यों नहीं प्राप्त कर सके? इसका कष्ट राजस्थान की जनता उठा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो गांधी सागर डैम का कैचमेंट एरिया है उसमें छोटे-छोटे बांध बनाये गये हैं उनके कारण पानी का भराव नहीं होता है और उसके नहीं होने की वजह से बिजली उत्पन्न नहीं होती। राजस्थान की सरकार ने इसके लिए क्या कार्यवाही की?

तीसरा, एक तरफ आप बिजली काश्तकारों को नहीं दे रहे हैं, उनकी फसलें सूख रही हैं उसके बाद भी क्यों काश्तकारों पर फ्लेट रेट लगाना आवश्यक होगा? उनको क्यों इस बात के लिए परेशान किया जा रहा है? आप बिजली नहीं दे रहे हैं, अकाल से वह पीड़ित हैं ही।

अन्त में एक प्रश्न मैं और मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। जैसा मंत्री महोदय ने यह बताया कि चार या पांच घन्टे बिजली दी जाती थी, लेकिन मेरी सूचना ऐसी है कि कई जगह पर फीडर्स के पानी को प्रोपरली कन्ट्रोल नहीं किया गया। जब भी मन में आया तब कोई से भी फीडर के पानी को रोक दिया गया। काश्तकार जो कि अपने खेत में रात को सर्दी में पानी की राह में बैठा था उसको पानी नहीं मिला। तो इसके लिये क्या, मंत्री महोदय, आपने बोर्ड को कोई आदेश दिया है? यदि नहीं तो क्या अब आप कोई प्रोपर व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे जिससे कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो? क्या इसके लिये हर जगह पर इस प्रकार की सूचना का प्रसारण करायेंगे कि इस मुताबिक काश्तकारों को 6–6 घन्टे बिजली की समुचित तरीके से व्यवस्था हो सकेगी?

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। श्री यनादुथ सिंह जी!

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पिन पाइन्ट प्रश्न करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपका बिजली के लिये रेशनल बेसिस क्या है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम खेती को प्रायोरिटी दे रहे हैं दूसरी तरफ खेती का उपभोक्ता प्रतिशत लगातार गिर रहा है। तो क्या आधार है आपका? यह कैसे हुआ?

दूसरा, यह सही है कि राज्य में बिजली की कमी है। केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे नर्दन जोन में बिजली की कमी है। सभापति महोदय, आपने जो ट्रांसमिशन लॉसेज बताये हैं वह 37 प्रतिशत से ज्यादा हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बिजली में ट्रांसमिशन लॉसेज का क्या कारण है? उसको रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं? इसके अलावा क्या यह सही है कि····

श्री सभापति : यह ट्रांसमिशन लॉसेज 37 प्रतिशत से ज्यादा का फिगर आप कहां से लाये हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो साहब, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आधार पर कहा है ।

श्री नाथू सिंह : It is Forty Per cent.

श्री यदुनाथ सिंह : ओवर 37 पर्सेंट है तो टोटल ट्रांसमिशन लॉसेज चाहे वह बिजली की चोरी की वजह से हो रहा हो या और कोई कारण से हो रहा हो, को रोक कर आप उत्पादक को बिजली देकर खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या लग्जीरियस बिजली के उपयोग के लिये टोटल बैन लगाने का विचार रखती हैं ? यह बहुत जरूरी है । सभापति महोदय, जब हमें उत्पादन के लिये बिजली की आवश्यकता है तो क्या सरकार लग्जीरियस परपज के लिए बिजली देने पर टोटल बैन लगाने का विचार रखती हैं ? इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा जो राणाप्रताप सागर का ताप बिजली घर है वह यूनिट खराब हो गया है । उसके लिये यह कहा गया है कि पानी की कमी के कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है । सभापति महोदय, मेरी सूचना यह है कि जो ठेकेदार था वह समय पर पूरा काम नहीं कर पाया और वहां पर जो साइक्लोन आ गया था, जो तूफान गुजरात में आ गया था उसकी वजह से मशीनों में पानी भर गया । पावर प्लान्ट मे पानी भर जाने के बाद यह खराबी हो गयी है ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, जो यह कहा गया है कि कैपेसिटर्स लगाये गये हैं । कैपेसिटर हमारे यहां पर भी लगे हैं और, भरतपुर में भी लगे हैं और सभापति महोदय, यह बहुत ही सफल हुए हैं । सभापति महोदय, एक किसान को कैपेसिटर लगाने की आपने जो बात कही है तो क्या राज्य सरकार छोटे-छोटे कैपेसिटर लगाने के बजाय पावर के बड़े-बड़े कैपेसिटर लगाने का विचार रखती है ?

श्री सभापति : श्री चाव खां !

श्री चाव खां (कामां) : सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा । मैं तो एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मेरा पहला सुझाव तो मंत्री महोदया को यह है कि बिजली की जो समस्या है वह किसानों के लिये बहुत बड़ी समस्या है । जब तक आप किसानों को इस बिजली बोर्ड में प्रतिनिधि के रूप में नहीं लेंगे तब तक किसानों की हालत बिजली के मामले में नहीं सुधर सकती है । इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि जब भी आपके बोर्ड का गठन हो तो उसमें दो-चार किसानों को सदस्य के रूप में जरूर लें ।

दूसरा सुझाव, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदया को यह है कि मेरे क्षेत्र में पहाड़ी एक कस्बा है उससे 6-7 किलोमीटर दूर छपरा गांव से बिजली पहुंचाने से पेयजल की समस्या को हल किया जा सकता है । सभापति महोदय, मेरे इलाके में पानी बहुत खारा है इसलिये हमने सरकार से यह मांग की । सरकार ने पेयजल के लिये छपरा से पहाड़ी एवं कुछ गांव के लिये नलकूप योजना लागू करने की बात कही थी । वहां पर, सभापति महोदय, नलकूप लग भी गये हैं । वह योजना पूरी भी

(श्री चाव खां)
हो चुकी है लेकिन विजली नहीं पहुंचने के कारण पानी आने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोगों को गांव में पानी उस योजना से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हालांकि वहां पर डीजल का इन्जिन लगाया गया है, लेकिन डीजल कई बार नहीं पहुंचने की वजह से पानी कस्बा को नहीं दे पाते हैं। पानी टंकी तक नहीं पहुंचता है। मैं मंत्री महोदया से दरख्वास्त करूंगा कि जल विभाग के द्वारा वहां पर एक लाख 65 हजार रुपये बिजली विभाग के अन्दर जमा भी हो गये हैं पर अभी तक छपरा से पहाड़ी के गांवों को पानी नहीं मिला है। अतः वह दिलाने की व्यवस्था करावें। राज्य सरकार को चाहिये कि वहां पर बिजली की नई लाइन डाली जाय। इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय ताकि वहां लोगों को पानी मुहैया हो सके।

तीसरी बात, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की जमीन बहुत उपजाऊ है। वहां खेती की पैदावार भी बहुत हो सकती है लेकिन, सभापति महोदय, वहां पर बिजली नहीं होने के कारण खेती की पैदावार कम हो रही है। मेरा निवेदन है कि वहां पर अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी बिजली दी जानी चाहिये। ताकि गांव के लोगों को पानी मिले और पैदावार बढ़े।

श्री सभापति : श्री मालाराम।

श्री मालाराम (खेतड़ी) : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित इस समस्या की ओर करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में यह नियम बनाया हुआ है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की बस्ती में बिजली प्राथमिकता के आधार पर दी जावेगी लेकिन, सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में हजारों हरिजनों के घरों की बस्ती है वहां पर बिजली नहीं लगाई गई। तो जो सरकार का प्राथमिकता का आधार बनाया हुआ है वह कागजों में ही रह गया है। एक भी घर पर बिजली वहां लगी हुई नहीं है, इसलिये मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि वहां पर बिजली लगायी जावे। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बिजली चार घन्टे या पांच घन्टे मिले। इसके लिये मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो यह कभी-कभी थोड़ी बिजली आती है तो बिजली की कमी के कारण किसानों की मोटर कई बार जल जाती है और किसानों को नुकसान होता है। तो मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि सरकार इसमें सुधार करने की व्यवस्था करे।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर लाल।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। बिजली का मामला है सभी सदस्य बोलना चाहते हैं। श्री रामेश्वर लाल।

श्री रामेश्वर लाल (खं) : सभापति महोदय, मैं तो विद्युत मंत्री से यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में 33 के. वी. की लाइन है। वहां पर ट्रांसमिशन लॉसेज हो रहे हैं उसकी वजह से काफी दिक्कत है। आपने सात घन्टे बिजली देने का अनाउन्स किया है लेकिन उन ट्रांसफार्मर्स की क्षमता पूरी नहीं होने के कारण

(श्री रामेश्वर लाल)

आप पूरे सात घंटे बिजली दे नहीं रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो सब स्टेशन्स हैं या जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाय। उनमें जब पूरी क्षमता होगी तो उचित रहेगा। सभापति महोदय, ट्रांसफार्मर्स की ओवर आल कमी है वह दूर की जाये। आज वह जो ओवर लोड चल रहे हैं वह क्षमता बढ़ाने से नहीं चलेंगे और बिजली की मात्रा भी बढ़ेगी। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आप जो सर्विस लाइन के हिसाब से कनेक्शन देते हैं वह आप प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं दे पाते हैं। क्या राज्य सरकार ऐसे नियम बनायेगी जिससे कि सर्विस लाइन के हिसाब से कनेक्शन दिये जायं। जैसे कहीं खम्भा लग गया तो उसके हिसाब से काश्तकारों को बिजली मिले। इससे एक तो यह होगा कि जो बोर्ड का खर्चा होता है वह खर्चा कम होगा और दूसरा इससे छोटे या बड़े या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स सभी प्रकार के लोगों को बिजली मिल जायेगी। इससे बोर्ड का खर्चा भी कम होगा और किसानों को व्यवस्थित ढंग से बिजली भी उपलब्ध हो सकेगी।

श्री सभापति : श्री भैरूं सिंह गुर्जर।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यान सबसे पहले तो एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर लिग्नाइट पर आधारित प्लान्ट लगाने की योजना बन चुकी है। लेकिन उसकी फाइनेन्शियल सैंक्शन नहीं मिलने के कारण वह योजना शुरू नहीं हो सकी। सभापति महोदय, पिछले साल के बजट में इसके लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान था, उस पांच करोड़ रुपये का क्या हुआ? उस पांच करोड़ रुपये में से कितने रुपये उस प्लान्ट में लगाये गये? इसके अलावा इस वर्ष भी दो करोड़ रुपये उस प्रोजेक्ट के लिये रखे गये हैं, उसमें से भी एक करोड़ तो राज्य सरकार देगी और एक करोड़ केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जायेगा। सभापति महोदय, पिछले साल के पांच करोड़ रुपये का क्या हुआ? और क्या कारण थे कि फाइनेंशियल सैंक्शन उसकी नहीं निकल सकी?

दूसरे, कोटा में हमारा बिजलीघर पिछले तीन साल से खराब पड़ा हुआ है कभी तो कहते हैं कि जून में शुरू हो रहा। हैं, कभी कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी आयेंगी तब शुरू होगा। सभापति महोदय, जब पहाड़ियाजी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसके लिये घोषणा की थी। और उनके बाद श्री शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री बने तो इन्होंने भी घोषणा की। आज पिछले तीन साल से बिजली नहीं मिल रही है। मेरा निवेदन यह है कि जो कोटा के ताप बिजली घर से बिजली नहीं आ रही है कहीं उसका कारण यह तो नहीं है कि वहां पर मशीनों के अन्दर सब-स्टेण्डर्ड का माल लगाया गया। उसके कारण बिजलीघर में बार-बार खराबी होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने पिछले सत्र में भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि मेरे क्षेत्र में 46 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है। देवगढ़ तहसील की सात ग्राम पंचायतें, राजनी पंचायत समिति की दस ग्राम पंचा-

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

यतें और बाकी 32 ग्राम पंचायतें और हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 52 ग्राम पंचायतों में बिजली नहीं पहुंच रही है। कम से कम चार हजार मीटरों के अभाव में वहां पर लाइट नहीं आ रही है। तो मेरा निवेदन है कि वहां पर जो लोगों के यहां अन्धेरा है वहां पर आप रोशनी तो करो। जिन लोगों के लिये हम बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रावधान करते हैं, बीस सूत्री कार्यक्रम में गाते हैं, कभी अन्त्योदय के नाम से और कभी पिछड़े को पहले के नाम से, वह बेचारे पिछड़े के पिछड़े ही बैठे हैं। उनके घरों में और मोहल्लों में कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। मैं दावे से कहता हूं कि उनको कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। आप इसकी जांच करा लीजिये कि कितनी फाइलें ए. ईएन., खारची, ए. ईएन., देसूरी और ए. ई एन., रानी के पास पैंडिंग हैं। मेरी तो यही मांग है।

दूसरे, सभापति महोदय, पाली जिले के अन्दर और फालना के अन्दर अलग-अलग एक्स. ई एन. की पोस्ट हैं। जो भी आदेश जयपुर से जाते हैं या राज्य सरकार से जाते हैं वह पाली एक्स. ईएन. के पास जाते हैं। और अतिरिक्त बिजली भी देनी है तो पाली एक्स. ईएन. के पास आदेश जायेंगे। जो पाली एक्स. ईएन. बैठा है वह जल्दी से फालना वाले एक्स. ई एन. को आदेश प्रसारित नहीं करता है तो इसका नतीजा यह होता है कि फालना एक्स. ई एन. का जो एरिया आता है वहां कन्जूमर्स बिजली से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिये आप अलग से फालना वाले को आदेश दें या पाली वाले को कहें कि सोमेसर फीडर पर बिजली पहुंचाये। वह आदेश जब तक दूसरी जगह देते हैं तब तक तो सारे के सारे आदेश लैप्स हो जाते हैं और वह किसान ऐसे के ऐसे ही बैठे रहते हैं। इसलिये मेरा मुख्य सुझाव यह है कि अगर बिजली कम है तो कम दीजिये लेकिन जो है उसका सही उपयोग तो हो।

दूसरे, खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के जिन क्षेत्रों से मांग आती है वहां कुओं में पानी तो है नहीं। सभापति महोदय, आप उनको 7 घन्टे बराबर बिजली दे रहे हैं। 7 घन्टे बिजली लगातार दे रहे हैं तो वह कुए में क्या करेंगे। कुए में तो पानी घन्टे डेढ़ घन्टे का मुश्किल से है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप पूरे के पूरे क्षेत्र में जो बिजली दें उसको दो टाइम में बांट कर दें ताकि उस पानी का सही उपयोग हो और किसानों की फसलों को फायदा पहुंचे।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : सभापति महोदय, पंचायत समिति, सवाई माधोपुर की 5 पंचायतें ऐसी हैं जो बनास नदी से कट ऑफ हैं। उनमें से तीन का विद्युतीकरण हो रहा है। उन 3 पंचायतों को बिजली टोंक से दी जा रही है। टोंक डिस्ट्रिक्ट से उनको बहुत डिम लाइट मिलती है। जब काश्तकार शिकायत करने के लिये सवाई माधोपुर जाता है तो उसको टोंक भेजा जाता है और टोंक जाता है तो उसको कहते हैं सवाई माधोपुर ही इसकी शिकायत करिये। सभापति महोदय, करीब 40-50 काश्तकार, जिलाधीश सवाई माधोपुर के पास डेपूटेशन लेकर आये। बिजली का इतना अभाव था कि रात को वहां बिजली दी जाती थी जिससे 3 आदमियों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसकी शिकायत भी जिला-

(श्री चुन्नीलाल)

धीश महोदय को की । अब मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि उनको टौंक डिस्ट्रिक्ट से कट-ऑफ करके सवाई माधोपुर से सीधी लाइन से जोड़ा जाय तो काश्तकारों को लाभ मिल सकता है । अगर कोई शिकायत करने का मौका मिले तो वह सवाई माधोपुर ही जाय । उन तीन पंचायत समितियों के सामने इतना भयंकर संकट है कि वह कभी टौंक भागते हैं तो कभी सवाई माधोपुर भागते हैं । इसलिये उनको सीधे सवाई माधोपुर से ही विद्युत् लाइन से विद्युत् दी जाय ।

एक अर्ज और है कि पंचायत समिति, खण्डार की करीब 10 साल पहले विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत हो चुकी है । दस साल में केवल 23 गांव विद्युतीकरण के लिये सैंक्शन हुए हैं लेकिन वह 23 गांव भी आज तक पूरे विद्युतीकृत नहीं हो पाये हैं । काश्तकारों के हजारों प्रार्थना-पत्र पैंडिंग पड़े हैं । इस तरह की प्रगति विद्युतीकरण में है । एक तरफ तो हम गांवों में बिजली देना चाहते हैं और दूसरी तरफ दस सालों में 23 गांवों की भी पंचायत समिति, खण्डार के अन्दर पूर्ति नहीं कर पाये तो आगे बढ़ाने की तो बात ही दूसरी है । मैं चाहूंगा कि पंचायत क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत काश्तकारों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाये जिससे वह अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा सके । इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : श्री दीपचन्द ।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि न तो मैं जानकारी लेना चाहता हूं और न अपने कोई सुझाव ही देना चाहता हूं । लेकिन चाहे जो मजबूरी हो 12 घंटे किसान को बिजली मिलनी चाहिये क्योंकि किसान खेत में जाता है । सभापति महोदय, मेरे से ज्यादा किसान माननीय ऊर्जा मंत्रीजी रही हैं । उनके पिता आज से बहुत वर्षों पहले विद्युतीकृत गांव में रहे हैं । लेकिन हमारे इलाके के अन्दर तो अभी थोड़े दिन पहले ही दो-तीन साल से विद्युतीकरण हुआ है । जब किसान खेत में जाता है और उसकी फसल बरबाद होते हुए देखता है तो किसान के बच्चे और किसान सभी रोते फिरते हैं । जब माननीय सदस्य उनके इलाके में जाते हैं तो इन माननीय सदस्यों के × × × हैं । इसलिये मैं ऊर्जा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली मिलनी चाहिये । मेरे क्षेत्र के अन्दर चांदकोठी से राजगढ़ पाइप लाइन द्वारा पानी जाता है । बिजली विभाग तीन चार घंटे ही बिजली देता है उसकी वजह से राजगढ़ तहसील के पचास-साठ गांवों को पानी जाता है । वाटर सप्लाई की वजह से उन गांवों में पुराने कुएं तो बरबाद हो गये, चड़स और डोल गांवों में रिया कोनी, लोगबाग तिमाया और प्यासा मरे सै । जब भी मैं इलाके में जाता हूं, उस लाइन की ओर जब भी जाता हूं तो पांच-दस आदमी मिल जाते हैं । रामरमी करने जीप या बस से उतरता हूं तो इस माननीय सदस्य के × × × हैं । राजगढ़ शहर 30 हजार की जन संख्या का शहर है । वहां लगातार एक-एक हफ्ते तक पानी नहीं आता । सारा शहर इकट्ठा होकर जुलूस निकाल कर इस माननीय सदस्य का घेराव करता है और हाथ

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अप्रलोपित किये गये ।

(श्री दीपचन्द)

जोड़ता हूं तब जाकर पिंडा छूटता है × × × हमारी लाचारी है इसलिये मैं ऊर्जा मंत्री महोदया से निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य की इज्जत और शान बचानी है तो किसानों को 12 घंटे पानी दें और चांदकोठी में जलदाय विभाग को आदेश दें कि कम से कम दस घंटे बिजली विभाग जलदाय विभाग को बिजली दे।

श्री सभापति : श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : मान-सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं तो मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पानी कुओं में बहुत थोड़ा होता है और बिजली थोड़े समय ही देनी चाहिये, यह उनका जो विचार है यह भ्रमात्मक है।

श्री सभापति : थोड़े समय देने की नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि दो हिस्सों में देनी चाहिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : जिन ट्यूब वैलों से पानी निकाला जाता है उनसे बीस-तीस हजार गैलन पानी प्रति आवर निकलता है और लाखों गैलन पानी निकाला जाता है। अगर वहां बिजली कम दी गयी तो सैंकड़ों किलोमीटर तक लाइन गयी हुई है वह बेकार पड़ी रहेगी और लोग प्यासे मरेंगे।

दूसरे नम्बर पर मैं केवल इतनी बात जानना चाहता था, जब आज इस दुनियां के अन्दर बहुत कुछ अनुभव किये जा रहे हैं और सौर ऊर्जा की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है तो क्या राजस्थान भी सौर ऊर्जा की तरफ कुछ प्रयत्न कर रहा है या नहीं कर रहा है ?

श्री सभापति : श्री असलम खां !

श्री असलम खां (बाली) : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत पहले तो मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं। आज ही आपने 5 घन्टे से 7 घंटे का यहां पर अनाउन्स किया। इसके लिये तो आपको बधाई दे रहा हूं। मेरे तो दो छोटे-छोटे सुझाव हैं। पहला यह है कि हमको पांच या सात घन्टे जितनी भी बिजली मिलती है किसान अपने खेत के अन्दर खड़ा होकर पानी पिलाता है और जब बिजली बन्द होती है तो गलती से क्या होता है कि थ्री फेस से टू फेस कर दिया जाता है और किसान की मोटर जल जाती है। जब भी बिजली बन्द होती है तब उसकी मोटर जल जाती है। इसलिये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि बिजली जिस समय दी जाय उसको उसी समय बन्द कर दिया जाय ताकि किसानों को मालूम हो कि बिजली आते ही बन्द हो जायगी। नहीं तो क्या होता है कि मोटर तो चलती रहती है और वह अपने खेत से कुए तक पहुंचता है तब तक मोटर जल जाती है। मेरे साथियों ने भी निवेदन किया और मैं विशेष निवेदन करूंगा, यह बात हकीकत है कि कुओं में पानी की कमी को देखते हुए 5 घंटे से ज्यादा बिजली दी जाती है तो उसको दो शिफ्ट में किया जाय।

मैं आदिवासी क्षेत्र के लिए एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आदिवासी क्षेत्र में जैसे मेरे गांव में बिजली पहुंची। वह एक गांव है जो कि इलेक्ट्रिफाइड है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री असलम खां)
वहां के आदिवासियों ने कनेक्शन के लिए फाइलें करीब तीन साल पहले जमा करवाई हैं; अब वे बराबर चक्कर काट रहे हैं। एक्स. ई. एन. बताता है कि हमने वहां का सर्वे किया है उससे पता लगा कि आदिवासियों के मकान एक जगह तो होते नहीं हैं, खेत भी उनके दूर दूर होते हैं, जहां भी 5-10 बीघा जमीन मिल गई वहां खेती कर लेते हैं। अब उन्होंने फाइलें जमा करा दी हैं किन्तु वह तीन-तीन, चार-चार साल से चक्कर लगा रहे हैं। उन आदिवासियों को...

श्री सभापति : कृपया आप बिजली की कमी तक ही अपने आपको सीमित रखें। बिजली को जब डिमाण्ड डिस्कस हो या बिजली बोर्ड की रिपोर्ट जब डिस्कस हो तब यह उठायें तो ठीक है।

श्री असलम खां : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आदिवासियों को प्रायोरिटी दी जाय ताकि उनको शीघ्र बिजली मिले। उन्होंने एक-एक किलोमीटर के लिये फाइलें जमा करा दी हैं तो उनको बिजली मिलनी चाहिये।

श्री सभापति : श्री हंसराज शर्मा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को बिजली की कुछ समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा एक तो काश्तकार को जो बिजली आपके द्वारा दी गई उसमें समय-समय पर कई चेंजेज किये हैं। कभी 5 घंटे, कभी 4 घंटे और कभी 6 घंटे। इस आधार पर काश्तकारों को यह तो सूचना दे दी गई कि किस समय किस-किस जोन में बिजली आयेगी लेकिन किस समय कहां चेंजेज कर दिये हैं इसकी सूचना दी नहीं। उस समय काश्तकार रात के टाइम बिजली के लिये खेत पर पहुंचा। रात भर प्रतीक्षा करके वापस आ गया। उसको समय पर बिजली नहीं मिली। एक तो यह आम शिकायत थी।

दूसरा शिकायत यह थी कि लाइन जब तैयार हो गई तो काश्तकार यह सोचता रहा कि मुझे चार घंटे बिजली मिलेगी। जब लाइन खराब हो गई तो 24 घंटे तक प्रतीक्षा करता रहा और उसको बिजली नहीं मिला। इस प्रकार महीने में 15 या 20 बार बराबर बिजली की शिकायत रही। पहले जब काश्तकार को एक महीना कन्टीन्यू बिजली दी गई उसमें जो 6, 4 घंटे मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली उसका परिणाम यह है। आप यदि सर्वे करायें तो आपको मालूम हो सकता है कि गत वर्ष जब पर्याप्त मात्रा में बिजली थी तो काश्तकारों ने किस-किस टाइम में अपनी काश्त बोई है। आज की तारीख में गत वर्ष के मुकाबले कहीं दो बीघा, कहीं 3 बीघा, कहीं डेढ़ बीघा काश्त की है। काश्तकारों ने इस बिजली के अभाव में पिलाई नहीं की है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका आप सर्वे करायें। बिजली के अभाव में काश्तकारों का नुकसान हुआ है। क्या आप पर्याप्त मात्रा में उनको बिजली दे सके? आपके पास थी नहीं, देते कहां से। यदि थी, तो आपकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस अव्यवस्था के खातिर जिन काश्तकारों की क्षति हुई है, उसका सर्वे करा कर उनको तुरन्त सहयोग दें।

(श्री हंसराज शर्मा)

दूसरा, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा, जो वोल्टेज आता है, कभी तेज और कभी कम आता है। जब वोल्टेज कम आया, मोटर चलती रहती है, तो तुरन्त मोटर जल जाती है। जिला सवाई माधोपुर में सैंकड़ों काश्तकारों की मोटरें वोल्टेज कम आने के कारण जल गई। मैं तो प्रत्यक्ष में बताता हूं, सवाई माधोपुर में ही नहीं, सारे राजस्थान में ऐसी स्थिति है। सभापति महोदय, हजारों काश्तकारों को जो आपने बैंक से लोन दिलाया, कर्जा दिलाया वह छोटे-छोटे काश्तकार थे, मोटर जलने की वजह से उनका हजारों रुपये का नुकसान हो गया। इसलिये इसका सर्वे कराया जावे और जिन काश्तकारों की बिजली की वजह से जो मोटरें जल गई हैं उनको सारा मुआवजा दिलाया जाय।

तीसरा, इसके साथ-साथ मेरा आपसे यह निवेदन है, सवाई माधोपुर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कई कुएं वालों की फाइलें पड़ी हैं। लेकिन बिजली विभाग के लोग कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। उनके पास पोल नहीं हैं। तार नहीं हैं। तार नहीं हैं, पोल नहीं हैं तो फाइल क्यों तैयार करवा रहे हैं। आप पहले कृपया पोल खरीदिये, तार खरीदिये। जब आपके पास घर दाना हो तो दूसरों को निमन्त्रण दीजिये अन्यथा भूखे न बुलायें। मेरा निवेदन है कि आप इन मुद्दों पर विचार करें।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा !

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, गत सत्र में 17 सितम्बर को भूतपूर्व ऊर्जा मंत्री ने एक भाषण यहां पर दिया था। उन्होंने बताया था कि सिंगरोली सुपर थर्मल परियोजना की 200 मेगावाट की पहली इकाई चालू हो चुकी है। अभी मंत्री महोदया ने यह बताया कि सिंगरोली के लिये भारत सरकार को आपने प्रस्ताव भेजा है वहां से स्वीकृति आने पर यह कार्य शुरू होगा......

श्रीमती कमला : सिंगरोली का प्रस्ताव भेजने का सवाल नहीं है। केन्द्रीय सैक्टर में है, हम क्या प्रस्ताव भेजेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं, उन्होंने यह कहा था, चालू हो चुका। वह इकाई क्या कर रही है ?

दूसरा, उपलब्धियों के बारे में देखना चाहिये। उत्पादन हम हमारी खपत के अनुसार बढ़ायें। खपत की हमें चिन्ता नहीं होनी चाहिये, उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता होनी चाहिये। आपने कहा कि बरसात कम होने के कारण उपलब्धि कम हुई। मेरा आरोप है, बरसात के पानी को संचय करने के लिये हमने कोई योजना नहीं बनाई। बरसात का जितना पानी आता है वह बह जाता है उसके लिये योजना बननी चाहिये।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि 1981–82 के वर्ष में 319 मामले बिजली चोरी के पकड़े गये थे। उनमें बड़ी मात्रा में बिजली चोरी चली गई थी उसके बारे में और आगे लीकेज न हो इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं ?

चौथा, मेरा प्रश्न यह है कि मिनिमम चार्जेज की क्या कन्डीशन्स थीं ? आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

किसानों मे मिनिमम चार्जेज के नाम पर वसूली करते रहे, 5- 7 घंटे आपने अपनी इच्छा से बिजली दी है, इसके बारे में आपकी क्या योजना है ? यह चार प्रश्न मेरे हैं।

श्री सभापति : श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विद्युत् की जो सप्लाई की जाती है उसमें पी. एच. ई. डी. की जो स्कीम्स हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले, इसके लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? मैं मानता हूं, सिंचाई और उद्योगों के लिये बिजली की आवश्यकता है और घरों में बिजली की जरूरत है लेकिन पीने का पानी अगर मुहैया न हो बिजली के कारण, तो यह सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर पीने के पानी की योजना बिलकुल ही ठप्प पड़ी है। जब भी जिस अधिकारी से मिलता हूं उनके पास एक ही जवाब होता है, बिजली नहीं मिलती, साहब। एक ही कारण बता कर हमारे को जवाब दे देते हैं। इसके आगे हमारे पास कछ रहता नहीं है। मैं मंत्री महोदया से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बाड़मेर सब डिवीजन मे इर्रिगेशन का कोई वैल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। वहां पर आप बराबर बिजली दें ताकि ट्यूब वैल से पानी मिल सके। न वहां कोई उद्योग है इसलिये मैं चाहूंगा कि बाड़मेर के लिये विद्युत् सप्लाई बराबर चालू रखी जाय। घंटों में न दी जाय लेकिन इतनी दें कि पीने का पानी समय पर मिलता रहे। पांच साल से अकाल है और पीने का पानी हमें नहीं मिल रहा है, सारी योजनायें ठप्प पड़ी हैं इसलिये मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें तो पीने के पानी के लिये बिजली दिला दें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।

श्री सभापति : श्री अमराराम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, एक कहावत है, only wearer knows khere shoe pinches. माननीया मंत्री महोदया स्वयं काश्तकार की मुसीबतों से परिचित हैं। जहां कड़कड़ाती सर्दी के अन्दर हम लोग बन्द कमरों में रजाई और कम्बल ओढ़ कर सोते रहें वहां किसान की औरतों और किसानों को जब भी रात को बिजली आई, खेत के अन्दर ठंडे पानी के अन्दर.....

श्री सभापति : प्रश्न पूछना हो तो पूछें।

श्री अमराराम चौधरी : फसलों को पानी पिलाने के लिये जाना पड़ा। आज वह फसलें जल रही हैं। किन मुसीबतों के अन्दर उन्होंने इस फसल को आज जिन्दा रखा है.....

श्री सभापति : कृपया भूमिका न बांधें। आप तो समय लगा रहे हैं।

श्री अमराराम चौधरी : 7 घंटे जो बिजली देने की घोषणा की है वह पर्याप्त नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में सब डिवीजन बालोतरा के अन्दर जहां आखरी टेल है वहां पर भयंकर अकाल है। इस अकाल की स्थिति में यदि आप 7 घंटे बिजली देंगे तो किसानों की फसल जल जायेगी। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है। इस महीने में लास्ट पिलाई हो रही है इसमें पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। इसलिये मैं यही निवेदन करता हूं कि आप कहीं से भी किसी प्रकार

(श्री अमराराम चौधरी)
की कटौती करके कम से कम 10 घंटे या 8 घंटे बिजली दें तब उन लोगों को बिजली पर्याप्त उपलब्ध होगी। दूसरा, जो आपके ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वह ओवर लोडेड हो गये हैं। मैंने आपके मुख्य अभियन्ता से निवेदन किया, कई जगह ट्रांसफार्मर लगवाये भी हैं लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण बिजली सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। तो मैं यही आशा करता हूं, आखिरी छोर तक बालोतरा आया हुआ है अकाल की स्थिति है और बड़ी मुसीबत के अन्दर हैं, किसानों को आप ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई करेंगे तो यह फसल रहेगी वरना किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज !

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि 15 अप्रेल तक अगर बिजली में थोड़ी सी भी कमी रहती है तो किसानों की सारी मेहनत करी कराई बेकार जायेगी। मैं मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं एक महीने, सवा महीने बिजली की पूरी सप्लाई नहीं मिलेगी तो एक तो फागुन का महीना है फसल पक रही है, ऊपर से पशु को पालना है, इस तरह से राष्ट्रीय नुकसान हो जायेगा। बिजली का जो संकट है वह देश का भी है। इसके बावजूद यह प्रश्न है कि उनको डेढ़ महीने में थोड़ी सी मदद नहीं करी तो सारी फसल का नष्ट होना स्वाभाविक बात है।

श्री सभापति: श्री भंवरसिंह !

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरा नाम नहीं जानते हैं। शायद आपको मेरा नाम मालूम नहीं है।

श्री सभापति : आपका नाम आ जायगा।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, काश्तकारों को जो बिजली सप्लाई की जा रही है उसमें कई जगह ऐसी हालत होती है कि ट्रांसफार्मर ओवर लोड होने के नाते जल जाते हैं। उसके लिये काश्तकार चक्कर लगाता रहता है ए. ई. एन. दफ्तर में, लेकिन वे उनको तुरन्त नहीं बदलते हैं। यह कह कर टाल देते हैं कि गाड़ी नहीं है, साधन नहीं है, लड्ढा नहीं है वगैरह वगैरह कह कर 10-5 दिन लगा देते हैं जिससे फसल चौपट हो जाती है। वास्तव में बिजली सप्लाई हो रही है लेकिन इस वजह से उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। दूसरा यह है कि काश्तकारों को जो आप बिजली देंगे, 7 घंटे देंगे, बहुत खुशी की बात है। 6 घंटे भी दें लेकिन नियमित दें और काश्तकारों को पूर्व में सूचना हो कि इस समय से इस समय तक बिजली आयेगी। काश्तकार दिन भर सजग रहता है, रात को भी जागता रहता है और जब परेशान होकर चला जाता है तब सुबह बिजली आती है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि बिजली आई या नहीं आई। इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकारों को बिजली मिलने का समय मालूम होना चाहिये। मेरे इलाके में हरिजन बस्तियों को इलेक्ट्रिफाई घोषित कर दिया है लेकिन वहां कन्डक्टर की वजह से या स्टाफ की वजह से अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो सका है। तीन साल पहले नवलगढ़ स्कीम पास हुई थी। पूरी पंचायत समिति को इलेक्ट्रिफाई घोषित

(श्री भंवर सिंह)

कर दिया गया है लेकिन चार-पांच गांव दीनाल, दाना में पोल लगाकर और तार ले जाकर छोड़ दिये और कनेक्शन एक भी काश्तकार को नहीं मिला । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल !

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, यह तो सही है कि राजस्थान में बिजली की कमी है और कमी के कारण समय पर बिजली नहीं दे सकते हैं । जो कुछ मिलती है, उतनी दे देते हैं । मेरे दो सुझाव हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया, मैं भी कहना चाहूंगा कि जब सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से यह जो मिनिमम चार्जेज निर्धारित कर रखे हैं और मिनिमम यूनिट जलाने का भी निर्धारित किया है तब हम बिजली समय पर दे नहीं पाते हैं और मिनिमम यूनिट जला नहीं पाते हैं तो काश्तकारों से उसका पूरा चार्ज वसूल करने का भी एक न्याय होना चाहिये । बिजली नहीं मिलने के कारण हम खुद भी पूरी यूनिट नहीं जला पाते हैं । इसलिये पूरा चार्ज लेने का प्रश्न नहीं होना चाहिये । जिस तरह बिजली कम दी जाती है उसी तरह मिनिमम चार्ज में राहत दी जानी चाहिये ।

दूसरा, वोल्टेज कम ज्यादा हो जाता है । बिजली चालू है, तो कभी वोल्टेज कम हो जाता है, तो कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाता है । यह बिजली विभाग की कमी के कारण वोल्टेज कम ज्यादा होता है और उससे मोटरें जल जाती हैं । इससे किसान को नुकसान होता है । एक तरफ हम कहते हैं किसानों को बिजली देंगे, वह मोटर खरीदें । गरीब आदिवासी किसान किसी तरह मोटर खरीदता है और रात को बिजली आये नहीं आये, यह वह कुदरत का खेल समझता है । लेकिन जो इस तरह का नुकसान हो जाता है वह उसकी कमी के कारण नहीं हमारी कमी के कारण होता है, बिजली विभाग की कमी के कारण होता है । इसलिये उनको मोटर का मुआवजा मिलना चाहिये । यह सही है कि समय पर जाकर वह खेत में खड़ा रहता है, उसको मालूम नहीं है बिजली कब आवेगी । सारी रात-दिन वह देखता रहता है कि कब बिजली आये, कब बिजली आये । जब बिजली आ जाती है तो वह पहुंचता नहीं क्योंकि उसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि किस समय बिजली आ गयी । उसकी दिन भर की खोटी हुई, रात खोटी हुई और काम की भी खोटी हुई । जब दिन भर खेत पर बिजली को देखता रहा तब तो बिजली आई नहीं और जब बिजली आ जाती है तो वह वहां होता नहीं है । इसलिये मैं चाहूंगा इन दो पाइन्ट्स पर बिजली बोर्ड के कारण जो नुकसान होता है उसका मुआवजा दिया जाना चाहिये ।

श्री सभापति : श्री तेजपाल यादव !

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, बिजली आज किसान के लिये जीवन-मरण और पेट पालन का प्रश्न हो गया है । बिजली बोर्ड का जिस तरह से ढर्रा चल रहा है और बिजली बोर्ड का जो रवैया, विशेषकर ग्रामीण जनता के प्रति जिस तरह का है वह ठीक नहीं है । पहले भी बड़ा भारी किसानों का प्रदर्शन हुआ था, आज भी हो रहा है । हालांकि

(श्री तेजपाल यादव)

तनख्वाह लेने वाले व व्यापारी कभी-कभी यहां आकर प्रदर्शन कर देते हैं परन्तु किसान का लगातार धरना कभी भी हमने हमारी जिन्दगी में नहीं देखा, विधान सभा के बाहर आज धरना दिया जा रहा है। लगातार धरना दिया जा रहा है। इस साल में दो बार किसानों के प्रदर्शन हुए। वह क्यों हुए? यह एक सबसे मोटी समस्या बिजली की है। बिजली के मामले में आज माननीय मंत्री महोदया ने जो वक्तव्य दिया है उस संबंध में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि जिन लाइनों से किसान के कुओं को जो बिजली मिलती है उनको तो वह केवल तीन घंटे ही चालू रखते हैं। 24 घंटे में से कभी 4 घंटे और कभी 5 घंटे भी दे देते हैं। कभी अखबारों में निकाल देते हैं तो भी उनको टाइम टेबल से बिजली नहीं देते हैं। कागजों में इन्डस्ट्रियल लोड और दूसरे लोड अलग-अलग बांट रखे हैं। फैक्ट्री को बिजली बन्द कर रखी है लेकिन उनकी लाइनों में बिजली प्रवाह है और वह प्रवाह 24 घंटे रहता है जबकि किसान को बिजली केवल तीन घंटे, चार घंटे, पांच घंटे देते हैं। जो भी देते हैं उतना ही उनकी लाइनों में प्रवाह रहता है। तो एक मायने में किसानों पर तो बिजली की कटौती है और दूसरी तरफ उद्योग धन्धे वालों पर कोई कटौती नहीं है। केवल कागजों में ही कटौती है। मीटर में मत बतावो, बिजली चाहे जितनी लो। तो जो कटौती है उससे दो फायदे मिल रहे हैं। एक तो बिजली मिल रही है, पूरी बिजली मिल रही है और दूसरा फायदा यह है कि बिना पैसे बिजली मिल रही है। किसानों के लिये कटौती है, उनकी लाइनों में तो प्रवाह है केवल तीन घंटे, चार घंटे, या पांच घंटे, बाकी समय बिजली नहीं आती है। इधर उद्योग-पतियों को 24 घंटे लाइनों में बिजली मिल रही है।

दूसरी बात, जो बोर्ड है वह किसान विरोधी है। कभी किसान, जो फसलों का उत्पादक है, की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। अक्टूबर, नवम्बर में जब फसल को कम आवश्यकता पिलाई की होती है.....

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री तेजपाल यादव : माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि वह फसल को अगर अक्टूबर, नवम्बर में दो घंटे पानी देंगे तो फागुन में, अप्रेल, मई में 8 घंटे जरूरत पड़ेगी। जैसे सर्दी में प्यास कम लगती है तो हमको दो गिलास की जरूरत होती है और मई में जब गर्मी पड़ती है तो हमको 8 गिलासों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां तो हालत यह है कि जब हमको दो गिलास की जरूरत है तब तो 8 गिलास देते हैं और जब 8 गिलास की जरूरत है तब दो गिलास देते हैं। अक्टूबर, नवम्बर में बिजली देकर किसान का सारा पैसा बरबाद करवा दिया और आगे न देकर फसल को नष्ट करवाना है। मंत्री महोदय, इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे।

तीसरी बात, कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा, बोर्ड में घाटा है, काफी घाटा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, बोर्ड में घाटा है ......

श्री सभापति : बोर्ड के घाटे वाली बात तो बिजली बोर्ड की रिपोर्ट पर डिस्कशन के समय उठा लेना, अभी तो जो बिजली

(श्री सभापति)

अवेलेबल है उसका कैसे ज्यादा उपयोग हो सके, इस बारे में हैं ।

(व्यवधान)

श्री तेजपाल यादव : वह भी अर्ज करूंगा । दूसरा, करोड़ों रुपयों का सामान ट्रांसफार्मर, लोहा आदि इतना पड़ा है कि इनको और कर लगाने की जरूरत ही नहीं है । यह कहते हैं कि दूसरी स्टेट से सामान खरीदना पड़ता है, हमारे पास पैसा नहीं है, बोर्ड की हालत खराब है । तो दूसरी परियोजनाओं के लिये पैसा कहां से लाओगे ? फण्ड्स की कमी है । फण्ड्स की कमी तो आयेगी क्योंकि इनके इतने सारे तो ऑडिट एतराज लगे हुए हैं । अभी भी सामान पड़ा है अरबों खरबों का । दूसरा, यह बिजली की सप्लाई की बात कहते हैं । अगर सरकार यह मन बना ले कि किसानों की फसल बचानी है तो कोई ताकत नहीं जो 8-9 लाख यूनिट बिजली किसानों को देने से रोके । आज एक घंटे में 8 लाख यूनिट बिजली का कन्जम्पशन है जब कि सौ-सवा सौ बच रही है । अगर यह किसानों की फसल बचाना चाहते हैं तो 10-12 घंटे आसानी से बिजली दे सकते हैं । इसके बारे में यह जवाब दे दें कि क्या हम किसानों को 10 घंटे बिजली एक बार पहुंचा कर...

(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी आज विराजे हुए हैं...

(व्यवधान)

एक बार दो साल पहले भी संकट आया था उस टाइम 62 लाख यूनिट की अवेलेबिलिटी थी......

श्री सभापति : आपने तो भाषण देना शुरू कर दिया ।

श्री तेजपाल यादव : नहीं । मैं अर्ज करूं, उस टाइम भी यह हुआ था कि हम 7 घंटे बिजली दे सकते हैं । आज जब 200 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली है तो क्या वजह है कि आप 10 घंटे बिजली नहीं दे सकते ? 80 लाख यूनिट भी दे दें तो किसानों को कम से कम 10 घंटे बिजली मिल सकती है ।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय श्री महावीर प्रसाद ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय विद्युत् मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या विभिन्न उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के पर्सेन्टेज में कृषि उपभोक्ताओं का पर्सेन्टेज कम होता जा रहा है ? केवल इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं कि हम किसानों को बिजली दे रहे हैं लेकिन उन घोषणाओं के बावजूद 1980-81 में जो सिंचाई और कृषि को दी जाने वाली बिजली का पर्सेन्टेज 34.25 था वह लगातार गिरता जा रहा है । 1981-82 में 25.46 पर्सेन्ट हुआ और 1982-83 में वह पर्सेन्टेज और भी कम है । तो घोषणा करने में और विद्युत देने में जो इस प्रकार की असमानता है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं । दूसरा निवेदन यह है कि जब उपभोक्ताओं और बोर्ड के बीच में कमिटमेंट है फिर भी, उनसे न्यूनतम चार्ज लेने के बाद बिजली नहीं दी जाती तो क्या इसके लिये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दोषी नहीं है ? यदि है, तो क्या विद्युत् मंत्रीजी यह घोषणा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

करेंगे कि उपभोग के अलावा किये गये न्यूनतम चार्ज को वापस लौटायेंगे ? होना तो यह चाहिये कि जिनको हम बिजली नहीं दे पाये हैं, उनको मुआवजा दें। जिस प्रकार उपभोक्ता के ऊपर यह बर्डन है कि उसको न्यूनतम चार्ज देना पड़ेगा, चाहे बिजली जलाये या नहीं, उसी प्रकार बोर्ड पर भी यह बर्डन होना चाहिये कि उपभोक्ता ले या नहीं, हम बिजली देंगे। हम चाहते हैं कि किसानों पर दण्ड नहीं लगायें और उनका पैसा वापस लौटाया जाय। दूसरा, यह निश्चित बात है कि पावर स्टेशन कम हैं और उसके मुकाबले में मांग ज्यादा है। इसके लिये मुख्य मंत्रीजी ने कई वार इस प्रकार की घोषणाएं की हैं कि जगह जगह पर पावर स्टेशन लगाये जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद कौन-कौन से ऐसे उपयुक्त स्थान पाये गये और उन पर कितनी कितनी राशि खर्च करेंगे ? तीसरा, मैं यह पूछता हूं कि क्या सवाई माधोपुर में इसके लिये उपयुक्त स्थान है ? सभापति महोदय, वहां पर सर्वे हुआ है कि वहां पर 60-60 मेगावाट के दो प्लान्ट लग सकते हैं, उनका कब तक काम शुरू हो जायगा ?

श्री सभापति : बस। माननीय सदस्य, काफी सवाल पूछ लिये।

श्री रामकंवार बैरवा !

श्री महावीरप्रसाद जैन : नहीं। चौथी बात यह है कि बिना नोटिफिकेशन और पूर्व सूचना के बिजली काट दी जाती है, उसके कारण जो अनिश्चितता रहती है इसकी क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? चाहे वह कृषि उपभोक्ता हो या उद्योगपति, बिना किसी नोटिफिकेशन और पूर्व सूचना के उसकी विद्युत् काट दी जाती है और उसके बाद कहते हैं कि सप्लाई दे रहे हैं......

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी, माननीय सदस्यों ने......

श्री महावीरप्रसाद जैन : फिर उनसे मिनिमम......

(व्यवधान)

मैं जानता हूं माननीय मंत्री महोदया यह कहेंगी कि फ्लेट रेट की 130—135 घंटे बिजली हम दे रहे हैं लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय पर बिजली देते हैं जब किसान को मालूम भी नहीं होता है। तो मैं अपेक्षा करता हूं

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकंवार।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, इस मामले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली कम मिलती है। बिजली तो कम मिलती ही है लेकिन इसके साथ साथ कर्मचारियों की मोनोपोली से भी अव्यवस्था हो रही है। सभापति महोदय, बिजली की कमी की वजह से किसान के खेत की पैदावार दिन प्रति दिन घटती जा रही है और अब पता नहीं उसका क्या हाल होगा। किसान में असंतोष है। चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसमें असंतोष बढ़ रहा है। जहां कहीं भी आप जायेंगे, आप के क्षेत्र में भी पधारे होंगे तो अनेक शिकायतें मिली होंगी, बिजली के मामले में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार की तरफ से वक्तव्य आ गया है। आपको कोई सवाल पूछने हों तो सवाल पूछ लीजिये। भाषण कहां.......

श्री रामकंवार बेरवा: मेरा निवेदन है, मैं 2–3 छोटे छोटे सुझाव देना चाहता हूं। किसान को आन्दोलन करके विधान सभा के सामने धरना देने की नौबत नहीं आये, इसके लिये सरकार को खुद ओटोमैटिकली विचार करना चाहिये कि इस समस्या को किस तरह सुलझाया जाये और किस प्रकार इसका समाधान करके अब किसान के पास यह खबर पहुंचायें कि इस व्यवस्था से हमको काम लेना है। दूसरा, मेरा निवेदन है कि जो 7 घंटे बिजली देने की मंत्री महोदय ने घोषणा की है, वह खुशी की बात है। एक डेढ़ महीने का समय है, इस वक्त अगर किसान को खेत में पानी मिल जायेगा तो खेती अच्छी तरह से पक सकेगी। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कई जगह ऐसी हैं जहां 7 घंटे बराबर पानी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। 7 घंटे आप बिजली चालू रखेंगे तो जिन इलाकों में पानी कम है वहां 7 घंटे कुआं नहीं चल सकता है। इसमें मेरा सुझाव है कि प्रातः 5 से 9 तक 4 घंटे तक बिजली दी जाय और एक समय तीन घंटे और दी जाय। यानि उसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाय ताकि उनके कुओं में पानी बढ़ जाय और उसको वह फिर काम में ले सकें।

यही कह कर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बिजली कर्मचारियों की 57 दिन की हड़ताल का उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। सभापति महोदय, अनेक कर्मचारी मेरे और अन्य सदस्यों के पास भी आते जाते हैं। छोटे-छोटे कर्मचारी इसमें फंस रहे हैं। मंत्री महोदय को इस प्रश्न का भी जवाब देना चाहिये कि कब तक पेमेंट कर देंगे। यह हड़ताल का मामला ऐसा है कि कुछ लोग चाहे छोटी तनख्वाह वाले हों फिर भी हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर का दबाव होता है और उन लोगों को पकड़ लेते हैं, रोकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उन कर्मचारियों की तनख्वाह का भी शीघ्र से शीघ्र उनको पेमेंट कराया जाय।

(2.38 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर अधिक चर्चा नहीं होगी। चर्चा का यह विषय ही नहीं था। मैंने निवेदन किया था इस उद्देश्य से ही यह वक्तव्य रखवाया था कि बिजली की स्थिति के मामले में सरकार क्या सोचती है...

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : सिर्फ दो सुझाव हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक शर्त रखी थी कि जो माननीय सदस्य बोलते हैं वह अगर मंत्री के ओहदे पर हों तो क्या कर सकते हैं, उस दृष्टि से सुझाव देने की कृपा करें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आज जो बिजली की विषम परिस्थिति है उसको देखते हुए सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं, जैसा मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, उनसे वह संतुष्ट हैं क्या ? आज बुआई हो चुकी है और जैसा

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

आपने अभी कहा कि 7 घंटे आज से बिजली मिलेगी, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो कह दें कि संतुष्ट हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है, सदन में पहले चर्चा उठी थी कि किसानों को जनरेटर सैट पर सब्सिडी दी जाय, उस वक्त मंत्री महोदया कृषि मंत्री थी, अब ऊर्जा मंत्री हैं, तो इस पर उनका क्या विचार है ? दूसरा, मेरा निवेदन हैं, मंत्री महोदया ने ऊर्जा मंत्री बनने के बाद एक काम में बहुत तत्परता दिखाई, शाहपुरा को 132 के. वी. लाइन से जुड़वा दिया जिसका बजट या प्लान में कोई नाम नहीं था। चूंकि मंत्री महोदया इस पद पर बैठ गयी थीं इसलिये 132 के. वी. लाइन से जुड़वा दिया । क्या इसी प्रकार की तत्परता इन किसानों की स्थिति को देखते हुए 10 घंटे बिजली देने के लिये मन्त्री महोदया दिखाएंगी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया ।

श्री मोहनलाल मोदी : (नीम-का-थाना) अध्यक्ष, महोदय, एक प्रश्न है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब भाषण नहीं होंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पावर मिनिस्टर की कल्पना करके बोलूंगा । मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं ....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से एक ही जानकारी चाह रहा हूं कि आपके वोल्टेज के सही नहीं आने के कारण से किसानों की, यह जो पचास-पचास मोटरें एक साथ जल जाती हैं उनके लिये आप किसानों को मुआवजा देने की सोच रही हैं या नहीं ? उसकी क्या व्यवस्था करने जा रही हैं ? एक तो मेरा यह प्रश्न है । एक और निवेदन है कि 132 के. वी. का सब ग्रिड स्टेशन, जो नीमका-थाना में बनाने जा रहे थे और वह नहीं .....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।

श्री मोहनलाल मोदी : अलग से प्रश्न नहीं है इसी से जुड़ा हुआ है । वह बनाने से आपने रोक दिया उसके कारण वोल्टेज सही नहीं आने से, ही किसानों की मोटरें जल रही हैं, क्या यह सही है ?

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी थी कि हम राजस्थान में छः स्टीम स्टेशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं । इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था, तो छः स्टीम स्टेशन लगाने का क्या प्रयास किया ?

श्री अध्यक्ष : अलग अलग स्टेशनों के प्रश्न यहां पर नहीं आयेंगे, माननीय सदस्य । यह बिजली सप्लाई के बारे में था। बिजली सप्लाई में वैसे ट्रांसफार्मर्स वगैराह सब आते हैं, सभी स्टेशन, लाइनें आती हैं लेकिन उनके ऊपर सीमित माध्यम से कैसे चर्चा कर सकते हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
महोदया से पूछना चाहूंगा, नम्बर एक, क्या माननीय मंत्री महोदया मध्य प्रदेश से अपने हिस्से की पूरी बिजली लायेंगी ? आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमको गांधी सागर से बिजली नहीं मिल रही। सतपुड़ा से भी हम अपनी बिजली नहीं ले पा रहे हैं। तो उज्जैन और गांधीसागर से ट्राई करें, यह मेरा निवेदन है। इसको लायेंगे ? प्रश्न नम्बर वन।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है, जैसा आपने कहा, पांच घंटे या सात घंटे का कहा है, क्या किसानों को वहां बैठे हुए पता है कि इन पांच घंटों में मुझे बिजली मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष : किसान वहीं बैठा रहता है। ज्यों ही बत्ती हुई, बिजली आ गई, काम चालू कर देता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिये मैं चाहता हूं, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदया से ....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि वहां पर एक बल्ब लगा रहता है। किसान रात दिन उसकी तरफ देखता रहता है, ज्यों ही बिजली आई एकदम एक्टीव होकर चले जाते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : समाप्त तो कर लूं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : वह तो जैसे कागला एक टुकड़े के लिये चींगता है उस तरह से किसान चींगता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि आप कृपया फीडर्स के हिसाब से, रीडर्स के हिसाब से प्रापरली अनाउन्स करें कि कल के दिन किस क्षेत्र में किसान को किस समय पांच घंटे, सात घंटे बिजली मिलेगी। इसकी निश्चितता हो जावे।

तीसरा सवाल, मिनिमम चार्जेज जो तय किये हैं वह इस हिसाब से किये हैं कि आठ घंटे बिजली मिलेगी ....

श्री अध्यक्ष : वह पौने दो या दो घंटे का पिछली साल अपन ने हिसाब देखा था। बिजली विभाग ने यह बता दिया था कि इतने समय तक बिजली मिले, दो या ढाई घंटे बिजली मिले तो उसमें पूरा हो जाता है। उनका कहना यह है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ऐसा नहीं है। मिनिमम चार्जेज का मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलती तो आठ घंटे हैं ....

श्री अध्यक्ष : फ्लेट रेट है वह, सॉरी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं तो मिनिमम चार्जेज की बात कर रहा हूं कि हम आठ घंटे देंगे। अगर बिजली दो घंटे ही मिले तो भी आठ घंटे का चार्ज लगेगा। मेरा निवेदन है कि आठ घंटे के लिये मिनिमम चार्जेज हैं। अगर आप आठ घंटे के बजाय चार घंटे देते हैं तो उसका मेजरमेंट होना चाहिये। उसके अनुसार मिनिमम चार्जेज का रिडक्शन होना चाहिये। फ्लेट रेट के बारे में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, चार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

घंटे का है। पीक डेज में उसके लिये साढ़े छः घंटे का है। मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के दिन होते हैं जब बिजली की जरूरत ही नहीं होती किसान को, किन्तु जो पीक डेज हैं उस समय भी उसको अगर साढ़े छः घंटे बिजली नहीं मिले तो उसके अनुसार शा रिवशन होना चाहिये।

चौथा सवाल मेरा एक और है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो आपने जो कहा कि मंत्री होने के नाते क्या होना चाहिये, केवल इसलिये निवेदन कर रहा हूं। जवाब दे दें मंत्री महोदया।

चौथा, मैं कहना चाहता हूं कि ओवर लोडेड ट्रांसफार्मर्स हैं उनके आगमेंटेशन की अविलम्ब व्यवस्था कराइये, वरना आप कहेंगी कि पांच घंटे दे रहे हैं और बिजली पहुंचेगी नहीं। शार्ट फाल हो जायेगा। बस, मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि अणु विद्युत् परियोजना के बन्द होने के कारण जो राजस्थान में बिजली की समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिये क्या राज्य सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि भारत सरकार, जो अणु विद्युत् परियोजना का नियंत्रण कर रही है, से कहें कि जब वहां से बिजली, जिसके ऊपर राजस्थान की इण्डस्ट्री और एग्रीकल्चर का सारा डवलपमेंट बेस्ड है, नहीं मिले तो उस कमी की पूर्ति करने के लिये सिंगरोली, जहां से पचास पर्सेंट कमिटेड है और पचास पर्सेंट भारत सरकार के हाथ में है, से हमें बिजली मिले। क्या भारत सरकार को राज्य सरकार इस सम्बन्ध में लिखेगी और प्रयास करेगी कि एटामिक पावर प्रोजेक्ट चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारा सारा डवलपमेंट इस पर बेस्ड है, यदि यहां से बिजली नहीं मिलती तो सिंगरोली, जहां से भारत सरकार को पचास प्रतिशत बिजली मिल रही है, से हमारी पूर्ति की जावे?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने सतपुड़ा, गांधीसागर, भाखरा, पोंग, यह सब कुछ बता कर कहा कि इतना बिजली का उत्पादन होता है उसमें से इतना हमें मिली। मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या आप आंकड़ों से यह बात बता सकती हैं कि जनरेशन में हमारा जितना हिस्सा है, उतना हिस्सा हमें मिलता है या नहीं? मैं दो ही प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला (ऊर्जा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य के सिलसिले में कुछ स्पष्टीकरण, कुछ सुझाव, कुछ परेशानियां, दिक्कतों के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी संख्या में अपना पार्टिसिपेशन किया है, मैं उनके लिये बहुत बहुत आभारी हूं। मैं जो-जो बातें खासतौर से माननीय सदस्यों ने इसके दौरान में उठाई

(श्रीमती कमला)
हैं उसके बारे में एक-एक करके स्पष्टीकरण करना चाहूंगी।

एक माननीय सदस्य ने दो-तीन बातें प्रस्तुत कीं कि विद्युत् बोर्ड में जन प्रतिनिधियों और किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिए इसकी जो फंक्शनिंग है वह उस दृष्टि से सही नहीं हो पाती है। आज के दिन जो विद्युत् बोर्ड का गठन है उसमें स्पष्ट तौर से कोई उल्लेख तो नहीं है लेकिन कोई पाबन्दी भी नहीं है। इसलिए हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जन प्रतिनिधियों और किसानों का प्रतिनिधित्व रखा जावे। इसके अलावा जो हमारी स्टेट लेवल की विद्युत एडवाइजरी कमेटी है, कौंसिल है, उसमें अन्य सदस्यों के अलावा जन प्रतिनिधि भी रखे हुए हैं और विद्युत् के उपभोक्ताओं का भी प्रतिनिधि रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रावजी तक बैठे होंगे उसमें।

श्रीमती कमला : वह कोई भी बैठे हों लेकिन प्रतिनिधित्व का प्रावधान उसमें है। पूर्व में किन को प्रतिनिधि के तौर पर बैठाया गया, यह एक अलग बात है। इसके अलावा रीजनल लेवल पर हम कुछ एडवाइजरी कमेटीज बनाने जा रहे हैं जिनमें विधायकों, प्रधानों और किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने जा रहे हैं। जल्दी ही यह कमेटियां बनाने की तैयारी में हम लोग हैं। मैं आप लोगों से उसमें सलाह करूंगी।

इसके अलावा एक बात उन्होंने कही कि बोर्ड के कार्यों में काफी गड़बड़ है, नियमितता नहीं है, बहुत सारा वेस्टेज है और कार्य प्रणाली भी कठिन है इसलिये इसको सरल किया जाये। बहुत सारे मामलों में इस तरह की शिकायतें आई हैं, ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं तो जल्दी से रिप्लेसमेंट नहीं होते, रिपेयर नहीं होते। बहुत सारा सामान है उसका न तो डिस्पोजल होता है न यूटिलाइजेशन होता है, मीटर्स के मामले हैं मीटर्स जल जाते हैं उसका पैसा भी लगता है, उनके रिप्लेसमेंट के लिये फिर वापस पैसा लेते हैं और वह भी काफी तादाद में खराब हुए पड़े हैं। तो इस तरह की बातों के लिये मैंने चार्ज लेने के बाद में अलग-अलग जिलों में, डिविजन्स में मीटिंग्स करने के बाद में स्टेट लेवल पर काफी डिटेल में पंचायतवाइज एक बैठक अधिकारियों की ली थी उसमें कौन कौन सी योजनायें कब से चल रही हैं, क्यों पड़ी हैं, क्यों अधूरी हैं, कैसे पूरी होनी हैं, कहां-कहां पर कितनी रिडन्डेंट लाइनें पड़ी हैं, कहां पर खराब ट्रांसफार्मर्स पड़े हैं और किस तरह से सिस्टम को आगमेंट करना है, स्ट्रेंदन करना है, कहां कहां पर और सब-स्टेशन्स बनाने हैं, ट्रांसफार्मर्स रखने हैं, यह सारा डिस्कस किया। उसके बाद में दो तीन बातों में खास तौर से सुधार हुआ है। एक तो यह कि ऐसे ट्रांसफार्मर्स जो पहले अल्यूमीनियम आदि धातुओं से बन कर आये हैं, जो आज की स्थिति में उपयोगी नहीं हैं और जिनकी रिपेयर भी संभव नहीं है, उनको ऑक्शन करने और जो बाद के ट्रांसफार्मर्स हैं उन सब को टेंडर्स लेकर सुधरवाने, रिपेयर कराने की व्यवस्था तत्परता से कर रहे हैं। अगर नये खरीदने में और सुधार कराने में काफी फर्क है तो उस तरह की व्यवस्था हम तत्परता से कर रहे हैं। उसकी कार्यवाही करीब करीब पूरी की जा चुकी

(श्रीमती कमला)

है । इस प्रकार जो ट्रांसफार्मर्स खराब पड़े हैं, उनका हम उपयोग कर सकेंगे । चूंकि काफी लम्बे समय से यह खराब होते आ रहे हैं और पड़े रहे हैं. उनके रिपेयर की व्यवस्था नहीं की जा सकी इसलिये इसमें काफी समय लगेगा लेकिन एक प्रोसेस उसका शुरू कर दिया है ।

इसी तरह से सिस्टम को आगमेंट करने का एक बहुत व्यापक तौर पर कार्यक्रम हाथ में लिया है । जहां पर लाइन लॉसेज बहुत आ रहे हैं और बहुत लम्बी लम्बी लाइनें खिंची हुई हैं उनके बीच में सब-स्टेशन्स की जरूरत है वहां पर 11 के. वी. की लाइनें निकालनी हैं या जहां पर ट्रांसफार्मर्स ओवर लोडेड हैं और वहां पर ट्रांसफार्मर और रखने हैं, तो उसका सारा एक नक्शा तैयार करके हमने इस बात का तय किया है कि इस काम को तत्परता से करें जिससे कि हमारे लाइन लॉसेज कम हों । काश्त-कारों और कन्जूमर को जो परेशानी होती है, बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है तो उसके लिये भी इस कार्यवाही को हम गंभीरता से और तत्परता से करने जा रहे हैं । लेकिन हमारे सामने वित्तीय प्रॉब्लम है । राज्य के भयंकर वित्तीय संकट को देखते हुए हमारे इन ट्रांसमीशन, सब-ट्रांसमीशन, सब-स्टेशन और डिस्ट्रिब्यूशन के सारे सिस्टम का कुछ पैसा कटौती हुआ 82-83 का । उसके कारण हमको कितनी क्या और कमी करनी पड़ेगी, यह जरूर देखने की बात है । फिर भी हम यह चाहते हैं, बजाय इसके कि हम नया काम ज्यादा फैलायें, हम पुराने काम को स्ट्रेंदन करें और जितने भी लॉसेज हमारे हो रहे हैं उनको हम तत्परता से सही करें । हम बराबर इसमें लगे हुए हैं ।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी जितनी भी पेयजल योजनायें हैं, उनमें बिजली की सप्लाई पूरी नहीं होने के कारण से यह सारी की सारी वाटर स्कीम्स, जो इतने खर्चे से बनी हैं बड़ी बड़ी लम्बी लाइनें डाल कर गांवों तक पहुंचाई गई हैं, फेल हो रही हैं । पैसे की कटौती की तो दिक्कत है ही लेकिन पानी की भी काफी दिक्कत है । मैं आपसे इस मौके पर यही निवेदन कर सकती हूं, जितने भी वाटर कनेक्शन हैं, या जितनी जल प्रदाय योजनायें हैं उन पर किसी प्रकार की कटौती नहीं है । वह असेन्शियल सर्वि-सेज में आती हैं इसलिये उनको बिजली पूरी सप्लाई की जाती है । आपके यहां चूंकि व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं की गई है, यह की जानी चाहिये । इसमें काफी कमी रही है, जैसा कि आप लोगों ने बताया । मैं इसको देखूंगी । सब जगह चाहे अरबन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, जो जल प्रदाय योजनायें हैं उनको बिजली की आव-श्यकता की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति की जाय, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाय, यह आदेश है, प्रावधान है, लेकिन अगर कहीं इसकी अनुपालना नहीं हुई तो उसको हम देखेंगे ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : सेपरेट लाइन का मामला है ।

श्रीमती कमला : सेपरेट लाइन की या कहीं और कुछ बात है तो अलग से बात करेंगे ।

श्री रामसिंह विश्नोई : पी. एच. ई. डी. से पैसे जमा होने के बावजूद सेपरेट लाइन नहीं डाली गई है।

श्री रामनारायण डूडी : केवल फिटिंग लाने के लिये......

श्रीमती कमला : आप अलग से चर्चा कर लीजिये इस बात की, कहां सेपरेट लाइन डालने से उसका प्रावधान सही रहेगा। लेकिन जो प्रावधान किया हुआ है बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से वह यह है कि जलदाय योजनाओं को पूरी बिजली दी जाय, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाय।

दूसरा आपने कहा, सात घंटे आपने कह तो दिया लेकिन सात घंटे लगातार कहीं आवश्यकता नहीं है तो उसको आपको दो टुकड़ों में देनी चाहिये। यह सात घंटे का सवाल नहीं है। पहले भी यह व्यवस्था है, तमाम अधिकारियों को इस बात के लिये पाबंद किया हुआ है कि जिस इलाके में जितना वाटर लेवल, वाटर अवेलेबिलिटी है, जितनी देर तक वह एक बार चला सकते हैं उतनी देर तक एक बार में दें। अगर दुबारा बीच में मार्जिन देकर चलाने की जरूरत है तो दुबारा उनको दे दें। उसके मुताबिक ही उस एरिया का, ब्लॉक का शिड्यूल बना कर दें।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने इस बात को मानलिया, दो टुकड़ों में कतई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा नहीं पहुचायें। माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : कई माननीय सदस्यों ने यह कहा, काश्तकार सारे वक्त वहीं खेत में बैठा रहता है, कब बिजली आवे कब चलाये। यह तो मैं समझती हूं, किसी एरिया में शायद व्यवस्था की गड़बड़ होगी या माननीय सदस्यगण को पूरी जानकारी नहीं होगी...

श्री अध्यक्ष : किसान जाता कहां है? किसान तो खेत में ही रहता है।

श्रीमती कमला : यह अखबारों के जरिये उस एरिया के अन्दर पूरी तौर पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि इन-इन ब्लॉक के अन्दर, इन इन एरिया को इस समय से इस समय तक बिजली दी जायेगी। यह नहीं है आपको जो......

अनेक माननीय सदस्य : यह कहीं नहीं की जाती है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बाधा न डालें, माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर।

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये, किसी एरिया में आपको जानकारी नहीं हो तो जानकारी......

श्री रामसिंह विश्नोई : ......रात को दी जाती है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : रात को ही दी जायगी, साहब....

श्रीमती कमला : मैं इस बात को नहीं मानती। सारे राजस्थान में......

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती कमला : ब्लॉक वाइज सारा सिस्टम ऑपरेट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह रात और दिन वालों की है। ठीक है, रात में कठिनाई होती है लेकिन आप जानते हैं जब नहर चलती है तो वह रात को बन्द होती है क्या ? आप जानते हैं कि पाणत के अन्दर असली जो बढ़िया काश्तकार होता है वह रात को प्रिफर करता है। रात को पानी ज्यादा चलता है, अच्छा चलता है। यह खाली दिन-दिन में तो जिनका खेती का पेशा नहीं है वह सोचें कि रात को मजदूर आयेंगे नहीं, उनको कठिनाई हो सकती है।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

यह कठिनाई कई जगह वास्तव में होगी।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा सिस्टम ब्लॉक वाइज ऑपरेट होता है। जितने घंटे की बिजली दी जाती है, उतने घंटों में ब्लॉक बनाये जाते हैं। सात दिन के ब्लॉक बनते हैं। सात दिन जिनको रात में मिली, उनको फिर सात दिन दिन में मिलेगी। जिनको सात दिन दिन में मिली थी उनको फिर सात दिन रात में मिलेगी ही। इस तरह से बाई रोटेशन सारे स्टेट के अन्दर ब्लॉक वाइज यह ऑपरेट हो रहा है। किसी जगह अधिकारियों की गलती से यह हो रहा हो और आपकी जानकारी से आप यह मानते हों, आप बतायेंगे तो इसको हम और ज्यादा अच्छी तरह से रेगुलेट करवायेंगे।

इसके अलावा, एक माननीय सदस्य ने इस बात को कहा, उसके बाद पांच-सात और माननीय सदस्यों ने भी कहा, आप मिनिमम चार्जेज लेते हैं, फ्लेट रेट आपने कायम कर रखी है उसके बावजूद आप पूरी बिजली नहीं देते हैं तो आपको उसमें मुआवजा देना चाहिये या उतना रिड्यूस करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर जो मिनिमम चार्जेज का शिड्यूल बनाया हुआ है, उसके मुताबिक स्थिति इस प्रकार से है। जिनके 90 रुपये मिनिमम चार्जेज है, अगर 1.57 घंटा मीटर चल जाता है तो उनकी पूर्ति हो जाती है। जिसको 100 रुपया मिनिमम चार्जेज देना है उसका अगर 1.74 घण्टा मीटर चल जाय तो उसकी पूर्ति हो जाती है, इसी तरह 140 रुपया जिसके मिनिमम चार्जेज हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती कमला : सुनिये तो सही।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह केलकुलेशन का विषय नहीं है, आप केलकुलेट करके बता रही हैं। मिनिमम चार्जेज की जो डेफिनेशन है उसके अनुसार क्या होना चाहिये, यह बतायें ? केलकुलेट करके मत बताइये।

श्रीमती कमला : आप सुनिये पहले। जो आपको बात पूछनी है इसके बाद पूछना।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, इसके विस्तार में नहीं जायं। मैंने जैसा पूर्व में ही निवेदन किया था, यह चर्चा इसलिये करवायी थी कि राजस्थान में अभी सिंचाई का पीक सीजन चल रहा है, बिजली की भी आप जानते हैं कमी है। ऐसे समय किस तरह से बिजली बोर्ड और राज्य सर-

(श्री अध्यक्ष)
कार इस कठिनाई से मुकाबला करना चाहती है, उस तरह की चर्चा थी। इतने विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, सदन के सामने। यह कोई अदालत तो है नहीं कि सब विचार बिन्दू तय होंगे। फिर दोनों पक्ष की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया जायगा। उसके बाद में हर बिन्दू पर फिर विचार होगा। ऐसा कुछ नहीं है। दो घंटे का टाइम इसमें लग गया। जितनी भी बातें आ सकती थीं आ गईं। बहुत सी बातें बाकी रहतीं हैं उनका यहां निर्णय थोड़े ही होता है, या अन्त थोड़े ही होता है। ठीक है, यह आपने कह दिया। अब आप मुख्य-मुख्य बातें बता दें। आप इसके विस्तार में नहीं जायें, कृपया। समय काफी हो गया है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है, मैं हरएक आइटम नहीं बताऊंगी, लेकिन मिनिमम चार्जेज के हिसाब से ....

श्री अध्यक्ष : समझे हुए हैं। मिनिमम चार्जेज के बारे में। ठीक है, अगर बिजली में इतनी खराबी होती तो लोग-बाग आते, कहते बिजली दिला दो। हम कहते कि बिजली मिलेगी नहीं। वह कहते, दो घंटे मिलेगी, तो ही बहुत फायदा है। तो यह फायदे का सौदा है इसलिये इतना कर रहे हैं। इसलिये इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। यह तो कठिनाइयां हैं उनके लिये आप कोशिश कर रही हैं, विभाग कोशिश कर रहा है। सब ठीक हो जायगा। बरसात हो जायगी तो यह विद्युत् गृह चालू हो जायेंगे। आप, कृपया, जल्दी समाप्त कर दें।

श्रीमती कमला : मैं पांच-सात मिनट में जवाब दे देती हूं।

दूसरी बात, विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो हमारे राजस्थान का हिस्सा है वह मध्य प्रदेश से आप अपनी अक्षमता से नहीं ला पाईं। आप बताइये, आप उसको कब ला पायेंगी। आप नहीं ला पाईं, इससे राजस्थान को बहुत नुकसान हो गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूं, मुझसे पहले बहुत सक्षम लोग, काफी ऊंचे सक्षम लोग इस विभाग को डील करते आ रहे हैं। इसके बारे में हाउस में और बाहर काफी कोशिशें की जा चुकी हैं। मैं तो जुम्मा-जुम्मा दो दिन से इस काम पर बैठी हूं। तो आप मुझसे अपेक्षा रखने के बजाय पहले पड़ौसी से तो पूछें, भाई, आप क्यों नहीं कर पाये। इसलिये मैं आपसे इतना ही कह सकती हूं, जो मुझसे प्रयत्न संभव होगा वह मैं बराबर करूंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस पड़ौसी से पूछूं या उस पड़ौसी से पूछूं। वे भी रहे हैं।

श्रीमती कमला : इसके अलावा जो एक खास चीज माननीय सदस्य ने उठाई थी वह यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बहुत सारी लोकेलिटीज में उन लोगों के पर्सनल कनेक्शन अभी पैंडिंग हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन्स रखी हुई हैं। मेरा निवेदन है, आपको भी जानकारी है, सरकार के प्रावधानों के मुताबिक और डायरेक्शंस के मुताबिक सभी स्कीम्स के अन्दर, सभी कामों के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मार्जिनल फार्मर, स्माल फार्मर को

(श्रीमती कमला)

प्रायोरिटी दी जा रही है। उनकी जो लोके-लिटीज हैं उनको प्रायोरिटी से इलेक्ट्रिफाई किया जाये, इसके लिये पाबन्दी है। बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को पूरा भी किया गया है। जो बाकी है उसको भी प्राथमिकता से पूरा किये जाने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक मीटर्स का एक माननीय सदस्य ने कहा, बहुत बड़ी तादाद में उनके इलाके में हजारों घरेलू कनेक्शन के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, सिर्फ मीटर की कमी से वहां कनेक्शन नहीं मिले। मेरा निवेदन है, यह अपने आप में एक गंभीर मामला है मैं इसको देखूंगी। मीटर्स की कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके कारण कनेक्शन नहीं किये जा सकें।

एक माननीय सदस्य ने पूछा कि राजस्थान में जो विद्युत की सप्लाई है इसके अलावा हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या अन्य ऊर्जा के साधनों से ऊर्जा का उत्पादन करने जा रहे हैं? राज्यपाल महोदय के भाषण में सुना होगा, एडीशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो आज के युग के हैं, उनके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। उस संबंध में तेजी से कार्यवाही करने और प्रभावी ढंग से व्यापक काम करने के लिये एक ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से किस प्रकार से आज के युग की इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं इस कोशिश में हैं। बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज जो कमीशन काम कर रहा है इस मामले में......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गोबर गैस का काम दे दिया श्री श्रीराम जी को और ऊर्जा मंत्री उसका जवाब दे रही हैं। यह समझ में नहीं आता।

श्रीमती कमला : नहीं, गोबर गैस का ही नहीं है इसमें पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है। और उनकी वाली ऊर्जा भी चल कर तो ऊर्जा की जगह ही जायेगी।

तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर के इलाकों में और दूसरे अन्य जिलों में हमने सौर ऊर्जा का इक्विपमेंट लगाया है। राजस्थान नहर के इलाकों में काफी बड़े पैमाने पर विण्ड मिल्स स्थापित करने जा रहे हैं और बाकी इलाकों में, इन्टीग्रेटेड सिस्टम जो रीजनल सोर्सेज का है वह भी बाड़मेर के इलाकों में इंस्टाल करने जा रहे हैं। उनका उपयोग हम कर रहे हैं। उनके अनुसंधान में, उपयोग की कार्यवाही में भी हम लगे हुए हैं।

दूसरा, यह कहा जो पिछले समय में बिजली कम आई, इर्रेगुलर आई उसके कारण मोटरें जल गईं इसलिये उनका मुआवजा दीजिये, उनकी लाइनों को सही करिये, सिस्टम को आगमेंट करिये। तो मैंने उसके बारे में निवेदन किया है कि यह आगमेंटेशन का प्रोग्राम हमारी प्रायोरिटी में है और उसको हम ले रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि शाहपुरा में 132 के. वी. की लाइन सिर्फ मेरे आने के कारण से लग गई और उसका कहीं कोई प्रोविजन नहीं था। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहती हूं कि इतना संकुचित और व्यक्तिगत आक्षेप करने का मेरी समझ में कोई कारण नहीं बनता क्योंकि यह 132 के. वी. शाहपुरा की लाइन

(श्रीमती कमला)
आज से तीन वर्ष पहले ही बन जानी चाहिये थी प्रोग्राम के हिसाब से, लेकिन उसे बार बार किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते रहे इसलिये वह नहीं बन पाई। इस वर्ष तो मेरे चार्ज लेने के पहले ही काम प्रारम्भ हो चुका था। कम से कम 75 प्र. श. मेरे चार्ज लेने के पहले हो चुका था। मेरे आने के बाद तो सिर्फ 25 प्र. श. काम हुआ है। इसलिये इस प्रकार की बातें कहना, मैं समझती हूं, उचित नहीं है। इससे भी ज्यादा आपत्तिजनक एक बात माननीय सदस्य, जो नीम का थाना से आते हैं, ने कही। इस चीज का मुझे ज्ञान भी नहीं है, मालूम भी नहीं है कि मेरे नीम का थाना में 132 के. वी. का स्टेशन बनने वाला है ....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा कि 25 प्र. श. काम आपके आने के बाद हुआ है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मुझे कई बार इस तरह की बातें माननीय सदस्य कहते हैं . . .

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया बिलकुल मिथ्या भाषण कर रही हैं। मंत्री महोदया ने खुद स्वीकार किया है। तीन साल से क्यों नहीं लगा सके ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : पालिटिकल इन्फ्लुएंस काम में लेकर इस लाइन को खड़ा करवाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और है जिस पर मैंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है, जब हमारे अणु बिजली घर खराब हो जाते हैं, उनकी रिपेयर में बहुत लंबा समय लग जाता है। काफी बड़ी मात्रा में बिजली के कनेक्शन होते हैं, लगभग 35-40 लाख यूनिट रोजाना विद्युत् घर देते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। आपने सुझाव दिया कि सिंगरोली का नया तापघर लगा रहे हैं उस पर अतिरिक्त उत्पादन होने वाला है तो भारत सरकार से हमें निवेदन करना चाहिये कि हमें कुछ हिस्सा देकर हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे। मैं अपने वक्तव्य में भी कह चुकी हूं और हम इस कोशिश में भी हैं कि इसकी पूर्ति भारत सरकार से करवायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ऑर्डर। आसन पैरों पर है। सामान्य वाद-विवाद। श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ रहा है विशेष कर पश्चिमी राजस्थान, जहां से मैं और आप दोनों चुन कर आते हैं, में परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं। इन बातों को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, राजस्थान के बजट को चाहे कहीं से पलट कर

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

देखें, इस विधान सभा में पिछले 2-3 वर्षों में यह शायद सबसे अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट से चाहे गरीबों का नुकसान नहीं हुआ हो, चाहे अमीरों का नुकसान नहीं हुआ हो, लेकिन इन दोनों वर्गों को फायदा भी नहीं हुआ है। राजस्थान की जो स्थिति है उसकी ओर एक कविता के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। चन्द कविता की लाइनें हैं :—

'सड़क पर चल रहा
आदमी जल रहा
कांटों पर भटक रहा
देखो, यह कारवां हमारा
रहने को घर नहीं
खाने को अन्न नहीं
कहने को मन नहीं
फिर भी
सारा जहां हमारा

गांवों में जो गरीब लोग हैं उनकी कई मजबूरियां हैं। राजस्थान की राजधानी देखो तो जयपुर में, बड़े-बड़े कार्यालय देखो तो शहरों में। इन शहरों में रहने वाले हमारे उच्च अधिकारी, बड़े-बड़े नेता.......

(3.07 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

गांवों की ओर ध्यान कतई नहीं देते। सभापति महोदय, गांवों, जहां से हम चुन कर आते हैं, की ओर ध्यान दें। देश आजाद है, हम आजाद हैं, जरूर आजाद हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1947 में जो आजादी हमें मिली वह ऊपर से शुरू हुई थी और स्टेप बाई स्टेप नीचे आ रही है, नीचे तक अभी नहीं पहुंची है। आज गांवों में जाकर देखें, मंत्री महोदय, उच्च अधिकारी गांवों में जाकर देखें तो इस बात को महसूस करेंगे कि अंग्रेजों के समय जो गुलामी थी, जो समस्यायें उस समय विद्यमान थीं वही समस्याएं कई गांवों में, और जहां से मैं निर्वाचित होकर आता हूं उस जिले और उस संभाग में आज भी विद्यमान हैं। लोगों को सही मायने में आज भी आजादी नहीं मिली है। आज भी लोगों को पेट भरने के लिये भीख मांगनी पड़ती है, सड़कों पर फटे हाल सोना पड़ता है, धूप में झुलसना पड़ता है, बरसात में पड़े रहना पड़ता है, छप्पर उनके नसीब में नहीं है। हमारी यह सरकार, जिसको जनता वोट देकर चुनती है, सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सरकार से मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या वास्तव में हम आजाद हैं? राजस्थान का नागरिक, जो गांवों में रहता है, गरीबी में रहता है वह आजाद है, या जो शहरों में महलों की मंजिलों में, रोशनी में, अट्टालिकाओं में रहता है वह आजाद है? या गांवों में झोंपड़ों में जो ठिठुरता है ठंडी रातों में, वह आजाद है? सभापति महोदय, मुझे जवाब दिया जाय आजाद सही मायने में कौन है? आजादी किसको मिली है? दिल का दर्द जुबान पर आ ही जाता है इसमें दो राय नहीं क्योंकि हमें गांव वालों के बीच में रहना पड़ता है, उन गांवों के बीच में जाना पड़ता है। उनको देखते हैं तो हमारी आत्मा हाहाकार कर उठती है। बजट बनाते वक्त उनकी ओर थोड़ा ध्यान कम दिया होगा। मजबूरियां हो सकती हैं। ज्यादा बार दिल्ली जाना पड़ा होगा, कई काम हो सकते हैं मंत्री लोगों के।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

परन्तु इन दो लाइनों में सारी बात निहित है :—

कुछ तो होता है मोहब्बत में जुनू का असर
कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।

इस बात को ख्याल में रखकर बजट बनाया गया लगता है कि कहां टैक्स लगाओ, कहां टैक्स मत लगाओ। यहां तो जिन्दगी ही टैक्स है उन गरीबों के लिये, जो गांवों में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, जो अकाल राहत कार्यों पर अपने शरीर का खून बहाते हैं। उनके लिये जिन्दगी टैक्स है। उसको कौन खतम करेगा ? उसको खतम करने की पहल कौन करेगा ? उन्हें रोशनी कौन करेगा जिनके दिलों में अन्धेरा है ? उनको पानी कौन पिलायेगा जो स्वयं अपना लहू पीकर जिन्दा रह रहे हैं ? सभापति महोदय, मेरा यही निवेदन है। हम सरकारी पक्ष के सदस्य हैं। हमें जो वोट मिलते हैं वे गांवों की गरीब जनता से मिलते हैं। गांव के लोगों के 80-90 प्रतिशत वोट मिलते हैं। गांवों से अधिक वोट मिलते हैं इसलिये मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि अभी तक हमने जो काम किये हैं, गांवों में भी काम किये हैं लेकिन उसका पर्सेन्टेज क्या है गांवों और शहर का। आप भी मानेंगे कि काम करते हैं विकास का शहरों में 80-90 प्रतिशत। इसीलिये यह रेशो खतम कर के जहां से जितने वोट हमें मिलते हैं उस हिसाब से वहां काम हो, उस ओर ध्यान दें तो हमारे गांवों की काया पलट हो सकती है। सभापति महोदय, आप भी पिछड़े एरिया से आते हैं, आप भी गांव के लोगों के दुःख, तकलीफ को देखते हैं।

कहने को तो कहा गया है कि इस साल बजट में ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा जिससे गरीब पर भार पड़े। बजट को उलट-पुलट कर देखा तो वास्तव में उसमें ऐसा कोई टैक्स नहीं दिखा जिससे गरीब पर भार पड़ता हो। इसकी मैं प्रशंसा पहले कर चुका हूं। लेकिन उद्योगों पर जो बिजली का टैक्स बढ़ाया गया है, बिजली की दर बढ़ायी गयी है, सभापति महोदय, जरा गौर कर के देखें, क्या वे उद्योगपति इन गरीबों को माफ कर देंगे ? वे उत्पादित चीजों की कीमत बढ़ायेंगे। उनकी विद्युत् की दर में बढ़ोतरी हुई है तो निःसन्देह, इसमें कोई दो राय नहीं है, वे अपने उत्पादन की कीमतें जरूर बढ़ायेंगे। यह अपरोक्ष रूप से गरीबों पर टैक्स लगा है। चाहे सीधे लगा दो, चाहे घुमा-फिरा कर लगा दो। बात एक ही है, यह मेरा निवेदन था।

सभापति महोदय, मुख्य मुद्दा इस समय यह है कि राजस्व अभियान सरकार ने चलाया है "प्रशासन गांवों की ओर"। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई गांवों में जाने का मुझे अवसर मिला। जैसा अभियान चल रहा है वह अच्छा है। इसमें कुछ खामियां होंगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से बता चुका होऊंगा और जो मिलेंगी वह बता दूंगा। लेकिन एक मुख्य मुद्दा यह है कि वृद्धावस्था पेंशन के फार्म हम भरवा रहे हैं, मुझमें जब से समझ आयी है या जब से मैं समझदार हुआ हूं.........

(व्यवधान)

मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। समझदार तो आप ज्यादा हो गये हैं लेकिन जब से कम उम्र को पार करके आगे उम्र में बढ़ता जा रहा हूं जब से मुझे ध्यान आया है।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं विधवाओं, जो निःसहाय हैं, को केवल 40 रुपया पेंशन दी जा रही है। बड़ा ही अच्छा होता अगर इसको बढ़ाते। अभी यहां पर वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी विराजमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 40 रुपये में एक व्यक्ति गुजर कर सकता है एक महीने में ? क्या जो एक कपल को पेंशन दी जाती है 60 रुपया वह कपल 60 रुपये में गुजारा कर सकता है ? कतई नहीं कर सकता है। सभापति महोदय, आपने भी उनके दुःख को सुना है और आपने भी आश्वासन दिया था कि मैं विधान सभा में जाकर के इस प्रश्न को उठाऊंगा। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि चालीस रुपये की जगह कृपा करके आप महंगाई को देखते हुए कम से कम प्रति व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपया कर दें और जोड़े के लिये 150 रुपया कर दें ताकि सही मायने में वह गुजारा कर सके। चालीस रुपया ? आज तो भिखारी भी चार आना मांगता है। पहले तो पैसे, दो पैसे मांगता था, लोग दे देते थे परन्तु अब वह सीधा कहता है चार आने दो, चाय पीनी है। वह जमाना आ रहा है जब कहेंगे एक रुपया दो। इसलिये, सभापति महोदय, यह एक मुख्य मुद्दा है। इस ओर हमारी सरकार, हमारे वित्त मंत्री महोदय और हमारे मुख्य मंत्री महोदय को विशेष कर ध्यान देना चाहिये। जिन असहाय लोगों ने फार्म भरा दिये हैं, जिनको पेंशन मिलने वाली है, प्रशासन गांवों की ओर गया है तो उनको कृपया 40 रुपये से अधिक पेंशन बढ़ाने की घोषणा करें इसी विधान सभा में ताकि गरीबों और बेसहारों को राहत मिल सके।

इसके बाद मैं आता हूं, एक असहाय वर्ग और है हमारे समाज में जिन्हें हम विकलांग कहते हैं। कुदरत की देन है, भगवान को जैसा मंजूर था वैसा बना दिया लेकिन हम तो सक्षम हैं कि उनको कुछ मदद कर सकें, उनको कुछ सहारा दें सकें। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको विकलांगों के लिये सुविधायें जरूर बढ़ानी चाहिये। इस बढ़िया से बजट में उनके लिये कुछ नहीं है। जो विकलांग ट्रेन में चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं और यात्रा करते हैं या कहीं साक्षात्कार के लिये जाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत उनकी यह आती है कि लाइन में वे नहीं लग सकते, तेज वे नहीं चल सकते। इसलिये आप उनको बस में यात्रा के लिये रियायत दे दें। बस में दो सीट जिस प्रकार माननीय सदस्यों के लिये रिजर्व होती हैं वैसे ही दो सीट विकलांगों के लिये रिजर्व कर दें। यदि विकलांग नहीं आयें तो दूसरे बैठ जायें। उन बेचारों को सीट नहीं मिलती और वे बस में खड़े रहते हैं। सभापति महोदय, कितना दया का विषय है। आपने भी कई बार बस में यात्रा की है और आपने कई बार बस में विकलांग को सीट दिला कर बिठाया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, सरकार यह घोषणा कर दे कि उनके लिये बस में दो सीट आरक्षित होगी तो निःसन्देह विकलांगों को फायदा होगा।

सभापति महोदय, एक मुख्य मुद्दा और बताऊं। दो पर्सेन्ट, तीन पर्सेन्ट विकलांगों को आरक्षण दिया है नौकरी में लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो विकलांग परीक्षा देते हैं, आर. ए. एस., आर. टी. एस. में चयनित हो जाते हैं उनके साथ क्या हो

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

रहा है ? क्या उनको आपने आर. ए. एस. बना दिया ? क्या उनको आपने आर.टी.एस. बना दिया ? उनका कितना प्रतिशत है। वित्त मंत्रीजी, आप अपने जवाब में इसका उल्लेख करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो भर्ती की जाती है उनमें इनका कितना प्रतिशत है विकलांगों का। मैं आपको दृष्टांत बताता हूं। 1978 में सरजूप्रसाद चतुर्वेदी और कुमारी कुम कुम झालानी ये दो केन्डीडेट थे जो आर. ए. एस. की परीक्षा में आर. पी. एस. सी. से चयनित हो गये थे किन्तु उनको आर. ए. एस. की नौकरी नहीं दी गई। तब उन्होंने हाई कोर्ट मे केस दायर किया और हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इन लोगों को आर. ए. एस. के केडर में नौकरी दी जाय, सभापति महोदय, फिर क्या हुआ। उनमें से सरजू प्रसाद को तो नियुक्ति दे दी गई और कुमारी कुम कुम झालानी के लिये सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी गई। यह दोगली चाल क्यों ? जो करना है यहीं फैसला करो। सरकार नियत कर दे कि आर.ए.एस. में इतना पर्सेंटेज विकलांगों का रहेगा जब कि दूसरी नौकरियों में आरक्षण है। और तो और रमेश कुमार अग्रवाल, जो विकलांग है और दैनिक नवज्योति अजमेर में सर्विस करता है, के बारे में आपको मैं बताऊं। 202 सीटें आर. ए. एस. की 1979 में थीं और मैरिट में रमेश कुमार अग्रवाल का नम्बर 202 था लेकिन उसको नौकरी नहीं दी गई क्योंकि विकलांग था...।

(व्यवधान)

जो भी है। दैनिक नवज्योति में सर्विस करता है इसलिये नहीं दी गई। इसके बाद 1982 में जो आर. ए. एस. की परीक्षा हुई तो उसी विकलांग ने लिखित परीक्षा दी। पास हो गया। मेरिट में नाम आ गया। आप देखिये, उसको नौकरी कौनसी दी गई ? श्रम निरीक्षक की। आर. ए. एस. में पास हुआ, सभापति महोदय, उसको श्रम निरीक्षक की नौकरी दी गयी। आखिर विकलांगों के साथ यह अत्याचार क्यों हो रहा है ? विकलांगों को आर ए. एस. क्यों नहीं बनाया जाता है ? आर. ए. एस. को क्या कोई परेड करनी पड़ती है ? क्या शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है ? काम तो कलम का ही है। यह वे बेचारे बैठे बैठे ही कर लेंगे। इसलिये मैं हमारी सरकार से निवेदन करूंगा, वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जवाब में इन बातों की घोषणा जरूर करें। फिर आप आर. पी. एस.सी. की तरफ आ जाइये जिसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है...।

(व्यवधान)

वह मैं कर लूंगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है। सक्षम हूं मैं।

इसके बाद, सभापति महोदय, 1982 में हैड मास्टरों की परीक्षा हुई। आर. पी. एस. सी. के द्वारा उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके अन्दर जयपुर से 17 केन्डीडेट, जोधपुर से 2, बीकानेर से 2, कोटा से 3 और अजमेर से 5 और उदयपुर से 4 केन्डीडेट ऐसे हैं, जांच करा ली जाय उनकी कापियों की, उनकी लिस्ट की, जो कि लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये थे। लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद भी उनको साक्षात्कार में बुला कर पास कर दिया। आर.पी.एस.सी. में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह विसंगतियां आर. पी. एस. सी. की निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न लगा रही हैं हमारी सरकार के सामने ? क्या हो रहा है यह। लोगों को सही अवसर नहीं मिल रहा है। रोजगार की समस्या है। एक मात्र रोजगारदाता आर. पी. एस. सी. है, उसमें आई. ए. एस. ऑफिसर बिठा दिये गये हैं, वहां पर क्यों नहीं चेयरमैन जनता का प्रतिनिधि बिठाया जाता है ? क्यों नहीं वहां पर जनता के प्रतिनिधि को लगाया जाता है ? खाली खाली जगह क्यों रखी जा रही है ? आप क्यों अधिकारियों को ही उसमें भेज रहे हैं। अधिकारियों को भेजिये, मैं मना नहीं करता। अधिकारी सरकार की बैकबोन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सरकार नहीं होती है तो अधिकारी राज चलाते हैं किन्तु यदि अधिकारी नहीं हों तो यह सरकार चलना कठिन है। लेकिन आप इन दोनों का सामंजस्य कीजिये। जनता को और जनता के प्रतिनिधि को भी उतना ही अवसर दीजिये।

अब राजस्थान नहर पर आ जाइये। बढ़-बढ़ कर बात ठोकते हैं। ऊंची-ऊंची बातें करते हैं। जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना है। राजस्थान नहर का जो सेंट्रल स्टोर डिवीजन है उसने अभी तीन करोड़ रुपये के पी. वी. सी. पाइप खरीदे हैं। राजस्थान नहर मंत्री जी यहां पर विराजे हुए हैं। कृपया इसकी जांच करा लीजिये। ये घटिया दर्जे के पाइप थे और ऊंची रेट से खरीदे गये। पाइप की इतनी जरूरत नहीं थी, फिर भी अनावश्यक रूप से खरीदे गये। इस प्रकार इसके अन्दर लाखों रुपयों का कमीशन प्राप्त किया गया है।

(व्यवधान)

शर्म की क्या बात ? है बता दिया है। इन्क्वायरी करा लेंगे। यह किसलिये खरीदे गये। ऊंची रेट पर खरीदे गये। दिल्ली की एक कम्पनी से खरीदे गये। क्या जरूरत थी ? सभापति महोदय, इसी प्रकार राजस्थान नहर पर जो काम चल रहा है उसमें घटिया स्तर की ईंटें और टाइल्स लगायी जा रही हैं। घटिया माल से कभी भी राजस्थान नहर को खतरा हो सकता है। इसके लिये एक टैक्निकल कमेटी बिठा दें। विधान सभा सदस्यों में भी कोई इंजीनियर मिल जायेगा, अलग-अलग काम के जानकार मिल जायेंगे, उनको वहां भेजिये। वे जांच करें कि क्या वास्तव में घटिया माल लग रहा है ? अगर वह इस नतीजे पर पर पहुंचें कि घटिया माल लग रहा है तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे। ईंट, टाइल्स के भट्टे चलाने के लिये जो कोयला लिया गया है वह लाखों करोड़ों रुपयों का कोयला बाजार में बेचा गया। इस कोयले का हिसाब लिया जाये। कितनी ईंटें, टाइल्स के लिये कोयला प्राप्त किया गया और रेशो से कितनी ईंटें, टाइल्स बनीं ? उससे कितना ज्यादा कोयला खरीदा गया और क्या वह खरीद कर बाजार में बेच दिया गया ?

इसी प्रकार, सभापति महोदय, राजस्थान में जहां एक ओर राजस्थान सरकार चिन्तित है वहीं दूसरी ओर भारत सरकार भी चिन्ता में है और जल्दी से जल्दी राजस्थान नहर के काम को पूरा करवाना

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

चाहती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी पहला जो सूत्र आता है वह सिंचाई का आता है। इस सिंचाई परियोजना की जो हालत हो रही है, मैं कह रहा हूं, उसके लिये चाहे चीफ इंजीनियर दोषी हो, चाहे एडीशनल इंजीनियर दोषी हो, चाहे किसी का रिश्तेदार हो, चाहे कोई भाई भतीजावाद चल रहा हो, सभापति महोदय, एक व्यक्ति, जो दोषी है, को कड़ा से कड़ा दंड जब तक दिया नहीं जायेगा तब तक दूसरों के दिमाग नहीं सुधरेंगे। इसलिये मैंने निवेदन किया कि उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। जांच कराने से, इन्क्वायरी कराने से, रेवेन्यू बोर्ड के किसी सदस्य से जांच करवाने से, फालतू डिपार्टमेंट वालों को भेजने से तो 6—6 महीने और 12—12 महीने आगे खिसका देते हैं। फिर होता क्या है ? मामला ठंडा पड़ जाता है, लोग भूल जाते हैं और उसके बाद, सभापति महोदय, ठन ठन गोपाल। इसलिये सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि हमारी आत्मा दुखती है, हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो।

पिछले विधान सभा सत्र में मैंने और मेरे कई साथियों ने एक ध्यानाकर्षण के माध्यम से हैंड पम्प, जो राजस्थान में लगाये जा रहे हैं विश्व बैंक के द्वारा, के बारे में ध्यान आकर्षित किया था। उसका क्या हुआ ? उसकी जांच का आज तक पता नहीं है। सभापति महोदय, आपके एरिया में भी यही की यही बात है। आपने भी उस समय कहा था, मुझे याद आ रहा है, आज की तारीख में फिर कह रहा हूं केवल एक ही उदाहरण देता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हमारी सरकार की ओर से कोई व्यक्ति जाकर जांच करे तो मालूम होगा, 90 प्रतिशत हैंड पम्प खराब पड़े हैं। ठूंठ के ठूंठ खड़े हैं, गांव वाले उनको देख कर कहते हैं कि इनको हमारी छाती पर लाकर रख और दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका कोई उपयोग नहीं है। यदि इनको खोदा जाय तो पता लगेगा कि जिन लोगों को ठेके दिये गये थे उन्हें 200 फीट खोदना था, लेकिन अगर 100 फीट के बाद पानी आ गया तो वहीं पर बन्द कर दिया और पाइप डाल दिया और काम नक्की कर दिया। आज हालत यह है कि उसके नीचे से मिट्टी खिसक गई है और हैंड पम्प ब्लॉक हो गया है। पानी के आने के कोई चान्सेज नहीं हैं। अन्त में आपको उतना ही पैसा खर्च करके दूसरा हैंड पम्प लगाना होगा। इतने बड़े घोटाले के बारे में हम आज से 6 महीने पहले ध्यान आकर्षित करें और 6 महीने के बाद विधान सभा सत्र आये उसमें भी उसका कोई जवाब तक नहीं आये, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही तक नहीं हो रही है। और आज भी उन्हीं ठेकेदारों को फिर ठेके दिये जा रहे हैं, आज भी वे ही ठेकेदार हैंड पम्प खोद रहे हैं।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: मेरा निवेदन है कि इस पी.एच.ई.डी. के मामले में····

(विराम)

कागज इधर-उधर हो गया है······

(विराम)

सभापति महोदय, मैं हैंड पम्प के बाद इस पर आ जाता हूं क्योंकि मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं और अधिकारी भी यहां पर नहीं होंगे। हालांकि उनके साथी है वे उनको बता देंगे। खैर।

(श्री भैरूंसिह गुर्जर)

एक शासन सचिव हैं उन्होंने चीफ इंजीनियर को पत्र लिखा था, हरीनारायण लालचन्द नाम का एक ठेकेदार है उसको लाखों का काम दिया गया था उससे हजारों का काम कराया और फिर काम बन्द कर दिया। बेचारे ने जांच की मांग की। वह एस. सी. का ठेकेदार था, खटीक जाति का था। पहाड़िया जी जब मुख्य मंत्री थे उन्होंने भी एक पत्र लिखा था। शासन सचिव ने पांच-सात पत्र लिख दिये हैं चीफ इंजीनियर को लेकिन चीफ इंजीनियर ने उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। मेरे पास पत्र थे, काफी सारे थे, मैं उनको मंत्री जी को प्रस्तुत कर दूंगा, सरकार को प्रस्तुत कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : कहां का मामला है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर: इसी जयपुर का मामला है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एक प्रदर्शनी चल रही है रामलीला मैदान में उस राह पर जहां से हम विधान सभा आते हैं। किसने लगायी है यह प्रदर्शनी? क्या हो रहा है इसके अन्दर? स्किल्ड गेम के नाम पर खुले आम जुआ खिलाया जाता है और वहां पर पुलिस का बूथ लगा हुआ है, वह स्थापित है। मैं इसके बारे में पहले भी शिकायत कर चुका हूं। आखिर, सभापति महोदय, जिस रास्ते से सारे मंत्रीगण आते हैं, वहां पर ही प्रदर्शनी लगी हुई है, बड़ा सारा बोर्ड लगा रखा है आप वहां पर एक दिन जाकर देखें तो सही कि वहां पर क्या होता है ......

एक माननीय सदस्य : जुए का अड्डा है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : खुले आम जुए का अड्डा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं।

अब मुद्दे पर आ रहा हूं। इतनी देर तो दुख-दर्द की चर्चा कर रहा था। इस बजट में निःसन्देह विकास के कार्यों की भरमार है, स्कूल खोले जा रहे हैं, सैंटर्स खोले जा रहे हैं। किन्तु, सभापति महोदय, मैं कहूं, पिछले बजट भाषण में जितने विकास कार्यक्रमों का जिक्र किया गया था उतना इस बजट पुस्तिका में नहीं किया गया है। एक मुख्य मुद्दा है बीस सूत्री कार्यक्रम इसमें उसकी रूपरेखा नहीं है। और वह बीस संकल्प, राजस्व अभियान, जिनकी पहले चर्चा की गयी थी, कहां चले गये? क्या अब वे बन्द हो गये हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको बंद कर दिया गया है?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मुद्दा है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : इसलिये, सभापति महोदय, बीच में—

"बड़ा शोर सुनते थे, पहलू में दिल का
मगर चीरा तो कतरा ए खून निकला।"

श्री राजबहादुर : एक कतरा तो निकला है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : इस बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में शोर बहुत करते हैं, हमारी

(102)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा एजीक्यूट हो परन्तु इस बजट में बीस सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा पर कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया है।

निःसन्देह इस बजट की हरएक ने प्रशंसा की है, अखबारों ने की है और लोग-बागों ने की है लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाया है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जिस प्रकार से एक सुन्दर नारी हो और वह सौलह सिंगार करके, सज-धज करके कहीं से गुजर रही हो। उस पर किसी मन चले का मन आ जाये और वह उसके पास जाये और देखे, उसे पता चले कि वह तो बांझ है तो वह उससे शादी नहीं कर सकता है वैसी की वैसी बजट की हालत है। बड़ा शोर सुनते थे, बड़ा सुन्दर बजट है, सौलह सिंगार भी किये है, जिनके लिये कह दें कि विकास कार्यों की योजनायें भी हैं, परन्तु आखिर नतीजा क्या निकलता है? वही निकलता है। तीन करोड़ जनता की नजर इस बजट पर है, उनकी आशायें इस बजट से पूरी होंगी, ऐसी उनकी आकांक्षा है। बड़ी खुशी हुई थी कि एक भी टैक्स नहीं लगा है लेकिन जब पता चला कि उद्योगपतियों पर टैक्स लगाया है तो वह तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता पर ही आयेगा। वे तो अपने उत्पादन की कीमत को बढ़ा देंगे। वह तो गरीब जनता को ही देनी होगी। कोई व्यापारी उद्योगपति तो देने से रहा। इसलिये मेरे कहने का मतलब, सभापति महोदय, अन्त में यह है कि इस विधान सभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें अच्छाई तो बहुत सी हैं लेकिन अन्त में दो लाइन से खतम करता हूं :—

"हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते हैं बदनाम
वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चे नहीं होते।"

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह !

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : माननीय सभापति महोदय, 1983-84 का जो बजट वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। राज्य की आर्थिक कठिनाइयों, ओवर ड्राफ्ट की स्थितियों और निरन्तर पड़ रहे अकाल की परिस्थिति में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वास्तव में सराहनीय बजट है। इसमें किसी तरह का टैक्स नहीं लगाया गया है। विकास की तरफ भी इस बजट में काफी ध्यान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति करने पर और बिजली के जनरेशन, सिंचाई और ग्रामीण विकास की ओर इस बजट के अन्दर काफी विचार किया गया है। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि पिछले जो दो बजट प्रस्तुत किये गये उन दो बजटों से यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है निश्चित ही सराहनीय बजट है।

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर 1000 प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान रखा गया है, 600 प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया है। परन्तु सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का इस बार कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। क्यों? इसका कारण यह बताया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत जितने सैकण्डरी

(श्री सूरजपाल सिंह)
और हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने चाहियें थे, जितना इनका टार्गेट था वह पूरा हो चुका है। इसलिये इस साल केवल कुछ सब्जेक्ट्स खोलने का ही प्रावधान इस बजट में रखा है। मैं वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि गत वर्षों में जो भी हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल्स खोले गये उनमें महिला शिक्षा के जो अनुदान के आधार पर स्कूल्स खोले गये हैं, उनमें कुछ कमी रही। मैं यह चाहूंगा कि कम से कम पंचायत समिति स्तर तक एक कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल निश्चित तौर से होना चाहिए। हम जब शिक्षा को प्रोत्साहन देने की इतनी बात करते हैं, हजार स्कूल हम राजस्थान के अन्दर खोल रहे हैं तो 30 वर्षों के बाद में भी क्यों नहीं आज हम अपनी शिक्षा नीति को तैयार कर पाते? मेरा आप से पुरजोर शब्दों में सुझाव है कि हमें एक नीति बनानी चाहिए कि हर पंचायत समिति के अन्दर कम से कम एक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय निश्चित तौर से होनी चाहिए। मेरे इस सुझाव के ऊपर वित्त मंत्री जी विचार करें।

जो आपने 250 स्कूल में सब्जेक्ट्स खोलने की बात कही है। मेरा इस विषय में भी आपको यह सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जहां भी हमने हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, उन सभी सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल्स के अन्दर कम से कम हम पंचायत समिति स्तर तक तो सभी सब्जेक्ट्स विज्ञान, कला और वाणिज्य, यह सब्जेक्ट्स पूरे कर ही लें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां अगर साइंस की लैबोरेटरीज़ वगैरह, भवन की उपलब्धि नहीं है, वहां अगर विज्ञान का विषय नहीं खोले सकें तो कम से कम कला और वाणिज्य यह दोनों सब्जेक्ट्स हर ग्रामीण क्षेत्र में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी अनिवार्य तौर से खोले जाने चाहिए। इसी हिसाब से सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार आप कर रहे हैं। अगर इसमें कुछ कमी भी पायें तो निश्चित तौर से कुछ अधिक प्रावधान करके हमें इन सब्जेक्ट्स को खोलने की बात करनी चाहिए।

बिजली के बारे में अभी इस बजट में काफी प्रावधान रखा गया है। मुख्य हमारा जो बजट है, उसमें बिजली और सिंचाई की तरफ ही ध्यान आकर्षित किया गया है, यह बड़ी खुशी की बात है। मगर बिजली के लिए सबसे पहले जिस पर ध्यान देना होगा वह जनरेशन की तरफ देना पड़ेगा। जनरेशन की आज जो क्षमता है, वह 1251 मेगावाट की है, उसकी जगह इस बजट में बताया गया है कि 1700 कुछ मेगावाट तक पहुंच सकेंगे। मेरा यह सुझाव है कि जो कुछ भी हमारी इन्स्टाल्ड जनरेशन है, उस जनरेशन को हम बराबर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चाहे पोंग पर हमारा शेयर हो चाहे सतपुड़ा पर शेयर हो, उस जनरेशन को हम बराबर ले सकें, यह व्यवस्था हमें करनी चाहिए। जो लाइन लॉसेज हैं हमें उन लाइन लॉसेज को मिटाने की कोशिश करनी चाहिये। 33 के वी सब स्टेशन या 32 के. वी. सब-स्टेशन कायम करने चाहिये। आज अभी 2 घण्टे तक इस बिजली के बारे में चर्चा हुई। आज यह दिक्कत नहीं है कि आज 7 घण्टे बिजली दे रहे हैं, मगर दिक्कत यह है कि किसान

(श्री सूरजपाल सिंह)

को 7 घण्टे बिजली मिल नहीं पा रही है। वह क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन की भारी कठिनाई है। अगर उप चौकियों बना दें, 32-33 के. वी. की चौकियां स्थापित कर दी जाती हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन सही होगा। वोल्टेज रेगुलेशन अगर सही होगा, तो हम आज जो 5-7-10 घण्टे बिजली देते हैं वह बिजली सही तौर से किसानों को मिल सकेगी। इस ओर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि बिजली व्यवस्था को हम लाइन लासेज को कम करके ज्यादा से ज्यादा सब स्टेशन बना कर सुचारु रूप से चलायें, भले ही हमें एक साल के लिए नये कनेक्शन बंद करने पड़ें। वोल्टेज रेगुलेशन की स्थिति पैदा करके लोस, लम्बी लम्बी लाइनों पर लॉसिज हो रहे हैं उनको मिटाकर रेगुलेट कर लेंगे तो निश्चित तौर से आज हमारी इन्स्टाल कैपेसिटी किसान को बिजली दे सकेंगे और रोजमर्रा की ट्रिपिंग से बचा सकेंगे जिसके कारण आज किसान यहां आकर आन्दोलन करते हैं या चिल्लाते हैं। आज 4 साल से ड्राट है, अकाल की स्थिति है फिर भी कुछ जिलों में तो यह स्थिति है जैसा खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बताया था कि हमें 2 दो पार्ट्स के अन्दर बिजली दी जा रही है। हालत यह है कि कुओं के अन्दर पानी नहीं है। 3 घण्टे से ज्यादा पानी नहीं चलता है। कुछ जिलों के अन्दर यह स्थिति है इसलिए 2 पार्ट्स के अन्दर बिजली चाह रहे हैं। कुछ ही भाग ऐसे हैं, जहां कि बिजली 10-12 घंटे दी जा रही है। जैसे बाड़मेर में ठीक पानी है, वहां पानी का डिस्चार्ज काफी है, जालौर के अन्दर काफी है, वहां 10-12 घण्टे कुएं चल रहे हैं मगर पाली, सिरोही में निश्चित तौर से ड्राट की वजह से 4 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं चल पा रही है। अगर 32 व 33 के. वी. सब-स्टेशन कायम करके वोल्टेज रेगुलेशन की प्रोब्लम मिटा दी जाती है तो निश्चित तौर से इतनी समस्या बिजली की नहीं रहेगी। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए।

सौर ऊर्जा की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, उसके अन्दर हम इसका प्रयोग करके सौर ऊर्जा के कुछ स्टेशन स्थापित कर सकें तो निश्चित तौर से फायदा होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री सूरजपाल सिंह : डेयरी और पशुपालन में पिछले साल कोई नये पशु औषधालय का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था लेकिन इस बार कुछ प्रावधान रखा गया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। जालौर जिले के अन्दर जो डेयरी है वह प्राइवेट सैक्टर के अन्दर है, डॉक्टर सिक्का के पास यह डेयरी थी। डॉक्टर सिक्का के बाद अभी टाटा ने उस डेयरी को ले लिया मगर आज टाटा भी उस डेयरी को सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं। उस डेयरी की मशीनरीज बहुत बढ़िया हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वह करीब एक-डेढ लाख लीटर की है मगर पता नहीं क्यों, पैसे के अभाव या अन्य किसी कारण से उस डेयरी के

(सूरजपाल सिंह)

अन्दर 6–7 हजार लीटर से ज्यादा दूध नहीं आ रहा है। जब से मैं इस विधान सभा का सदस्य बना हूं, तब से इस बात के लिए मैं निरन्तर मांग करता आया हूं कि प्राइवेट सैक्टर में डेयरी होने की वजह से बाड़मेर के कुछ इलाके, सिरोही के कुछ इलाके जालौर के कुछ इलाके में बड़ी भारी क्षति हो रही है। हमारे यहां अच्छा पशुधन है, कांकरेज, सबसे बढ़िया नस्ल की गायें होती हैं, दूध के उत्पादन के हिसाब से भी हमारे यहां किसी प्रकार की कमी नहीं है, हमारे यहां कुएं हैं, सारी बातें हैं। दूध का उत्पादन हो सकता है मगर प्राइवेट सैक्टर के अन्दर डेयरी होने की वजह से किसानों का दूध डेयरी के माध्यम से नहीं बिक रहा है इसलिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहेंगे।

श्री सूरज पाल सिंह : भारत सरकार से निवेदन करके इसको...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिये।

श्री सूरज पाल सिंह : समय का बिल्कुल ध्यान है। थोड़ी सी बात करनी है।

सभापति महोदय, राजकीय उपक्रम जितने भी हमारे हैं, वह सारे घाटे के अन्दर चल रहे हैं। रोडवेज की घाटे की स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की घाटे की स्थिति है, या अन्य कोई भी राजकीय उपक्रम है, सभी घाटे के अन्दर चल रहे हैं। इनके घाटों को जब तक हम पूरा नहीं करें तब तक अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार नहीं सकते। चाहे हम टैक्सेज लगायें, चाहे हम राजस्थान कैनाल की जमीनों को बेचें, चाहे भूमि का रूपान्तरण करके या कहीं से भी पैसा लायें, व्हाइट एलीफेन्ट हमारी सारी करी कराई कमाई को खा जाते हैं। जितने भी राजकीय उपक्रम हैं, वह घाटे में चल रहे हैं। प्राइवेट सैक्टर के अन्दर कोई एक बस लेता है तो 2 साल के अन्दर एक नयी बस और कर लेता है किन्तु यह राजकीय उपक्रम हर साल 20 करोड़ का घाटा देते हैं। तो या तो समाजवादी नीतियों का परित्याग करके रूट्स को नेशनलाइज नहीं करके बराबर के कम्पटीटर्स तैयार करिये या कुछ रूट्स प्राइवेट सैक्टर को कुछ और रोडवेज को दे दीजिये। आज आपकी जितनी भी अनुबन्धित बसें हैं वह बसें जिनकी है, वह भी कमा रहे हैं और आपका रोडवेज भी कमा कर दे रहा है। तो फिर रोडवेज की निजी बसों के घाटे में चलने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। तो इन राजकीय उपक्रमों की तरफ ध्यान दिया जाय तो जो घाटा है, उस घाटे को हम थोड़ा बहुत जरूर पूरा कर सकेंगे।

हमारे जालौर जिले के अन्दर ग्रेनाइट का बड़ा अच्छा स्कोप है, उसको डवलप करने के लिये कटिंग एण्ड पॉलिशिंग की फैक्ट्री जालौर के अन्दर लगाई जानी चाहिये, जिससे हम काफी प्रचुर मात्रा में ग्रेनाइट को एक्सपोर्ट कर सकें। इस पर भी ध्यान जाना चाहिये।

सिंचाई का बजट हमने काफी रखा है। प्लान्स के अन्दर और फेमिन के अन्दर जितने भी वर्क्स सैंक्शन किये जाये वह बहुत सूझ-बूझ से सैंक्शन किये जाये। जालौर जिले के अन्दर डवरी, बाण्डी, साकी और

(श्री सूरज पाल सिंह)

लूणी सब नदियां करीब करीब ऐसी हैं जिन पर एनीकट बनाये जाने चाहिये, एनीकट फेंजिंग करके बनाये जायं, सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं आज जालौर जिले के अन्दर--

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में तो यह एनीकट बनेंगे नहीं।

श्री सूरजपाल सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं 5 मिनट का समय और लूंगा।

श्री सभापति : 2 मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री सूरजपाल सिंह: नदियों के बहाव की वजह से करीब एक लाख एकड़ भूमि कटाव के अन्दर आ रही है। इस चीज के लिये मैं निरन्तर मांग करता आ रहा हूं लेकिन आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। उसमें एनीकट्स बनाकर रिवर पोर्शन के अन्दर जितनी भूमि जाकर भराव हो रही है उसको बचा पायेंगे और आज जो भूमिहीन जमीन मांगते हैं उन लोगों को भी हम भूमि उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे।

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत राज्य में 8 औद्योगिक बस्तियों में 2592 मकानों का स्वामित्व अधिकार देने की इस बजट में बात कही गई है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद दूंगा। उन्होंने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है, एक बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है।

राजस्थान की इकानोमी के सम्बन्ध में केवल दो ही बातें और कह कर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। अगर हम राजस्थान का विकास चाहते हैं तो हमारे पास जो खनिज सम्पदा और पर्यटन के स्थान उपलब्ध है उनको ज्यादा से ज्यादा डवलप करना होगा। खनिज सम्पदा हमारे राजस्थान के अन्दर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसको अगर सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिये उन पर आधारित फैक्ट्री उद्योगों के अन्दर पूंजी का विनियोजन कर सकेंगे राजस्थान के अन्दर उद्योगों को डवलप कर सकेंगे तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि किसी प्रकार के घाटे की व्यवस्था में रहने की बात नहीं है।

इसी के साथ मैं पुनः वित्त मंत्री जी को एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री हेमाराम !

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण इस सदन में दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, हमारी अपोजिशन पार्टी को भी समय दें।

श्री सभापति : आपका भी नम्बर आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आयेगा वह तो सही है, उसमें आपकी कृपा नहीं होगी। वह तो मेम्बर हैं इसलिए आयेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री हेमाराम को बोलने दीजिये। उसके बाद में।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, उधर के तीन माननीय सदस्य बोल चुके है। अब इधर के माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दें।

श्री सभापति : श्री हेमाराम !

श्री हेमाराम चौधरी : इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान में निरन्तर 5 साल से अकाल की स्थिति होने से इस अकाल के कार्यों पर और अकाल से प्रभावित जनसंख्या और पशुधन को बचाने के लिये सरकार द्वारा अरबों रुपये खर्च करने के बावजूद भी वित्त मंत्री जी ने इस बजट के अन्दर विकास के जिन कामों का उल्लेख किया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि वित्त मंत्री जी ने विकास के कामों में बहुत ही रुचि ली है। अकाल की लगातार भयंकर विभीषिका के बावजूद आज जो स्थिति है, उस स्थिति में उन्होंने यह बजट पेश किया है और जो विकास के कार्यों का उल्लेख किया है उसके लिये मैं उनकी प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, सिंचाई एवं विद्युत् पर सबसे ज्यादा पैसा 216.38 करोड़ रुपया खर्च करके सिंचाई की तरफ हमारे वित्त मंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है, विद्युत् की तरफ विशेष ध्यान दिया है, जिससे आने वाले समय में उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होने की संम्भावना है। सिंचाई और विद्युत् के अन्दर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने से उत्पादन बढ़ेगा ही और विद्युत् की जो कमी है उसमें भी सुधार होगा। इसके बारे में मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा।

विद्युत् के बारे में निवेदन है, ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्यक्रम बहुत तेज गति से चल रहा है, गांवों के अन्दर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लाइनें खींची जा रही हैं और गांवों का चयन किया जा रहा है, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जो चयन हो रहा है वह चयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उन गांवों को प्राथमिकता से विद्युत से जोड़ा जाय जहां पर विद्युत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उन गांवों को विद्युत से नहीं जोड़ा जाय जिनमें अभी विद्युत की आवश्यकता नहीं है और न उन में कोई कनेक्शन लेने वाला है। ऐसे गांवों को विद्युत की लाइन खींच कर जोड़ देगें, तो लाइन खींचने पर जितना खर्चा होगा वह खर्च फिजूल जायगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां पर एक भी उपभोक्ता कनेक्शन लेने वाला न हो, मौजूद न हो उन गांवों में विद्युत की लाइन न खींची जाय। लाइनें वहां खींची जायं जहां पर बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत है, उन गांवों को सबसे पहले लिया जाय, उन गांवों को विद्युत दी जाय। मैं यह चाहूंगा कि जो विद्युत पर करोड़ों रुपया खर्च हो उसका सही उपयोग हो और जनता को उसका सही लाभ मिले और जिन लोगों को विद्युत की ज्यादा जरूरत है उनको विद्युत उपलब्ध हो सके।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, पेय जल के बारे में भी इस बजट भाषण में साफ तौर से यह बताया गया है कि 21.60 करोड़ रुपये व्यय करने का वर्ष 1983-84 में प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर 10.60 करोड़ रुपये करेंगे और हमारी भारत सरकार से हमें 20 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। हम आशा

(श्री हेमाराम चौधरी)

रखते हैं कि वह हमें जरूर मिलेंगे। पेयजल के लिये जो धनराशि की व्यवस्था की गई है उससे राजस्थान के अन्दर पीने के पानी की जो भयंकर समस्या है, उसका हल होगा।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल योजना पर जो धन-राशि खर्च करने जा रहे हैं, उस धनराशि को खर्च करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि पेयजल सबसे पहले उन गांवों में दिया जाय जिन गांवों में पीने के पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। जिन गांवों के नजदीक 40-40, 50-50 किलो मीटर तक कहीं भी पानी उपलब्ध न हो, उन गांवों में सबसे पहले पेयजल उपलब्ध कराया जाय ताकि पीने के पानी की जो भयंकर समस्या है उसको कम किया जा सके। जिन गांवों की कम समस्या है या जहां ग्राउण्ड वाटर के अन्तर्गत मीठा पानी मिल सकता है या बहुत नजदीक पानी है उनको बाद में योजना में लिया जाय, जिन लोगों को 50-50 किलो मीटर तक कहीं मीठा पानी नहीं मिलता है, सबसे पहले उनकी तरफ ध्यान दिया जाय। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले के अन्दर ऐसे गांव हैं जहां 50-50 किलो मीटर तक पीने का मीठा पानी नहीं है, वहां पाइप लाइन के जरिये पानी पहुंचाया जाय प्राथमिकता के आधार पर।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं पशुपालन एवं डेयरी विकास के बारे में भी जो 100 पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख किया गया है उसके लिये वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 83-84 में जो 100 पशु चिकित्सालय खोलने का प्रावधान किया है, इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशु चिकित्सालय वहां खोले जायं जहां पशुओं की संख्या अधिक हो। पशु संख्या के आंकड़ों के आधार पर यदि पशु चिकित्सालय खोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पशुधन उससे लाभान्वित होगा जिससे हमारे डेयरी का विकास भी होगा। और शहरों को भी अधिक दूध सप्लाई कर सकेंगे।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर-जैसलमेर, जो पश्चिमी राजस्थान में है, में पशुधन बहुतायत से पाया जाता है। वहां पर लगातार एक साल से अकाल के कारण पशुओं की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इसलिए हमारे पशुओं को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके चारे की व्यवस्था की जाय तो पशुधन को इस अकाल से हम बचा पायेंगे और आने वाले समय में वह हमें बहुत लाभ देगा। वहां की अधिकांश जनसंख्या पशुधन पर आधारित है। इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जायगा तो वह पशुधन समाप्त हो जायगा और जो एक आय का स्रोत है वह हमेशा के लिये समाप्त हो जायगा। इसलिए मैं यह निवेदन करता चाहूंगा कि पशुओं के चारे की व्यवस्था की जायं। बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में पशुपालकों ने अपनी मवेशी, पशुओं को अकाल की वजह से, चारे की व्यवस्था नहीं होने की वजह से, सभापति महोदय, को छोड़ दिया है। वह पशु आज इधर उधर भटक रहे हैं और मौत का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि कुछ तस्कर लोग उन पशुओं को पाकिस्तान ले जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ विशेष ध्यान रखा जायगा।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसके साथ ही, सभापति महोदय, वनों के लिये भी इस बजट में काफी धन राशि की व्यवस्था की गई है। उससे हमारे वनों के अन्दर और ज्यादा पौधे लगेंगे जिससे हमारे यहां पर हमेशा जो प्रकृति का कुप्रभाव होता है वह कम होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल प्रभावी क्षेत्रों के अन्दर लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलने और पेट पालने की मजबूरी की वजह से वह पेड़ों को काट-काट कर बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को रोजगार देने की ओर ध्यान देवें ताकि वह पेड़ काटना बन्द करें। यही नहीं सरकारी अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी सतर्कता बरतें और जो पेड़ काटते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। वन का काटना जब तक नहीं रोकेंगे तब तक वनों का विकास नहीं होगा, वनों के विकास पर करोड़ों रुपया हम खर्च करते हैं प्रति वर्ष बजट में इसके साथ ही जिसे हम वन सम्पदा मानते हैं, जो आज की तारीख में मौजूद हैं उसकी तरफ विशेष ध्यान देवें। वन कटते गये तो वन सम्पदा हमारी नष्ट हो जायगी। हम जितने पौधे नहीं लगा पाते हैं उससे अधिक हमारे पेड़ कट जाते हैं। इस प्रकार हमारी वन सम्पदा का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाय और....

श्री सभापति: समय का ध्यान रखें। दो मिनट।

श्री हेमाराम चौधरी: पुलिस के अधिकारियों को इस बात के लिए आगाह किया जाय कि वे निगरानी रखें कि कहां कहां पर फोरेस्ट और पुलिस के अधिकारी पेड़ काटने वालों से मिल करके हिसाब-किताब बिठा लेते हैं जिससे पेड़ों की बहुत कटाई होती है। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में भी इस बजट में 83-84 में 5.50 करोड़ के व्यय का प्रावधान रखा गया है इसके लिए मैं वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने पंचायती राज को नवजीवन प्रदान किया उनको पुनर्जीवित किया और एक नया जीवन दिया उसी तरह से मैं चाहूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र को भी आप नया जीवन प्रदान करें, सहकारिता क्षेत्र के अन्दर चुनाव करायें। सहकारी समितियां जितनी भी हैं वह चुनाव पर आधारित हैं। लेकिन बहुत लम्बे अरसे से चुनाव नहीं होने के कारण यह सहकारिता आन्दोलन शिथिल पड़ गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव शीघ्र कराये जायं। आज भी व्यक्ति सहकारी संस्थाओं में नामिनेट किये गये चाहे वह चुनाव में वापस आ जायं चुनाव के अन्दर आने का उनको भी अधिकार है, कोई भी व्यक्ति जो योग्यता रखता है, चुनाव में भाग ले करके वापस आ सकता है लेकिन मैं यह चाहूंगा कि प्रजातन्त्र में यदि हम विश्वास करते हैं तो हमको चुनाव बेहिचक आगे आकर कराने चाहिये। जो चुनाव को कराने में विश्वास नहीं करते हैं वह इस प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं, मेरी ऐसी मान्यता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सहकारिता के चुनाव जल्दी ही कराये जायं। इसलिए वित्त मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह इसके बारे में पहल करें जिससे कि जो सहकारिता के सदस्य हैं जो सहकारिता

(श्री हेमाराम चौधरी)
में विश्वास करते हैं उनका विश्वास कायम रहे और प्रजातन्त्र में भी विश्वास बढ़े ।

सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के अन्दर 1000 प्राथमिक विद्यालय और 600 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 250 विषयों का जो प्रावधान रखा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन इनको खोलते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय......

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री **हेमाराम चौधरी** : कि यही प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा खोले जायं, जिन क्षेत्रों की आज दिन तक उपेक्षा हुई है । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन नहीं करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर ही आप सब खोल दें । अगर मेरे क्षेत्र के अन्दर पहले से बहुत ज्यादा प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं तो पहले उन क्षेत्रों के अन्दर खोलें जहां पर कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कमी है । जहां पर प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय बहुत कम हैं वहां पर खोल करके उन स्थानों की तुलना में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्यादा हैं, अनुपात पहले पूरा कर लिया जाय । उसके बाद में जो भी प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय बचें उनको आप दूसरे तरीके से खोलें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उचित होगा, नहीं तो जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री हेमाराम चौधरी : जो आज तक पिछड़े हुए हैं हमेशा ही पिछड़े रहेंगे ।

सभापति महोदय, बाड़मेर क्षेत्र के लिए इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1981-82 में की गई जनगणना आपके सामने है उसको आप उठाकर देख लें उसके अनुसार बाड़मेर जिला राजस्थान के अन्दर एक ऐसा जिला है जो साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है, साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम बाड़मेर जिले में है । तो जब साक्षरता का प्रतिशत हमारे वहां सबसे कम है, अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे वहां प्राथमिक विद्यालय सबसे ज्यादा खोलें । मैं तो यह चाहता हूं कि आपने जैसे सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल का इसमें प्रावधान नहीं रखा है, हम तो सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल की बात ही नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहां तो प्राथमिक स्कूलों की भी कमी है । प्राथमिक शिक्षा ही हम पा नहीं रहे हैं तो उच्च स्कूलों की बात करने की स्थिति में ही नहीं हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालय खोलते समय जहां कमी है वहां का ध्यान रखें ।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, 250 विषयों का प्रावधान रखा है उसके

(श्री हेमाराम चोधरी)
बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें से कई ऐसे सैकण्डरी स्कूल और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं जिनमें एक ही विषय है आर्ट या कामर्स . . .

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चोधरी : केवल एक विषय होने की वजह से जो विद्यार्थी दूसरे विषय में अध्ययन करना चाहते हैं जैसे कई विद्यार्थी जहां केवल कामर्स है वहां आर्ट पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर अध्ययन नहीं कर सकते। उनको दूर के स्कूलों में जाना पड़ता है। वहां स्कूल तो आपने खोल दिया लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं खोल रहे हैं तो स्कूल के खुलने से विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल सकता, वह उस लाभ से वंचित रहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जहां कई स्कूलों में केवल एक विषय है वहां पर कम से कम दो दो विषय तो आप खोल दें। इसकी तरफ आप विशेष ध्यान दें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसको सुना रहे हैं ?

श्री हेमाराम चोधरी : आप सुन रहे हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हेमाराम चोधरी : इसलिए, सभापति महोदय, विषय खोलते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाय जिन स्कूलों में केवल एक विषय है वहां पर दो विषय कर दिये जावें, जहां दो विषय हैं वहां तीसरा विषय खोल दें।

सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में 12 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और 13 ग्रामीण डिस्पेंसरीज खोलने का प्रावधान है, 25 ग्रामीण डिस्पेंसरीज को सुधारने का जो प्रावधान है, 5 चिकित्सालय शुरू करने का और 250 नई खोलने का बजट में जो प्रावधान किया है इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके साथ मैं यह चाहूंगा कि जहां पिछले पांच-छः साल से कोई डिस्पेंसरी नहीं खोली गई, एक भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, सबसे कम उपलब्ध है . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चोधरी : वहां पर चिकित्सा की सुविधा से जो लोग वंचित हैं उनको इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट में प्रावधान किया गया है उन लोगों को इसका फायदा मिले, जो आज तक इससे वंचित रहे हैं, जिनको आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ पंचायती राज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज को आपने नया जीवन तो प्रदान किया है, लेकिन जब बीकानेर में सम्मेलन हुआ उस समय पंचायती राज को और कई अधिकार देने की घोषणा की जिसमें मुझे याद है कि आपने

(श्री हेमाराम चौधरी)
उच्च प्राथमिक विद्यालय को भी पंचायती राज में देने की घोषणा की थी।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : दो मिनट नहीं एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री हेमाराम चौधरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आज तक पंचायती राज में शामिल नहीं किया है। सभापति महोदय, इसके लिए बार-बार अधिकारी सरकार को सलाह देते हैं कि अगर पंचायती राज में उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल कर दिये गये तो उनका भट्टा बैठ जायेगा। यह उनका सोचना कतई गलत है। प्राथमिक विद्यालय जो पंचायती राज के पास हैं, वह अच्छी तरह से चल रहे हैं। जो कुछ उनमें कमी है उसकी कमी का कारण साधन है। उसके लिए पंचायती राज को दोषी ठहराना कतई गलत है। पंचायती राज में जितने भी विद्यालय हैं उनमें अध्यापकों की कमी है। एक स्कूल में 150 बच्चों पर एक अध्यापक आपने लगा रखा है तो इसको पंचायती राज कैसे सही ढंग से चला सकता है। जब कि आई. ओ. एस के अन्दर में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें पांच-पांच, छः-छः, सात-सात मास्टर लगा रखे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : यह सोचना कतई गलत है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय को पंचायती राज के सुपुर्द कर दिया गया तो उनका नुकसान होगा. या फिर वह सही ढंग से नहीं चल पायेंगे। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनको पंचायती राज को सौंपने की जैसी उन्होंने घोषणा की है उसकी पालना करनी चाहिए। यदि उनको पंचायती राज को देते हैं तो हमारी शिक्षा के अन्दर जो ढिलाई है, वह दूर होगी और उल्टा पंचायती राज उसकी अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकेगा।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री हेमाराम चौधरी : लगातार पांच साल तक अकाल पड़ते रहने के बावजूद जो बजट पेश किया वित्त मंत्री जी ने इससे अच्छा बजट कोई भी व्यक्ति पेश नहीं कर सकता था। जो बजट पेश किया, इन परिस्थितियों में, इस हालात में यह बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। अकाल के बारे में जब अकाल की चर्चा होगी तब मैं निवेदन करूंगा, लेकिन इस बजट में अकाल के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा...

श्री सभापति :समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : अकाल के काम के लिए जो पैसा रखा है वह वहां ज्यादा खर्च किया जाये जहां सबसे ज्यादा अकाल पड़ा हो इससे निश्चित रूप से लोगों को मदद मिलेगी।

एक बार मैं पुनः वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर।

श्री महाराव चौधरी : मेरा नाम है सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपका भी नाम आ जायेगा।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, यह वर्तमान सत्ता दल का चौथा बजट है मैं समझता हूं कि बहुत से बहुत एक बजट और पेश होगा उसके बाद आम चुनाव होंगे। लेकिन क्या मौलिक परिवर्तन इन चार बजटों के द्वारा सत्तारूढ़ पक्ष ने हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में प्राप्त किये हैं, क्या उपलब्धियां हैं, यह कुछ सोचें, खुद अन्तरात्मा से सोचने की चीज है। क्योंकि मैं तो इसको देखता हूं कि कोई भी बजट क्यों न हो, किसी भी प्रदेश का हो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उनका जो सारी राष्ट्रीय आब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, चर्चा-आत्मक समस्यायें हैं सारे देश की उनका असर पड़े बिना नहीं रह सकता। वह क्या हैं? हम देखते हैं, कितनी भीषण परिस्थिति है, चारों ओर लगता है कोलाहल सा उसमें अर्थ व्यवस्था कितनी चरमरा रही है, यह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दो-तीन आंकड़े मैं सारे देश के बारे में जो इकानामिक रिव्यू निकला है अभी केन्द्र का उसके पेश करना चाहता हूं। 1982-83 में जो ग्रॉस नेशनल प्राडक्ट में वृद्धि हुई वह केवल दो पर्सेन्ट की हुई, जबकि इसके पहले 1981-82 में 5.5 पर्सेन्ट हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वृद्धि हुई है। उन्होंने ऐसी बात कही है जो कि राज्यपाल के अभिभाषण के विपरीत है, किन्तु सारे देश में अब की वर्ष 1982-83 में 125, 128 मिलियन टन की पैदावार हुई कृषि की जब कि इसके पहले 133 मिलियन टन हुई। इण्डस्ट्रियल प्राडक्शन भी जो अब की बढ़ा वह 4.5 पर्सेन्ट की दर से बढ़ा, जब कि पिछले वर्ष 1.6 पर्सेन्ट था। ट्रेड डेफिसिट 50814 मौजूद है। इन सारी कन्डीशन का, इन इस सारी अवस्थाओं का प्रभाव हमारे बजट पर नहीं पड़े, यह मुझे सम्भव नहीं लगता है। अकाल की बात कहते हुए कृषि उत्पादन की बात आई तो आपने कहा कि बहुत बोल्ड अटेम्प्ट है, बहुत दृढ़ता के साथ हमने कोशिश की है स्थिति का सामना करने की। इसके लिए आप धन्यवाद के और बधाई के पात्र हैं। किन्तु ऐसे तथ्य, जो स्वयं ही राज्यपाल से कहलाये और स्वयं आपने कहा कि कृषि उत्पादन में अन्तर आया है, वृद्धि हुई है, नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में पेज नं. थ्री और फोर में जो आंकड़े दिये है खरीफ और रबी के उनको मिलाया जाय कि कितने हेक्टेयर में बुवाई होती थी वह होती है 84+55=139 लाख हेक्टेयर रही, उसके स्थान पर जो एक्चुअल बुवाई हुई वह दोनों को मिलाकर 123.15 लाख हेक्टेयर में हुई। 15 लाख 85 हजार हेक्टेयर में बुवाई कम हुई। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, खाद्यान्न के बारे में तो नहीं कहा है इसमें, लेकिन दलहनों के बारे में कहा है कि 34 लाख टन के लक्ष्य के स्थान पर 21 लाख 84 हजार टन होने का अनुमान है, यह राज्यपाल ने कहा था। आपने कहा है कि वृद्धि हुई है। 13 लाख का 34 और 21 में अन्तर पड़ता है, लगभग 33 प्रतिशत दलहनों में ही एक तरह घाटा हुआ। तो मैं

Page No 114

(श्री राज बहादुर)

कहूंगा, यह सारी कण्डीशन है, आपने स्वयं कहा, अकाल है। अकाल एक वर्ष का नहीं है, अकाल बराबर पड़ता है, इस स्थिति में जो टैक्सेशन हुआ है, आप कहते हैं कि टैक्सेशन बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि जो टैक्सेशन की चीज है, आपने बिजली पर टैक्सेशन किया है, लेकिन जहां तक केन्द्रीय सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद में और बजट में जो वृद्धि की है वह कुछ कम नहीं है। उनका अनुमान लगाया गया है, कल ही एक बहुत विद्वानों की मण्डली में यह घोषणा की कि लगभग चार हजार करोड़ रुपये के टैक्सेज बढ़ गये। डीजल, तेल और दूसरी चीजों को मिलाकर हुए हैं वह पहले हो गये, रेलवे के फेयर बढ़ गये, पोस्टल रेट बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गया, उसके साथ और चीजें बढ़ गई। लगभग चार हजार करोड़ का वजन हमारे स्वयं के ऊपर पड़ेगा, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है। फिर महंगाई की बात आती है, महंगाई कम करने का लक्ष्य है, कोई ऐसे कारगर उपाय हुए हों, उनका असर महंगाई पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा प्रदेश की जनता इनसे दबेगी या नहीं दबेगी। फिर एक बात और है, इन सारी चीजों के इम्पोस्ट के अलावा एक जो बड़ी चीज है आती है सामने वह यह आती है कि जो भी आपने प्रावधानियां की हैं चाहे सिचाई की हो, चाहे विद्युत में की हो, चाहे निर्माण में की हो या किसी चीज में की हो, उनका जो फिजिकल मानिटरी टार्गेट है, आपने जो आर्थिक लक्ष्य रखा है उसको जो फिजीकल अचीवमेंट्स हैं, जो बाकायदा आप जमीन के ऊपर करते हैं, उपलब्धि करते हैं उसमें कितना अन्तर है ? यह समस्या सारे राष्ट्र के सामने है। इसी की ओर बार बार जो विद्वान लोग है, जो जानकार लोग हैं वह इंगित करते हैं कि साहब कोई तालमेल होना चाहिए फिजीकल अचीवमेंट और मानीटरी टार्गेट में। यह खुद देखने की चीज है, कि कहां तक हो सकता है। इन कन्डीशन्स में जहां तक हमारे प्रदेश की हालत है यह जरूर है कि 284 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट जो था उसको लोन में कंवर्ट कर दिया गया, लेकिन बोझ तो रहा। जितने आपने आंकड़े दिये हैं, जो बजट एट ए गलांस दिया है, उसमें 284 करोड़ के विषय में कहा सिवाय इसके कि वह लोन बच गया है, लेकिन लोन का इन्ट्रेस्ट, लोन का इन्स्टालमेंट देना है उसके वजन से, उसके बोझ से आप अलग नहीं हो सकते। हां यह जरूर है जैसा कि केन्द्र ने किया है थोड़ा बहुत चितपुट इधर उधर करके रेशनलाइजेशन किया गया है। वहां किसी तरह का प्रयास नहीं न इस बजट में है न उस बजट में है। इस प्रकार का नहीं है कि आखिरकार सोशल इकानामी फेडरेट जो है हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, ढांचा है उसको परिवर्तित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं तो कम से कम ऐसे कदम तो हों कि समझ सकें कि हां आपकी मंशा क्या है। इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं आयगा इन बातों का, मैं जानता हूं क्योंकि यह मौलिक बातें हैं इनकी ओर ध्यान नहीं जायेगा, मैं आशा करता हूं कि बृजसुन्दर जी जैसे मेधावी मन्त्री हैं वह कुछ कर सकें। लेकिन इस प्रान्त को पिछड़ेपन का अभिशाप जो लगा हुआ है उस अभिशाप को हटाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा सकते हैं। एक तरफ हमारे यहां पर अकाल मुंह बाये खड़ा है दूसरी ओर

(श्री राज बहादुर)

बेरोजगारी मुंह बाये खड़ी है। हमारी सामाजिक, आर्थिक और दूसरी समस्यायें हैं उन समस्याओं को आप किस प्रकार से हल करेंगे। कोई स्ट्रक्चरल चेन्ज के बारे में न तो आपने इस बजट में बताया है और न उधर के बजट में कुछ बताया गया है। इसी प्रकार से जो फिस्कल सिस्टम है उस फिस्कल सिस्टमं में आपने टैक्सेशन से पैसा भी इकट्ठा करने में तो चैन्ज किया है, केन्द्र में तो किया है, गनीमत है किन्तु यह चैन्ज अभी तक यहां पर आया नहीं है। शायद आ भी जावे, यह भी कौन जानता है। आ भी गया हो तो मुझे पता नहीं है लेकिन यह निश्चित बात है कि पार्लियामेंट को बाईपास किया गया है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बाईपास किया गया है और उनको बाईपास करके आपने 21 सौ करोड़ रुपयों का धन उपार्जन किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 2700 करोड़ रुपये का।

श्री राजबहादुर : हां I am sorry, 27 करोड़ रुपये का धन उपार्जन किया है। यह तो आपने उपलब्धि की है। अब इसको उपलब्धि कहा जाय या अभिशाप कहा जाय देश के लिए लेकिन आज देश में हालत क्या हो रही है। जो हमारा कान्स्टीट्यूशन फ्रेम वर्क है वह तो टूट रहा है। जन प्रतिनिधियों का और डैमोक्रेसी का हमारे देश में उपहास हो रहा है। यह तो निश्चित बात है कि कोई भी टैक्सेशन बिना पब्लिक रिप्रेजेन्टेशन के वैध नहीं माना जा सकता है। लेकिन हो रहा है यह सब हमारे यहां पर। लोग सभी एक्यूज करते है इन सभी चीजों के लिए।

इसके अलावा कहां तक आपके मानीटरी टार्गेट और फिजीकल अचीवमेंट किये हैं। उसी तरह का प्रोसेस है आपका, जो कन्जम्प-शन एक्सपेन्डीचर है, जो खर्चा आप करते हैं विभिन्न मदों में, विभिन्न मदों में जो आप एक्सपेन्डीचर करते है चाहे आप एजूकेशन पर करते हैं, चाहे आप अस्पतालों पर करते हैं, चाहे आप चिकित्सा पर करते हैं, यह आप देखिये, जो खर्च आप करते हैं उस में आप देखिये, जो एक्सपेन्डीचर है आपका यह एक्स-पेन्डीचर कितना बढ़ा है। कैपीटल इन्वेस्ट-मेंट कैपीटल प्रोग्राम जो आपका है, कैपीटल प्लान जो आपके हैं, जो आपके प्लान्ड डवलपमेंट हैं उसके मुकाबले में नॉन कैपीटल कितना है। मेरे पास आंकड़े तो हैं नहीं, आपके यहां से आंकड़े मेरे पास आये नहीं लेकिन आप अपने पिछले दस-पन्द्रह वर्षों के आंकड़े पर्टीक्यूलरली आफ्टर 1970 के देखें। सन 1970 में आपका कितना अमला था और उसके मुकाबले अब कितना है। मुझे आपका तो मालूम नहीं है लेकिन केन्द्र में कितना अमला था उसका पता है। केन्द्र में सन 70 में सात मिलियन एम्प्लाई थे और आज 15.5 मिलियन लोग हैं। इसमें से कुल 3.7 मिलियन पब्लिक सेक्टर में हैं। आप अब अन्दाजा लगा लीजिये, आपके यहां पर पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में ब्यूरोक्रेटिक फ्रेम वर्क कितना बढ़ा है। और यह कितना बढ़ कर आगे जायेगा जैसे कि पार्किन्सन्स लॉ है जितना जितना अमला बढ़ता जा रहा है, जितना जितना स्टाफ बढ़ता जा रहा है उतना प्रोडक्शन निकलने वाला होना चाहिये किन्तु वह कम होता जा रहा है, यह अनुपात है, यह कैसा विपरीत अनुपात है, जिसको रिवर्स रेश्यो बोलते हैं अंग्रेजी में, वह का वह हो रहा है। इन सब के

(श्री राज बहादुर)

बावजूद अकाल राहत के कार्यों पर शायद 95 करोड़ या 91 करोड़ खर्च हुए। यह आंकड़े मैं निश्चित रूप में नहीं बता रहा हूं, आपने इसमें जो दिया है उसी हिसाब से अगर आप पिछले वर्षों को देखें तो हमारे हमारे यहां पर पिछले कई वर्षो से लगातार अकाल पड़ रहा है। जब से राजस्थान बना है पचास करोड़ रुपये का एवरेज भी अपन रखें तो सन् 1956 से राजस्थान बना है तब से आज तक 27 वर्षों में कम से कम हमने साढ़े तेरह सौ करोड़ रुपये यानि साढ़े तेरह अरब रुपये अकाल राहत में खर्च कर दिये हैं। मैं तो मानता हूं कि दो हजार करोड़ रुपये खर्च किये होंगे। जब मैंने दो हजार करोड़ रुपये खर्च की बात की तो माननीय सदस्यों ने कहा कि दो हजार करोड़ खर्च नहीं हुए, आप गलत कह रहे हैं। तो जो भी खर्च हुए फेमिन रिलीफ में खर्च हुए। इसके अलावा पेयजल के लिये भी करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। इन सभी को मिला कर देखें, उसके बदले में हमारे केपीटल असेट्स क्या हैं? जमीन पर हमारे पास क्या चीज है, कितनी चीज है? जो दो हजार करोड़ या 1500 करोड़ रुपये खर्च हुए उसका जमीन पर कितना है, जनता के पास क्या है? आप माफ कीजियेगा, मैं कोई क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं कह रहा हूं लेकिन कुल मिलाकर कुछ इने गिने चुने जिले हैं वहीं यह पैसा खर्च होता है। ईश्वर न करे उनका भाग्य इन जिलों को मिले। मैं तो चाहता हूं कि यह दूसरे जिले भी हरे भरे हों। लेकिन उन जिलों पर यह करोड़ों रुपये खर्च हो जाने के कारण दूसरे जिलों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। आप यह सारा खर्च देखिये, अगर आप इसको स्टडी करें या इस पर एक्सरसाइज करें डीपली, मेरे पास तो समय ही नहीं है और ना ही मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं उस एक्सरसाइज को कर सकूं, पर यह निश्चित बात है कि जब से यह राजस्थान बना है, इसमें 11 जिले तो रेगिस्तानी है और इस जिले सूखा ग्रस्त है, उनके मुकाबले बाकी जिले के ऊपर कितना खर्चा हुआ? आप अपनी स्कीम्स अपनी अपनी बनाते हैं चाहे गरीबी की रेखा के नीचे की सीमा वाले लोगों के बारे में हो, चाहे वह बेरोजगारी के बारे में हो, चाहे छोटे उद्योगों को लोन्स देने के बारे में हो, आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोइन शेयर इनके पास पहुंचा है लेकिन उसका उन लोगों को उतना फायदा नहीं पहुंचा जितना कि पहुंचना चाहिये। हम चाहते हैं कि फायदा पहुंचाओ पर फायदा पहुंचे तो सही। लेकिन मुझे कोई फायदा उसमें नजर नहीं आता।

मैं अगली बात जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने अपने बजट में शुद्ध घाटा जो बताया है वह है 44 करोड़ 80 लाख रुपये का और आपूर्ति घाटा टैक्सेशन के बाद आपके रह जाता है 23 करोड़ 84 लाख रुपये। पिछले वर्ष 20 करोड़ और 96 लाख का जो आपने अकाल पर खर्चा किया उसके लिये आप कहते हैं कि केन्द्र से आपको अकाल सहायता के नाम पर मिलेगा उसको आप उधर से पूरा कर लोगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 283 करोड़ तो वह और 20 करोड़ यह, यह मिलाकर आपके 301 करोड़ रुपये हो जाता है। टोटल बजट मेरे ख्याल से आपका जो है वह 1036 करोड़ रुपये का है उसमें से वन थर्ड का तो लोन आप

(श्री राज बहादुर)

का मौजूद है। इसके अलावा 70 करोड़ रुपये का लोन आपका इधर उधर का है उसको भी आप मानें तो यह निश्चित बात है कि लगभग आपका 40 प्रतिशत रुपया, इकानामी लोन्स से दबी हुई है, आपके पिछड़ेपन से दबी हुई हैइसके उद्धार के लिये आप क्या करने जा रहे हैं? कोई मौलिक दिशा में चलने की आपने कोई गुन्जाइश की है? कृषि उत्पादन में सुधार की बात आपने कही है कि मूलतः मूल्य वृद्धि नियंत्रण में है। इनफ्लेशन जब पीक पर पहुंच गया हो एक प्लेट पर पहुंच चुका हो उसके बाद में आशा यह की जानी चाहिये कि भाई, अब तो वाटर शेड होगा, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, बोलते है, ढलान आयेगा लेकिन ढलान अभी तक आया नहीं। फिर भी दावा यह किया जाता है कि जहां पिछले वर्ष 21 प्रतिशत या 20 प्रतिशत इनफ्लेशन बढ़ा वह अब घट कर दो प्रतिशत रह गया है। मेरे ख्याल से कमर तोड़ महंगाई बढ़ चुकी है और उसके नीचे उतरने के आज कोई लक्षण दिखायी नहीं दे रहे हैं. आप उसके लिये क्या करने जा रहे हैं? आपने जो कहा कि मूल्य वृद्धि नियन्त्रण में है, यह जो आपने स्टेटमेंट में कहा है वह टेक्निकली तो ठीक है कि मूल्य वृद्धि में नियन्त्रण हुआ पर मूल्य वृद्धि में गिरावट आकर लोगों को कोई राहत मिले, क्या उसके बारे में आपने क्या ठोस उपाय किये हैं, क्या ठोस चीज आपने दी है, क्या स्टेप्स आपने इसके लिए लिये हैं या स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं?

इसके अलावा मैं यह अर्ज कर चुका हूं कि आपने राहत के लिये 95.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यह अकाल तो हर बार पड़ता है।

योजना के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं और यह बात मैंने कई बार इस सदन में कही है और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी यहां हर आवाज उठाी है कि यह पब्लिक का प्लान है यह पिपुल्स प्लान है, यह जनता का प्लान है। यह प्लान कब बना था? मेरे ख्याल से किसी को भी पूछा नहीं गया था, किसने यह प्लान बनाया? कब बनाया था? इसमें जिला स्तर या ग्रामीण स्तर पर, राजधानी स्तर पर, जयपुर के स्तर पर कभी बैठ कर आपने किसी से बात की। हमारे यहां पर एक कन्सल्टेटिव कमेटी बनायी हुई है राज्य सरकार द्वारा और हमारे मुख्य मन्त्रीजी उसके चेयरमैन है पर उस कन्सल्टेटिव कमेटी की दो बार मीटिंग हुई है, एक बार तो राज्य सभा के चुनाव हुए तब और दूसरी राष्ट्रपति के चुनाव के समय मीटिंग हुई। पर उस वक्त तो चर्चा नहीं हो सकती थी इसके बारे में याद कहना हो तो सही आंकड़े चाहियें और सही अवसर चाहिये। इस अवसर पर आप प्लान डिस्कस करने कैसे बैठते। आपने प्लान में क्या छोड़ा है, क्या रखा है, क्या इसमें आपको रखना चाहिये और क्या नहीं रखना चाहिये था, उसके बारे में आप सोचें।

विद्युत के बारे में और सिंचाई के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब उनकी अलग अलग डिमान्ड का दिन होगा उस दिन मैं अपने विचार रखूंगा। सिंचाई के बारे में मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं, जब सिंचाई के बारे में बातचीत होती है तो आपका जो अनयूटिलाइज्ड पोटेंसियल है जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब बहस हुई थी तो मैंने कहा था कि राजस्थान में 2.2 मिलीयन एकड फीट पानी चम्बल के पास है उसका

(श्री राज बहादुर)

आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ बांध हैं। जो पार्वती नदी है उसमें भी पानी है। पता नहीं क्यों जब इरिगेशन की बात होती है तो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की बात नहीं की जा सकती है। चम्बल का जो पानी है उसका अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो मध्य प्रदेश उसको जल्दी ही हड़पने में लगा हुआ है। अगर आप उस पानी को काम में लेते हैं तो आपके, जयपुर, टौंक के ऊपर के इलाकों और अलवर भरतपुर, धौलपुर के इलाके में सिंचाई हो सकती है। आप पहले तो इस पानी से विद्युत उत्पादन के लिये योजना बनायें, बिजली पैदा हो जाय तो उसके बाद में उसी पानी को सिंचाई के काम में ले सकते हैं। एक पन्थ दो काज हो सकते हैं।

बहुत मैंने देखा, कुछ थोडा बहुत धौलपुर के बारे में आता है, सवाई माधोपुर में कारखाना बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट ले रहे हैं। पोलीटैक्निक था भरतपुर में। कई वर्ष पहले खुला था, चल भी रहा था। चलते चलते बन्द भी हो गया। बन्द कर दिया गया। अब उसको पुनः खोला जा रहा है। यह घोषणा पिछले मुख्य मन्त्री जी ने की थी, पिछली साल ही हुई थी और अब भी हमारे वित्त मन्त्री जी ने फिर दोहरा दी है। यह योजना नई योजना नहीं है। आपने एक संस्था बन्द की थी उसको पुनः खोलना चाहते हैं। शब्द इसमें देखिये क्या हैं। मैं समझ नहीं पाया इस सेन्टेन्स का मतलब क्या है? वित्त मन्त्री जी ज्यादा समझते होंगे क्योंकि उन्होंने खुद ने लिखा है इसको। पेज 11 पर है --

"भरतपुर में कुछ वर्ष पूर्व बन्द हुआ पोलीटैक्निक संस्था का भवन उपलब्ध होने के कारण सबसे पहले प्रारम्भ किया जायेगा" मैं समझा कि भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक भवन नहीं मिला था। पहले भी तो चल रहा था यह। वहां भवन की कोशिश करते तो मिल जाता लेकिन देखिये, आपका कितना चतुराई का स्टेटमेन्ट है कि भरतपुर में कुछ वर्ष पहले बनी हुई पोलीटैक्निक संस्था को भवन उपलब्ध होने के कारण। अगर भवन उपलब्ध नहीं होता तब नहीं खोलते? मैं तो यह कह रहा हूं कि बहुत ही अजीबोगरीब तरीका है। यहां बृजसुन्दर जी वित्त मन्त्री होने के नाते कुछ वाक चातुर्य आ जाता है एडवोकेसी में।

सभापति जी, मैं सिंचाई के बारे में कह रहा था, एक तो लघु सिंचाई योजना के बारे में, आपको उस पानी को इस्तेमाल करना चाहिये। उस पानी से बिजली भी निकाल सकते हैं। जहां और भी जगह बिजली निकाली है तो बिजली के लिए तो इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज कहता हूं, बार बार आप भूल जाते हैं कि आपने दो नहरें खुदवा रखी हैं भरतपुर में एक तो गुडगांवा कैनाल और दूसरी भरतपुर फीडर, यह काफी वर्ष पहले खोदी गई। जमुना के पानी में न हिस्सा मांगते हैं आप और न उसकी पैरोकारी करते हैं। पानी उसमें आता नहीं है, खाली पड़ी हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे जमुना के पानी के हक को छोडना है क्या? मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कह दिया कि हम कोशिश करेंगे लेकिन भाषण तक ही रह जाती है बात। यही आश्वासन मैं तीन वर्ष से सुन रहा हूं।

तीसरी बात टेहरी गढवाल में टेहरी में जो गंगा के ऊपर डैम बन रहा है उसमें

(श्री राज बहादुर)
बाकायदा हमारी सरकार, जिसमें हमारे पिछले मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी भी शामिल हैं, भी और पहले वालों ने भी तकाजा किया कि तीन हजार क्यूसेक्स हमें पानी मिलना चाहिये। कोई पैरोकारी उसके लिए नहीं है। फिर आप पूछेंगे कि यह चीजें सिंचाई के सम्बन्ध में ज्यादा आयेंगी लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यह कहते हैं कि सिंचाई के बारे में हम सब कुछ कह रहे हैं।

फिर इन्डस्ट्रीज का जब सवाल आता है तो क्यों भूल जाते हैं कि time and tide wait for none किसी के लिए इन्तजार नहीं करेगा समय। मथुरा से निकला हुआ जो माल है, जो बेसिक चीज है, जो बेसिक रॉमैटीरियल है वह कहीं और चला जायेगा, जैसे हरियाणा ने ले लिया, हरियाणा में खुलने जा रहा है। मैं नहीं कहता कि आप भरतपुर में खोलिये, अलवर में खोलिये, सवाई माधोपुर में खोलिये, टौंक में खोलिये या और जगह खोलिये लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हम उससे वंचित रह जाय। आप उसका इस्तेमाल तो कीजिये। ड्राई पोर्ट दिल्ली छीन कर ले जाना चाहता है। उन्होंने कन्टेनर्स बनाने शुरू कर दिये हैं। जब उन्होंने कन्टेनर्स बनाने शुरू कर दिये तो वह फैसेलिटीज भी ले लेंगे। इसी प्रकार से कन्टेनर्स यहां भी बन सकते हैं ट्रक्स के लिए भी और रेलवे वैगन्स के लिए भी। उसके जरिये से भी आगे बढ़ सकते हैं . . . . .

श्री सभापति ; माननीय सदस्य, समय का थोड़ा ध्यान रखें।

श्री राज बहादुर : मेरा समय तो शायद थोड़ा ज्यादा ही होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अभी विधि मन्त्री जी इधर से जाकर अपनी चैयर पर बैठे हैं। उन्हें नियम बता दीजिये कि मेम्बर्स को ट्रेजरी बैन्चेज और चेयर के बीच में से जाने का कोई नियम नहीं है।

(व्यवधान)

मेम्बर और प्रिसाइडिंग आफिसर के बीच में से नहीं जायं। यह कोई तरीका नहीं है कि वहां से निकलें और सीधे कुर्सी पर आकर बैठ गये। तरीका यह है कि आप उधर से आकर यहां बैठें।

श्री चन्दनमल बैद (मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : सभापति महोदय, नियम यह है कि प्रिसाइडिंग आफिसर और स्पीकर के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। that is called crossing the floor नियम तो वह है। अब आप अपनी मर्जी से नया नियम बनाना चाहें तो बना दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्री जी को यह संबोधित कर रहे हैं........

श्री चन्दनमल बैद : चेयर को कर रहे हैं।

श्री यदुनाथसिंह : वित्त मंत्री जी के सामने जाकर मैं खड़ा हो जाता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वित्त मंत्री और चेयर के बीच में से निकल रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अब से पहले नियम तोड़े तो आपने बताया ही नहीं। अब कैसे बताया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत: पहले नियम तोड़ें, तभी तो मंत्री बन गये।

श्री राजबहादुर : वन बढ़ाने की व्यवस्था के बारे में वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि इतने सारे पेड़ हम लगायेंगे। मैं कहना चाहता हूं, घना जो बहुत मशहूर वन है उसमें पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत कटे हैं। उनकी जगह दूसरे स्थापित होंगे या नहीं, मुझे पता नहीं, कब तक स्थापित होंगे। लेकिन यह निश्चित बात है।

भरतपुर का नाम आते ही मुझे याद आता है कि मैंने कितनी ही चिट्ठियां मुख्य मंत्री जी को लिखीं, हमारे निर्माण मंत्री हैं उनको लिखी। यह ढाई सौवां वर्ष है और महाराजा सूरजमल की पुण्य स्मृति है उनके नाम पर एक गर्व हम लोगों को अनुभव होता है। उन्होंने भरतपुर की बुनियाद सन् 1733 में रखी। आज पूरे 250 वर्ष हो गये हैं लेकिन उस किले की बहुत बुरी हालत है। मैं कहता हूं कि 250 वें वर्ष के उपलक्ष में ही कुछ कर दो। पिछले मुख्य मंत्री जी आये, मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया था। क्यों किया ? स्वयं हमारे प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि प्रोटैक्टेड मानुमेंट है। पैसा हम देंगे। एक बाकायदा लिखा हुआ लैटर मेरे पास आया, तो आपके पास तो आ ही चुका होगा। मैंने उसकी नकल भेज दी। जो भी पैसा खर्च होगा उसकी मरम्मत के ऊपर, सफाई के ऊपर वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी लेकिन आज की तारीख तक कुछ नहीं हुआ है। चिट्ठी पर चिट्ठियां मौजूद हैं। आप कहें तो मैं सब की सब रख दूं। हालत यह है कि नहर सारी बेलों से ढक गयी है। कम से कम 80 नाले, जो कि मैले के हैं, उसमें आकर गिरते हैं। बीचो बीच शहर में इतनी बुरी हालत है कि नरक है। मैं वहां का एक नक्शा लाया हूं; मुझे वहां के एक नागरिक ने दिया है, मैं उसको सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। उसे आप बहुत गौर से देखना और पढ़ना। महाराजा सूरजमल की याद में क्या आज भी जागरूक होंगे या नहीं होंगे ? क्या आज भी अपना कर्तव्य पूरा करेंगे या नहीं करेंगे ? मैं इसको पेश करता हूं......

श्री सभापति : इसे रखने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य अपने पास ही रखिये।

श्री मेघराज तावड़ : यह सरकार की मदद के लिये नक्शा है।

श्री यदुनाथसिंह : बुरी चीज नहीं है। अच्छी चीज है यह तो।

श्री महाराम चौधरी : नक्शे की दूसरी कापी है या नहीं ? नहीं तो गुम जायेगा।

श्री राजबहादुर : है मेरे पास। गुमने का तजुर्बा मुझे हो चुका है क्योंकि जो लैटर मैंने सैंटर को भेजा था उसके बारे में कहा गया कि मिला नहीं।

अब दूसरी बात कह रहा हूं। इसी नहर के चारों तरफ एक सड़क है उस सड़क और नहर के बीच में कुछ इमारत नहीं बना सकते। खाली उसमें एक कच्चा डंडा सा होता है। अब मकानों की मंजूरी मिल रही है। नहर और सड़क के बीच में मकान बना सकते हैं। इसको भी मैं रखना चाहता हूं......

श्री सभापति : इसको रखने की जरूरत नहीं है। आप ही रखिये।

श्री राजबहादुर : ......जनरल अस्पताल पूर्व में है, बगीची पश्चिम में है और किले और सड़क के बीच में नहर है। अब कहते हैं कि सड़क और नहर के बीच में मकान बनाये जायेंगे। मतलब यह है कि किला खतम हुआ, सब कुछ खतम हुआ। यह आपके यहां का सरकारी दस्तावेज है कलैक्टर के यहां का इसे देख लीजिये। यह दुःख की बात है। अगर आपने फौरन से इसमें इन्टरफियरेन्स नहीं किया और इन मंजूरियों को माना तो वही होगा जो कि बाहर की खाई का हो गया है। उसके अन्दर मकान बन रहे हैं। आपने कच्ची बस्तियों का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भरतपुर के एतिहासिक डंडे पर मकान बना लिये हैं। अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी बचाना चाहते हैं तो आपको कच्ची बस्तियों का प्रावधान वहां भी करना होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा समय का ध्यान करें।

श्री राजबहादुर : दो-तीन बातें और कहूंगा।

जन जाति का सवाल आता है। मेरे यहां से भी एक जन जाति के मंत्री हैं श्री चेतराम जी लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता। एक बावरिया जाति होती है ट्राइबल्स में आती है.......

श्री मेघराज तावड़ : जन जाति का भी उनको ध्यान नहीं रहता है।

श्री राजबहादुर : पहले ट्राइबल में आती थी अब जन जाति कहलाती है। पिछले चार पांच सालों मे इन्होंने एक मांग की है, हमें कोई रोजगार दिलाओ। रिक्शा चलाते हैं तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं। जहां तक जन जाति के कल्याण का सवाल है दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में उन लोगों का जो हक है वह दे दीजिये, उनका ध्यान कर लीजिये। उनके लिये सड़क, पीने के पानी का प्रबन्ध कर दीजिये। खास तौर से आजाद नगर, जो एकरण पंचायत समिति में आता है, भरतपुर तहसील में है, में बावरिया लोग रहते हैं। आप अगर कभी दौरा करें तो देख सकते हैं।

आखिरी बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा उन नौजवानों के बारे में, जिनका कल यहां जलूस निकला था, जिन पर लाठी चार्ज हुआ था, कम से कम 10 हजार नौजवान थे। उनकी एक मांग थी, हमको रोजगार दो, हमें कोई काम दो, हमें कोई रोजगार दो। आप क्या करने जा रहे हैं? जो आपने लिखा है Tinkering with the problem कोई भला सोचने वाला नहीं आता है। कितनी बड़ी महती समस्या है उसको निपटाने के लिये आपके पास क्या उपाय है? कोई उपाय सामने नजर नहीं आता सिवाय इसके कि आपको पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को बता देना पड़े। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है।

शिक्षा नीति की बात हमारे मित्र यहां कह रहे थे, एक शब्द कहना चाहूंगा। शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई दिशा दे रहे हैं आप? आपने माध्यमिक शालाएं खोल दीं, उच्चतर

(श्री राजबहादुर)

माध्यमिक शालायें खोल दीं, शायद कॉलेज खोल दिये, विषय भी नये-नये ला रहे हैं। इन सब के बावजूद नई विस्फोटक सामग्री पैदा कर रहे हैं पढ़े-लिखे बेकार नौजवानों की, उसका क्या होगा। क्या करेंगे आप? आप केन्द्रीय सरकार से प्रभावित हैं इसीलिये केन्द्रीय सरकार के बजट के बारे में नट शैल में कुछ बातें कही थीं, उससे हम प्रभावित हैं। जब तक वे शिक्षा प्रणाली नहीं बदलें तब तक आप कुछ नहीं करेंगे और शिक्षित नौजवान बेरोजगार होते जायेंगे। फिर जिन समुदायों में अब तक राज्य सेवा के लिये रुचि नहीं थी आज वे सब चाहते हैं, सब के सब चाहते हैं, राज्य की सेवा में आयें, नौकरियों में आयें, एम्प्लायमेंट में आयें किन्तु वह मिलती नहीं। आप इनको रोजगार देने के बारे में क्या कर रहे हैं। इसकी, मैं कहूंगा, सतही तौर पर चर्चा आई है। गहराई में किसी समस्या को देखा नहीं है। कोई मुझे अच्छी चीज लगती नहीं।

फिर एक बात, शायद वक्तव्य में आ जाय, कोई बात हो तो एक बात की बार-बार मांग होती रही है मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आप दिन में किसानों को बिजली क्यों नहीं दे सकते? इसके क्या कारण हैं? आप कोई समय ऐसा क्यों नहीं दे सकते ...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दिन में वैसे ही उजाला होता है।

श्री राजबहादुर : अगर हमारे भैरूंसिंह जी, जो कांग्रेस (आई) के मैम्बर हैं, कहते हैं दिन में उजाला होता है कोई जरूरत नहीं होती ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं बृज सुन्दर जी पुराने मित्र हैं वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री जी, आप कुछ सोचिये मौलिक रूप से कि देश का भला कैसे हो सकता है। जो सपना आपने संजोया था, जो सपना आपने, हमने मिलकर संजोया था आजादी की लड़ाई में, मैं भी एक स्वतन्त्रता सेनानी हूं, कम से कम आप स्वतंत्रता सेनानियों का ध्यान रखिये। आप यह सोचिये, जो आपने सोचा था, क्या आपका बजट उसकी पूर्ति कर देगा। मैं कहता हूं, यह कदापि नहीं कर सकता। कुछ स्कूल और खोल दीजिये, कुछ लोन्स की व्यवस्था कर दीजिये, कुछ 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कह दीजिये, इनसे आप किस दिशा में जाने वाले हैं। जब तक मौलिक रूप से विद्युत् का, सिंचाई का, एम्प्लायमेंट का इन्तजाम नहीं करते उस वक्त तक काम नहीं चलने वाला है। मरु भूमि, प्रदेश की सोना उगलने वाली है, अगर उसको पानी मिल जाये, उसका बन्दोबस्त नहीं करते हैं, मत करिये। राजबहादुर की आवाज को तो आप मान लीजिये, जिसे बोलते हैं, अरण्यरोदन मान लीजिये। लेकिन कभी न कभी आपको सोचना पड़ेगा कि राजस्थान का बनायें क्या आखिर। 35 वर्षों में हमने कुछ नहीं बनाया, अब तो कुछ बना कर दें। उसके बीज तो डालें, कुछ दिशा तो दें। मुझे खुशी है कि कम से कम पहली बार मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम जमना के पानी को बड़ी सतर्कता से काम में लेंगे और हम अपनी कोशिश करेंगे। उन्होंने ड्राई पोर्ट के बारे में कहा।

इस आशा के साथ इसको कार्यान्वित भी करेंगे खाली कागजी, जबानी जमा खर्च

(श्री राजबहादुर)

नहीं रहेगा, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं, आपने काफी मुझे बरदाश्त किया।

श्री सभापति : श्री महाराम चौधरी !

व्यवस्था का प्रश्न

अखबार कतरनों की फोटो स्टेट प्रतिलिपियों का सदस्यों को वितरण

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय, यह एक फोटो स्टेट कापी अखबार की बांटी जा रही है। तीन अखबारों का एक साथ संकलन करके फोटो खिचवाई गई है और यहां बांटी जा रही है ......

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री) : हमारे पास तो नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, इसमें लिखा है।

"Mathur may go after budget session"

कई माननीय सदस्य, मोहनलाल मोदी, रामप्रसाद लड्ढा की आपस में हाथापाई हुई है इसमें लिखा हुआ है। मैम्बर्स की आपस में कपड़े फाड़ने की, रावत राम जी और इनकी आपस में कपड़े फाड़ने की बात भी लिखी है.......

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : परन्तु, सभापति महोदय, फोटो कापी इस विधान सभा में बांटने में क्या आपत्ति है...

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह बिल्कुल सही है, माननीय सदस्य ने जो कहा, कोई आपत्ति नहीं। यह पता लग गया, इसको कौन बंटवा रहा है। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि कम से कम इस तरह की चीज हाउस में न बांटी जाय। सभापति महोदय, एक है इण्डियन एक्सप्रेस No plan to replace the Rajasthan Chief Minister.

दूसरा है टाइम्स ऑफ इण्डिया "Move to strengthen the Rajasthan Congress I.

तीसरा है" Mathur may go after the budget session

यह पैट्रायट है। यह चारों अखबारों का संकलन कराकर बांटना, इस सदन में यह शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की लॉबी में जाकर देख लीजिये, ढेर सारे पड़े हैं। यह आपस में लड़ते रहें, सदन के प्रांगण को इस बात के लिये उपयोग में नहीं लाना चाहिये। ठीक है, माथुर साहब जायेंगे, उनका फैसला हो चुका लेकिन इसके बावजूद यह चीज यहां नहीं बांटी जा सकती। इस सदन का उपयोग नहीं किया जा सकता। यह आपस में लड़े, मोदी जी किसी के कपड़े फाड़े, हमें इस बात से मतलब नहीं लेकिन यह चीजें यहां बांटी जाय, यह उचित नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये ......

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आपत्ति ओवर रूल्ड ....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : 25 लाख देकर वित्त मंत्री का पद लिया, अब इनकी निगाहें

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)
चीफ मिनिस्टर के पद पर लगी हुई हैं। यह सब इनका षड्यंत्र है। और यह इस तरह का वातावरण बना कर सी. एम. बनना चाहते हैं..........

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, जो मुख्य बातें ....

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे ख्याल से तो उसमें विरोधी दल का हाथ है। यह इनका षड्यंत्र दिखता है।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

एक माननीय सदस्य : यह इन्हीं व्यक्तियों ने कहा है.........

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सरकार मौजूद है, सरकार बैठी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत इम्पार्टेंट चीज आप सुन लीजिये ताकि आपको व्यवस्था देने में सुविधा मिले ....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह पाईंट ऑफ ऑर्डर किस बात का है। यह बांटा किसने है? यह विरोधी दल के नेता स्वयं बंटवा रहे दिखते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Senior Rajasthan Congress I M. Ps. opposed

एक माननीय सदस्य : पाईंट ऑफ ऑर्डर हमारा भी है.........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : to the Chief Minister do not attach any special significance to Mrs. Bajpayee's assertion that there will not be a change in the leadership.

श्री बृज सुन्दर शर्मा : यह पढ़ा हुआ कैसे मान लिया जाय। नहीं पढ़ सकते इसको। आप पढ़ क्या रहे हैं ....

एक माननीय सदस्य : वह पढ़ रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : क्या यह संभव नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अपने अपने गिरेवान में मुंह डालकर देख लो।

श्री भैरूंलाल मीणा : यह पेम्फलेट विपक्ष के सदस्यों के पास ही क्यों आये। यह बात ये उठा रहे हैं, यह इनके पास कहां से आये। विपक्ष वालों का ही षड्यंत्र है ..

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री बाऊ दयाल जोशी : कांग्रेस लों.. में से लाये हैं.........

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई भी कागज.....

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : इससे सारे राजस्थान का सवाल जुड़ा हुआ है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कांग्रेस लॉबी की तलाशी ले ली जाय, वहां कितने पड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अभी ले जाकर रखे हैं इन्होंने ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर आॅर्डर । कार्यवाही चलने दीजिये ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह: पॉइंट आॅफ आॅर्डर ।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदय, हाउस ने देखा, विरोधी दल के माननीय नेता से हम यह आशा नहीं करते थे । वे खुद पेपर लाये हैं, खुद ही लाये हैं और खुद ही बंटवा रहे हैं । खुद ने ही आ कर के कहा..

(व्यवधान)

इतने बड़े आदमी होकर इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं । खुद ही मर्यादा का........

(व्यवधान)

मैं कहता, श्मशानी भैरूं की आवाज को चौराहे पर लगाओ । हाउस की इज्जत तो बचाओ....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : इन X X X को पता ही नहीं, क्या कह रहे हैं । न कुछ इनकी समझ में आता है और न औरों के आता है........

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई कागज सचिवालय की तरफ से नहीं बांटा गया है । सदन की कार्यवाही में आप लोग सहयोग कीजिये । माननीय महाराम जी, आप अपना भाषण चालू करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि समाचार पत्रों में है, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की जो बैठक हुई, उस बैठक की आम चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन आने वाला है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अन्दरूनी मामला है ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपको क्यों दुःख हो रहा है । आपकी सरकार नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो परिवर्तनवादी हैं वे सब बोल रहे हैं । वे सब बोल रहे हैं और बाकी हैं तो खड़े हो जायं, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है..........

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आपका राज्य नहीं है ।

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिस दिन आपका राज्य आ जायगा उस दिन सबसे ज्यादा दुःख होगा । राजस्थान उस दिन डूब जायगा । सभापति महोदय, सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि मुख्य मंत्रीजी आम चर्चा का विषय बन गये, समाचार पत्रों में बन गये, आज सैक्रेटेरियट में गवर्नमेंट नाम की आँथोरिटी खत्म हो गई । इन चीजों का मुख्य मंत्री को यहां स्पष्टीकरना करना चाहिये कि मैं नहीं जा रहा हूं । कह दिया बजट पास कराऊंगा, यह बजट है, आम जनता का बजट है । जिस सरकार ने बजट पेश किया है उस सरकार के मुख्य मंत्री को कम से कम इतनी तो हिम्मत होनी चाहिये कि यहां आकर कुछ कहें । कहते हैं पहले बजट पास कराऊंगा । आज चर्चा इस बात की हो रही है कि कुछ•• ••

(व्यवधान)

वोट ऑन अकाउन्ट की चर्चा चल रही है । आखिर सदन को जानकारी तो मिले, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ....

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (व्यवधान) ये आशंकायें आपकी निर्मूल हैं । मुख्य मंत्री जी रहेंगे, यहां आपके साथ रहेंगे ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : हम कब कहते हैं कि बाहर चले जायेंगे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (व्यवधान) बजट पास करके मुख्य मंत्री जी जायेंगे, पहले नहीं जायेंगे । ऐसी कौनसी बात है ?

(व्यवधान)

नहीं, नहीं यह कहा है बजट पास करा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही चालू रहे । महाराम जी आप बोलें ।

श्री महा राम चौधरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक मैं बोलू तब तक के लिये समय बढ़ाया जाय ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, आज विरोधी दल को बहुत कम समय मिला है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समय बढ़ाया जाय ताकि विरोधी पक्ष के सदस्य भी बोल सकें ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, समय निश्चित कर दिया गया है । कौनसा पक्ष कितनी देर बोलेगा, उसके लिये समय निश्चित है । जितना समय निश्चित किया गया है उस हिसाब से बोला जाय ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बोलने भी नहीं देना चाहते हो । बोलने दीजिये इनको तो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप अपनी पार्टी की चिन्ता कीजिये ।

श्री सभापति : समय बढ़ाने का और नहीं बढ़ाने का अभी निश्चित नहीं है । वक्त पर सदन से राय ले ली जायगी । माननीय सदस्य, भाषण चालू रखें ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैंने प्रस्ताव रखा है, मैं जब तक बोलू

(श्री महाराम चौधरी)
तब तक के लिये समय बढ़ाया जाय। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उससे पहले मुझे मालूम हो जाय कि समय बढ़ गया है। इससे मेरे बोलने में थोड़ी सुविधा हो जायेगी और समय की शंका खतम हो जायगी। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्यायें हैं, उनका खुलासा करना है। अगर समय की तलवार मेरे ऊपर लटकती रहेगी तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिये आप व्यवस्था दे दीजिये कि जब तक मैं बोलूं तब तक के लिये समय बढ़ा दें।

श्री सभापति: आप बोलियेगा।

एक माननीय सदस्य : आपने इतना टाइम तो यूं ही कहने में ले लिया।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, राजस्थान के वित्त मंत्री ने जो 83-84 का बजट भाषण और आय-व्ययक प्रस्तुत किया है, उस आय-व्ययक के अन्दर और बजट भाषण के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर किसानों की बहुत अवहेलना की गई है। इसके अन्दर किसानों के कार्यक्रमों की ओर, किसानों के विकास की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की ...

(4.45 म. प.)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यह परम्परा बनी हुई है जितने भी बजट में प्रस्ताव रखे जाते हैं उसका ज्यादा प्रतिशत शहरों के ऊपर खर्च किया जाता है इसलिये शहर और शहरीकरण बढ़ रहा है, कच्ची बस्तियां बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र जिस रेशो में है, प्रदेश की जो आबादी है उसमें से 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, खेती करती है और उत्पादन बढाती है। उस उत्पादन की वजह से राजस्थान का जो यह अलविदा करने का कार्यक्रम है उसको प्रोत्साहन देते है। उसी तरह शहरी क्षेत्रों में बजट का पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है। जैसे पुष्प प्रदर्शनी, समारोह है, कोई कला संस्कृति समारोह है या बड़े-बड़े जो कार्यक्रम हैं जिनको बिजली की सुविधा देने की बात है वह शहरी क्षेत्र में ज्यादा दी जाती है। इसलिये जो बजट में रखा है इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना की है इसके लिये मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के अन्दर घाटे की जो पूर्ति करने की बात बताई है। राजस्थान की नहरी जमीन को बेचने की योजना, भूमि रूपान्तरण एवं मितव्ययता बरतने और सरकार के कार्यक्रमों में चुस्ती लाने का बजट भाषण में उल्लेख किया है या घाटे की पूर्ति के लिये कहा है, तो सरकार द्वारा अपनी जमीन जायदाद, अपनी नहरी जमीन को नीलाम करके जो कार्यक्रम चलते है उस कार्यक्रम से पैसे वाले तो जमीन ले लेंगे और जिनके पास पैसे नहीं हैं वे महरूम रह जायेंगे। फिर वे उन्हीं मजदूरों से खेती करवायेंगे, सरकारी अधिकारियों में जो मितव्ययता और चुस्ती लाने का जो प्रस्ताव रखा है वह मेरी समझ में नहीं आता है। चुस्ती लाने के लिये किस तरह का क्या काम करेंगे ? आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकारियों की काम करने की भावना है उससे उनकी अवहेलना की जा रही है। उनकी गांवों की तरफ कोई रुचि नहीं है। इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों

(श्री महाराम चौधरी)

के लिये जो योजना बनाई जा रही है, उन पर बजट खर्च होते हुए भी उपलब्धियां नहीं हो रही है और ग्रामीण लोगों को उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता तो मैं इस बात के लिये समझता हूं कि जितना भी बजट है उसका क्षमता के अनुसार उपभोग हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी स्कीम उत्पादन की या पेय जल की बनाई जा रही है वह मात्र दिखावे की है क्योंकि यह योजना सैक्रेटेरियट में बैठ कर बनाई जाती है। गांवों के क्षेत्र में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए किस तरह का कार्यक्रम किसी क्षेत्र के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन कार्यक्रम को विशेष तवज्जह दिलाने का प्रावधान किया गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कृषि विभाग राजस्थान में पिछले कितने ही अर्से से चल रहा है उस विभाग में कितने ही अधिकारी इस कार्यक्रम को चलाने के लिये रखे गये है, दलहन के लिये अलग कार्यक्रम चल रहा है, तिलहन को प्रोत्साहन देने हेतु अलग कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आज तक कितने कृषि कार्यक्रम सरकार के अधिकारियों द्वारा कितने कृषि फार्म, सब तरह के संसाधन उपलब्ध होते हुए, अच्छी जमीन, ट्रेक्टर, इरिगेशन के भी सब साधन उपलब्ध होते हुए और खाद देने के भी सब साधन उपलब्ध होते हुए भी सुचारु रूप से चल रहे हैं? एक भी ऐसा फार्म नहीं है। सरकार के टैक्निकल अधिकारियों द्वारा चलाये जाने वाला कोई फार्म उपयोगी किसी भी तरह से सिद्ध नहीं हो सका है। सब घाटे की वजह से बन्द पड़े हैं। अगर उन फार्मों को किसी काश्तकार को खेती करने के लिये देने की नीयत रखते हैं तो काश्तकारों को नीलाम करके भी वह फार्म दे दिये जायें। एग्रीकल्चर विभाग उनका खर्च तो वहन कर सकता है लेकिन इनके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उनके अन्दर किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा है। गांव के अन्दर इस तरह के जो काम कृषि अधिकारी चला रहे हैं, वह कार्यक्रम उनके लिये बिल्कुल उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं। अगर सिद्ध होते तो उदाहरण देते। आप बतायें कि पाली का फार्म अनसक्सेसफुल क्यों है, रीवां का कृषि फार्म अनसक्सेसफुल क्यों है? आज संसाधन कुए वगैरह हैं या ट्रैक्टर हैं वह पानड़ी पर चढ़ाये पड़े हैं, लेकिन किसी तरह काम में नहीं आ रहे हैं। इसलिये राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग किया गया है। इसके लिये अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेयजल योजनायें बनायी जा रही हैं उनके अन्दर किसी तरह की कोई व्यावहारिकता नाम की बात ही नहीं है। 1981-82 और 1979-80 में जो योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं, उनको आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसी तरह से स्पेशली पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो आबादी ढाणियों के अन्दर है, 80 प्रतिशत आदमी ढाणियों के अन्दर रहते हैं। किन्तु एक गांव में एक स्रोत पर पानी उपलब्ध करके सिर्फ 10-15 प्रतिशत जनसंख्या को ही लाभान्वित नहीं कर सके हैं। इन जल योजनाओं को व्यावहारिक रूप में बनायें अगर ज्यादा जनसंख्या को

(श्री महाराम चौधरी)
लाभान्वित करना चाहते हैं तो। एक गांव के अन्दर कम से कम 3–4 पाइन्ट पर आपको जल उपलब्ध कराना पड़ेगा तभी यह योजना सार्थक सिद्ध होगी, नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रसार के लिये जो इस बजट के अन्दर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और सब्जेक्ट खोलने की आपने व्यवस्था की है. इतने स्कूल आप खोलने में सफल हो जायेंगे किन्तु उन स्कूलों को खोलने में विशेष तवज्जह देने की जरूरत है उन ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर आबादी देखकर या आबादी का घनत्व देखकर शिक्षा का प्रसार करने की आप में प्रवृति आयी है, उसको बदलना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो लोग दूर-दूर रहते हैं उनके बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकते इसलिये वह शिक्षा से महरूम रहते आये हैं। यदि उनकी आबादी कम है तो भी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर सबसे पहले उनमें शिक्षा के प्रसार के लिये प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिये। हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सबसे ज्यादा आपसे यही मांग करते आये हैं और कहते आये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ढाणियों में रहने वाले आदमियों के लिये आपको सोचना पड़ेगा। एक-एक गांव में जो लोग 50–50, 60–60 किलो मीटर के अन्दर बसते हैं, उनके लिये आपको कम से कम 5–6 प्राइमरी स्कूल खोलने पड़ेंगे।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकरण के कार्यक्रम में पंचायती राज और पंचायत समिति के बीच में रोड़ा सा अटकाया हुआ है। इससे काम ओवरलेपिंग आपस में होता है। पंचायती राज को सक्रिय करने के लिये या पुनर्जीवित करने के लिये आपने कहा है। 1952 या उसके बाद 1959 के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिये पंचायती राज की जड़ें जमायी थीं, वह बीच-बीच में अवरुद्ध हो गयी थीं। आज पुनर्जीवित करने के बाद भी इस विकास अधिकरण के होने से, जिसे चाहे दलाल कहिये या बीच की एजेंसी कहिये विभाग के कार्यक्रम में कतई सफलता नहीं मिल रही है। इस पंचायती राज का आप जिस तरह से पुनर्उत्थान करना चाहते हैं, वह नहीं हो रहा है। पंचायती राज को आपने सक्षम बनाने के लिये बहुत से कार्यक्रम सौंपने की जिम्मेदारी ली थी और बहुत से कार्यक्रम, जो उपयोगी और जन साधारण के मकाघमें आने वाले थे, सक्सेसफुल हो सकते थे ………

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया जाय।

श्री भैरूसिंह गुजर : कल सुबह 11 बजे तक ही बढा दो ना।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में निवेदन कर रहा था। पंचायती राज संस्थाओं को आपने सिर्फ कागजों के अन्दर पुनर्जीवित करने की कार्यवाही की। किन्तु जो उनको अधिकार सौंपने चाहिये थे, वह अधिकार नहीं सौंपे। ऐसी योजनायें सौंपी हैं जिनको आप सफलतापूर्वक नहीं चला सकते थे। जैसे हमारे क्षेत्र में हैण्ड पम्प 80 प्रतिशत खराब पड़े हुए थे उन हैण्ड पम्पों को विभाग कतई सफलतापूर्वक नहीं चला सका। ज्यों ही योजना हस्तान्तरित करने की बात आयी तो सरपंचों को सौ सौ रुपये देकर हैण्ड पम्प हस्तान्तरित कर दिये कि इनको रिपेयर कराने के लिये सौ रुपये हैं। अध्यक्ष महोदय, वह हैण्ड पम्प आज तक वैसे ही पड़े हैं। उनके अन्दर जो कमियां थीं, जब हैण्ड पम्प योजना का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में शुरू किया तब से मैं इनकी जानकारी करता आ रहा हूं कि इन हैण्ड पम्प को खोदने के अन्दर किस तरह अनियमितताएं बरती गई हैं। अगर उनकी जांच कराने की कार्यवाही की जाती तो मैं समझता हूं कि सिर्फ 5-10 हैण्ड पम्प सक्सेसफुल हुए मिलते। जब से हैण्ड पम्प योजना शुरू हुई, शुरू होते ही मैंने तो यह कह दिया था कि हमारे क्षेत्र में यह कतई सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें दूसरी योजनाओं से मह . कर दिय। दूसरी योजनायें बन नहीं सकती और हमारी पारम्परिक जल प्रदाय योजनायें थी, जो गांव वाले स्वेच्छा से गांव में चलाते आये थे, कुए खोदने के काम में जो रुचि थी, उनकी तरफ से ध्यान हट गया। आज एक हैण्ड पम्प को चलाते हैं तो 5-4 घड़े पानी भरता है। किसी से तो पानी आ जाता है, किसी से नहीं आता है। पेयजल की हैण्ड पम्प की योजना हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अधिकारियों की लापरवाही के साथ बनायी गयी है, वह कतई सक्सेसफुल नहीं हुई है और सरकार के इस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जो काम करने में सक्षम हैं, उन कार्यों को तो सफलतापूर्वक करें। जन उपयोग के काम करें और जन उपयोगी काम हाथ में लें ताकि जनता को लाभ मिले।

राजकीय उपक्रम हैं हमारे, उनमें कौनसा ऐसा उपक्रम है जिसके अन्दर किसी तरह का फायदा होता हो या सुचारु रूप से चलता हो। न तो उपक्रमों को जनता को सुविधा देने के लिये चला रहे हैं और न कोई फायदे के बना रहे हैं। जितने भी उपक्रम हैं, इनके कार्य संचालन में राज्य अधिकारी कतई रुचि नहीं लेते हैं जिसकी वजह से करोड़ों रुपयों का सालों साल सरकार को घाटा होता है और घाटे की वजह से ग्राम जनता के विकास के कामों पर प्रतिकूल असर पड़ता है, यह तो आप स्वयं ही जानते हैं।

चिकित्सा सुविधाओं के लिये भी इस वर्ष में जो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर उप-केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में थोड़ा बहुत बजट के अन्दर प्रावधान किया है। अगर इनको खोलने के अन्दर सही तरीके से विचार करें और जिस जगह पर इनकी आवश्यकता है, जिन लोगों को इसकी चाहना है जहां पर लोग दूर-दूर रहते हैं, वहां पर आबादी को मद्दे नजर रख कर कि यहां पर इतनी जनसंख्या है तो यहां पर शफाखाना खोल दें तो मैं समझता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में जो लोग बिखरे हुए रहते

(श्री महाराम चौधरी)

हैं, ढाणियों में रहते हैं और पशुपालन का कार्य करते हैं, उन आदमियों को जितनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये, जितना लाभ मिलना चाहिये उस लाभ से आज दिन तक वह महरूम रहते आये हैं और आगे भी महरूम रहेंगे। चिकित्सा सुविधा के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी सबसैंटर, डिस्पेंसरीज और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो सरकार की तरफ से आज तक चलाये जा रहे हैं किन्तु जितने बजट का अलॉटमेंट या जितना दवाइयों का पैसा शहरी क्षेत्रों के शफाखानों के अन्दर मिलता है उतना पैसा उन चिकित्सालयों में आज तक भी नहीं पहुंचा। इससे एक तरह से जो सस्ती दवाइयों और बाजार से मोल ली हुई दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसानों को या गांवों में रहने वाले आदमियों को चिकित्सा सुविधा का भी कोई विशेष फायदा नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा सुविधा जो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर है अव्वल तो ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर डॉक्टर लोग जाना ही नहीं चाहते, यदि किसी डॉक्टर का किसी तरह का कोई आसरा नहीं है तो वह भी ऐसे डॉक्टर होंगे जिनको ज्यादा जानकारी भी नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। ऐसे डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को इससे कोई विशेष फायदा नहीं मिलता है। मेरा सरकार को इस संबंध में सुझाव है कि जो डॉक्टर अनुभवी हैं, जिनकी दस-दस साल की प्रेक्टिस हो गयी है और जो शहरों के अन्दर और शहरी वातावरण के अन्दर घुस गये हैं; अगर आपको शहरीकरण को कम करना है तो उन डॉक्टरों को गांवों की तरफ भेजना चाहिये। जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था की है "प्रशासन गांव की ओर" की उसी तरह से इस तरह के जो तजुर्बेकार डॉक्टर हैं, जो सस्ती दवाई नहीं देकर के रोग की पूरी जानकारी करके निदान करते हैं ऐसे डॉक्टरों को अगर गांवों में भेजा जाय तो गांव वालों को पूरी सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकरण की मैं एक बात कहना भूल गया। जो काश्तकारों के लिये उपयोगी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में अधिकारी लोग उधर तो विशेष तौर पर ध्यान लगा कर काम करते हैं, अभी हमारे खींवसर क्षेत्र के अंदर विकास अधिकरण के जरिये भी भू-जल विभाग के ट्यूब वैल वगैरह खोदने का कार्यक्रम चला था। जिन क्षेत्रों के अन्दर हमारी इच्छा थी, जल स्तर ठीक है उनकी ओर हमने तवज्जोह भी दिलाई कि भाई, इन क्षेत्रों के अन्दर प्राथमिकता से कुए खोदने चाहिये। लेकिन हुआ क्या कि अधिकारियों ने उस क्षेत्र के अन्दर उनके नजदीकी किसी जागीरदार वगैरह की जमीन, जो सीलिंग के अन्दर आई हुई थी, खरीद करके उसके अंदर ट्यूब वैल खोद दिये। अगर यह नोट करें तो मैं नाम बता करके यह बता सकता हूं कि किन अधिकारियों ने, स्थानीय अधिकारियों ने इस भू-जल विभाग और विकास अधिकरण के जरिये बैंक से लोन वगैरह ले करके अपने खुदके कुए खुदवा लिये। यानि मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरफ अधिकारियों की रुचि होती है, जो उनके फायदे की चीज होती है उस चीज को वह प्राथमिकता दे करके वहां पर खुदवा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरोजीदेवी वाइफ ऑफ चन्द्रप्रकाश गौर,

(श्री महाराम चौधरी)

वाल है। चन्द्रप्रकाश पोरवाल हमारे विकास अधिकरण के अन्दर हैड्रोलोजिस्ट होते हैं या जो ट्यूब वैल खोदने की मोटरें होती हैं उसका वह काम करते हैं और स्थान का भी चयन करते हैं। उन्होंने एक जागीरदार की जमीन लेकर ट्यूब वैल खुदवा कर खेती का काम शुरू किया है। इसी तरह से नन्दकिशोर सन ऑफ मुरलीधर पुरोहित हैं। इस विकास अधिकरण के अन्दर जो आपके चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट हैं उनका काम करते हैं। सुमन वाइफ ऑफ सत्यप्रकाश सांी, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, पी.डी. का कार्य करते हैं, उन्होंने भी जमीन, जो उनके क्षेत्र के अन्दर नहीं आती है, खरीद कर, और वह जमीन भी नाजायज रूप से खरीद कर, बेनामी जमीन खरीद कर अपना कुआ खुदवा लिया। यानि सरकार की नीति की अवहेलना की गई है। जो सीलिंग के अन्दर आई हुई जमीन थी वह नाजायज जमीन और बेनामी जमीन खरीद कर के इन लोगों ने अपने ट्यूब वैल खुदवाये। जो काश्तकारों के लिए ट्यूब वैल खुदने चाहिए थे उनके लिए ट्यूब वैल नहीं खुदवा कर वह इन लोगों के लिये ट्यूब वैल खुदे। इससे ज्यादा और अनियमितता क्रियान्वित कार्यक्रमों की किस तरह से हो सकती है। अधिकारियों के फायदे के कार्यक्रमों की ही क्रियान्विति होती है। अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है, माननीय सदस्य

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सहकारिता की बात रह गई है। सहकारिता के लिये बजट के अन्दर भी प्रावधान है और सरकार ने भी बड़े घमन्ड के साथ में यह कह दिया कि हमने 82 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को इस सहकारिता के होड़ में ले लिया है और आने वाली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के वक्त में नब्बे प्रतिशत परिवारों को सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह तो चुनावों की तारीख तय हो गई। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव होने की संभावना थी उसको देख करके लोगों ने चुनाव में आने की नीयत से सहकारी समितियों में सदस्य संख्या बढ़ाई है। उसको न तो सहकारिता विभाग का कोई सहयोग है और न कोई दूसरा है। मैं आपको ऐसी-ऐसी सहकारी समितियां बता सकता हूं जिनके अन्दर बाइस सौ-बाइस सौ मेम्बर हो गये यानि औरतें तक मैंबर हो गईं चुनाव के लिये। यह जो सहकारिता में सदस्य संख्या बता रहे हैं उसमें उनका किसी तरह का योगदान नहीं है। जैसा हमारे भूतपूर्व मंत्री महोदय रामपालजी उपाध्याय कहा करते थे कि सहकारिता जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन को सफल बनाने के लिये उनसे यह पूछा जाय कि कितनी सहकारी समितियों को, डिफंक्ट सहकारी समितियों को आपने पुनर्जीवित किया, कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनके अन्दर ऑडिट होने के बाद में दस-दस साल तक ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति के लिये आपने क्या कार्यवाही की, कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनका जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रथम लोन लिया, प्रथम लोन लेने के बाद से आज तक भी उन्होंने कोई चुकारा नहीं किया। यानि वसूली की तरफ कतई कोई ध्यान नहीं दिया

(श्री महाराम चौधरी)
गया, सालों साल कोई न कोई वजह निकाल करके शोर्ट टर्म लोन वालों को मीडियम टर्म लोन में परिवर्तित करते रहते हैं। तो क्या मतलब है······

(व्यवधान)

घोटाले तो उनके नाम होतें नहीं हैं लेकिन ऋण को ऋण में परिवर्तित कर के ऋण वैसे के वैसे ही रहते हैं। जिस तरह से राजस्थान सरकार पर जो ओवर ड्राफ्ट था उस ओवर ड्राफ्ट को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन कराया······

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। समय समाप्त हो गया।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही बात कह करके राजस्थान सरकार ने, वित्त मंत्री महोदय ने जो यह बजट प्रस्ताव प्रस्तावित किये हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। उनसे मैं यह निवेदन करता हूं कि अभी भी समय है। ऐसा नहीं हो कि आपने जो टैक्स वगैरह बिजली पर बढ़ाये हैं उद्योगपतियों के ऊपर उनके कहने से वह घटा दें। गरीबों पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह जरूर आवश्यकता है कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिये जो आपने योजना बनायी है, उनके लिये जो धन का प्रावधान कम किया है उसको बढ़ायें, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदमियों को राहत दिलाने की कोशिश करें जिससे आपको आशीष दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल मीणा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे एक सदस्य को नहीं बोलने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उजला जो नहीं बोली हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई नहीं बोला है। पहला दिन है, सारे कांग्रेस पार्टी के बोल रहे हैं। या तो तय कर दीजिये एक दिन·····

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस पार्टी से आपके दल ने ज्यादा समय का उपयोग किया है फिर भी जो माननीय सदस्य कांग्रेस दल के हैं, थोड़ा समय लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई न कोई व्यवस्था तो करिये कि कांग्रेस के इतने बोलेंगे इसके बाद अपोजिशन का एक बोलेगा। एक ही एक पार्टी के बोलते रहें।

श्री अध्यक्ष : अभी अपोजिशन के माननीय सदस्य बोले, उसके पश्चात् फिर रघुवीर सिंह जी कौशल बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संख्या तो हमारी ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं वह नहीं, समय के बंटवारे के अनुसार आपके·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय का बंटवारा तो है। समय हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ही नम्बर है। विपक्ष के नेता को एतराज हो, ऐसा क्यों?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आपके बोलने में आपत्ति नहीं है। मैं तो व्यवस्था की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। आपका नोट आ गया। अब इनके बाद माननीय रघुवीरसिंह जी को मैं अवसर दूंगा।

श्री भेरूलाल मीणा।

श्री भेरूलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मार्च को इस विधान सभा में,.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडित जी कुछ सफाई देना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो मजाक था।

श्री भेरूलाल मीणा : जो बजट रखा है वित्त मंत्री जी ने उसका समर्थन करता हूं। सही मायने में दो बजट मैंने भी देखे, क्योंकि 1980 के पूर्व के बजट तो मुझे मालूम नहीं, मैं इसी सातवीं विधान सभा में आया, दो बजट मैंने देखे। उनसे यह बजट उत्तम है, उनसे अच्छा है। जो कुछ इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है, वह सही मायने में ठीक है। इस बजट में जो अच्छाइयां लिखा हैं, उनका समर्थन करते हुए कुछ बातें, मेरे विचार रखूंगा।

(व्यवधान)

आप बोलते हैं, माननीय सदस्य, तब मैं बोलता नहीं। आपको क्या आपत्ति हो रही है ?

एक माननीय सदस्य : फिर आपको, बोलने नहीं देंगे।

एक माननीय सदस्य : आप बोलते हैं हम सुनते हैं।

श्री भेरूलाल मीणा : मैं सबसे पहले सिंचाई के ऊपर अपने विचार व्यक्त करूंगा। इस बजट में करीब 91.7 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसमें से 55.88 करोड़ राजस्थान नहर पर खर्चा करने का बताया गया है और 5.88 करोड माही बांध पर खर्चा करने का बताया गया है, 35.82 करोड बाकी रहता है। मैं जब भी यहां पर बोला हूं तो कहता हूं उदयपुर क्षेत्र में ऐसी कोई योजना नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में वहां पर जो पानी की समस्या खड़ी होगी वह हल हो सके। ऐसी हालत में मैं चाहूंगा, बाकी बची राशि में से कुछ राशि उदयपुर क्षेत्र में लगायी जाये। उदयपुर क्षेत्र में पहाड़ी हैं वह इस तरह की हैं कि कुछ पानी तो गुजरात में बह कर चला जाता है, कुछ पानी जयसमन्द साइड होकर गुजरात में जाता है। दो भागों में वह पानी बंट जाता है। एक भाग का पानी कोटड़ा तहसील होकर बहता गुजरात में गिर्वा, दूसरा सराड़ा, सलूम्बर से बहता है। कुछ पहाड़ियों से काफी पानी बरसात के टाइम में बह कर चला जाता है। वहां सूखे की स्थिति बनी रहती है। मैं चाहूंगा कि जो जनजाति क्षेत्रीय विकास उपयोजना, विभाग का ऑफिस उस पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में खोला गया उसमें भी 60 करोड़ रुपये का प्रावधान है, इतना धन होने के बावजूद भी आज दिन तक ऐसी मोटी योजना, जल योजना हो या कोई उद्योग हो, जिससे उन क्षेत्रों के पिछड़े लोगों को रोजगार मिल सके, मेरी निगाह में सरकार की तरफ से नहीं है यह जरूर

(श्री भैरूलाल मीणा)

है कि वहां दो बड़े उद्योग लगे हैं। हिन्दुस्तान जिंक, आर. एस. एम. एम. के लगे हुए हैं, शहर के पास में ही हैं। हिन्दुस्तान जिंक की एक माइन्स जावर माइंस जरूर शहर से दूर है, वहां पर शायद 45 प्रतिशत आदिवासी लोग, स्थानीय लोग काम करते हैं, बाकी सभी शहर के लोग काम करते हैं। जिंक स्मेल्टर में भी शहर के काफी लोग काम करते हैं। आर. एस. एम. एम. में भी शहर के ही लोग काम करते हैं जब कि सरकार की योजना है कुटीर उद्योग खोले जायें, छोटे धंधे खोले जायं, जिससे आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोगों को सहयोग मिल सके। इस बजट में जो प्रावधान रखा है, सिंचाई के मद में, मैं उसमें चाहूंगा कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर उस क्षेत्र का ध्यान रखे। ऐसे बड़े बांध या छोटे बांध जैसी स्थिति हो, वह देख करके बनाये जायं जिससे जंगल भी बच सकें और लोगों को पानी मिल जाय, पीने के जल की भी व्यवस्था हो जाय और सिंचाई का कुछ साधन मिल जाय।

अध्यक्ष महोदय, आप कभी उदयपुर जरूर गये होंगे। शहर में जाकर आये होंगे। आप कभी मौका मिले तो खेरवाड़ा क्षेत्र में जायं, झाड़ोल क्षेत्र में जायं, आपको मालूम पड़ेगा वहां की स्थिति क्या है?

श्री अध्यक्ष : वहां बंधे बना दिये तो जमीन खेत की डूब जायगी।

श्री भैरूलाल मीणा : जंगल के बीच बनाये जायं तो कोई जमीन डूबेगी नहीं कुछ, नहीं होगा। यह बात सही है, आप जो कह रहे हैं, ऐसी जगह पर बंधे नहीं बांधे जायेंगे . .

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब मैं गया हुआ हूं, वहां। मैंने आपको समस्या बता दी कि आप किसी घाटी में बांध देंगे तो 50 मील तक डूब में आ जायगी जमीन।

श्री भैरूलाल मीणा : ठीक है, वहां बांध ऐसी जगह बांधें जिसके नीचे जो लोग हों, दूसरे हों, उनको फायदा मिले। वहां बांध दीजिये . . . . .

श्री नंदलाल मीणा : माही डैम में डूब में गये आदिवासी, उससे आप चिन्तित हैं ऐसा लगता है।

श्री भैरूलाल मीणा : आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो। वहां बांध बना दीजिये, जिससे आदिवासियों की झोंपड़ी डूबे नहीं और पानी रहे। उसके नीचे आने वाले लोग फायदा उठायेंगे। दूसरे, यह बात तो सही है, मैं भी आपका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मुझे यही डर है।

श्री भैरूलाल मीणा : तो ऐसी जगह नहीं बांधे जायं, जहां पर बांध में झोंपड़ी डूबे। वहां तो बहुत नाले हैं, पहाड़ी के बीच में बांधा जाय। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहाड़ों के बाहर पानी बहता रहता है। आप कभी जायं तो देखेंगे कि हिन्दुस्तान जिंक ने एक तालाब बनाया है, टिडी नदी पर। पहले एक साल में ही अकाल पड़ने से वह नदी सूख जाती थी लेकिन आज हम देखते हैं कि पांच साल से अकाल पड़ रहा है लेकिन वह नदी नहीं सूखती। बांध बंधा है ऊपर, जिसका पानी जंगल में है। एक गांव जरूर डूबा है। उससे लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नदी बहती रहेगी, जिससे लोगों को फायदा ही होगा, कुओं में पानी ऊपर होगा।

(श्री भैरूंलाल मीणा)

दूसरा, पेयजल के संबंध में कहना चाहूंगा । सड़कों के किनारे जरूर हैण्ड पम्प लग गये हैं । बहुत से सदस्यों ने इस पर विचार किया कि हैण्ड पम्प लगने के बाद हैण्ड पम्प खाली पड़े रहते हैं और आधे काम करते हैं । मैं नहीं कह सकता, यह योजना सफल होगी या नहीं होगी । जो मैं आज स्थिति देख रहा हूं उससे लगता है हैण्ड पम्प योजना किसी दिन असफल हो जायेगी । 15-20 हजार रुपये लगा कर हैण्ड पम्प लगाते हैं, वह बेकार हो जायंगे और पानी की समस्या फिर खड़ी हो जायेगी । इससे अच्छा है उस हैण्ड पम्प की बजाय या तो कुएं या एनीकट, आपको जो सिंचाई के संबंध में बात बताई वह हो तो ज्यादा उपयोगी होगा । जहां हैण्ड पम्प नहीं लग सकते हैं, वहां कुएं खोदे जायं तो वास्तव में प्रशासन गांवों की ओर जाने वाली बात साक्षात सही होगी ।

स्कूल खोलने की बात बताई शिक्षा के संबंध में । स्कूल पहले ही खूब हैं ? आज की तारीख में बहुत से स्कूल खाली पड़े हुए हैं, बिना अध्यापकों के हैं वहां पर अध्यापक के चयन में भी झगड़ा है । एस. टी. सी करके आ गये, जो ट्रेनिंग होती है वह करके आ गये नहीं तो कोई अध्यापक होगा नहीं । भले ही आठवीं पास हों या मैट्रिक पास कर लें या एम. ए. पास कर लें या कुछ भी कर लें । गांवों के लोग अनपढ़ होते हैं । आठवीं कक्षा या मुश्किल से कोई मैट्रिक पास कर लेता है फिर वह बेकार घूमता रहता है । मैं अपना यह सुझाव देना चाहूंगा, ऐसे गांवों में स्थानीय लोगों को कुछ शार्ट में ट्रेनिंग दी जाय । उन लोगों को वहां पर अध्यापक के स्थान पर नियुक्त किया जायं । आठवीं पढ़ा लिखा लड़का पांचवीं पढ़ा सकता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । एस. टी. सी. करने के बाद तो उनका दिमाग रहता है वापस अपने घर जाने का । मैं आंखों से देखता हूं जहां सड़क होती है वहां आने और जाने में ही टाइम पूरा हो जाता है । उनका ध्यान रहता है वापस घर कब पहुंचें । तो एस. टी. सी. करने से फायदा ही क्या, उसका ध्यान तो घर जाने का रहता है । बच्चों की पढ़ाई ही नहीं होती है । वह महीना हुआ कि तनख्वाह उठा लेता है । मैं चाहूंगा ऐसी हालत में जहां दूर गांव हैं, भले ही स्थानीय लड़का मैट्रिक पास हो, या आठवीं, 11 वीं हों, ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग देकर स्कूलों में लगाया जाये तो फायदा होगा । उनको रोजी मिल जायगी, और स्कूल खाली भी नहीं रहेगा ।

स्कूलों के संबंध में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार रखे । अगले साल हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल खुले लेकिन इस साल उनका प्रावधान नहीं है क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना से प्रावधान ऊपर चला गया है इसलिये नहीं खोल सकते हैं। 600 मिडिल स्कूल और एक हजार प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रावधान है । मैं नहीं चाहूंगा कि उसमें कमी की जाय लेकिन फिर भी सरकार के सामने बजट की समस्या खड़ी होती हो तो उसमें कटौती करके जहां जहां गांवों या और जगहों पर लड़कियों को पढ़ने में असुविधा होती है वहां कन्या हायर सैकण्डरी या सैकण्डरी स्कूल खोले जाने चाहियें ।

वनों के संबंध में सरकार की योजना है, जहां जंगल है वहां पेड़ लगाये जायं वहां सरकार से जमीन अलॉट कराई जाय ।

(श्री भैरूंलाल मीणा)

बहुतों को की भी है। दूसरी तरह 4, 5, 10 साल से जिनके कब्जे हैं नाजायज जंगल या रेवेन्यू लैण्ड पर उनको पैनल्टी देने के बाद भी अलॉट नहीं की जाती बल्कि लोगों के नाजायज कब्जे हैं वहां पेड़ आज भी उनके मौजूद हैं। जहां कब्जे नहीं हैं वहां पेड़ों का विनाश हो गया है। ऐसी हालत में स्थानीय कुछ मापदंड निर्धारित करके जमीन लोगों को अलॉट की जाय जिससे पेड़ों की रक्षा हो, जंगल भी रहें और उनको घास-फूस की सुविधा भी मिल जाय, उनका गुजर भी हो सके और गाय भैंस को भी सुविधा हो।

चिकित्सा के बारे में जो प्रावधान है वह बहुत बढ़िया है, वित्त मंत्री जी ने बड़े अच्छे ढंग से रखा है। चिकित्सा के मामले में ये सफल होंगे। इसमें भी मुझे एतराज है कि गांवों में जहां डिस्पेंसरियां हैं, पी. ए. सी. हैं वहां आज भी डॉक्टर नहीं है, न कम्पाउण्डर है। अभी पिछले हफ्ते मैं कोटड़ा गया था, पानरवा पंचायत में। वहां पी. एच. सी. की इमारत बनी हुई है दो साल से, डॉक्टर वगैरह भी सैंक्शन हैं लेकिन स्थानीय नागरिकों से पूछा तो वे कहते हैं कि अभी तक डॉक्टर नहीं आया और आता है तो दो महीने, 15 दिन रुकता है फिर वापस चला जाता है। कोई कम्पाउण्डर नहीं है, केवल चपरासी रहता है। तो योजना बड़ी अच्छी है, बजट भी बहुत बढ़िया है किन्तु उसको कार्यरूप देने के लिये अगर सरकार वास्तव में पाबन्द करे तब तो सफलता मिलेगी बाकी खाली आंकड़े पूरे करते रहेंगे, अपाइण्टमेंट देते रहेंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे, गांव से वापस शहर में लाते रहेंगे तो "प्रशासन गांवों की ओर" वाला मामला फिट नहीं बैठेगा। मैं चाहूंगा सरकार जिसको भी अपाइन्टमेंट दे उनको पाबन्द करे। चाहे स्कूल या चाहे अस्पताल के लिये जिसका भी अपाइन्टमेंट हो, मैं चाहूंगा कि जो भी नया अपाइन्टमेंट हो वह कम से कम पांच साल तक गांव में रहे। फिर उन्हें टर्न बाई टर्न शहर जाने का मौका मिले। इसमें पॉलिसी होनी चाहिये, नीति निर्धारित होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफर के कारण विकास के काम दूर रह जाते हैं। ट्रांसफर में ही आधा समय उलझ जाता है, विकास के काम हो नहीं पाते और हमारा टाइम खराब होता है। तो इसकी नीति होनी चाहिये कि कितने समय गांव में रहना है, कितने समय कहां कहां रहना है तभी जाकर इसका उपयोग होगा।

बढ़िया शिक्षा के संबंध में अगले साल घोषणा की थी कि 300 स्कूलों को बढ़िया शिक्षा के तहत चयनित किया गया। इसमें एक भवन बनाने का प्रावधान रखा था, 30 हजार रुपये देने की बात थी। बाद में वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से 15 हजार कर दिये। इस संबंध में मुझे आज भी शंका है। कितने कमरे बन कर तैयार हो गये, उसका कोई हिसाब नहीं है। जैसा कि हम सुनते हैं, कहीं कहीं कमरे बने वह वापस गिर गये। ऐसी हालत में बजट का सही रूप से उपयोग होना चाहिये और सोचना चाहिये कि इसको किस तरह से करना है। जैसा कि बढ़िया शिक्षा के साथ हुआ, हेमाराम जी ने प्रश्न पूछा उसमें मुझे ऐसा लगा कि एक ही जिले में कुछ 80-90 हजार रुपये अलॉट किये गये थे उसमें से 60 हजार लेप्स हो गये। तो पैसा दिया वह लेप्स हो

(श्री भैरूंलाल मीणा)

गया वापस मिला नहीं । सैंक्शन जरूर हो गया। लेकिन उसका उपयोग हुआ नहीं । कारण बता दिया मंत्री महोदय ने कि समय पर सामान नहीं मिला और जिस फर्म से सामान आना चाहिये था वह नहीं आने के कारण ऐसा हुआ । बात सही है, मेरे इलाके की बात है । पता नहीं, कहां टेण्डर हुआ, कैसे हुआ । मेरे क्षेत्र का टीडी स्कूल भी बढ़िया शिक्षा के तहत आया था । उसमें कक्ष रूम बनना था । ठेकेदार ने दो ट्रक चना, दो ट्रक रेती, एक ट्रक पत्थर डाल दिया हिसाब हो गया पांच हजार का । दूसरी तरफ एक पैनल रख दी तीन हजार की । 8-9 हजार तो इसमें हो गये तो कारीगरों के लिये पैसा और छत का सामान का कहां से आयेगा । हैड मास्टर को जिम्मेदारी दे दी कि जन सहयोग से कमरे को पूरा करे । तो मुझे जिला परिषद् में जाकर कहना पड़ा कि इस प्रकार कमरा पूरा होगा नहीं । तो हमने वहां पर भवन निर्माण समिति बनाई थी उसकी मार्फत कमरे को बनाया । उसमें 20 हजार रुपये हमारे और लग गये तब जाकर कमरा बना । ऐसी हालत जन सहयोग से हैड मास्टर अकेले गांव से इतना पैसा इकट्ठा कर नहीं सकते । तो इस तरह से योजना जरूर हमारी जोरदार है, बजट बड़ा जोरदार है किन्तु इसको कार्य-रूप में परिणित करने के लिये सरकार सख्ती से कार्य करे तब तो कुछ होगा अन्यथा मैं समझता हूं, बजट केवल कागजों में रह जायेगा ।

मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिये काफी धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में आपने औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत राज्य में 8 औद्योगिक बस्तियों में 2,592 मकान निर्मित करने का प्रावधान रखा है । आपका ध्यान मजदूरों की तरफ भी गया है । आज तक मैंने नहीं सुना था कि किसी का ध्यान मजदूरों की तरफ जायगा । किन्तु इस बजट से लगता है कि मजदूरों की तरफ ध्यान गया है । उनको भी रहने बैठने की सुविधा चाहिये । सरकार या राज किसानों और मजदूरों से चलता है । ये अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सरकार भी ठंडी हो जायेगी, घाटा होता रहेगा । इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं कि आपने उनकी तरफ भी ध्यान दिया ।

राज्य परिवहन निगम एक राजकीय उपक्रम है । मैं खुद मजदूरों में काफी रहा, उनकी आवाज उठाई कि निजी उद्योगों को सरकार अपने हाथ में ले । लेकिन जब यह सारे जो उद्योग सरकार के हाथ में आये उसके बाद मेरे मन में ऐसी शंका पैदा होने लगी है कि राजकीय उपक्रमों में घाटे के सिवाय कुछ मिलता नहीं । इसमें किसकी कमी, त्रुटि है यह तो भगवान ही जानता है किन्तु अगर यह प्राइवेट सैक्टर में होता तो एक बस से दूसरे साल में दो बसें खड़ी कर देता । लेकिन इसके अन्दर हमारे बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैनेजर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, दुनियां भर के ऑफिसर भरे हुए हैं । जितना पैसा , जितनी कमाई होती है वह इन्हीं में चली जाती है । तो घाटा नहीं होगा तो क्या होगा । कहीं घपले होते हैं, चोरियां पकड़ी भी जाती हैं एक बार इंजन का इंजन चला गया । वहां भी हमारा आना जाना होता है । हमारे साथी वहां

(श्री भैरूंलाल मीणा)
आते जाते हैं । इससे मालूम पड़ा कि काफी चोरियां होती हैं । इन चोरियों को नहीं पकड़ा गया । मुकदमे दायर हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ । इससे यह लगता है कि चोरी छोटे आदमी द्वारा नहीं होती है । कोई न कोई बड़ा आदमी भी साथ में होता है । उनको वह बता देता है और उसको बचा देता है । चोरों को सजा नहीं देंगे तो फिर यह उपक्रम, जो भी उद्योग सरकार चलाना चाहती है, सक्सेस नहीं होंगे । मैं चाहूंगा कि जैसे भी हो, जिस काम के लिये जिसको रखा है उसकी उसके लिये जिम्मेदारी होनी चाहिये । हम अपने काम के लिये अपनी जिम्मेदारी निभायें ।

सभी सदस्यगण इस बात से दुखी हैं कि हमारे राजस्थान में अकाल पड़ा, कई तरह की विपदायें हैं, उनका मुकाबला कैसे किया जाये । यदि चिल्लाने से, गाली देने से, जलूस निकालने से या प्रदर्शन करने से समस्या हल हो जाती है तो हम सबको मिल कर के प्रदर्शन करना चाहिये । सारे राजस्थान में हम सबको मिल कर प्रदर्शन करना चाहिये । यदि नहीं तो इस समस्या का किसी तरह से समाधान किया जा सकता है, इस पर हम सब बैठ कर विचार करें । लोगों के दिमाग में गलत भ्रम पैदा होता है उसको किस तरीके से उनके दिमाग से निकाल सकते हैं । जिम्मेदारी से हम समाधान की ओर जायेंगे तो जरूर हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है । हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति आ जावे तो उसका मुकाबला कर सकते हैं । यह बजट देख कर विपक्ष के सदस्य जरूर बौखला गये हैं । उनके पास बोलने का कोई मुद्दा नहीं रहा ।

यह बात तो सही है । इस बजट में न तो कोई नया कर लगाया गया है और न कोई नुकसान वाली बात है । केवल बड़े उद्योगों, जो बिजली का उपयोग करते हैं, के ऊपर कर लगाया है । अब विपक्ष के सदस्य क्या करेंगे । और कोई बातें खड़ी करके यहां पर गुमराह करेंगे । हम चाहेंगे कि हम गुमराह नहीं हों । हम अपने कर्तव्य को निभाते रहें । मैं मंत्रीगण से निवेदन करूंगा कि बजट को सही रूप में उपयोग में लें और भाई-भतीजेवाद को बढ़ावा नहीं देवें, हमारे मिलने वाले ऑफिसर हैं । चाहे किसी प्रकार के अधिकारी हों, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सख्त सजा देनी चाहिये । जब तक अधिकारीगण को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम भले कितने ही बजट बना लें, हम योजना बना लें, दिशा निर्देशन के अनुसार चलते रहेंगे तो भी मेरे ख्याल से हम सक्सेस नहीं होंगे । मैं चाहूंगा कि इस विषय में सरकार ध्यान देगी और इस बजट में जो दर्शाया गया है उसको कार्यान्वित किया जावेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से इस बजट का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं । यह अति उत्तम बजट है । इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल । माननीय सदस्य, इस-बात का ध्यान रखें कि पांच दिन सामान्य वाद विवाद बजट पर है । उसमें आपके दल ने एक ही दिन में आधे से अधिक समय का उपयोग कर लिया है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कोई नहीं बोलता है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। ऐसी बात नहीं है। इसलिये भाषण को सीमित रखें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच मिनट का समय आप श्री भगवान दास जी को दे दें क्योंकि इन्हें आज ही जाना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री भगवान दास।

श्री भगवान दास डोसी (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बजट का सही तरीके से उपयोग किया जाय। जैसे कि मेरे जैसे सदस्य, जो कम बोलने वालों में हैं या कम मांग करने वालों में हैं, मांगते हैं तो लिहाज से कम कर के हिस्सा कम मिलता है। जिस तरह से पहले काम हुआ है उनके नोट तैयार किये जाने चाहिये। जहां ज्यादा स्कूल खुल चुके हैं और हमारे इलाके में कम हैं तो हम को ज्यादा देने चाहिये। शिक्षा के विषय में मेरा यह निवेदन है। जितने भी पशु चिकित्सालय हैं, प्राथमिक सब सैंटर हैं, तीन साल में मेरे इलाके में एक भी पशु चिकित्सालय, प्राथमिक सैंटर नहीं खोला गया है। मांगते हैं लेकिन लड़ाई नहीं करते हैं इसलिये बराबर हिस्सा नहीं मिलता है। मैं सरकार से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो कमी दो तीन साल में रही है वह पूरी की जानी चाहिये।

शिक्षा के विषय में मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में एक तरह 15 लड़के स्कूल जायेंगे तो उसी जगह कुछ सब्सिडी या अलाउन्स मिलेगा और दूसरी जगह यह बोलते हैं कि 40 लड़कों पर एक मास्टर देंगे। इससे बहुत से स्कूल बंद पड़े रहते हैं। इसलिये यह निवेदन है, जैसे आयुर्वेद औषधालय हैं, पशु चिकित्सालय हैं, इनसे किसी तरह से हम को वंचित नहीं रखा जाना चाहिये।

पानी के विषय में मेरा निवेदन है कि जिन गांवों में टैंकरों से पानी जाता है वहां पहले पानी होना चाहिये। लेकिन सरकार की इस नीति से कि हमारे गांव के आंकड़े ज्यादा जाये, जहां पानी की सुविधा है, वहां कम खर्चा लगता है। वहां पर पहले आंकड़ों के जाल में फंस कर रह जाते हैं। जो हमारे दूर दराज के गांवों में पानी की तकलीफ है, जहां खारा पानी है जहां टैंकरों से पानी जाता है, वहां की स्कीम न बना कर हैण्ड पम्प की स्कीम बनायी जाती है तो यह उचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो हमारे गांव हैं, जहां बिलकुल खारा पानी है वहां पर पहले स्कीम बननी चाहिये।

बिजली के बारे में निवेदन यह है कि हमारी पंचायत समिति को भी आर. ई. सी. स्कीम में लिया गया है और 31 मार्च तक लाइन का प्रोग्राम है। लेकिन अभी तक एक भी खंभा नहीं गाड़ा गया है। सामान बाड़मेर जरूर आ गया है लेकिन यह भी सुनने में आ रहा है कि कहीं प्रभावशाली लोग उसको दूसरे जिले में न ले जाय और हम लोग वंचित रह जाय। इसलिये बिजली मंत्री महोदय और सरकार इस ओर ध्यान दें...

श्री अध्यक्ष : यह खतरा पूरा है। मेरे एरिया में भी ऐसा हो गया था।

श्री भगवान दास डोसी : यह नहीं होना चाहिये। इसलिये यह निवेदन करता हूं कि 8 गांवों को बिजली 31 मार्च तक देने का लक्ष्य है, परन्तु जब तक बिजली नहीं आयेगी तब तक इन तीन गांवों को कैसे बिजली दे पायेंगे। आर. ई. सी. स्कीम बनी है 50 गांवों की सिचाई के लिये उनमें पांच गांव ऐसे लिये हैं जिनके आसपास पानी खारा है और वहां न कोई पानी या लट्टू लेने वाला है। इसलिये जन प्रतिनिधियों से पूछ कर जहां सिंचाई का काम हो सकता है वहीं काम पहले किया जाना चाहिये

(व्यवधान)

बाकी बजट अच्छा है। मैंने इसको पढ़ा है। पक्की रोड का कोई काम मुझे इसमें नहीं दीखता है। अकाल राहत कार्यों में पैसा खर्च हो जाता है इसलिये सरकार के पास धन की कमी है। ग्रेवल रोड बनती है। इससे हमारे इलाके में कपड़े खराब हो जाते हैं। अकाल राहत में इसको मैटल करो। योजना बना कर हमारे इलाके में, एक एक एम. एल. ए. के निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 20–25 किलोमीटर की एक रोड बननी चाहिये।

दूसरा निवेदन अकाल राहत कार्यों के बारे में है। अकाल हमारे यहां पर पिछले चार-पांच साल से पड़ रहा है। अकाल में मजदूरों की संख्या अधिकतर 35 हजार है। इस संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। हमारे यहां के लोगों की हालत खराब है। कम से कम 20–25 हजार मजदूर काम करने के लिये अन्य जिलों में गये हैं। हमारे इलाके में कोई धंधा नहीं है। इसको दूसरे जिले के बराबर नहीं गिनना चाहिये। कोई भी मजदूर दूसरे जिले से बाड़मेर में नहीं आता है। वह दूसरे जिलों में जाता है। यह सब जानते है कि बाड़मेर जिले में सबसे भयंकर अकाल रहता है। खैर, कोई बात नहीं है। जो कुछ काम चालू हो गया है, अब चार महीने के लिये तो ज्यादा से ज्यादा काम करें। हमने निवेदन किया था कि आधा ऋण और आधी सहायता दी जाय परन्तु यह बात नहीं मानी सरकार ने। पर अब कम से कम इस महीने में तो 75 हजार तक लेबर आनी चाहिए।

दूसरे चारे के बारे में तो ठीक है लेकिन चार सब-सेंटर बहुत उपयोगी रहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में ये कायम रखे जायं और ज्यादा खोले जायं। पी. बाई. 150 फीट तक तो मन्जूर है सरकार की तरफ से लेकिन 200 फीट की इजाजत मिलनी चाहिए क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं।

मैं अन्त में इस बजट भाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। इसका उपयोग किया जाय। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल !

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय विधायक अभी बजट प्रस्तुत करने पर माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई दे रहे थे, सदन में बधाई दे रहे थे ऊपर के मन से, बाहर जब

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मिले तो बता रहे थे कि इसमें विकास की कोई सम्भावनायें नहीं हैं।

मैंने इसको किसानों की दृष्टि से देखा है तो लगा यह बजट एकदम किसान विरोधी बजट है। जब कहा गया कि मीठा है, कड़ुवा है तो यह तो एकदम फीका है बजट। जैसे लापी होती है ना, लगती तो हलुए की तरह से है लेकिन गले के नीचे नहीं उतरती है। टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। लेकिन क्या यह बजट विकासोन्मुख कहा जायेगा? क्या इसमें वह सब कुछ है जो होना चाहिए? क्या जिन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए, सिंचाई और बिजली और कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए वह दी है? आपने तो कृषि के बजट को लैप्स किया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। बातें नहीं करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वाणिज्यिक फसलों के लिये 82-83 का जो टार्गेट 170.70 लाख का था और जो संशोधित बजट अनुमान है वह है 108 का और 108 तो फर्जी है वह तो गलत बताया गया है मैं बताऊं इन्होंने 71 लाख रुपया लैप्स किया है इन वाणिज्यिक फसलों में। आप तो किसान हैं, अध्यक्ष महोदय, पौध संरक्षण किसान के लिए कितना उपयोगी है, आवश्यक है। लेकिन पौध संरक्षण में इन्होंने 20 लाख रुपया खर्च किया है। पौध संरक्षण के लिये किसान दवाइयां लेने के लिये तरसता है। अफसोस इस बात का है कि यह दवाइयां जयपुर के ऑफिस से मार्केटिंग डिवीजन तक नहीं पहुंची है . . .

श्री अध्यक्ष : रायड़ा और सरसों को कीटनाशक दवाइयां नहीं होने से काफी नुकसान हुआ है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर तो नुकसान हुआ है और यहां पर दवाइयां पड़ी रही हैं। कृषि अनुसंधान का काम बहुत आवश्यक है लेकिन कृषि अनुसंधान का बजट भी लैप्स कर दिया। इसी प्रकार देखें तो बजट प्रावधानों के बाद भी लैप्स किया है तो यह सरकार की निष्क्रियता है, निकम्मापन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ टार्गेट फिक्स किये हैं, तय किये हैं 82-83 के इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ हाई ब्रीड वेरायटी एण्ड इम्प्रूव्ड सीड 82-83 में रखा है, 1.44 लाख क्विंटल। इम्प्रूव्ड वेरायटी और हाई ब्रीड आपके पास है ही नहीं। आप कहां से लाते हैं? आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता नहीं है, मंगवाता नहीं है यह वैराइटी। सीड कार्पोरेशन उन्नत किस्म के बीज पैदा करता है। तो मुझे बतायें कि क्या सीड कार्पोरेशन में इतना बीज पैदा किया है? अगर पैदा नहीं किया है तो आपने कहां से इम्प्रूव्ड वैरायटी का 1.44 लाख क्विंटल बीज बांटा है? कुल मिलाकर सीड कार्पोरेशन ने 78 हजार 840 और 96 क्विंटल सब प्रकार का बीज पैदा किया है, यह तो तब हुआ है जब उन्होंने फर्जी बाजरा और ज्वार भी खरीदी है, वह भी इसमें शामिल है। जब उन्होंने कुल मिलाकर बीज ही इतना उत्पादित नहीं किया है, जिसमें से भी बिहार गया है यहां पर कम काम में आया है यहां तो 2000 क्विंटल ही गेहूं का हुआ है, ऐसी स्थिति में आप बीज कहां से बांटेंगे? आप यह फर्जी आंकड़े कैसे पेश कर रहे हैं?

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सीड कॉर्पोरेशन पैदा करता नहीं है और कृषि डिपार्टमेंट बनाता नहीं है तो यह हाई ब्रीड वेरायटी कहां से आयी ? अब यह कहां है, जैसा फर्टीलाइजर का 3 लाख टन का टार्गेट था गत वर्ष का उसको भी ये पूरा नहीं कर पाये हैं। आंकड़े बड़े-बड़े हैं अब घबरा कर यह टार्गेट भी दो लाख टन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन खाद की शिकायत तो आयी नहीं, विधान सभा में भी नहीं आयी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कहां से आयेगी, अध्यक्ष महोदय आपने जब छेड़ ही दिया है तो मैं सब बातें छोड़ कर इसी बात पर आता हूं।

खाद की शिकायत तो तब आयेगी जब इनका डिपार्टमेंट काम करेगा, इनका डिपार्टमेंट समय पर पानी देगा, जब कीटनाशक औषधियां समय पर मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने फर्टीलाइजर के बारे में पढ़ा होगा, राजस्थान में फर्टीलाइजर टेस्ट हुए थे उसमें सभी तो सब स्टेंडर्ड सिद्ध नहीं हुए, अमानक सिद्ध नहीं हुए हैं। हरियाणा में कोटा का श्रीराम यूरिया सब-स्टेंडर्ड सिद्ध हुआ, वहां से वारंट आये और उसको हथकड़ी पड़ी। राजस्थान में क्या हुआ ? अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि डिप्टी डायरेक्टर, क्वालिटी कन्ट्रोल ऐसा बैठा हुआ है जो स्वयं पैसा खाता है और मंत्रियों तक पहुंचाता है। इनसैक्टीसाइड्स के बारे में मैंने पिछली बार प्रश्न किया था, 912 नमूने इनसैक्टीसाइड के लिये थे, इनसैक्टीसाइड के ही नही पौध व्याधि-नाशक और कीटनाशक औषधियों के 912 सैम्पल लिये गये थे, उनमें से सिर्फ 312 टेस्ट हुए, 600 तो गायब हो गये, या कर दिये गये। 312 में से 113 नमूने सब-स्टेंडर्ड पाये गये। इन 113 में से चालान कितनों का किया गया, मुझे मन्त्री जी ने बताया था कि 16 का चालान किया गया जब कि 113 नमूने सब स्टेंडर्ड सिद्ध हुए थे उन्होंने 16 कहा था और मैंने उनको चेलेंज किया था कि 2 का चालान हुआ है, दो से तीसरे का भी चालान नहीं हुआ है, सिर्फ दो का ही चालान हुआ है। क्या चिन्ता करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय। कीटनाशक औषधियों के बारे में दिल्ली में सुना है, हरियाणा में फर्जी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो कीटनाशक औषधियां बना रही हैं, फर्जी लेबल से माल बना रही हैं और यहां माल आ रहा है। इसलिये यह हो रहा है कि इनका डिपार्टमेंट सैम्पल नहीं ले रहा है। इस कारण यह हो रहा है कि उसका सारा नुकसान किसानों को हो रहा है। फर्टीलाइजर्स के बारे में निवेदन कर रहा था कि जब श्रीराम यूरिया हरियाणा में सब-स्टेंडर्ड सिद्ध हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, मिली-भगत है. डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल मैन्युफैक्चर्स से मिला हुआ है। जब भी कोई सेम्पल टेस्ट होता है तो डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल और डायरेक्टर एग्रीकल्चर दोनों मिलकर ऑफिसर पर दबाव डालते हैं। जो नहीं मानता है उसका ट्रान्सफर कर देते हैं। इस कारण सैम्पल लेने के बाद भी कोई कुछ नहीं करता है। अभी मैंने एक प्रश्न दिया है असेम्बली में कि 6 असिस्टेंट डायरेक्टर, जो क्वालिटी कन्ट्रोल के हैं, बैठे हुए हैं, उन्होंने अब तक कितने सैम्पल लिये

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हैं ? उन्होंने अलग अलग कितने कितने सैम्पल लिये हैं ? कोई सेम्पल नहीं लिये गये हैं। लेकिन अब एक एक दिन में 100-100 सेम्पल लिये जा रहे हैं। अब लेबोरेट्री काम नहीं करेगी, लेबोरेट्री में बात तय हो जाती है। पिछली बार जब मैंने पूछा था, उस समय एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ था, उस समय थोड़ा सा काम हुआ था, पर ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स, जो इनसैक्टीसाइड के, जो पैस्टीसाइड के हों, चाहे फर्टीलाइजर के हों, डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल से मिले हुए हैं, डायरेक्टर मिला हुआ है। और मन्त्री मिला हुआ है। ये सब मिल कर किसानों का खून चूस रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, 12 सेम्पल अमानक सिद्ध हो चुके हैं किन्तु चालान नहीं हुआ है, सिर्फ 2 का चालान हुआ है। वे भी आकर नहीं मिले वरना उनका भी नहीं होता। फर्टीलाइजर में यही स्थिति है, सीड में यही स्थिति है, सीड की फर्जी कम्पनियां चल रही हैं। जितनी तिल्ली नाना प्रकार की थी, प्रताप तिल्ली का लेबल लेकर इस बार प्रथक् प्रथक् जगह बिकी। गांव में किसानों से पूछ लें, प्रताप तिल्ली के नाम पर नाना प्रकार की तिल्ली कई प्रकार की तिल्ली एक ही थैली में बिकीं, एक छोटी एक बड़ी, यह हुआ। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सैम्पल नहीं लिये जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। कम्पनी फर्जी खुल गयी है जो कि फर्जी सीड बेच रही है। अब मैं एक उदाहरण दूं आपको, अध्यक्ष महोदय, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक कम्पनी खुली, अधिक उत्पादन के लिये पन्तनगर के स्वास्तिक उन्नत किस्म के गेहूं के बीज की। राजस्थान पत्रिका में पांच बार उसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया। ये बिहारी गेहूं ले जा रहा था 11 ट्रक उसमें से चार तो निकल गये और बाकी 7 ऊंचा नगला भरतपुर के चैकपोस्ट पर पकड़े गये। उसमें बीज था नकली और मशीनें थीं, ठप्पा था केमिकल था···

श्री अध्यक्ष : यहां से उठा कर जा रहा था।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यहां से, मन्डी में से उठाकर जा रहा था उसका तो काम ही यही था। उसको पता तक नहीं था, दुकान का काम नहीं था, अध्यक्ष महोदय, यह पता लिखा हुआ था, राजस्थान कार्यालय सी–13, भागीरथ कॉलोनी, चांदनी हाउस, चौमू हाउस, सी–स्कीम, जयपुर। और सीड कौनसा था। इसका जो साइक्लोस्टाइल होता है वह उसके पास में है। सुभाष नगर, हल्द्वानी, जिला क्या नैनीताल में इनका हैड ऑफिस है।

श्री अध्यक्ष : ट्रक पकड़ा कैसे गया ? गलती हो गयी ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पैसे का सौदा नहीं हुआ बाद में हो गया····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान की निकासी बन्द है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गयी, जिसमें 1,500 कट्टे स्वचालित मशीन, ठप्पा कैमिकल मशीन, सब पकड़े गये। वह आदमी नहीं आया। सौदेबाजी हुई, अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट लिखने के बाद वह सारा बीज आटे में बदल दिया गया। वह आटा हो गया।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

अब आप समझते हैं कि यदि वह यहां से गेहूं ले जायें तो चाहे जैसा गेहूं हो, कैमिकल मिलाना पड़ता है, ऊपर रंग दिखाने के लिए ताकि रंग साफ नहीं दिखे।

श्री अध्यक्ष : आटा कट्टों में नहीं भरा जाता।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कट्टों में भरा जाता है। तो, अध्यक्ष महोदय, वह गेहूं तो आटा हो गया, बदल गया। उसमें कैमिकल मिला हुआ था, उसको यदि लोग खायेंगे तो क्या होगा। यह कैसा कांड करना चाहते हैं! कितने कांड कर चुके हैं यह घना कांड हो गया, हैण्ड पम्प कांड हो गया, हींग कांड हो गया, आंख फोड़ो कांड हो गया। यह तो कांड एक्सपर्ट हो गये। कांड पर कांड करना और कांडों को दबाना, इनका एक ही धंधा हो गया है। कितना बडा स्कैण्डल है, अध्यक्ष महोदय, 7 ट्रक पकड़े गये। मेरे पास ऐसे आदमियों के सबूत हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, जिनके पत्र मेरे पास आये हैं कि हम गवाही देंगे। चैक पोस्ट का आदमी गवाही देने को तैयार है, पुलिस के सिपाही जिनको पैसा नहीं मिला, गवाही देने को तैयार हैं कि गेहूं पकड़ा गया था। इनके नाम लिखे हुए हैं। आप चाहेंगे तो पर्सनली बता दूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि फर्जी बीज की कितनी दुकानें चल रही हैं, उनका कोई सैम्पल नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? मिलीभगत है। उस मिलीभगत के कारण आज किसान को नुकसान हो रहा है। आज इनसैक्टिसाइड शुद्ध नहीं मिल रहा है, आज फर्टिलाइजर शुद्ध नहीं मिल रहा है, आज बीज शुद्ध नहीं मिल रहा, और भी किसान के काम आने वाली सभी चीजों की हालत माननीय मंत्री महोदय जानते हुए भी उपेक्षा करते हैं क्योंकि इनको गरीब और मध्यम किसानों की चिन्ता नहीं है। इनको चिन्ता है बड़े किसान की बड़े किसान को सी.ए.डी नहीं चाहिए तो यह सी. ए. डी. तोड़ने का प्रस्ताव अपनी तरफ से करेंगे। क्योंकि इनके चहेते किसान के एक एक खेत में एक एक मोगा है, उनकी जमीन सीलिंग में गई है तो सीलिंग वालों को जमीन अलॉट हुई उनको कब्जा नहीं दे रहे हैं कि री-कैचमैण्ट हो जायेगा, खेत अलग अलग हो जायेंगे, दूसरे रोज कब्जा मिलेगा इस एक इन्ट्रैस्ट से हाड़ौती से चुन कर आये प्रतिनिधि वित्त मंत्री ने हाड़ौती के साथ अत्याचार किया है केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए इसलिए फर्टिलाइजर में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो इनको चिन्ता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फर्टिलाइजर के बारे में निवेदन करूं कि यह अक्ल नहीं लगा सकते तो नकल तो कर सकते थे। हिन्दुस्तान में किसी प्रदेश में फर्टिलाइजर पर चुंगी नहीं है, अध्यक्ष महोदय, सिवाय राजस्थान के। एक राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जिसमें चुंगी और चुंगी प्लस एक पर्सेंट multy point octroi on the value of the Fertilizers. मेरे पास लिस्ट है, सारे प्रदेशों की, कहीं चुंगी नहीं है। कई जगह तो सेल्स टैक्स भी नहीं है। हमारे यहां सेल्स टैक्स है 5 प्रतिशत अध्यक्ष महोदय, गुजरात में 4 प्रतिशत। मध्य प्रदेश में 3 प्रतिशत, केरल में 2 प्रतिशत, तमिलनाडु में 3 प्रतिशत, आंध्र में 4 प्रतिशत, कर्नाटक में 2 प्रतिशत, उड़ीसा में 4 प्रतिशत, पंजाब में सेल्स

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

टैक्स नहीं है, हरियाणा में सेल्स टैक्स नहीं है, जम्मू कश्मीर में सेल्स टैक्स नहीं है, महाराष्ट्र में सेल्स टैक्स नहीं। इतने प्रदेशों में सेल्स टैक्स नहीं है, हमारे यहां सेल्स टैक्स है। किसी प्रदेश में चुंगी नहीं है, हमारे यहां चुंगी है। क्या। वित्त मंत्री महोदय, आपने आम किसान की जरूरत को महसूस किया ? फर्टिलाइजर के भाव पिछले 3 साल में, अध्यक्ष महोदय, ढाई गुना हो गये हैं। किसान की पर्चेजिंग कैपेसिटी कम हो गयी है इसलिए आपके फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में कमी हो रही है। मैं इस बात को कहना चाहता था कि फर्टिलाइजर लोग खरीदने की स्थिति में नहीं, आज की तारीख में। अध्यक्ष महोदय, सारे स्टेट स्माल फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं। प्रत्येक स्टेट की मेरे पास लिस्ट है। राजस्थान ही एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें कोई सब्सिडी स्माल फार्मर्स को नहीं दी जाती फर्टिलाइजर्स में। तो किसानों के बारे में सोचते समय, बजट बनाते समय क्या इन सारी बातों पर आपने सोचा ? क्या किसानों के बारे में आपने सोचने की कोशिश की ? आप जो कुछ कर सकते हैं, किसान को कुछ राहत तो देते। आप टैक्स कमा रहे हैं, चुंगी लग रही है उस पर लेकिन उसके बारे में आपने विचार नहीं किया, अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : किन प्रदेशों में कितना है सब्सिडी फर्टिलाइजर पर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय, उनके बोलने के पहले मुझसे यह कहा था कि फिर खूब बोलना।

Andhra में है 33.3% of the cost of P & K, subject to the maximum rupees of 200 /-peracre. Gujrat में है all type of Farmers except Manure/Mixture & S. S. P. 25% to all class of Farmers.

Himachal Pradesh में है all farmers 33%, Jammu & Kashmir में Marginal farmers 38%, Karnataka में Marginal farmers 33%

श्री अध्यक्ष : गुजरात और पंजाब और हरियाणा का क्या ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : गुजरात का बताता हूं :

Gujrat में all type of farmers except manure, mixture & S. S. P. 25% to all class of farmers & 50% to Scheduled caste & Tribes farmers.

श्री अध्यक्ष: हरियाणा और पंजाब का ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : Punjab में Marginal farmers 50%

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वह यह कर रहा था कि किसानों को आप अपनी तरफ से कुछ मत दो, नकल करके तो कुछ किसान को राहत दे दीजिए। पण्डित जी, मैं आपको ज्यादा जोर से कहता हूं, आप हाड़ौती के हैं आप हाड़ौती को कलंकित मत करिये, आप किसानों के प्रति थोड़ी सी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

सहृदयता रखिये। किसानों के साथ आज क्या हो रहा है? आपकी खेती तो एक्स. ई एन, करता है, आप नहीं करते वहां पानी पिलाने एक्स. ई. एन, ए. ई एन. जाते हैं इसलिए आपको क्या पता, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खेती में आम किसान की क्या स्थिति है, उस स्थिति को समझा होता तो बजट में प्राविजन करते कि किसान को कैसे राहत दी जाये।

कृषि के जितने लक्ष्य निर्धारित किये हैं, अध्यक्ष महोदय, देरी लगेगी मुझको, वरना मैं आपको सारे आंकड़े प्रस्तुत करता। यह सारा किसान विरोधी बजट है। किसानों की इस हाउस में कोई वोइस नहीं है। जो बैठे हुए हैं, वह ×××, बाहर जाकर सब बात करते हैं लेकिन हाउस में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, इस बार· · ·

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, ××× शब्द को हटाया जाये, कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: निकाल दो आपके सदस्य हम से जाते समय कह गये, हम ××× हैं, आप बोलो। उन्होंने जो कहा वही बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय; समय हो गया. . . ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय माननीय सदस्य के भाषण की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है,

आय-व्ययक पर सामान्य-वाद विवाद

श्री रघुवीरसिंह कौशल: अध्यक्ष महोदय, मैं बीज की बात कर रहा था स्टेट सीड्स कार्पोरेशन यहां बनाया, किसानों को अच्छा बीज देने के लिए, फाउण्डेशन सीड देकर, सर्टिफाइड बीज तैयार करने के लिए अध्यक्ष महोदय, जब इस बार ज्वार आयी, पिछली बार जब ज्वार बाजरा आया था तो हमने हल्ला मचाया था, आपकी भी सहानुभूति किसान के साथ थी। इस बार जैसा घोटाला ज्वार की पर्चेजिंग में हुआ है वैसा राजस्थान के इतिहास में कोई उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। प्राइवेट फर्म ने ज्वार खरीदी। एक फर्म ने तीन फर्मों के नाम से टेण्डर दिया। जब यह टेण्डर हो रहा था तब यह हो रहा था कि इसमें कुछ घपला हो रहा है, कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। उस समय किसानों में एक ऐसी बेचैनी फैली कि सीड कार्पोरेशन की ज्वार नहीं ली जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक सब्जेक्ट पेश कर रहा हूं सुन कर आप दुखी होंगे। आखिर किसान की आत्मा है आपकी भी। वह जो बीज खरीद कर आया, किसान ने लेने से मना कर दिया क्योंकि पिछले साल के भुक्तभोगी हैं।

(6.00 सायं)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

· · · · · जो सीड्स कार्पोरेशन के चेयरमैन थे अध्यक्ष महोदय, वही एग्रीकल्चर के सैक्रेटरी थे, वही कोआपरेटिव के सैक्रेटरी थे, उन्होंने को-आपरेटिव के सारे अधिकारियों को मार्केटिंग सोसाइटीज में भेज दिया और उनको बाध्य किया कि तुमको सस्पेन्ड कर दिया

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

जावेगा, तुमको ज्वार खरीदनी पड़ेगी कारण क्या हुआ ? नेशनल सीड्स कार्पोरेशन की ज्वार ठीक थी। नेशनल सीड्स कार्पोरेशन कमीशन नहीं देता है। इसलिये प्राइवेट से खरीदी गई और जो लोग नेशनल सीड्स कार्पोरेशन की ज्वार लेना चाहते थे, योजनापूर्वक कृषि विभाग के अधिकारियों को ओरल मौखिक हिदायत देकर नेशनल सीड्स कार्पोरेशन के गोदामों पर छापे मारे। नेशनल सीड्स कार्पोरेशन की ज्वार ठीक थी, उसके सेम्पल लिये गये, लेबोरेट्री में भेजे गये और यह कह दिया कि इनको देर से निकालो ताकि तब तक इनका माल सीज्ड रहेगा और अपना माल बिक जावेगा . . .

अनेक माननीय सदस्य : शेम! शेम! शेम!

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन के अधिकारियों ने दिल्ली में एप्रोच की तब उनकी ज्वार ठीक समय निकली। इनकी ज्वार बाजार में नहीं बिक रही थी। कृषि विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी गई कि इस ज्वार का कोई सेम्पल नहीं लेगा। उस ज्वार को मार्केटिंग सोसाइटीज में जाकर 2-2 सौ क्विंटल, जो 2 लाख रुपये की होती, में दी। जो 10 रुपये किलो की ज्वार है वह दो-दो सौ क्विंटल, दो लाख रुपये की मार्केटिंग सोसाइटीज, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, के एडवान्स चैक ले लिये गये और 2 सौ, तीन सौ क्विंटल ज्वार मार्केटिंग सोसाइटीज में डम्प कर दी गई। जो किसान लेकर गये, जो सोसाइटीज से लोन लेते हैं आखिर उनको वह ज्वार लेनी पड़ी। ज्वार लेने के बाद जब वह खेत में पहुंचे तो, सभापति महोदय, वह ज्वार नहीं उगी, किसानों ने हल्ला मचाया, हमने प्रतिनिधित्व किया और कई कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रतिनिधित्व किया, कृषि मंत्री को पत्र लिखा कि ज्वार नहीं उगी है उस पर रीजनल मैनेजर, स्टेट सीड्स कार्पोरेशन और डिप्टी डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर दोनों एक साथ खेतों का मुआयना करने गये। जब खेतों का मुआयना करके आये और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, सभापति महोदय, वह रिपोर्ट आप सुनेंगे तो दंग रह जायेंगे। उन्होंने रिपोर्ट दी है जिला कृषि अधिकारी, बारां क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य बीज निगम, कोटा द्वारा सामूहिक रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर स्थिति पता लगाई। कृषकों की शिकायतें सही पाई गई। प्रधान, पंचायत समिति, बारां ने भी 20 पर्सेंट अंकुरण के लिये कृषि मंत्री को सूचित किया है। दूसरा पत्र है, विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये संकर बीज के नमूनों में अनुमानित नमूने स्टेट बीज निगम के ही पाये गये हैं और जिसकी सूचना समय-समय पर दे दी गई है। यह मैं डिप्टी डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर का पत्र कोट कर रहा हूं। सभापति महोदय, बीज कैसा था, उसकी यह रिपोर्ट आ गई है। अधिकारियों से हम मिले और उनसे कहा कि सेम्पल ले लीजिये तो वह सेम्पल लेने को तैयार नहीं क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के आदेश। हम कलेक्टर से मिले। जितने सेम्पल लिये गये हैं उन सेम्पल्स की रिपोर्ट आ गई है। सभापति महोदय, आप सुनेंगे तो दंग रह जायेंगे, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन का जो सेम्पल लिया गया ज्वार का, अंकुरण 85 पर्सेन्ट माइका कम्पनी का 70 पर्सेन्ट, 82 पर्सेन्ट 90 पर्सेन्ट, बी.ए.एम.एम. का 69 पर्सेन्ट, सौभाग्य का 83 पर्सेन्ट, 80 पर्सेन्ट और

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

राज्य बीज निगम का 34 पर्सेन्ट, 36 पर्सेन्ट 40 पर्सेन्ट। 38 लॉट के नमूने एक जगह के लिये गये। यह आंकड़े चम्बल कमिश्नर से आग्रह करके लिये थे। उन 38 में से 27 नमूने फेल हो गये और फेल भी कब हुये, वैसे स्टेण्डर्ड पूरा 75 पर्सेन्ट अंकुरण का आवश्यक है, सभापति महोदय, इस बार एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बहुत पावरफुल आदमी हैं उन्होंने इस बार बीज अंकुरण का पर्सेन्ट 75 पर्सेन्ट से कम करके 60 पर्सेन्ट कर दिया। यह 60 में फेल हैं क्योंकि वैसे 75 पर्सेन्ट आज तक का रहा है और अभी भी है केवल 30 जुलाई तक को छोड़कर के उसमें 75 पर्सेन्ट मानों जाय तो स्टेट सीड्स कार्पोरेशन का एक भी सेम्पल पास नहीं हुआ। स्टेट सीड्स कार्पोरेशन इसलिये बनाया गया कि किसानों को अच्छा बीज दें उसका सेम्पल एक भी दुर्गापुरा लेवोरेट्री में पास नहीं हुआ इससे अधिक क्या होगा।

सभापति महोदय, मैंने पिछले साल भी यह मुद्दा उठाया था, माननीय कृषि मंत्री श्रीमती कमला जी हुआ करती थीं उन्होंने बड़े रुआब में खड़े होकर मुझे कहा कि हम मुआवजा देंगे। यदि लेवोरेट्री में यह बीज अप्रमाणिक हुआ या अमानक हुआ तो हम मुआवजा देंगे। सभापति महोदय, अब के तो कृषि मंत्री जी बदल गये हैं उनको पता ही नहीं हैं। वह यह कहते हैं कि मुआवजा तो दे दिया, बीज की जगह बीज बदल दिया, मुआवजा हो गया। नेशनल सीड्स कार्पोरेशन 13 पत्र लिख चुका है एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को कि आप यह बतायें कि मुआवजा किस प्रकार से हम पे करें लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट अभी तक तो जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि भूतपूर्व सेक्रेटरी के दबाव में आदमी हैं वह जहां रहें वहां से नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृषि मंत्री जी जो आये हैं उनको तो कुछ होश-हवास ही नहीं है। वह तो सोते रहते हैं। वह तो यह बता ही नहीं सकते कि मुआवजा क्या होता है? माननीय सभापति महोदय, इस विधान सभा में यह आश्वासन दे दिया गया कि किसानों को जो बीज दिया गया है वह लेबोरेट्री में टेस्ट होगा। टेस्ट करने के बाद यदि बीज अप्रमाणिक सिद्ध होता है, तो उनको मुआवजा देंगे। यह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते जिन्होंने यह बीज खरीदा है? एक अधिकारी ने हिमाकत की। जो मार्केटिंग ऑफिसर था स्टेट सीड्स कार्पोरेशन में, उसने हिमाकत की, उसने यह नोट लगा दिया कि यह बीज नहीं खरीदा जाना चाहिये। उसको वह डाट पड़ी कि उसको हार्ट अटेक हो गया। उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। कोई सरकार में हो, तो सुन लें उस ईमानदार व्यक्ति को नौकरी से हाथ धोना पड़ा केवल इसलिये कि उसने यह नोट लगा दिया। यह एक प्रकार से षड़यन्त्र है किसानों के खिलाफ कि उनको अच्छा बीज नहीं मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृषकों के लिये बहुत हमदर्दी बताते हो लेकिन आप में थोड़ी भी नहीं है। भगवान के नाम पर यदि थोड़ी बहुत बची-खुची चम्बल के पानी पीने से हो, तो किसानों को कुछ राहत तो दे दो। किसान की स्थिति विषम हो रही है। वह 10 रुपये किलो की ज्वार नहीं उगी, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? सभापति महोदय, हरियाणा और पंजाब में इनसेक्टीसाइड

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

के लिये फैक्ट्री चल गई है लेकिन यह समझते हैं कि इनसेक्टीसाइड को खरीद के खा जायेंगे। और, वह तो जहर होता है, जो कुछ दिल्ली से आ जाता है दलहन के नाम पर वह डाइरेक्टर एग्रीकल्चर के यहां पड़ी रहती है, सड़ती रहती है वह किसानों को नहीं देते हैं। सरसों की फसल नष्ट हो रही है, चने की फसल नष्ट हो रही है लेकिन वह दवाई उन तक नहीं पहुंचेगी।

इस डिपार्टमेन्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पिछले साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के डाइरेक्टर से गवर्नमेन्ट ने पूछा कि गेहूं की कास्ट आँफ प्राँडक्शन पर क्विंटल क्या पड़ती है ? उन्होंने जोड़-बाकी-गुणा करके बताया कि 140/-रुपये प्रति क्विंटल कास्ट आँफ प्राँडक्शन। फिर उनसे पूछा कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को क्या रिकमन्ड कर दिया जाय सपोर्ट प्राइस के लिये तो वह कहते हैं कि 140 रुपये प्रति क्विंटल। यानि कास्ट आँफ प्राडक्शन और सपोर्ट प्राइस एक बराबर। यह एग्रीकल्चर का पूरा डिपार्टमेन्ट मंत्री सहित किसान विरोधी है, जो किसान के दर्द को नहीं समझता है। वित्त मंत्री जी नहीं समझें तो बात समझ में आती है लेकिन कृषि मंत्री और कृषि विभाग नहीं समझ इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। इसके कारण, सभापति महोदय, मैं...

(व्यवधान)

यह आपका मामला नहीं है। आपका सम्बन्ध तो घोटालों से है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दी है कि मैं बोलूंगा तब तक के लिये...

श्री सभापति : आप अपना भाषण चालू रखिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसानों के उपयोग को प्रत्येक चीज को आप देख लें, वह बहुत महंगी हो गई। महंगी होने के बाद शुद्ध नहीं मिल सकती है यह किसानों के लिये कितने बड़े दुःख की बात है।

(व्यवधान)

सिंचाई के बारे में आप देख लीजिये। सीड्स के बारे में तो मैंने निवेदन कर दिया।

श्री सभापति : आप 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दी थी जब तक मैं बोलूं तब तक खुली छूट है। आप यदि कहें तो अभी बैठ जाऊं।

श्री सभापति : जब तक बोलें, इसका मतलब यह नहीं। अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जा सकता। यह तो उनकी महानता है कि उन्होंने आपको टाइम दिया है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हाय! हाय!

(व्यवधान)

श्री सभापति : आँर्डर! आँर्डर!

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, आपको अच्छा नहीं लगा तो बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं।

श्री सभापति : आप चालू रखिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, किसानों का सम्बन्ध विद्युत से है विद्युत पर 80-81 में 119 करोड़ का बजट प्रावधान था, एं ख़र्च हुआ और 1983-84 में 122। कितनी महंगाई बढ़ गई, कितनी बिजली की प्रगति हम चाहते हैं।

ऐसा ही सिंचाई का हाल है। सिंचाई का 1980-81 में 136 करोड़ था, खर्च हुआ है और अब रखा है 91 करोड़, जिसमें 50 करोड़ यदि वह निकल जायं राजस्थान नहर के तो 35-36 करोड़ रुपया बचता है। किसानों के काम आने वाली बिजली, किसानों के काम आने वाली सिंचाई, दोनों में बजट इतना कम है कि जिससे इस प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई है। इस कारण जो जो भी किसानों के आइटम लिये जायं, सभापति महोदय, वह सारे आइटम यदि किसानों से सम्बन्धित हैं तो उनके लिए दुर्लभ किये गये हैं इसलिए यह बजट किसान विरोधी बजट है।

सोयाबीन की खेती राजस्थान में होती है। मैंने पिछली बार प्रश्न करके कृषि विभाग का ध्यान आकर्षित किया था कि मध्य प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट 150 क्विन्टल बीज पर सब्सिडी देती है, 50 प्रतिशत सब्सिडी साइड पर, खरपतवार नाशक दवाओं पर सब्सिडी देती है। आप प्लान बनाकर क्यों नहीं भेजते वहां सब्सिडी देने के लिए डाइरेक्टर ऑयल सीड तैयार हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाकर तो भेजा मेरे कई पत्र लिखने के बाद, असेम्बली में प्रश्न पूछने के बाद लेकिन बिजली की सब्सिडी लिख दी, वीडी साइड़ की खतम, भेजी नहीं, किसी को चिन्ता नहीं। दो सौ रुपया एकड़ का खर्च आता है वीडीसाइड पर, सभापति महोदय, आज डाइरेक्टर ऑयल सीड ने जो सारे देश का एक प्रोजेक्ट बनाया उसमें मध्य प्रदेश को शामिल कर लिया लेकिन राजस्थान का यह इलाका, जिसमें सोयाबीन होता है, एक्सक्लूड कर दिया। चम्बल क्षेत्र मध्य प्रदेश का तो शामिल है किन्तु राजस्थान का एरिया इसमें एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया गया। क्या सरकार सो रही है? क्या कृषि विभाग सो रहा है। रिसर्च से यह सिद्ध हुआ है, सभापति महोदय, मध्य प्रदेश से ज्यादा अच्छी जलवायु सोयाबीन के लिए कोटा बून्दी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ की है, पैदावार ज्यादा होती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का फिर भी ध्यान रखें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो मेरा यह निवेदन है सरकार इस ओर ध्यान दे, कृषि विभाग इस ओर ध्यान दे।

इतना निवेदन करते हुए मैं इस बजट को घोर किसान विरोधी बजट कहते हुए इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 4-3-83 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.13 बजे शुक्रवार दिनांक 4 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(152)

3(3]

परिशिष्ट–3 मार्च, 1983– परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट "क"

तारांकित प्रश्न संख्या 237 का विवरण

संस्था द्वारा अब तक किये गये शोध कार्य के नामों का विवरण निम्नानुसार है: –

1. ट्राइबलाइजेशन —:भील जन जाति का अध्ययन
2. कालबेलिया —:घुमक्कड़ जाति का अध्ययन
3. आदिवासियों का वेणेश्वर धाम —:सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन
4. राना जाति का अध्ययन
5. बेकवर्ड क्लासेज इन राजस्थान
6. वेस्टेज एण्ड स्टेग्नेशन इन एजूकेशन
7. स्पेशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम इन ट्राइबल राजस्थान
8. एन इवेल्यूएशन आफ प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फोर शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स
9. इम्पेक्ट ऑफ स्पेशल कोचिंग स्कीम ऑन इनमेट्स ऑफ गवर्नमेन्ट होस्टल्स
10. एजूकेशन एण्ड एम्पलायमेन्ट अमंग बेकवर्ड क्लासेज
11. एजूकेशन लेवल्स अमंग शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स सांख्यिकी रूपरेखा
12. ए स्टेडी ग्राफ स्पेशल न्यूट्रीशन प्रोग्राम
13. स्टेट्स, इमेज एण्ड एस्पीरेशन ऑफ शिड्यूल्ड कालेजियट्स
14. सागड़ी प्रथा
15. डूंगरपुर जिले की क्षेत्रीय विकास योजना
16. जनजाति विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में शोध
17. सहरिया क्षेत्र में भूमि हस्तान्तरण
18. आदिवासियों का विकास :- बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक अध्ययन
19. जनजाति समाज में महिला
20. डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स-सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययन
21. कडाना डेम टुवर्ड्स ए न्यू अन्डरस्टेंडिंग ऑफ चेन्ज अमंग ट्राइबल्स
22. अनुसूचित क्षेत्रों से समाज कल्याण विभाग से कार्यों का मूल्यांकन
23. पंचायत समिति स्तर पर जनजाति नेतृत्व
24. जनजाति क्षेत्र में साख की आवश्यकताएं
25. जनजाति क्षेत्र में सामाजिक विकास के सूचक
26. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भवन निर्माण की योजना एवं उसका प्रभाव
27. फार्मूलेशन ऑफ दी स्कीम प्लाट इन टी. डी. ब्लाक्स
28. ट्रान्सफर ऑफ ट्राइबल लैण्ड्स

29. ए स्पेशल सहरिया ट्राइबल प्रोजेक्ट
30. जनजाति विकास परियोजना
31. ए क्रिटीकल स्टडी ऑफ वेरियस सोसियो-इकोनोमिक लेजिस्लेशन फोर ट्राइबल एरियाज
32. जनजाति उपयोजना परियोजना
33. आई. टी. डी. पी. बांसवाड़ा
34. ,, डूंगरपुर
35. ,, उदयपुर
36. ,, प्रतापगढ़
37. डूंगरपुर जिले के सागड़ियों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण
38. आदिवासी क्षेत्रों में साहूकारों द्वारा ऋण
39. सागड़ियों का विस्थापन
40. आई. टी. डी. पी., आबूरोड़ एवं पिण्डवाडा तहसीलें
41. छठी योजना के लिए जनजाति क्षेत्र एवं बेंच मार्क सर्वे
42. आई. टी. डी. पी., आबूरोड़
43. जनजाति क्षेत्र (डूंगरपुर) में हैण्ड पम्प योजना के सामाजिक आर्थिक प्रभावों का अध्ययन
44. जनजाति क्षेत्र (बांसवाड़ा) में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रभाव
45. उदयपुर क्षेत्र की अनुसूचित जातियों/जनजातियों में व्यावसायिक परिवर्तन
46. जनजाति क्षेत्र में चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं
47. कडाना रिसैटलमेन्ट
48. मुक्त कराये गये सागड़ियों का पुनर्स्थापन
49. लघु एवं सीमान्त आदिवासी कृषकों की साख की आवश्यकताएं एवं ऋण निर्धारण
50. जनजाति क्षेत्र में लैम्पस का कार्य
51. तैन्दू पत्ता संग्रह कार्य में आदिवासियों का शोषण
52. कडाना डिस्प्लेस्डमेन्ट
53. सहरिया स्पेशल प्लान
54. पिछड़े वर्ग का छात्रावास
55. शिड्यूल्ड ट्राइब ऑफ राजस्थान सांख्यिका दिग्दर्शन
56. भील अर्थव्यवस्था का कृषकरण
57. स्टडी ऑफ लैण्ड सिस्टम एण्ड लैजिस्लेशन: ए रिव्यू ऑफ एक्जिस्टिंग लिटरेचर
58. स्टडी ऑन पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप फोर ट्राइबल
59. आदिवासी गांव पर सिचाई सुविधा का प्रभाव
60. कथोड़ी विकास योजना
61. आदिवासी विकास उपयोजना क्षेत्र निर्माण के पूर्व एवं पश्चात्
62. लैम्पस का आदिवासी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न सं. 238 की प्रति

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN JAIPUR BENCH JAIPUR

JUDGEMENT

State of Rajasthan Vs. Mangal Singh Dhawan.

S. B. Civil Second Appeal No. 38/73 against the judgement and decree dated 17-8-72 of Shri T. R. Sharma, District Judge, Bharatpur, in CRA 151/67.

....

Date of Judgement– 9th February, 1982.

PRESENT

The HON' BLE Mr. Justice G. M. LODHA.

....

Mr. Ajit Bhandari Dy. G. A. for the appellant

Reportable BY THE COURT:–

This is a defendant's second appeal in a suit for declaration by a civil servant, which has been decreed by both the lower courts. It has been declared that the order dated 21-10-63 of the Director of Local Bodies, Jaipur terminating the services of the appellant was illegal, void and ineffective, and that he continued to be in service till the age of superannuation.

The plaintiff in his suit had prayed for declaration and also claimed a sum of Rs. 5311/- being the arrears of his pay allowances. The lower Court, however, did not pass decree for the arears of

salary and allowances, but passed a declaratory decree. The palintiff's case was that he was appointed in 1950 by the State Government as the Secretary to the Municipal Board, Bhawani-Mandi. In 1962 he was Secretary of the Municipal Board, Deeg. The Administrator of the Municipal Board was not happy with him because of his involvement in the local politics. The Administrator started taking work from the Sanitory Inspector and stopped paying him salary from 16-7-1962. After some time he was transferred from Deeg to the Municipal Board, Bari. He was relieved from Deeg on 23. 10. 1962. He did not move out and demanded payment of his salary and delivery of L. P. C. Owing to non-compliance with this order of transfer, he was suspended on 12. 1. 1963 under an order passed by the Deputy Secretary, Local-Self Department, Jaipur. Neither any charge-sheet was served upon him nor any disciplinary proceedings were taken against him. He was, however, reinstated on 4. 7. 1963 and was transferred to Jaisalmer. He wrote a letter to the Chairman, Municipal Board, Jaisalmer informing him that he was going to join his post shortly. In reply he received a letter from the Chairman that he should join duties only after obtaining fresh orders from the Government. At this, he wrote to the Director, Local Bodies, Rajasthan, on 9-11-1963 for necessary orders. The Director did not pay heed to the matter and sent him a notice terminating his services with effect from 21-10-1963. Aggrieved by this arbitrary action on the part of the Director, the plaintiff after serving notice under section 80, C.P.C., filed a suit in the court of the Civil judge, Bharatpur for declaration that the order of termination of services was totally illegal, ultravires and inoperative. The reasons were:—

1. That he was appointed by the State Government and the Director had no authority to terminate his services.

2. Neither he was served with a chargesheet nor any show cause notice and there was violation of principles of natural justice in this arbitrary action.

3. Necessary legal formalities were not complied with in terminating his services.

At that time he was getting salary of Rs. 170/- including dearness allowance. He, therefore, claimed a sum of Rs. 5311/- on account of arrears of his emoluments from 24. 10. 1962 to 25. 5. 1965.

The defendant in his written statement admitted most of the facts narrated in the plaint, but averred that the Director of Local Bodies had been vested with powers to terminate the services of Secretary and as such the impugned order was valid. It was also averred that necessary legal formalities had been observed in dispensing with the services of the plaintiff. It was pointed out that as the plaintiff intentionally refrained from joining his duties at Jaisalmer, he was not entitled to claim any salary from 24. 10. 1962. The following objections were raised:—

1. The plaintiff has no cause of action against the State Government as he was not a Government employee, but was a Municipal employee.

2. As the Municipal Board, Deeg had not been impleaded in the suit, the plaintiff's suit suffered from non-joinder of necessary party.

3. As the plaintiff failed to comply with the orders of transfer to Jaisalmer, his services were rightly terminated and as such he was not entitled to any such relief.

From the above pleadings of the parties, the following issues were framed by the trial Court :—

1. Whether the plaintiff was initially appointed as Secretary, Municipal Board, Bhawani Mandi, by the defendant ?

2. Whether the orders of the termination of the service of the plaintiff are illegal ultraviros and inoperative as against the plaintiff for the reasons stated in para No.12 of the plaint?

3. Whether a valid notice under section 80. C. P. C. has been served upon the defendant prior to the institution of the suit?

4. Whether the Municipal Borad, Deeg, is a necessary party to the suit?

5. Whether the plaintiff is an employee of the Municipal Board, and as such he is not entitled to get any relief against the defandant?

6. Whether the present suit for mere arrears of salary is not maintainable?

7. To what relief, if any, the plaintiff is entitled?

After allowing opportunity to both the parties to lead their evidence in the case and after hearing them, the learned Civil Judge decided the issues in favour of the plaintiff and passed a declaratory decree. He, however, did not consider it appropriate to pass any decree for arrears of salary. It may be due to the fact that the plaintiff had admitted as PW 1 that he had been paid his salary upto 6.3.1964.

The defendant filed an appeal and the first appelate Court confirmed the judgement of the trial Court.

The same points have been agitated by Mr. Bhandari before this Court in this second appeal. He submitted that the order of termination was passed by the Director of Local Bodies, and, therefore, the decree should not have been passed against the State Government.

I have considered the submission of Mr. Bhandari. As rightly pointed out by the first Appellate Court, the State Government is invested with the powers of appointing Executive Officer for a Board and a Secretary for every Council under Section 307 of the Rajasthan Municipalities Act, 1959. While exercising powers under section 299, the State Government delegated the powers of making appointment and transfer of the Executive Officers and Secretaries of the Municipal Board to the Director of Local Bodies, under its notification dated 7. 6. 60. The Director of Local Bodies was, therefore, competent to terminate the services of the plaintiff and as such the order would be deemed to be an order passed by the State Government. In view of this, the order of the Director for all intents and purposes would be deemed to be the order of the State Government.

The first appellate Court rightly pointed out that in Raghunath Rai V. The State of Rajasthan (1), it has been held that an officer to whom the Powers had been delegated has all the powers of the Government and must be treated for all practical purpose as the Government.

I am, therefore, of the view that the submission of Mr. Bhandari can not succeed.

No other point was pressed before this Court.

The result is that this appeal fails and is dismissed without any order as to costs.

Before parting with this case, I must take notice of a letter received by the office in 1973, in which the respondent has mentioned that he has lost his eye sight and is too poor to appear and argue the case or engage a lawyer. In such cases, it is the duty of the office of the High Court to send such letters to the Committee, which has been constituted for providing free legal aid to poor. It must be mentioned that the requirement of providing free legal aid to poor litigants has now assumed a constitutional

(1) 1957 RLW 500

status after the same has been incorporated in the directive principles of the State policy. The office should, therefore, be more careful in future, and whenever such letters or applications are received from the litigants, it should place the same before the Registrar or the Court by listing it specially for the purpose, so that proper arrangements for providing legal assistance to such poor litigants may be made.

In the letter, the respondent has also mentioned that his gratuity amount has not been paid so far. Although, while sitting in civil second appeal, it is not possible to issue any such directions, but since the Government is the appelant, it is desired that appropriate enquiry may be made immediately within a period of two months from today to ascertain whether the dues of the plaintiff respondent including the gratuity etc. have been paid or not. The learned Deputy Government Advocate, who is present in the Court in this case, should immediately take steps for obtaining information and report its compliance.

A copy of the judgment may be sent to the Chief Secretary, so that necessary action for payment of gratuity and other dues of the plaintiff-respondent, who has been handicapped on account of loss of eye sight during this litigation can be paid immediately. On expiry of two months from the receipt of copy of the judgment, the Chief Secretary should send information to this Court of the compliance of the desire expressed by this Court in this judgment.

I am constrained to observe that there is no arrangement in the Registry of the High Court for taking notice of such applications and prayers of poor litigants for providing free legal aid and legal assistance. It's a sad commentary on the functioning of our Constitution containing directive principles for providing legal aid to the poor and needy that on application made in the year 1973 by the respondents mentioning that he has lost his eye sight and cannot afford to come and argue his case personaly or engage a lawyer, was allowed to remain indebris of the papers

and no one had any time to read and look into it far from taking steps to provide legal aid or legal assistance. The Registry should now immediately set up a separate cell for taking notice of such applications and acting upon them by bringing it to the notice of the legal aid committee which is functioning for this purpose in this State. If there is any problem of any funds or administrative sanction for the staff, this file and the judgment should be placed before Hon'ble the Chief Justice and Administrative judge for providing necessery staff. I am certain that the State Government which is committed to the constitution and its directive principles including the requirement of providing legal aid to poor and needy, would not hesitate to issue financial sanction for the establishment of such a cell in the High Court registry.

Sd/- Guman Mal Lodha.

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 240 की सूची

बीकानेर जिले में गत तीन सालों में आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य भूमिहीन एवम् गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की सूचना

क्रम संख्या	नाम जिला	गत तीन सालों में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या: अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य भूमि हीन	गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार	गत तीन सालों में आवंटित भूमि — अनुसूचित जाति: संख्या	क्षेत्रफल: कमांड	अन कमांड	योग	अनुसूचित जनजाति: संख्या	क्षेत्रफल: कमांड	अन कमांड	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बीकानेर	672	76	2442	90	126	1985	561	2546	—	—	—	—

का विवरण — अन्य भूमिहीन: संख्या	क्षेत्रफल: कमांड	अन कमांड	योग	गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार: संख्या	क्षेत्रफल: कमांड	अन कमांड	योग	अस्वीकृति आवेदन-पत्रों की सं.: अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य भूमिहीन	गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार	विचाराधीन आवेदन-पत्रों की सं.: अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य भूमिहीन	गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार	विशेष विवरण
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
91	1665	316	1981	14	296	3	299	178	—	407	—	368	76	1944	76	

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची

परिशिष्ट "क"

क्रमांक	नाम पद	पद संख्या
1.	अधीक्षण अभियन्ता [सिविल]	3
2.	अधीक्षण अभियन्ता [यांत्रिक]	1
3.	अधिशाषी अभियन्ता [सिविल]	6
4.	अधिशाषी अभियन्ता [यांत्रिक]	1
5.	सहायक अभियन्ता [सिविल]	27
6.	सहायक अभियन्ता [यांत्रिक]	6
7.	सहायक अभियन्ता [यांत्रिक]	1
	योग. ..	45

परिशिष्ट 'ख'

क. सं.	नाम पद	पद संख्या	तिथि
1.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	1	7-11-82
2.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	2	1-1-83
3.	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक)	1	22-1-83
4.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	1	13-6-82
5.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	4	1-1-83
6.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	1	15-1-83
7.	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	1	1-1-83
8.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	24-1-82
9.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	5-3-82
10.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	7-12-82
11.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	22	1-1-83
12.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	15-1-83
13.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	1	9-2-83
14.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	1	30-9-81
15.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	1	22-10-81
16.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	4	1-1-83
17	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	1	14-5-79
	योग :. . .	45	

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बायतू को तहसील बनाना

247. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार बाड़मेर जिले के क्षेत्रफल की दृष्टि से बायतू को नई तहसील बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कुम्पलीया, परेऊ आदि ग्रामों की जनता को तहसील के काम के लिए पचपदरा बालोतरा होकर बाड़मेर जाना पड़ता है जिससे उनको करीब 400 कि. मी. की दूरी जाने-आने में तय करनी पड़ती है, जो प्रशासनिक दृष्टि से अनुपयुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बायतू में तहसील बनाने हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील बाड़मेर को विभाजित कर एक नई तहसील गुढ़ामालानी में बनाई जा चुकी है। अब और तीसरी तहसील वहां बनाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। किन्तु प्रश्न के भाग (1) में बताए गए कारण से नई तहसील बायतू में स्थापित करना सम्भव नहीं है।

उपनिवेशन क्षेत्र में विशेष आवंटन नियम 13-ए के तहत भू-आवंटन

248. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में विशेष आवंटन नियम 13-ए के तहत जोहड़-पायतन की भूमि निर्धारित मूल्य पर भूमिहीन गरीब किसानों को न देकर एक लाख व सवा लाख में धनिकों को दी जा रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त दोहरी नीति को समाप्त करने पर पुनर्विचार करेगी ?

(3) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में कहां कहां तथा कितना कितना क्षेत्र प्रस्तावित व आरक्षित है ? कृपया तहसीलवार चकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) विभाग ने ऐसी किस किस श्रेणी की भूमि किन किन व्यक्तियों को कहां कहां आवंटित की ? कृपया उप-तहसीलदार एवं चकवार सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें:—

नाम व पता	भूमि की श्रेणी	कीमत
1	2	3

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी नहीं। इसमें दोहरी नीति अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(उपनिवेशन मंत्री)

(3) राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में नियम 13 ए के अधीन जहां जहां व जितनी जितनी भूमि विशेष आवंटन हेतु निर्धारित कीमत पर प्रस्तावित व आरक्षित कर विज्ञप्त की गई है उसकी तहसीलवार, चकवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) जिन जिन व्यक्तियों को जहां जहां भूमि आवंटित की गई है उसकी उप तहसीलदार व चकवार सूचना वांछित तालिका में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर स्थित महिला बंदी गृह

249. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित महिला बन्दी गृह में अब तक निरीक्षण की क्या व्यवस्था व प्रक्रिया है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान व्यवस्था में उक्त महिला बन्दी गृह का समुचित निरीक्षण सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके सुधार के लिये कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) महिला बन्दी सुधार गृह, जयपुर वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के मुख्य भवन में है और इस सुधार गृह का प्रभारी (Charge) अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के पास है । महिला बन्दी सुधार गृह का निरीक्षण केन्द्रीय कारागृह, जयपुर के निरीक्षण के समय ही निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है । महिला बन्दी सुधार गृह का निरीक्षण स्वतन्त्र रूप से किया जा सकता है, जो निरीक्षण अधिकारी पर निर्भर करता है, जिसके लिए निरीक्षण अधिकारी को अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर को निरीक्षण से पूर्व सूचना देनी होती है ।

(2) समुचित निरीक्षण संभव है ।

दैनिक समाचार पत्रों को विज्ञापन

250. श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज) **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मार्च, 1982 से जनवरी, 1983 तक प्रदेश के किन किन दैनिक समाचार पत्रों को कितनी कितनी विज्ञापन राशि प्रदान की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में प्रदेश के बाहर से प्रकाशित किन किन दैनिक व साप्ताहिक समाचार पत्रों व मैगजीन्स को कितनी कितनी राशि विज्ञापन स्वरूप प्रदान की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूची 'क' सदन के पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

(2) सूची 'ख' सदन के पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

सूची-'क'

(1 मार्च, 82--31 जनवरी, 83)

मार्च, 82 से 31 जनवरी, 83 तक राज्य के स्वीकृत दैनिक समाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापनों की राशि का विवरण:-

क्रम सं.	पत्र का नाम व स्थान	राशि
1	2	3
1.	दै. राजस्थान पत्रिका संयुक्त, जयपुर [जयपुर, जोधपुर, [उदयपुर]	14,95,000.44
2.	,, नवज्योति संयुक्त, जयपुर . [जयपुर, अजमेर, [कोटा]	13,15,728.30
3.	,, राष्ट्रदूत संयुक्त, जयपुर [जयपुर, कोटा, [बीकानेर]	8,65,000.25
4.	,, अधिकार संयुक्त, जयपुर जयपुर, कोटा, [बीकानेर]	4,30,967.10
5.	,, अणिमा संयुक्त, जयपुर [जयपुर, [भरतपुर]	1,91,157.40
6.	,, जय राजस्थान संयुक्त, उदयपुर [उदयपुर, बांसवाड़ा]	1,70,045.40
7.	,, देश की धरती संयुक्त, कोटा [सवाई माधोपुर, कोटा, [झालावाड़]	84,901.57
8.	,, जन नायक संयुक्त, कोटा [कोटा, चित्तौड़गढ़]	1,70,078.30
9.	,, यंग लीडर, जयपुर	66,886.40
10.	,, समाचार जगत, जयपुर	59,151.20
11.	,, शालीमार इण्डिया अंग्रेजी, जयपुर	1,740.96
12.	,, आजाद राजस्थान, जयपुर	29,380.12
13.	,, नियोजन भारती, जयपुर	42,893.40
14.	,, राजस्थान प्रभात, जयपुर	14,649.60
15.	,, राजस्थान लीडर, जयपुर [उर्दू]	13,565.55
16.	,, रोशन किरदार, जयपुर [उर्दू]	3,099.20
17.	,, अमर राजस्थान, जयपुर	45,747.50
18.	,, दैनिक राजस्थान टाइम्स, अलवर	7,851.12
19.	,, दैनिक अरानाद, अलवर	16,460.35

1	2	3
20.	दै. अरुण प्रवाह, अलवर	5,240.31
21.	,, उदयभानु, धौलपुर	10,653.24
22.	,, प्रजाजन, गंगापुर सिटी	20,707.50
23.	,, लालनिशान, भरतपुर	12,733.84
24.	,, न्याय, अजमेर	67,332.20
25.	,, आधुनिक राजस्थान, अजमेर	31,765.40
26.	,, हिन्दू, अजमेर	32,465.00
27.	,, भारत भूमि, अजमेर	19,720.00
28.	,, दलितपुकार, अजमेर	28,139.00
29.	,, जलते दीप, जोधपुर	1,77,455.40
30.	,, तरुण राजस्थान, जोधपुर	30,610.00
31.	,, प्रतिनिधि, जोधपुर	43,386.55
32.	,, जनगन, जोधपुर	43,189.20
33.	,, युगपक्ष, बीकानेर	64,049.40
34.	,, प्रान्तदूत, बीकानेर	5,860.40
35.	,, सीमा सन्देश, श्री गंगानगर	18,471.00
36.	,, तेज, हनुमानगढ़	20,861.25
37.	,, सीमा किरण, गंगानगर	9,817.50
38.	,, प्रताप केसरी, गंगानगर	14,192.10
39.	,, सीमावर्ती, गंगानगर	2,886.71
40.	,, उदयपुर एक्सप्रेस, उदयपुर	60,186.60
41.	,, प्रातःकाल, उदयपुर	38,914.60
42.	,, नव जीवन, उदयपुर	34,970.00
43.	,, लोकजीवन, भीलवाड़ा	23,898.50
44.	,, तरुणवेश, भीलवाड़ा	11,214.40
45.	,, भीलवाड़ा सन्देश, भीलवाड़ा	9,438.20
46.	,, प्रभावित, भीलवाड़ा	18,343.00
47.	,, जय मेवाड़, चित्तौड़गढ़	21,955.50
48.	,, अमर आजादी, बांसवाड़ा	14,660.12
49.	,, सोशलिस्ट समाचार, कोटा	16,187.60
50.	,, धरती करे पुकार, कोटा	15,334.50
51.	,, पाटन एक्सप्रेस, झालावाड़	10,464.00

सूची 'ख'

(1 मार्च, 82-31 जनवरी, 83)

मार्च, 82 से 31 जनवरी, 1983 तक प्रदेश से बाहर प्रकाशित होने वाले दैनिक व साप्ताहिक पत्रों को दिये गये विज्ञापनों को राशि का विवरण ।

क्रम सं.	पत्र का नाम व स्थान	राशि
1.	2.	3.
1.	हिन्दुस्तान, नई दिल्ली	337283-56
2.	नवभारत टाइम्स, दिल्ली	569053-80
3.	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली	258676-47
4.	टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली	56241-32
5.	इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली	72956-06
6.	जनयुग, दिल्ली [दैनिक]	21115-15
7.	दैनिक नेशनल हेरल्ड, दिल्ली	14869-09
8.	दैनिक पेट्रिएट, दिल्ली	10633-30
9.	प्रतिवेदन, दिल्ली	51285-60
10.	मिलाप दैनिक, दिल्ली	957-60
11.	स्टेट्समैन, दिल्ली	6381-71
12.	नई दुनिया दैनिक, इन्दौर	17774-10
13.	स्वदेश दैनिक, इन्दौर	21263-25
14.	अमर उजाला दैनिक, आगरा	30709-80
15.	विश्वामित्र दैनिक, कलकत्ता	51524-80
16.	रूपलेखा दैनिक, कलकत्ता	1004-20
17.	अमृत बाजार पत्रिका, दैनिक, कलकत्ता	9485-46
18.	सन्मार्ग दैनिक, कलकत्ता	17646-25
19.	छपते-छपते दैनिक, कलकत्ता	7046-86
20.	लोकमत दैनिक, नागपुर	6812-00
21.	आर्यवृत दैनिक, पटना	4024-80
22.	जागरण दैनिक, भोपाल	392-85
23.	ट्रिब्यून दैनिक, चण्डीगढ़	10116-73
24.	गुजरात समाचार दैनिक, अहमदाबाद	1275-00
25.	जन सत्ता दैनिक, अहमदाबाद	2768-45
26.	सन्देश दैनिक, अहमदाबाद	7055-20
27.	वेस्टर्न टाइम्स दैनिक, अहमदाबाद	2197-62
28.	पंजाब केसरी दैनिक, जालन्धर	8360-00

1	2	3
29.	सौराष्ट्र समाचार दैनिक, अहमदाबाद	1950–00
30.	मलाया मनोरमा, केरला	5390–00
31.	कोमी आवाज दैनिक, दिल्ली	5527–20
32.	सैनिक दैनिक, आगरा	11579–05
33.	अकाली पत्रिका दैनिक, जलन्धर	1114–20
34.	दैनिक अवाम उर्दू	232–00
35.	नवभारत दैनिक, नागपुर	780–00
36.	जागरण दैनिक, कानपुर	1150–10
37.	जयहिन्द दैनिक, अहमदाबाद	2223–15
38.	आज दैनिक, वाराणसी	452–20
39.	सान्ध्य समाचार दैनिक, नई दिल्ली	491–70
40.	व्यापार भारती दैनिक, नई दिल्ली	610–00
41.	लोक सत्ता दैनिक, अहमदाबाद	714–00
साप्ताहिक		
42.	बिल्ट्ज सा., बम्बई	729–12
43.	रोजगार समाचार, नई दिल्ली	2205–00
44.	इण्डियन ट्रेड जर्नल, नई दिल्ली	11167–43

अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षण

251. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के रोजगार पाने के इच्छुक आई. टी. आई. पास, सैकण्डरी पास व अन्य को रोजगार के पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रशिक्षण के दौरान आई. टी. आई. पास को रु. 250/–, सैकण्डरी पास को रु. 175/– एवं अन्य को 125/– रु. स्टाइपेन्ड देने का प्रावधान भी किया गया है ?

(3) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कहां कहां पर कितने कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं स्टाइपेन्ड चुकाया जा रहा है ? कृपया प्रशिक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, योग्यता, निवास स्थान एवं प्रशिक्षण देने वाले संस्थान का नाम सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) चाही गई सूचना सदन के पटल पर रखदी गई है।

सूचना

संस्था का नाम : मोडर्न वूलन्स प्रा. लि., जिला–भीलवाड़ा

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जाति	पता	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	श्री मोहन	श्री कनया	बैरवा	ग्रासीरड़ीवास, वाया–कोदू कोटा, लि. भीलवाड़ा	शून्य
2.	,, शंकर लाल	,, हजारी	बैरवा	गलाब मण्डी, बैरवा का मोहल्ला, भीलवाड़ा	,,
3.	,, राम चन्द्र	,, भागू	खटीक	ग्राम मंगरोप, जिला भीलवाड़ा	,,
4.	,, लादू लाल	,, मोहन	खटीक	वार्ड नं. 6, गांव–मंगरोप, जि. भीलवाड़ा	,,
5.	,, प्रभू	,, भूरा	खटीक	वार्ड नं. 2, दादाबाड़ी, भीलवाड़ा	,,
6.	,, हीरा लाल	,, रूपा	खटीक	वार्ड नं. 10, ग्रा. बनेड़ा, जि. भीलवाड़ा	,,
7.	,, जगदीश	,, मंगनीराम	खटीक	वार्ड नं. 2, दादाबाड़ी, जि. भीलवाड़ा	,,
8.	,, डालचन्द	,, नारायण	खटीक	वार्ड नं. 7, धानमंडी जि. भीलवाड़ा	आठवीं
9.	,, नानूराम	,, प्यारचंद	खटीक	धानमंडी, जि. भीलवाड़ा	शून्य
10.	,, मेघचन्द	,, प्यारचन्द	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, पुर, जि. भीलवाड़ा	,,
11.	,, मेवा लाल	,, धन्ना	खटीक	मंगरोप, जि. भीलवाड़ा	,,
12.	,, मदन	,, भैरूं	भांभी	ग्रा. बड़ाभऊ, जि. भीलवाड़ा	,,
13.	,, दयाराम	,, भैरूं	गांछी	सांगानेरी दरवाजा के पास जि. भीलवाड़ा	,,
14.	,, चुन्नीलाल	,, भूरा लाल	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, शाहपुरा, जि. भीलवाड़ा	,,
15.	,, ज्ञानमल	,, वंशीलाल	खटीक	सांगानेरी गेट के पास, जि. भीलवाड़ा	,,

1	2	3	4	5	6
16	श्री जमना	श्री रईमल	बलाई	गांव–बड़ामऊ, भीलवाड़ा	शून्य
17.	,, घींमू	,, हजारी	बलाई	गां–कुंवारियां, तहसील–मंगरोप, जि. भीलवाड़ा	,,
18.	,, बालचन्द	,, रामा	खटीक	वार्ड नं. 11, ग्रा. बनेड़ा, जि. भीलवाड़ा	,,
19.	,, मोहन	,, देवा	बलाई	गांव–फारूडियाखेड़ा, जि. भीलवाड़ा	,,
20.	,, रतन	,, भूरा	खटीक	वार्ड नं. 2, दादावाड़ी, जि. भीलवाड़ा	तीसरी
21.	,, रामचन्द्र	,, देवी	खटीक	वार्ड नं. 2, दादावाड़ी, जि. भीलवाड़ा	शून्य
22.	,, लाजम	,, परसाराम	चमार	गांव–गठीलाखेड़ा, पो. आटूण, जि. भीलवाड़ा	,,
23.	,, भैरूं लाल	,, गंगाराम	रैगर	गांव–मोडका, निम्बाहेड़ा, तह. आसीन्द, जि. भीलवाड़ा	,,
24.	,, लालाराम	,, बख्तावर	खटीक	नागाका खेड़ा, तह. गंगरार, जि. चित्तौड़गढ़	,,
25.	,, प्यारचन्द	,, केला	रैगर	तेजाजी का चौक, भीलवाड़ा	,,
26.	,, केशरीमल	,, नानूराम	खटीक	गांव–रैण, पोगेन्दलिया, जि. भीलवाड़ा	छठी पास
27.	,, सोहन लाल	,, सवाइराम	बलाई	गांव–मेदाखेड़ी, तह. राशमी, जि. चित्तौड़गढ़	शून्य
28.	,, ओमप्रकाश	,, कालू	खटीक	तालाब के पास, जाटों का मोहल्ला, मांडुल, भीलवाड़ा	,,
29.	,, गणपत	,, तालू	खटीक	वार्ड नं. 15, खटीकों का मोहल्ला, शाहपुरा, भीलवाड़ा	,,
30.	,, उदयलाल	,, छीतर	बलाई	जूनावास वार्ड नं. 78, भीलवाड़ा	,,
31.	,, गणपत	,, मगना	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, मंगरोप, जि. भीलवाड़ा	,,
32.	,, केशरीमल	,, देवकिशन	खटीक	वार्ड नं. 2, खटीकों का मोहल्ला जि. भीलवाड़ा	,,
33.	,, श्यामलाल	,, धीसा	खटीक	वार्ड नं. 15, मंगरोप, जि. भीलवाड़ा	,,
34.	,, नन्दलाल	,, गोमा	बनजारा	गांव–मली, जि. भीलवाड़ा	,,
35.	,, हीरालाल	,, गंगाराम	चमार	गांव–स्वरूपगंज, पो. हमीरगढ़, जि. भीलवाड़ा	,,

1	2	3	4	5	6
36.	श्री रतन लाल	श्री भूरा	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, मंगरोप, जि. भीलवाड़ा	शून्य
37.	,, लादूलाल	,, मोती	रेंगर	गांव—मोड़का निम्बाहेड़ा, तह. आसींद, जि. भीलवाड़ा	,,
38.	,, जगदीश	,, कस्तूरचन्द	खटीक	खटीकों का पाड़ा, ग्राम मंगरोप जि. भीलवाड़ा	,,
39.	,, कुतीलाल	,, नानूलाल	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, हमीरगढ़, जि. भीलवाड़ा	,,
40.	,, रामचन्द्र	,, भैरूं	बलाई	गांव—गठीला का खेड़ा, वाया—आटूण, जि. भीलवाड़ा	,,
41.	,, मगना	,, डूंगा	चमार	गांव—कानोली, वाया—आटूण, जि. भीलवाड़ा	,,
42.	,, ज्ञानमल	,, मांगीलाल	खटीक	वार्ड नं. 3, बागोर, भीलवाड़ा	पांचवीं
43.	,, रामस्वरूप	,, भंवर	कोली	वार्ड नं. 2, दादाबाड़ी, भीलवाड़ा	शून्य
44.	,, नारायण	,, भैरूं	चमार	गांव—पांसल, भीलवाड़ा	,,
45.	,, भग्गू	,, प्रताप	रेंगर	गांव—समेलिया, भीलवाड़ा	,,
46.	,, रामप्रसाद	,, नानू	खटीक	गांव—भगवानपुरा, भीलवाड़ा	,,
47.	,, प्रताप	,, भूरा	खटीक	गांव—बीगोद, भीलवाड़ा	,,
48.	,, रामचन्द्र	,, किशन	बलाई	वार्ड नं. 24, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा	,,
49.	,, प्यारचन्द	,, भगवानलाल	बैरवा	वार्ड नं 13 गुलामंडी, बैरवा मोहल्ला, भीलवाड़ा	,,
50.	,, सत्यनारायण	,, मांगीलाल	खटीक	वार्ड नं. 21, पुर, भीलवाड़ा	,,
51.	,, भंवर लाल	,, बालूराम	खटीक	वार्ड नं. 2, कोलियों का पाड़ा, भीलवाड़ा	,,
52.	,, लक्ष्मण	,, दयाराम	बलाई	पो. तसवारियो, भीलवाड़ा	,,
53.	,, सुखदेव	,, भैरूं	खटीक	गांव—लाम्बा, तह. बनेड़ा, जि. भीलवाड़ा	,,
54.	,, माधू	,, भैरूं	बलाई	गांव—पितास, पो. कोटड़ी, जि. भीलवाड़ा	,,
55.	,, श्यामलाल	,, रूपा	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, पो. बनेड़ा, जि. भीलवाड़ा	,,

171

1	2	3	4	5	6
56.	श्री देवो	श्री घीसा	खटीक	दादावाड़ी, जि. भीलवाड़ा	शून्य
57.	,, शंकर लाल	,, फतेहलाल	खटीक	सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा	पांचवीं पास
58.	,, सोहन लाल	,, जमना लाल	खटीक	सांगानेरी दरवाजे के पास, भीलवाड़ा	,,शून्य
59.	,, भैरू लाल	,, नारायण	खटीक	गांव-भोड़का निम्बाहेड़ा, तह. आसींद, जि. भीलवाड़ा	,,
60.	,, मिश्री लाल	,, देवीलाल	खटीक	गांव-नाहरगढ़, तह. शाहपुरा. जि. भीलवाड़ा	,,
61.	,, मेहरी लाल	,, नानूराम	खटीक	गांव-अम्बावाड़ी, वाया-बागोर, जि. भीलवाडा	,,

संस्था का नाम : मैसर्स सुनिल टैक्सटाइल मिल्स (प्रा.) लि., हनुमानगढ़ रोड भीलवाड़ा, जि. भीलवाड़ा

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जाति	पता	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वंशी	श्री जगरू	चमार	किशनाखता की खेड़ी	शून्य
2.	,, रतनलाल	,, नारायणजी	धांबी	आटूण, भीलवाड़ा	,,
3.	,, प्रभू लाल	,, कस्तुरचन्द	खटीक	खटीकों के मन्दिर के पास, पुरानी धान मंडी, भीलवाड़ा	तीसरी पास
4.	,, लक्ष्मण	,, केला	बलाई	आटूण (भीलवाड़ा)	चौथी पास
5.	,, लादू	,, ऊंकार	चमार	पारलिया (भीलवाड़ा)	शून्य
6.	,, श्यामलाल	,, नानू	खटीक	खटीक मोहल्ला वार्ड नं. 2 सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा	,,
7.	,, नारायण	,, हजारी	बलाई	आटूण (भीलवाड़ा)	,,
8.	,, भगवान	,, रामा	रैगर	तख्तपुरा, पो. हमीरगढ़, जि. भीलवाडा	,,
9.	,, कालू	,, भैरू	बलाई	गेंदलिया (भीलवाडा)	,,

1	2	3	4	5	6
10.	श्री भेरूं	श्री गिरधारी	चमार	बड़ा मुश्रा (भीलवाड़ा)	शून्य
11.	,, नानू	,, हीरा	रैगर	पो. मेजा (भीलवाड़ा))	,,
12.	,, रामलाल	,, छोगा	बलाई	पो. दांथला (भीलवाड़ा)	आठवीं पास
13	,, शंकर	,, देवा	बलाई	पो. आटूण (भीलवाड़ा)	शून्य
14	,, गणेश	,, कका	बलाई	पो. आटण (भीलवाड़ा)	,,
15.	,, श्यामलाल	,, प्यारेलाल	खटीक	पो. मंगरोप (भीलवाड़ा)	,,
16.	,, श्यामलाल	,, बंशी	खटीक	पो. शाहपुरा (भीलवाड़ा)	आठवीं पास
17.	,, शंकर	,, उदा	चमार	गठलियाखेडा, वाया–आटण, जि. भीलवाड़ा	शून्य
18.	,, श्यामलाल	,, प्यारचन्द	खटीक	वार्ड नं. 3, गांव–मंगरोप, जि. भीलवाड़ा	,,
19.	,, हरलाल	,, भैरूंलाल	चमार	गांव–पादलिया (भीलवाड़ा)	दूसरी पास
20.	,, लालाराम	,, खेमा	रैगर	तेजाजी का चौक, भीलवाड़ा	शून्य
21.	,, नारायण	,, कालू	चमार	किशनावतों की खेड़ी, जि. भीलवाड़ा	,,
22.	,, मोहन	,, देवीलाल	चमार	खेरावाद, चमारों का मोहल्ला, भीलवाड़ा	,,
23.	,, सोहनलाल	,, नानू	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, शाहपुरा, जि. भीलवाड़ा	,,
24.	,, डालू	,, धन्ना	बैरवा	बैरवों का मोहल्ला, भीलवाड़ा	,,
25.	,, श्यामलाल	,, लाला	खटीक	धानमंडी, भीलवाड़ा	,,
26.	,, भैरूं	,, लक्ष्मण	बलाई	खटीला खेड़ा, भीलवाड़ा	,,
27.	,, श्रीचन्द्र	,, केला	रैगर	रैगरों का मोहल्ला, भीलवाड़ा	,,
28.	,, डालचन्द	,, रामलाल	खटीक	खटीकों का मोहल्ला, मंगरोप, भीलवाड़ा	,,
29.	,, भैरूं	,, जमुना	बलाई	गठीला खेड़ा (भीलवाड़ा)	,,

संस्था का नाम : **मैसर्स** मोडर्न थ्रेड्स (इंडिया)) लि. रायला, जि. भीलवाड़ा

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	पता	शैक्षणिक योग्यता
1.	श्री मदन लाल	श्री धन्ना जी	बलाई	ग्राम—दांताकला, पो. फुवाला, जि. भीलवाड़ा	आठवीं
2.	,, बालू	,, देवा	रैगर	ग्राम—सांगली, तह. आसींद, जि. भीलवाड़ा	शून्य
3.	,, राधेश्याम	,, गुणेश	खटीक	ग्राम—रायला, जिला—भीलवाड़ा	,,
4.	,, धना	,, हीरा	रैगर	ग्राम—रायला, जि. भीलवाड़ा	,,
5.	,, लादूलाल	,, बालाजी	बलाई	ग्राम—किशनगढ़, तह. कोटडी, जि. भीलवाड़ा	,,
6.	,, लक्ष्मण लाल	,, मोडाजी	बलाई	ग्राम—नानकपुरा, तह. मांडल, जि. भीलवाड़ा	,,
7.	,, हरीचन्द	,, रामा	बलाई	पोबोलीया, तह. शाहपुरा, जि. भीलवाड़ा	,,
8.	,, हरीचन्द	,, धन्नाजी	बलाई	पो. बीलिया, तह. शाहपुरा जि. भीलवाड़ा	,,
9.	,, माधवलाल	,, नौलाजी	बलाई	ग्राम. तापड्या, पो. बावलास, जि. भीलवाड़ा	,,
10.	,, लादू	,, भैरूलाल	बलाई	ग्राम—दांता, तह. बनेड़ा, जि. भीलवाड़ा	,,
11.	,, रामेश्वर	,, हर लाल	रैगर	ग्राम—गांगलास, तह. आसींद, जि. भीलवाड़ा	,,
12.	,, बाबू लाल	,, सूरजमल	चमार	ग्राम—दांता, पो. धूवाला, तह. मांडल, जि. भीलवाड़ा	आठवीं

संस्था का नाम : **मैसर्स** भारत सेंथेटिक्स, एफ—5, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, बेलिया, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	पता	शैक्षणिक योग्यता
1.	श्री शिव लाल	श्री चुन्नीलाल	झिन्गर	सांगानेरी गेट के पास, जि. भीलवाड़ा	हा. सैकण्डरी
2.	,, दुर्गा प्रसाद	,, धींगुलाल	गांछा	सांगानेरी गेट, माताजी की गली के अन्दर भीलवाड़ा	नवीं
3.	,, हेमा	,, हजारीलाल	रैगर	म. नं. 203, सुभाष नगर, भीलवाड़ा	हा. सैक.
4.	,, रामेश्वर लाल	,, लादु लाल	धोबी	साम की सब्जी मंडी, महीला आश्रम रोड़, भीलवाड़ा	सैक. पास
5.	,, रूपाराम	,, मेहराराम	लाडना	ग्राम—रीडवाया, वाया—हिसार, जि. नागौर	हा. सैक.

संस्थान का नाम : जगेटीयां पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड रूपाहेली (भीलवाड़ा)
जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी	पिता का नाम	पता (गांव का नाम)	जाति	योग्यता
1.	श्री रामा	श्री कजोड़	अमृतपुरा	चमार	
2.	,, काना	,, कजोड़	अमृतपुरा	चमार	
3.	,, ऊमा	,, कजोड़	अमृतपुरा	चमार	
4.	,, रूक्मा	,, रामा	अमृतपुरा	चमार	
5.	श्रीमती लाडी	पत्नी श्री उग्मा	अमृतपुरा	चमार	
6.	श्रीमती फूला	पत्नी श्री काना	अमृतपुरा	चमार	
7.	,, मीसी	श्री ऊमा	अमृतपुरा	चमार	
8.	श्री उदा	,, ओंकार	अमृतपुरा	चमार	
9.	,, मीयाराम	,, नंदराम	जाक खेड़ा	धोली	
10.	,, ओमप्रकाश	,, नन्दराम	जाक खेडा	धोली	
11.	,, मोहन	,, टोडरू	रूपाहेली	बलाई	
12.	श्रीमती सोहनी	पत्नी श्री मोहन	,,	,,	
13.	श्रीमती नानूरी	पत्नी श्री नन्दा	,,	,,	
14.	श्री मोहन	—	नेगाजी का खेरा	,,	
15.	श्री कल्याण	—	कल्याण	,,	
16.	,, मोहन लाल	श्री रघुनाथ	झूपरियां	चमार	
17.	,, ताराचन्द	,, मंगला	,,	चमार	
18.	,, रमेश	,, किशना	,,	चमार	
19	,, श्यामा	,, सुग्रा	रूपाहेली	खटीक	
20	,, धन्ना	,, किशना	रूपाहेली	खटीक	
21	,, सुग्रा	,, दालू	रूपाहेली	रैगर	
22.	,, पोल्यो	,, मोहन	रूपाहेली	चमार	
23.	,, बीजू	,, कल्याण	अपल्यास	बलाई	

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, रीको लि., महरिया भवन सीकर।

मै. जयपुर पोलिस्पिन लिमिटेड, रींगस में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सूची।

क्र. सं. 1	नाम 2	पिता का नाम 3	जाति 4	पता 5	शैक्षणिक योग्यता 6
1.	श्री शंभू दयाल	श्री मांगुराम	बलाई	ग्राम पोस्ट रलावता, सीकर	नवीं पास
2.	,, भंवर लाल	,, गिरधारी लाल	बुनकर	खेजडोली (जयपुर)	दसवीं पास
3.	,, सुगन चन्द	,, गोपीराम	बलाई	नीमवाली ढाणी, पो. ग्रो. पटवारी बास (सीकर)	पांचवीं पास
4.	,, बन्ना राम	,, पीठाराम	बलाई	,, ,,	,,
5.	,, पूरनमल	,, चौथूराम	वर्मा	कोटडी सिमरला (सीकर)	चतुर्थ पास
6.	,, सत्यनारायण	,, भैरूंराम	हरिजन	हरिजन बस्ती, रींगस	दसवीं पास
7.	,, छीतर मल	,, किशनाराम	बुनकर	ग्राम हलाऊ का बास, पो. ग्रो. बधाल (जयपुर)	नवीं पास
8.	,, मोहन लाल	,, बुद्धाराम	बलाई	बामनवास, पी. ग्रो. गुरारा, (सीकर)	पांचवीं पास
9.	,, गोपाल लाल	,, जायसराज	बलाई	जैतुसर (सीकर)	ग्राठवीं पास
10.	,, नाथुराम	,, पन्ना लाल	वर्मा	जोधपुरा-रैनवाल (जयपुर)	दसवीं पास
11.	,, पृथ्वी राज	,, चन्दर राम	बलाई	जैतुसर (सीकर)	ग्राठवीं पास
12.	,, लक्ष्मीनारायण	,, नानगराम	बलाई	,, ,,	,,
13.	,, सागरमल	,, सुरजाराम	बलाई	,, ,,	पांचवीं पास
14.	,, हरदेव राम	,, शंकर लाल	बलाई	वीपीग्रो मावंडा (सीकर)	ग्राठवीं पास
15.	,, मूलचन्द	,, धन्ना राम	बुनकर	दूल्हापुरा, पी. ग्रो. हुंड वाया खूण्ड (सीकर)	दसवीं पास
16.	,, बजरंग लाल	,, नारायण लाल	बलाई	राधा किशनपुरा, वार्ड नं. 34, सीकर	नवीं पास

1	2	3	4	5	6
17.	श्री ताराचन्द	श्री बुद्धाराम	बलाई	महरोली (सीकर)	आठवीं पास
18.	,, मूलचन्द	,, पीठाराम	बलाई	पटवारी का बास जैतूसर (सीकर)	पांचवीं पास
19.	,, ईश्वरलाल	,, घीसाराम	हरिजन	,, ,,	छठी पास
20.	,, राधेश्याम	,, सुरजाराम	हरिजन	थोई (सीकर)	,,
21.	,, द्वारका प्रसाद	,, भैरू राम	धोबी	छींपों का मोहल्ला, रींगस (सीकर)	दसवीं पास
22.	,, सोहनलाल	,, बुद्धाराम	बलाई	जैतूसर (सीकर)	पांचवीं पास
23.	,, चौथमल	,, राम चन्द्र	बलाई	बस स्टैण्ड, रींगस (सीकर)	,,
24.	,, श्रवण कुमार	,, बिन्जा राम	बलाई	जैतूसर (सीकर)	दसवीं पास
25.	,, बलदेव बलाई	,, नाथूराम	बलाई	,, ,,	छठी पास
26.	,, सीताराम	,, प्रभाती लाल	बलाई	ढाणी बाज्या की, पी. ओ. चिकरिया (सीकर)	निल
27.	,, भागीरथ मल	,, खेतान राम	बलाई	ग्राम मन्डा मडनी, पी. ओ. पलसाना (सीकर)	पांचवीं पास
28.	,, सायरमल	,, नाथूराम	वर्मा	जैतूसर (सीकर)	पांचवीं पास
29.	,, फूलचन्द	,, छोटुराम	वर्मा	कल्याणपुरा वाया थोई (सीकर)	हा. सैक.
30.	,, रामपाल	,, रामदेव	वर्मा	लखानी (सीकर)	नवीं पास
31	,, चौथमल	,, रामचन्द्र	बलाई	जैतूसर (सीकर)	आठवीं पास
32.	,, दीपचन्द	,, नेतराम	बलाई	,,	पांचवीं पास
33.	,, लक्ष्मीनारायण	,, रामचन्द्र	बलाई	छोटा गुड्डा (जयपुर)	आठवीं पास
34.	,, हरीराम	,, छोटुराम	बलाई	पलसाना (सीकर)	आठवीं पास
35.	,, ओंकार मल	,, मन्शा राम	बलाई	राधा किशनपुरा (सीकर)	पांचवीं पास
36.	,, गीग राज	,, बोदुराम	बलाई	थोई (सीकर)	आठवीं

1	2	3	4	5	6
37.	श्री सुंवा लाल	श्री मांगुराम	बलाई	रींगस (सीकर)	—
38.	,, सांवर मल	,, प्रहलाद राय	वर्मा	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	आठवीं
39.	,, बंशीधर	,, सुरजा राम	वर्मा	जैतूसर (सीकर)	नवीं
40.	,, राधेश्याम	,, कन्हैया लाल	गुरवा	राधाकिशनपुरा, वार्ड नं: 84 सीकर	दसवीं
41.	,, कैलाश चन्द्र	,, मुकट बिहारी	गुरवा	श्री कृष्ण होस्टल के पास, सीकर।	नवीं पास
42.	,, गोपीराम	,, भींवाराम	बलाई	कोछोर (सीकर)	हा. सैक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष
43.	,, राजीव नन्दा	,, के. के. नन्दा		7/9 रेल्वे कालोनी, सीकर।	नवीं, आई. टी. आई.
44.	,, सुवा लाल	नाथूराम	बलाई	पटवारी का बास, सीकर।	छठी
45.	,, रेडू राम	,, बोदूराम	बलाई	बलाइयों का मोहल्ला, रींगस।	छठी
46.	,, रतन लाल	श्री चन्द्र प्रकाश	हरीजन	हरिजन मोहल्ला, रींगस (सीकर)	नवीं
47.	,, ब्रिज लाल	,, चन्द्र प्रकाश	,,	,, ,,	पांचवीं
48.	,, छीतर मल	,, घीसाराम	बलाई	महरोली (सीकर)	—
49.	,, बंशीधर	,, भगवाना राम	बलाई	ढ़ाणी मोठियावाली, पी. ओ. सरगोठ (सीकर)	नवीं
50.	,, पूरन मल	,, भोमा राम	हरीजन	अजमेरी, पी. ओ. अजीतगढ़ (सीकर)	—
51.	,, पूरन मल	,, रूड़ा राम	बलाई	ढोडिया वाया रींगस	—
52.	,, रूड	,, मुरली धर	बलाई	ग्राम कल्याणपुरा, पो. जैरामपुरा (सीकर)	पांचवीं
53.	,, सीताराम	,, गुलाला	हरीजन	लानुइया वाया खाटु श्याम जी (सीकर)	—
54.	,, प्रभु दयाल	,, मोहनलाल	भंगी	लम्पुआ वाया रींगस (सीकर)	—

55.	श्री ओमप्रकाश	श्री छोटूराम	बलाई	जीलो (सीकर)	हायर सैक.
56.	,, सांवर मल	,, बोदूराम	बलाई	रानोली (सीकर)	आठवीं
57.	,, रतीराम	,, प्रभुराम	बलाई	दौलतपुरा पी. ओ. पाटन (सीकर)	हा. सैक.
58.	,, चौथमल	,, मन्नाराम	बलाई	ददिया वाया रींगस (सीकर)	—
59.	,, राजूराम	,, जीवनराम	बलाई	गुड्डा (सीकर)	तृतीय
60.	,, फूलचन्द बलाई	,, सेडूराम	बलाई	ददिया वाया रींगस (सीकर)	—
61.	,, मुरारी लाल	,, तुलसीराम	बलाई	सिरधी (सीकर)	दसवीं
62.	,, पूरनमल	चौथुराम	बलाई	के डी सिनियरला (सीकर)	आठवीं
63.	,, खुशीराम	,, वुद्धाराम	बलाई	महरोली (सीकर)	छठी
64.	,, रामेश्वर लाल	,, मंगला राम	बलाई	ढाणी पांवडा की बावडी (सीकर)	दसवीं
65.	,, फूलचन्द	,, गिरधारी लाल	बलाई	होल्या का बास, श्रीमाधोपुर	छठी
66.	,, बजरंग लाल	,, राम चन्द्र	बलाई	जैतूसर (सीकर)	आठवीं
67.	,, रामदेव	,, कजोड़मल	बलाई	बागडी नांगल वाया बडवाल, जयपुर	दसवीं
68.	,, मंगल चन्द	,, गिरधारी लाल	खटीक	पचार (सीकर)	आठवीं
69.	,, जगदीश प्रसाद	,, दोलाराम	बलाई	पलसाना (सीकर)	आठवीं
70.	,, दीनदयाल	,, कन्हैयालाल	हरिजन	कांवट (सीकर)	—
71.	,, श्याम लाल	,, सागरमल	,,	,,	—
72.	,, वीधुराम	,, मांगूलाल	बलाई	पलसाना (सीकर)	छठी
73.	,, गिरधारी लाल	,, लक्ष्मीनारायण	खटीक	वार्ड नं. 2, रींगस (सीकर)	सातवीं
74.	,, अशोक कुमार	,, मोहन लाल	हरिजन	कांवट (सीकर)	छठी
75.	,, फूलचन्द	,, मामराज	हरिजन	कांवट (सीकर)	—

1	2	3	4	5	6
76.	श्री बाबूलाल	श्री छोटूराम	बलाई	जोरावर नगर (सीकर)	आठवीं
77.	,, चुन्नीलाल बलाई	,, मंगला राम	बलाई	ददिया वाया रींगस	पांचवीं
78.	,, मंगलाराम	,, रामलाल	बलाई	,,	—
79.	,, जगदीश प्रसाद	,, सुन्ना राम	रैगर	लिसडिया वाया मूंदरा (सीकर)	नवीं
80.	,, गिरधारी लाल	,, मंगलाराम	बलाई	ददिया वाया जैतूसर (सीकर)	—
81.	,, मोहन लाल	,, भूराराम	हरिजन	गुड्डा, जैतूसर (सीकर)	द्वितीय
82.	,, नेतु लाल	,, गनेश राम	बलाई	ददिया वाया रींगस (सीकर)	—
83.	,, सत्यनारायण	,, सुवाराम	बलाई	,, ,,	—
84.	,, लाल चन्द	,, विरधी चन्द	बलाई	वार्ड नं. 9, इन्द्र विश्राम गृह, श्रीमाधोपुर	पांचवीं
85.	,, बनवारी लाल	,, भूराराम	बलाई	ददिया वाया रींगस (सीकर)	द्वितीय
86.	,, केसर मल	,, कल्याणमल	बलाई	वार्ड नं. 7, श्री माधोपुर	पांचवीं
87.	,, माली राम	,, भैरूं राम	रैगर	महरोली (सीकर)	आठवीं
88.	,, हीरा लाल	,, कालूराम	रैगर	,, ,,	पांचवीं
89.	,, रामेश्वर लाल	,, जोधाराम	हरिजन	रतनपुरा वाया मूंदरू (सीकर)	हाय. सैक.
90.	,, दयाल राम	,, रामलाल	रैगर	हसपुर वाया श्रीमाधोपुर (सीकर)	दसवीं
91.	,, सांवर मल	,, पूरन मल	बलाई	महरोली (सीकर)	—
92.	,, भंवरी लाल	,, लक्ष्मी राम	बलाई	,, ,,	नवीं पास
93.	,, ओम प्रकाश	,, कालूराम	बलाई	वार्ड नं. 2, तेलियों का मोहल्ला, रींगस	पांचवीं पास
94.	,, गोपीराम	,, माना राम	बलाई	ददिया वाया रींगस (सीकर)	पांचवीं पास
95.	,, महेन्द्र	,, बाबूलाल	हरिजन	हरिजन मोहल्ला	मामूली

96.	श्री अशोक कुमार	श्री प्रभूदयाल	हरिजन	रींगस (सीकर)	पांचवीं पास
97.	,, खेताराम	,, गंगूराम	वर्मा	ढाणी मच्छावाली, रींगस (सीकर)	हाय. सैक.
98.	,, कालू राम	,, पेमा राम	बलाई	जैतूसर (सीकर)	आठवीं पास
99.	,, मूलचन्द	,, कालूराम	बलाई	हरिजन मोहल्ला, रींगस (सीकर)	—
100.	,, भंवरी लाल	,, बंशीधर राम	हरिजन	,, ,, ,,	मामूली पढ़ा
101.	,, पूरनमल भगत	,, नन्दा राम	बलाई	पचार (सीकर)	छठी पास
102.	,, गोपाल ढांका	,, मूलचन्द		जैतूसर (सीकर)	आठवीं पास
103.	,, सीताराम	,, हरजी राम	बलाई	परतापुर (सीकर)	पांचवीं पास
104.	,, बालू राम	,, रामनाथ	बलाई	परतापुर (सीकर)	आठवीं पास
105.	,, कालू राम	,, जयसाराजन	बलाई	भोपतपुरा (सीकर)	नवीं पास
106.	,, पूरनमल डेनवाल	,, रामदेव	बलाई	,, ,,	आठवीं पास
107.	,, गजानन्द भगत	,, प्रेम चन्द	बलाई	पचार (सीकर)	दसवीं पास
108.	,, प्रेम चन्द	,, बादूराम	बलाई	कल्याणपुरा, पो. ओ. जयरामपुरा वाया श्री माधोपुर (सीकर)	छठी पास
109.	,, बोदूराम	,, रामनाथ	बलाई	जैतूसर (सीकर)	तृतीय पास
110	,, सुवा लाल	,, केशाराम	बलाई	गुड्ढा (सीकर)	आठवीं पास
111.	,, शिव पाल	,, टीकू राम	हरिजन	लखानी वाया रींगस (सीकर)	चतुर्थ पास
112.	,, बाबूलाल	,, रामलाल	बलाई	तेलियों का मोहल्ला (रींगस)	आठवीं पास
113.	,, लीला राम	,, भोरा राम	रैगर	महरोली (सीकर)	पांचवी पास
114.	,, कुलदा राम	,, हीरा राम	वर्मा	माजीपुरा वाया पलसाना (सीकर)	छठी पास
115.	,, मोहन लाल	,, नारायण लाल	बलाई	गुदालिया वाया भूतेड़ा (जयपुर)	नवीं पास
116.	,, मोहन लाल	,, नन्दा राम	बलाई	बासनी पो. भंभाड़ा, महरोली (सीकर)	पांचवीं
117.	,, ओम प्रकाश	,, छोटूराम	बलाई	महरोली (सीकर)	दसवीं

1	2	3	4	5	6
118.	श्री मखन लाल	श्री महादेव राम	रैगर	महरोली (सीकर)	पांचवी पास
119.	,, हनुमान प्रसाद	,, काना राम	रैगर	,,	आठवीं पास
120.	,, लालचन्द	,, छोटूराम	रैगर	,,	मामूली पढ़ा
121.	,, माली राम	,, छुन्ना राम	रैगर	,,	,,
122.	,, चेता राम	,, रुधाराम	रैगर	,,	,,
123.	,, सीमा राम	,, कालूराम	रैगर	,,	आठवीं पास
124.	,, कालू राम	,, छुन्ना राम	रैगर	,,	मामूली पढ़ा
125.	,, लक्ष्मी चन्द	,, सुरजा राम	बलाई	कल्याणपुरा पी. ओ. जैरामपुरा वाया श्रीमाधोपुर (सीकर)	आठवीं पास
126.	,, गोकुल चन्द	,, गनेशराम	रैगर	वर्रसिंहपुरा, पलसाना (सीकर)	पाचवीं पास
127.	,, भूरा राम	,, गंगूराम	हरिजन	,, ,,	,,
128.	,, दौलत राम	,, रूड़ा राम	बलाई	बाज्याकी ढाणी (ठीकरियां) (सीकर)	आठवीं पास
129.	,, राजेन्द्र कुमार	,, मनोहर लाल	बलाई	रेल्वे कालोनी (रींगस)	आठवीं पास
130.	,, महादेवप्रसाद	,, चुन्ना राम	बलाई	माजीपुरा (पलसाना) (सीकर)	दसवीं पास
131.	,, बाबूलाल	,, माली राम	रैगर	महरोली (सीकर)	द्वितीय पास
132.	,, हरीसिंह ढाका	,, कालूराम		रींगस (सीकर)	नवीं पास
133.	,, सूरज भान	,, छोटे लाल	बलाई	मालाकाली पी.ओ. जैतूसर (सीकर)	आठवीं पास
134.	,, बद्रीलाल	,, घीसाराम	बलाई	समरथपुरा वाया श्रीमाधोपुर	छठी पास
135.	,, रामसिंह ढाका	,, महादेव राम		समरथपुरा वाया श्री माधोपुर	छठी पास
136.	,, रूड़ा राम	,, ग्यारा राम	रैगर	,, ,,	मामूली पढ़ा
137.	,, मोहन लाल	,, काना राम	बलाई	किशनपुरा वाया बधाल (जयपुर)	,,
138.	,, लालाराम	,, देवाराम	रैगर	महरोली (सीकर)	सातवीं पास

Page No 183

139.	श्री जगदीश प्रसाद	श्री छोटू राम	हरिजन	तिवाड़ी की ढाणी वाया श्रीमाधोपुर	दसवीं पास
140.	,, सोहनलाल	,, मालीराम	बलाई	जोरावर नगर वाया कांवट	आठवीं पास
141.	,, रामचन्द्र	,, परसाराम	रैगर	किशनपुरा वाया बधाल (जयपुर)	छठी पास
142.	,, रमेशचन्द्र	,, मंगलाराम	बलाई	लक्ष्मीनगर, जयपुर	—
143.	,, श्रवण कुमार	,, नारायणलाल	बुनकर	अलीसर वाया कालाडेरा (जयपुर)	छठी पास
144.	,, वंशीधर	,, चेताराम	रैगर	महरोली (सीकर)	मामूली पढ़ा

संस्थान का नाम : मैसर्स टेब इण्डिया लिमिटेड, अलवर जिला अलवर

क्र. सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी	पिता का नाम	पता	योग्यता	जाति
1.	श्री हरी लाल	श्री मनीराम	वा. पो. कियूर, अलवर	—	जाटव
2.	,, हेमराज	,, नारायण सहाय	राजपुर बड़ा, तह. राजगढ़, अलवर	—	बैरवा
3.	,, रामचन्द्र	,, डूंडाराम	गांधी सवाईराम, अलवर	—	बैरवा
4.	,, बनवारी लाल	,, झज्जूराम	गांधीसवाईराम, अलवर	—	बैरवा

संस्थान का नाम : मैसर्स एस. आर. इण्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेज, अलवर

1.	श्री मदनलाल	श्री हाबूराम	अखहपुरा, अलवर	—	रैगर
2.	,, देवकरण	,, परताराम	चांदपुरा, तह. राजगढ़, अलवर	—	बलाई

संस्थान का नाम : मैसर्स इण्डो केप (पी.) लिमिटेड, अलवर, जिला अलवर

1.	श्री जय बलदेव	श्री रूपचन्द	आदर्श कॉलोनी, अलवर।	—	ओद
2.	,, शकुनचन्द	,, प्रभाती	कीलपुरखेड़ा, तह. राजगढ़, अलवर	—	मेहतर
3.	,, जवाहर सिंह	,, रामजीलाल	मथुराहेड़ा, तह. लक्ष्मणगढ़, अलवर	—	जाटव
4.	,, भगवानसिंह	,, वदनसिंह	बनारी गेट, भरतपुर	—	जाटव

संस्थान का नाम : मैसर्स परफैक्ट थ्रेड मिल्स लिमिटेड, उदयपुर जिला उदयपुर

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी	पिता का नाम	जाति	पता	योग्यता
1.	श्री नवल राम	श्री नाथूराम	मेघवाल	—	पांचवीं
2.	,, हीरालाल	,, भंवरलाल	खटीक	—	नवीं
3.	,, जगदीश लाल	,, मोती लाल	यादव	—	दशम्
4.	,, राधेश्याम	,, लल्लूराम	यादव	—	नवीं
5.	,, धर्मा	,, कालू	मेघवाल	—	दूसरी
6.	,, राजेन्द्र कुमार	,, खुम्मन	बुनकर	—	दसवीं
7.	,, रामलाल	,, पन्नालाल	सालवी	—	आठवीं
8.	,, कन्हैयालाल	,, रामा	ढोली	—	दूसरी
9.	,, ओमप्रकाश	,, भैरूंलाल	खटीक	—	आठवीं
10.	,, बालूराम	,, रामलाल	बुनकर	—	नवीं
11.	,, मोहनलाल	,, मांगीलाल	भांड	—	दसवीं
12.	,, ओमप्रकाश	,, दुरकिशन	यादव	—	तीसरी
13.	,, भंवरलाल	,, गोवरधन	हरिजन	—	दूसरी
14.	,, ताराचन्द	,, माधो	हरिजन	—	पांचवीं
15.	,, ख्यालीलाल	,, मांगीलाल	हरिजन	—	दूसरी
16.	,, बाबूलाल	,, बालूलाल	हरिजन	—	चौथी
17.	,, बंशीलाल	,, चम्पालाल	हरिजन	—	दूसरी
18.	,, बंशीलाल	,, नारायणीलाल	हरिजन	-	तीसरी
19.	,, डालूराम	,, रूपा	हरिजन	-	चौथी
20.	,, नारायण लाल	,, धूबीराम	यादव	-	नवीं

संस्थान का नाम : मैसर्स तिरूपति फाइबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, आबूरोड़
जिला : आबूरोड़ (राजस्थान)

क्र. सं.	नाम प्रशिक्षणार्थी	पिता का नाम	पता	योग्यता	जाति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कपूरा राम	श्री भोका जी	गांधीनगर, आबूरोड़,	आठवीं	सरगरा
2.	,, कस्तूरमल	,, हीरा जी	प्रेम नगर, आबूरोड़	आठवीं	सरगरा
3.	,, सुरेश कुमार	,, खेम जी	प्रेम नगर, आबूरोड़	आठवीं	सरगरा
4.	,, चुन्नीलाल	,, कालूराम	प्रेम नगर, आबूरोड़	सातवीं	सरगरा
5.	,, कान्तीलाल	,, मूला जी	वाया/पोस्ट देलदेरा	नवीं	मेघवाल
6.	,, टीका राम	,, भद्रा राम	वा. पो. विशा (सिरोही)	नवीं	मेघवाल
7.	,, मिठालाल	,, भगाजी	वाया/पोस्ट भारजा	आठवीं	सरगरा
8.	,, राजेन्द्र कुमार	,, भैराजी	गांधीनगर, आबूरोड़	आठवीं	सरगरा
9.	,, नरसाराम	,, अगराराम	वाया/पोस्ट मवाल	आठवीं	मेघवाल
10.	,, भिकालाल	,, भैराजी	शान्तपुर	नवीं	सरगरा
11.	,, नोपाराम	,, रूपाजी	वाया/पोस्ट, आबूरोड़	दसवीं	मेघवाल
12.	,, रूपाराम	,, हन्साजी	वाया/पोस्ट, सेवरा (सिरोही)	ग्यारवीं	सरगरा
13.	,, छोगा लाल	,, धन्ना जी	भारजा	सातवीं	सरगरा
14.	,, बनाराम	,, मोटा जी	मोरथला	आठवीं	मेघवाल
15.	,, अशोक कुमार	,, दया राम	केशरगंज, आबूरोड़	छठी	लोघा
16.	,, प्रेम कुमार	,, पन्ना लाल	मोरथला	आठवीं	मेघवाल

1	2	3	4	5	6
17.	श्री टीका राम	श्री चिमना जी	देलदार	नवीं	गुरू
18.	,, रतन राज	,, भादा जी	सान्तपुरा	नवीं	सरगरा
19.	,, लखमा राम	,, भवाराम	आबूरोड़	नवीं	सरगरा
20.	,, भादा राम	,, सोना जी	लुनियापुरा, आबूरोड़	छठी	सरगरा
21.	,, कस्तूरमल	,, धन्ना जी	,, ,,	—	—
22.	,, देवेन्द्र कुमार	,, लालाराम	वा. पो. मण्डवा	नवीं	बलाई
23.	,, अशोक कुमार	,, जोहरी लाल	नागोरी मौहल्ला	ग्यारवीं	—
24.	,, कालू राम	,, रामेश्वर जी	गांधीनगर,	नवीं	बैरवा
25.	,, जसवन्त सिंह	,, राम शंकर	आबूरोड़	नवीं	बलाई
26.	,, ओमकार	,, नेवा	कुम्हार मौ. आबूरोड़	नवीं	सरगरा
27.	,, रतन लाल	,, धना जी	लुनियापुरा	छठी	सरगरा
28.	,, बाबूलाल	,, हंसा जी	सान्तपुर	आठवीं	मेघवाल
29.	,, लालाराम	,, केशा	मानपुर, आबूरोड़	—	कोली
30.	,, मफतलाल	,, केशा	,, ,,	—	कोली
31.	,, भरत कुमार	,, मोहन लाल	रेल्वे कॉलोनी	नवीं	बैरवा
32.	,, बाधा राम	धन्ना	लुनियापुरा, आबूरोड़	दसवीं	सरगरा
33.	,, छोगालाल	,, धन्ना जी	भारजा	सातवीं	सरगरा
34.	,, वना राम	,, मोटा जी	मोरथला	आठवीं	मेघवाल
35.	,, प्रेम कुमार	,, पन्ना लाल	—	पांचवीं	बैरवा
36.	,, अशोक कुमार	,, दया राम	केसरगंज, आबूरोड़	छठी	लोधा
37.	,, सीता राम	,, चिमना जी	देलदार	नवीं	गुरू
38.	,, रतन राज	,, भादा	सान्तपुरा	नवीं	सरगरा

Page No 187

(187)

1	2	3	4	5	6
39.	श्री लखमा राम	श्री भुभा राम	आबूरोड़	छठी	सरगरा
40	,, भादा राम	,, सोना जी	लुनियापुरा	—	सरगरा
41.	,, कस्तूर मल	,, धन्ना जी	लुनियापुरा, आबूरोड़	आठवीं	सरगरा
42.	,, देवेन्द्र कुमार	,, लालाराम	वा. पो. मण्डवा	नवीं	वलाई
43.	,, अशोक कुमार	,, जोहरी लाल	नागोरी मोहल्ला, आबूरोड़	ग्यारवीं	हरिजन
44.	,, भगवान दास	,, लक्ष्मण जी	लुनियापुरा	आठवीं	रैगर
45.	,, वाबूलाल	,, किशोरीलाल	—	,,	रैगर
46.	,, अशोक कुमार	,, रामाजी	वा. पो. तारतोली	,,	सरगरा
49.	,, रमेश कुमार	,, मोतीलाल	सान्तपुर	नवीं	सरगरा
50.	,, भगतसिंह	,, रामस्वरूप	आबूरोड़	आठवीं	चमार
51.	,, छगन लाल	,, जोधा जी	वा. पो. लूनीपुरा, आबूरोड़	,,	चमार
52.	,, गुलाब चन्द	, रामा जी	आबूरोड़	,,	सरगरा
53.	,, रूपचन्द	,, पन्ना जी	आबूरोड़	,,	सरगरा
54.	,, उमा शंकर	,, वाला जी	लूनियापुरा	,,	सरगरा
55.	,, चेत राम	,, रामचन्द्र	प्रेमनगर, आबूरोड़	चौथी	कोली
56.	,, श्याम लाल	,, मंगल जी	आबूरोड़	नवीं	कोली
57.	,, छगन लाल	,, हंसा राम	रेल्वे कॉलोनी, आबूरोड़	सातवीं	सरगरा
58.	,, वाबू लाल	,, पूनमराम	वा. पो. वारोली	आठवीं	,,
59.	,, चुन्नीलाल	,, मोतीलाल	वा. पो. टारटोली	,,	हरिजन

1	2	3	4	5	6
60.	श्री देवीलाल	श्री मगनलाल	वा. पो. देलदर	आठवीं	हरिजन
61.	,, रमेश कुमार	,, रामा जी	टारटोली	,,	सरगरा
62.	,, चम्पालाल	,, प्रभूराम	वा. पो. लुनियापुरा	छठी	रैंगर
63.	,, दयाराम	,, नाटा जी	वा. पो. देलदर	दूसरी	मेघवाल
64.	,, रमेश चन्द	,, अमराजी	वा. पो. घानारा	पहली	सरगरा
65.	,, चेलाराम	,, मल्ला जी	खाडेट पो. ओर	चौथी	मेघवाल
66.	,, देवा राम	,, तेजा राम	वा. पो. चन्नार	–	,,
67.	,, किशनलाल	,, भगवानदास	सान्तपुरा	आठवीं	सरगरा
68.	,, कैलाश कुमार	,, हीरा जी	सान्तपुरा	सातवीं	,,
69.	,, बाबूलाल	,, गजानन्द	पो. गोराली	आठवीं	रेदास
70.	,, हजारीराम	,, मगराराम	वा. पो.	–	गुआरिया
71.	,, बाबूलाल	,, देवाराम	खकडेट पो. ओर	–	रेदास
72.	,, ओमप्रकाश	,, प्रभात	मुनिपुरा	सातवीं	रैंगर
73.	,, रमेश चंद	,, प्रभूराम	आबूरोड़	छठी	रैंगर
74.	,, खेताराम	,, घीसा जी	सान्तपुरा	–	मेघवाल
75.	,, लीलाराम	,, छोगाराम	वा. पो. अमृताला	तीसरी	मेघवाल
76.	,, राजहंस	,, फतेसिंह	वा. पो. आबूरोड़	नवीं	कोली
77.	,, मेसाराम	,, चमना जी	मुगताला	–	मेघवाल
78.	,, बनवारीलाल	,, मनीलाल	आबूरोड़	आठवीं	बलाई
79.	,, चन्द्रप्रकाश	,, तुलसाराम	लुनियापुरा	,,	रैंगर
80.	,, रवीशंकर	,, चुन्नीलाल	सान्तपुरा	नवीं	सरगरा
81.	,, कशना राम	,, चैन जी	किवराली	,,	मेघवाल

1	2	3	4	5	6
82.	श्री हंसाराम	श्री पुसा जी	खकडेट-ग्रोर	सातवीं	मेघवाल
83.	,, मूलाराम	,, वत्ता जी	,,	,,	,,
84.	,, धोलाराम	,, धन्ना जी	कसिंदा-ग्रासपुरा, रोहिड़ा	दूसरी	,,
86.	,, भेरा राम	,, ग्रचला जी	मंगथाला	सातवीं	मेघवाल
87.	,, शंकर लाल	,, देवा जी	केवराजी	ग्राठवीं	मेघवाल
88.	,, बंशी लाल	,, लक्ष्मण जी	लुनियापुरा	,,	रैगर
89.	,, ग्रोमप्रकाश	,, ग्रोरी राम	गांधीनगर	पांचवी	चमार
90.	,, जैसा राम	,, हरजी	मवाल	तीसरी	मेघवाल
91.	,, ग्रोमप्रकाश	,, केना जी	लुनियापुरा	ग्राठवीं	जटिया
92.	,, प्रेम चन्द	,, मगन जी	रेल्वे कॉलोनी, ग्राबूरोड़	छठी	सरगरा
93.	,, प्रहलाद कुमार	,, प्रताप जी	सान्तपुरा	ग्राठवीं	लखारा
94.	,, चेनाराम	,, नागा जी	सनवारा, पो. भूला (सिरोही)	छठी	मेघवाल
95.	,, भगाराम	,, देवा जी	ग्राबूरोड़	दसवीं	मेघवाल
96.	,, रमेश कुमार	,, सोमा जी	वा. पो. मोहिर	,,	सरगरा
97.	,, कानाराम	,, नरसा जी	गोल, सिरोही	छठी	सरगरा
98	,, कोकाराम	,, गेला राम	वेलागारी (सिरोही)	ग्राठवीं	मेघवाल
99.	,, देवाराम	,, सोवा जी	तावरी, सिरोही	नवीं	मेघवाल
100.	,, लखमा राम	,, नवाराम	भुटगोन, सिरोही	,,	मेघवाल
101.	,, केसा राम	,, बिजा जी	गेसीवाड़ा, पिण्डवाडा	ग्राठवीं	,,

1	2	3	4	5	6
102.	श्री वचना राम	श्री धोला राम	वरवा	चौथी	हरिजन
1^3.	,, मोहन लाल	,, कालू जी	आबूरोड़	—	सरगरा
104.	,, गोविन्द राम	,, सोमा जी	आबूरोड़	नवीं	सरगरा
105.	,, भोमा राम	,, अन्ना राम	सान्तपुर	आठवीं	सरगरा
106.	,, अमरा राम	,, भुवा राम	आबूरोड़	चौथी	सरगरा
107.	,, भिकसेन	,, पुगराम	लुनियापुरा	आठवीं	रैगर
108.	,, ओमचन्द	,, अन्ना जी	सान्तपुर	नवीं	हिरागर
109.	,, हंसाराम	,, धर्मा जी	वतरा, पिण्डवाड़ा	,,	सरगरा
110.	,, सोभा राम	,, उका जी	कृष्णगंज सिरोही	सातवीं	मेघवाल (सरगरा)
111.	,, लालूराम	,, गणेश राम	रिवेधर, मण्डार	आठवीं	गुरू
112.	,, मोहन लाल	,, सोडा राम	आबूरोड़	पांचवीं	मेघवाल
113.	,, किशन लाल	,, दरगा राम	पिण्डवाड़ा	नवीं	सरगरा
114.	,, बाबूलाल	,, पन्ना जी	आबूरोड़	—	रैगर
115.	,, हम्मा राम	,, हीराराम	सान्तपुर	,,	मेघवाल
116.	, रमेशलाल	,, अन्ना जी	आबूरोड़	आठवीं	सरगरा
117.	,, विसाराम	,, लुम्बा जी	अमतला	—	मेघवाल
118.	,, माधोराम	,, चुन्नीलाल	भारजा	,,	गुरू
119.	,, गुलाब चन्द	, दानमल	तारतोजी	,,	सरगरा
120.	,, मोहनलाल	,, सोमा जी	आबूरोड़	सातवीं	मेघवाल
121.	,, लक्ष्मीलाल सालवी	,, भगा जी	नाधारा	पांचवीं	सालवी

1	2	3	4	5	6
122.	श्री अमरा राम	श्री भीमा जी	पिण्डवाड़ा	पांचवीं	मेघवाल
123.	,, हंसाराम	,, भला जी	आबूरोड़	आठवीं	मेघवाल
124.	,, तुलसी दास	,, मांगीलाल	आबूरोड़	तीसरी	हरिजन
125.	, किशनलाल	,, ढोला जी	सान्तपुर	—	मेघवाल
126.	,, नरेशराम	,, नानाजी	सिन्दराथम	आठवीं	मेघवाल
127.	,, हिम्मतराम	,, भूरारामे	जवल, सिरोही	,,	सरगरा
128.	,, माफाराम	,, नारायण जी	रेवंदर, सिरोही	पांचवीं	हरिजन
129.	,, नारायन लाल	,, चमना जी	पिण्डवाड़ा	सातवीं	—
130.	,, बनाराम	,, अचलाल जी	देलदार	—	मेघवाल
131.	,, हीराराम	,, देवाराम	आबूरोड़	आठवीं	रेदास
132.	,, मोडाराम	,, राजा जी	रोहिड़ा	—	मेघवाल
133.	,, जैसाराम	,, भवरिया जी	आबूरोड़	नवीं	मेघवाल
134.	,, मोती लाल	,, मन्ना जी	पिण्डवाड़ा	सातवीं	मेघवाल
135.	,, भैरूलाल सालवी	,, खमा जी	देलवाड़ा	ग्यारवीं	सालीवी
136.	,, अमरा राम	,, हीराम	पिण्डवाड़ा	दसवीं	मेघवाल
137.	,, हरिराम सिंदल	,, नापाजी	आबूरोड़	ग्यारवीं	सरगरा
138.	,, गेला राम	,, वना जी	पिण्डवाड़ा	दसवीं	मेघवाल
139.	,, सीता राम	,, पना जी	आबूरोड़	ग्यारवीं	मेघवाल
140.	,, उदा राम	,, मनरा जी	पिण्डवाड़ा	—	मेघवाल
141.	,, नागराम	,, पन्ना जी	आबूरोड़	नवीं	मेघवाल

1	2	3	4	5	6
142.	श्री बेला राम	श्री धना जी	आबूरोड़	आठवीं	मेघवाल
143.	,, पोपाराम	,, चमना जी	आबूरोड़	—	,,
144.	,, जगदीश प्रसाद	,, मदनलाल	किशनगढ़, कोटा	आठवीं	बैरवा
145.	,, ऊमरा राम	,, बाबूराम	अमथाला	सातवीं	मेघवाल
146.	,, जगदीश कुमार	,, धूना जी	लुनियापुरा	पांचवीं	रैगर
147.	,, छगनलाल	,, वाघा जी	आबूरोड़	—	बावरी
148.	,, भुता राम	,, धन्ना जी	आबूरोड़	छठी	मेघवाल
149.	,, धुंसाराम	,, वाजा जी	आबूरोड़	सातवीं	मेघवाल
150.	,, कान्तिलाल	,, सेवा राम	गांधीनगर	तीसरी	गरासिया
151.	,, बाबूलाल	,, भगाजी	वा. पो. मवाल, आबूरोड़	तीसरी	मेघवाल
152.	,, कन्हैया लाल	,, शंकर लाल	वा. पो. लुनियापुरा	पांचवीं	कोली
153.	,, भिकाराम	,, मगाजी	वा. पो. बटेरा (सिरोही)	सातवीं	मेघवाल
154.	,, रामाराम	,, हरजी	वा. पो. मवाल (सिरोही)	—	,,
155.	,, कालूराम	,, सिरामजी	गाव निमाणा, सिरोही	—	मेघवाल
156.	,, केसाराम	,, खतेर जी	गांव—टारोगी, पो. भीमाना, सिरोही	तीसरी	मेघवाल
157.	,, चेनाराम	,, नया जी	वा. पो. भरजा (सिरोही)	—	,,
158.	,, केशा राम	,, भीका जी	गांव—निठोड़ा, सिरोही	चौथी	,,
159.	,, दुदाराम	,, चमना जी	गांव—दमनानी, सिरोही	छठी	मेघवाल
160.	,, मालाराम	,, चेला जी	कसिन्दरा, पो. सिरोही	—	,,
161.	,, कुइया राम	,, भुला जी	गांव—सनवार, पो. भुला, सिरोही	नवीं	,,
162.	,, विराराम	,, जगा जी	वा. पो. देलदर, आबूरोड़	पांचवीं	,,
163.	,, नन्दलाल	,, चम्पालाल	नागोरी मोहल्ला, आबूरोड़	नवीं	हरिजन

1	2	3	4	5	6
164.	श्री मोहनलाल	श्री तेजा जी	गांव–सिरोहीराद सिरोही	नवीं	सरगता
165.	,, सोपाराम	,, वनाराम	गांव–मुगथाला	–	मेघवाल
166.	,, सोमाराम	,, भगा जी	गांव–सनवारा, पो. रोहिरा	–	मेघवाल
167.	,, लकमा राम	,, भुवा जी	गांव–धनारी, पो. स्वरूपगंज	आठवीं	सरगरा
168.	,, हीरा लाल	,, हरजी राम	गांव–असरना, पो. नादिया	नवीं	हरिजन
169.	,, पूरन चन्द	,, सोना जी	वा. पो. भिमाणा, सिरोही	सातवीं	सरगरा
170.	,, वांबूलाल	,, जगा जी	गांव–जटीयावास, सिरोही	आठवीं	जटिया
171.	,, प्रभुराम	,, गुलावा जी	वा. पो. स्वरूपगंज	नवीं	मोची
172.	,, जिवा राम	,, पूनम जी	वा. पो. किवारली, सिरोही	–	मेघवाल
173.	,, बाबूलाल	,, धुनगा जी	वार्ड नं. 5, आबूरोड़	आठवीं	गरोड़ा
174.	,, चिमन लाल	,, ताराचन्द	वार्ड नं. 5, आबूरोड़	आठवीं	मेघवाल
175.	,, मोहन लाल	,, कशा जी	खाखरवाडा, पोंखवाली, सिरोही	चौथी	,,
176.	,, हजारी लाल	,, मोती जी	वार्ड नं. 1, पो. मावल, आबूरोड़	छठी	बैरवा
177.	,, भूराराम	,, वाजा जी	वार्ड नं. 5, आबूरोड़	–	मेघवाल
178.	, मगाराम	,, मूला जी	पो. मुगथला, आबूरोड़	–	,,
179.	,, देवा राम	,, मनरा जी	गांव–खचाली, पो. स्वरूपगंज, (सिरोही)	–	,,
179.	,, गणेश	,, हीरा जी	वार्ड नं. 5, आबूरोड़	सातवीं	सरगरा
180.	,, प्रेम चन्द	,, मनरूप जी	वार्ड 5, आबूरोड़।	सातवीं	मेघवाल
181.	,, अजा राम	,, सोमा जी	गांव–सनवाड़ा, पो. भूला (सिरोही)	–	मेघवाल
182.	,, भोमाराम	,, मगा जी	गांव–सनवाडा, पो. भूला, (सिरोही)	–	मेघवाल
183.	,, सुनिल दत्त	,, हेम राज	पो. भुवार (अजमेर)	आठवीं	बलाई
184.	,, कन्हैयालाल	,, गोमा राम	वार्ड नं. 19, लोको लाईन, , आबूरोड़।	दसवीं	सरगरा

जिला:--जयपुर।

क्र. सं.	संस्था का नाम	पिता का नाम	जाति	पता	शैक्षणिक योग्यता
1.	मैसर्स खण्डेलवाल संत, बनीपार्क	–	–	–	–
2.	मैसर्स डोवेल एन्टर प्राइजेज, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर	–	–	–	–
3.	मैसर्स ऐटोज इन्जीनियर्स, कटेवा ग्रम्बर, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर	–	–	–	–
4.	मैसर्स लक्ष्मी लेवल उद्योग, 46 एवरेस्ट कॉलोनी, जयपुर	–	–	–	–

नोट:--उपरोक्त संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षण योजना क्रियान्वित नहीं की गई है।

उदयपुर जिले की नगरपालिकाओं के चुनाव

252. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की सभी नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् के वार्डों को पिछले दो वर्षों में कई बार काटा-छांटा गया ? यदि हां, तो कितनी बार ? उसके आधार पर वोटर लिस्ट्स कितनी बार छपी व इस पर जनवरी, 1980 से जनवरी, 1983 तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1962 से 1982 तक 20 वर्षों में चुनी हुई नगरपालिका मात्र दो बार 6 वर्ष तक रही ?

(4) क्या सरकार नाथद्वारा को नोटिफाइड एरिया बनाने जा रही है ? यदि नहीं, तो उसकी वोटर लिस्ट क्यों नहीं प्रिन्ट कराई जा रही है ?

उत्तर

(1) तत्कालीन परिस्थितियों के कारण दिनांक 2-2-82 को राज्य सरकार द्वारा उदयपुर जिले की नगरपालिकाओं के चुनाव अन्य शेष नगरपालिकाओं के साथ कराने का निर्णय लिया गया ।

(2) नगर परिषद्, उदयपुर के वार्ड 22-8-78, 29-11-81 व 30-11-82 को तीन बार बनाये गये । मतदाता सूची 29-11-81 के वार्डों के संदर्भ में बनाई गई थी और अब 30-11-82 को 1981 की जनगणना के आधार पर बनाये गये वार्डों के संदर्भ में बनाई गई । उदयपुर नगर परिषद् के चुनाव कार्य में जनवरी, 1980 से अब तक रु. 62511/- खर्च हुआ है ।

(3) सन् 1962 से 1982 के बीच में निर्वाचित नगरपालिका 24-1-64 से 23-1-67 तक और 14-11-70 से 10-12-73 तक कार्यरत थी ।

(4) नाथद्वारा को नोटिफाइड एरिया बनाने के प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग के विचाराधीन है इसलिये उस नगरपालिका के वार्ड और मतदाता सूची नहीं बनाई गई ।

पटवारियों के स्थानान्तरण की नीति

253. **श्री बाब खां** (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पटवारियों का स्थानान्तरण तहसीलों से जिले अथवा जिले से बाहर नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार के सामने इस प्रकार का कोई कानून है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के कानून को बदल नहीं सकती ?

(3) क्या यह सही है कि पटवारियों का स्थानान्तरण न होने से वे जनता को परेशान करते हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । किन्तु जिलाधीशगण प्रशासनिक दृष्टि से गुण-दोष के आधार

(राजस्व मंत्री)
पर जिले में कहीं भी पटवारियों का स्थानान्तरण कर सकते हैं।

जिले के बाहर के स्थानान्तरण पटवारी की स्वेच्छा से रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर राजस्व मंडल के माध्यम से होते हैं किन्तु उन्हें अपनी वरिष्ठता छोड़नी पड़ती है।

(2) जी हां। सामान्यतया स्थानान्तरण राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकार्डस्) रूल्स के नियम 9 के तहत किये जाते हैं।

सरकार कानून में संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं करती।

(3) जी नहीं। नियमों में स्थानान्तरण करने का प्रावधान है एवं पटवारियों के पर्याप्त कारणों से स्थानान्तरण होते रहते हैं। विशेष मामले आने पर उचित ध्यान दिया जाता है।

राजस्थान नहर निर्माण कार्य

254. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त धनराशि आवंटित न करने के कारण राजस्थान नहर के निर्माण में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो वर्ष 1980-81, 1981-82, व 1982-83 में कितनी-कितनी धनराशि राजस्थान नहर मंडल ने सरकार से मांगी थी ? कितनी धनराशि राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई ?

(2) राजस्थान नहर निर्माण के लिये प्रतिमाह कितना कोयला एवं सीमेंट राज्य सरकार को चाहिये ? राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में नहर के लिये प्रतिवर्ष कितना कोयला व सीमेंट केन्द्र सरकार से मांगा गया और कितनी धनराशि का कोयला व सीमेंट प्राप्त हुआ ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अब कोई विलम्ब नहीं हो रहा है। चाही गई तीन वर्षों की सूचना निम्न प्रकार है:--

वर्ष	मांगी गई स्वीकृत राशि	खर्च की गई राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4
1980-81	31.00 करोड़ रु०	21.57 करोड़ रु.	कोयले की बहुत ही कम प्राप्ति की वजह से पूरी राशि खर्च नहीं की जा सकी व राज्य सरकार ने बाकी की राशि को समय में ही दूसरे मदों में हस्तान्तरण कर दिया।

(राजस्थान नहर मंत्री)

1	2	3	4
1981–82	31.50 करोड़ रु.	31.27 करोड़ रु.	नगण्य सी कमी खर्चे में मार्च, 82 में कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से रही ।
1982–83	42.50 करोड़ रु.	27.23 करोड़ रु. (जनवरी, 83 तक)	यह खर्चा पूरा हो जायेगा ।

(2) राजस्थान नहर निर्माण के लिये सीमेंट की मांग प्रति तिमाही की जाती है । जो आज कल लगभग 25,000 टन प्रति तिमाही है । राजस्थान सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में राजस्थान नहर निर्माण के लिये केन्द्र से जो सीमेंट की मांग की गई एवं जो सीमेंट की मात्रा प्राप्त हुई उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	सीमेंट की मांग की मात्रा	सीमेंट की प्राप्ति की मात्रा
1979–80	1,27,050 मै. टन	44,432 मै. टन
1980–81	72,600 मै. टन	34,769 मै. टन
1981–82	98,475 मै. टन	37,632 मै. टन

राजस्थान नहर के निर्माण कार्य के लिये प्रति माह छः रैक (लगभग 9,000 टन) कोयले की आवश्यकता विभाग के विभिन्न कार्यों के लिये होती है । पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नहर निर्माण के लिये जो केन्द्र से कोयले की मांग की गई थी और जो प्राप्त हुआ उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	कोयले की मांग की गई मात्रा	कोयला प्राप्ति की मात्रा
1979–80	90,000 मै. टन	6,095 मै. टन
1980–81	94,000 मै. टन	16,757 मै. टन
1981–82	96,000 मै. टन	42,236 मै. टन

अजमेर में इन्जीनियरिंग कॉलेज की स्थापना

255. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार का अजमेर में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार है ? यदि हां, तो यह कॉलेज कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लघु वन उपज केन्द्र

256. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय सहकारी संघ के अन्तर्गत कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, खैरवाड़ा, सराड़ा, गोगुन्दा में लघु वन उपज केन्द्र कार्यरत हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1980–81 तथा 1981–82 में कितने जनजाति के लोगों को इन केन्द्रों द्वारा लाभान्वित किया गया तथा इन केन्द्रों में धोली-मूशली, गोंद, रतनजोत, पेवाड़, धतूरा बाजार भाव से कितने अधिक भाव पर यहां लिया गया है ?

(2) वन उपज पैदावार का भाव कब तय किया जाता है ?

(3) लघु वन उपज के निरीक्षण हेतु कितने अधिकारी लगा रखे हैं एवं उनका हैडक्वार्टर कहां है ?

(4) क्या इन क्षेत्रों में प्राइवेट एजेन्सियों को निगम द्वारा ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी एजेन्सियां हैं ?

(5) क्या धोली मूशली व गोंद का भाव वन उपज केन्द्र में बाजार भाव से कई गुना कम है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, गोगुंदा के अलावा कोटड़ा, फलासिया, झाड़ोल, खैरवाड़ा व सराड़ा में लैम्पस के माध्यम से आदिवासियों से लघु वन उपज खरीदता है। उक्त क्षेत्रों में लैम्पस द्वारा वर्ष 80–81 में लगभग 4247 आदिवासियों से 17.62 लाख रु. एवं वर्ष 81–82 में 4738 आदिवासियों से 15.64 लाख रु. की लघु वन उपज खरीदी गई। इन लघु वन उपजों को अनुमानित बाजार भाव से 0.20 से लेकर 10 रुपये प्रति किलो तक अधिक मूल्य पर क्रय किया गया है।

(2) भाव उपज आने के मौसम से पूर्व तय किये जाते हैं और समय समय पर बाजार भाव को ध्यान में रखकर दरों में तबदीली की जाती है ।

(3) लघु वन उपज क्षेत्र के लैम्पस द्वारा क्रय की जाती है। मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों जिनका मुख्यालय उदयपुर है, के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने अन्य कर्त्तव्यों के साथ लघु वन उपज खरीद की देख-रेख भी करते हैं। क्षेत्रीय प्रबन्धक व सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के हैडक्वार्टर्स की सूची "अ" में अंकित है।

(4) जी नहीं । केवल सालर गोंद अग्रिम विक्रय प्रणाली के अन्तर्गत संग्रहीत कराकर विक्रय किया जाता है (क्रय केन्द्र ऐजेन्टों की सूची "ब" पर उपलब्ध है)।

(5) जी नहीं ।

सूची "अ"

जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं शाहबाद एवं किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों के मुख्यावास एवं कार्य क्षेत्र :—

			मुख्यावास		कार्य क्षेत्र
1.	क्षेत्रीय प्रबन्धक—5	1.	उदयपुर	2	उदयपुर
		2.	डूंगरपुर	1	डूंगरपुर
		3.	बांसवाड़ा	1	बांसवाड़ा
		4.	बारां	1	बारां
2.	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक—14	1.	गिर्वा	1	गिर्वा पंचायत समिति क्षेत्र
		2.	प्रतापगढ़	1	प्रतापगढ़ क्षेत्र
		3.	झाड़ोल	1	झाड़ोल पंचायत समिति क्षेत्र
		4.	कोटड़ा	1	कोटड़ा पंचायत समिति क्षेत्र
		5.	सराड़ा	1	सराड़ा क्षेत्र
		6.	आबूरोड	1	आबूरोड पंचायत समिति
		7.	घाटोल	1	घाटोल, पीपलखूंट व तलवाड़ा
		8.	बागीदौरा	1	बागीदौरा, भुखिया, गढ़ी
		9.	कुशलगढ़	1	कुशलगढ़, सज्जनगढ़ पं. स.
		10.	सागवाड़ा	1	सागवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र
		11.	डूंगरपुर	1	डूंगरपुर क्षेत्र
		12.	शाहबाद	1	शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र
		13.	किशनगंज	1	किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्र
		14.	खैरवाड़ा	1	खैरवाड़ा व केशरियाजी
3.	वनपाल—8	1.	डूंगरपुर	1	डूंगरपुर क्षेत्र
		2.	धरियावद	1	धरियावद क्षेत्र
		3.	अरनोद	1	अरनोद पंचायत समिति क्षेत्र
		4.	आबूरोड	1	आबूरोड पंचायत समिति क्षेत्र
		5.	बारां	2	कस्बा थाना व समरानिया
		6.	मालवा का चौराहा	1	मालवा का चौराहा
		7.	बांसवाड़ा	1	बांसवाड़ा क्षेत्र
4.	वन रक्षक—4	1.	मामेर	1	मामेर क्षेत्र
		2.	डैया अम्बासा	1	डैया अम्बासा क्षेत्र
		3.	आबूरोड	1	आबूरोड पंचायत समिति क्षेत्र
		4.	उदयपुर	1	उदयपुर

सूची "ब"

वर्ष 1982-83 में कार्यरत एजेन्ट एवं क्रय केन्द्रों की सूची :—

क्र. सं.	नाम एजेन्ट	उपकेन्द्र
1.	नागरमल	मालवा का चौराहा
2.	मदन लाल	गोगरूद
3.	कमल प्रकाश	मालकिया
4.	निरंजन प्रकाश	खाम
5.	खुमाण सिह	लाम्बाखैवर
6.	कैलाशचन्द्र	नरसिंहपुरा
7.	राजपूत गुलाब सिंह	पड़ावली
8.	ओम प्रकाश/ मातादीन	सामोली
9.	फतह सिंह	तिलखाट
10.	महेन्द्र सिंह	खापा बंगला
11.	चुनिया कटारा	नल का पानी
12.	विनोद कुमार	सुलाव
13.	लाल खां	छर
14.	हसनु खां	कालाखेत, बिकारनी, मीयार की नाल
15.	नसीर खां	कउचा
16.	आबुदीन भाई	योदा की नाल
17.	वलीर खां	केडगारिया
18.	हीरानगंना	कोटड़ा
19.	मरजीत खां	जूड़ा
20.	किशोर लाल	उपलावास
21.	किशोर लाल	घाटा की नाड़ी
22.	लाखां आदिवासी	पीपली खेड़ा

बाड़मेर नगरपालिका क्षेत्र में भू-खण्डों का परिवर्तन

257. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर नगरपालिका क्षेत्र में आये हुए उन पड़त या खड़त खसरों में से जो खसरे नगरपालिका बोर्ड को दिये हुए नहीं हैं उनमें से कितने खसरों में कुल कितने प्लाट्स आबादी में परिवर्तित तथा नियमित किये गये हैं और उनसे कितनी आय राज्य सरकार को हुई है ?

(2) क्या उक्त प्रकार से जो प्लाट्स नियमन किये गये हैं उनको किसी प्रकार से डिमार्केट किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अभी कोई प्लाट्स नियमित नहीं किये गये हैं । नियमन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान उच्च न्यायालय में रिक्त पदों की पूर्ति

258. **श्री हरीसिंह** (कुम्हेर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक अवधि से कितने मुकदमें किस-किस प्रकार के लम्बित हैं ?

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद रिक्त हैं तथा उन्हें कब तक भरे जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वर्ष से अधिक अवधि से विभिन्न प्रकार के कुल 22,182 मुकदमें (मेन केसेज) 31-12-82 तक लम्बित हैं जिनका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया हुआ है । एक वर्ष से अधिक अवधि से 3,692 विविध मुकदमें लम्वित हैं जिसका नोट परिशिष्ट में अंकित किया गया है ।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में 6 पद रिक्त हैं । जिनकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र की जाने की अपेक्षा है ।

ANNEXURE

STATEMENT SHOWING THE PENDENCY OF CASES OVER ONE YEAR, IN THE HIGH COURT OF RAJASTHAN AS ON 31-12-1982.

CIVIL		
1.	Testamentry & Interstate Suits	1
2.	Liquidation Cases	6
3	Chartered Accountants Act, 1949	3
WRIT PETITIONS		
4.	(a) Service Matters	1390
	(b) Land Reforms including Land ceiling	1456
	(c) Labour-Laws	395
	(d) Others	4306
5.	Company Petitions & Applications	121
6.	Income Tax References & Applications	486
7.	Sales Tax References & Applications	263
8.	Other direct and indirect Tax References and Applications	128
9.	Election Petitions	17
APPELATE SIDE		
10.	Letters Patent Appeals	1351
11.	First Appeals	1522
12.	Second Appeals	2492
13.	Miscellaneous First Appeals	1196
14	Revision Petitions	893
CRIMINAL ORIGINAL SIDE		
15.	Criminal Contempt under the Contempt of Courts Act	4

CRIMINAL APPEALS

16.	By persons convicted	3402
17.	By Government from Judgement of Acquittal	1338
18.	By complaint u/s 378 (4) of Cr. P. C.	106
19.	Criminal Revision Applications	1130
20.	References	11
21.	Criminal Misc. Petitions	94
22.	Others	2
	TOTAL....	22182

NOTE:—There are 3692 Misc. Cases over one year pending in Rajasthan High Court as on 31-12-82

टौंक जिले के राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन मामले

259. श्री महावीर प्रसाद (टौंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) टौंक जिले में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दुरस्ती इन्द्राज के कितने-कितने वाद कब-कब से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार काश्तकारों को शीघ्र न्याय दिलाने की दृष्टि से राजस्व अभियान के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी अनियमित कार्यवाही को नियमित करने के अधिकार सम्बन्धित उप-खण्ड अधिकारियों को दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टौंक जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में इस समय दुरस्ती इन्द्राज के कुल 249 मामले विचाराधीन हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) टौंक जिले में इस समय केवल तहसील उनियारा व देवली में भू-सर्वेक्षण व अभिलेख लेखन का कार्य चल रहा है। राजस्व अभियान के दौरान सहायक भू-अभिलेख अधिकारियों की धारा 135 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इन्तकाल तस्दीक करने की शक्तियां तहसीलदार व नायब तहसीलदार को प्रदान की गई थीं । यदि किसी भू-प्रबन्ध अधिकारी ने अनियमित कार्यवाही की है, तो संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील आदि न्यायिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिये । क्योंकि अब राजस्व अभियान की अवधि समाप्त हो गयी है । अत: जहां भू-प्रबन्ध नहीं हो रहा है वहां शक्तियां उपखण्ड अधिकारी में निहित हैं । तथा जहां भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है वहां ये शक्तियां सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी में निहित हैं ।

परिशिष्ट "क"।

टौंक जिले में इस समय दुरुस्ती इन्द्राज के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में कुल 249 मामले विचाराधीन हैं, जिनका विवरण वर्षवार एवं न्यायालयवार निम्न प्रकार है :--

क्र. सं.	वर्ष जब से विचाराधीन है	न्यायालयों के नाम				योग
		उप जिलाधीश मालपुरा	सहायक जिलाधीश प्रथम	सहायक जिलाधीश द्वितीय	सहायक जिलाधीश (प्रशिक्षण)	
1.	1975	–	3	–	2	5
2.	1976	5	2	14	2	23
3.	1977	1	2	12	–	15
4.	1978	3	5	15	–	23
5.	1979	10	–	10	–	28
6.	1980	17	1	35	1	54
7.	1981	16	7	24	4	51
8.	1982	25	2	22	–	49
9.	1983	–	–	–	1	1
	कुल योग:	77	22	140	10	249

204

सूची वार जो इन्द्राज दुरुस्ती के न्यायालय उप जिलाधीश, मालपुरा में विचाराधीन चल रहे हैं।

क्र. सं.	मुकदमा नं.	उनवान	दिनांक जब से विचाराधीन है
1	2	3	4
1.	181/76	ठा. चतुर्भुजजी विराजमान टोड़ा बनाम बजरंगलाल पुत्र कल्याण वगैरह टोड़ा	7-7-76
2.	194/76	ठा. चन्द्र प्रभु विराजमान मालपुरा बनाम मूल्या पुत्र काना माली, मालपुरा	7-7-76
3.	195/76	ठा. चन्द्र प्रभु बनाम रामदेवा	7-7-76
4.	196/76	ठा. चन्द्र प्रभु बनाम छोटू माली	7-7-76
5.	242/76	हीरालाल बनाम राजस्थान सरकार	19-9-76
6.	260/77	ठा. नृसिंह जी बनाम शभान खां. टोड़ा	7-12-77
7.	4/78	सुन्दर लाल बनाम राजस्थान सरकार	5-1-78
8.	68/78	सरवण बनाम राजस्थान सरकार	16-6-78
9.	171/78	रामकरण बनाम शहजाद अली मालपुरा	29-12-78
10.	2/79	हीरा लाल बनाम भूरा खाती	2-1-79
11.	8/79	बन्ना बनाम रामकरण चमार	8-1-79
12.	20/79	ठा. चतुर्भुज बनाम रायचन्दा पवालिया	27-1-79
13.	54/79	नन्दा बनाम राजस्थान सरकार	27-4-79
14.	55/79	किशन लाल बनाम राजस्थान सरकार	27-4-79
15.	58/79	राधाकिशन बनाम राजस्थान सरकार	27-4-79
16.	101/79	लादू बनाम हनुमान	9-7-79
17.	115/79	मांगी लाल बनाम किशना मीना	20-7-79
18.	136/79	द्वारकाधीश बनाम रूपनारायण	19-9-79
19.	157/79	गोपालदास बनाम भागीरथ	17-12-79
20.	5/80	छीतर बनाम घासी अलापुरा	15-1-80
21		मूल्या बनाम काना	13-2-80
22.	29/80	गोरू बनाम राजस्थान सरकार	13-2-80
23.	46/80	गोकल बनाम राजस्थान सरकार	4-3-80

1	2	3	4
24.	60/80	बदरी बनाम रामनारायण ब्राह्मण	4-4-80
25.	104/80	ठा. महादेव जी बनाम नारायण दासे	26-6-80
26.	123/80	देवी लाल बनाम राजस्थान सरकार	18-7-80
27.	136/80	ठा. नृसिह् बनाम राजस्थान सरकार	1-8-80
28.	137/80	ठा. नृसिह् बनाम राजस्थान सरकार	1-8-80
29.	152/80	पांचू बनाम मोरिया साकिन लावा	14-8-80
30.	176/80	ठा. सीताराम बनाम भंवरलाल	23-8-80
31.	179/80	लादू बनाम ओंकार बैरवा खोड़ा	23-8-80
32.	188/80	बजरंग लाल बनाम कल्याण जाट, कड़ोला	25-8-80
33.	207/80	गोपी बनाम नारायण मीणा	16-9-80
34.	231/80	दुर्गा बनाम रामनिवास ब्राह्मण	27-10-80
35.	262/80	धूला बनाम रामेश्वर ब्राह्मण	16-12-80
36.	267/80	ठां. नृसिह बदरीपुरी	29-12-80
37.	52/81	नाथू बनाम जगदीश जाट	21-4-81
38.	57/81	हीरा बनाम भूरा गूजर हणुत्या	4-5-81
39.	61/81	अलादीन बनाम तहसीलदार मालपुरा	8-6-81
40.	67/81	चौथगीरी बनाम गोपी रंगर बोटून्दा	15-6-81
41.	68/81	माधो बनाम काना जाट प्रतापपुरा	18-6-81
42.	80/81	भोलू बनाम घासी बारेठ हिण्डोला	16-7-81
43.	84/81	श्रीनारायण बनाम रामपाल ब्राह्मण	3-8-81
44.	87/81	मु. फूला बनाम रामगोपाल बैरवा मीर	3-8-81
45.	93/81	लादू बनाम किशना मीना चवराना	4-8-81
46.	125/81	रामकिशन बनाम गोकुल कुम्हार	3-9-81
47.	129/81	मूलसिंह बनाम गुमानसिंह राजपूत लावा	7-9-81
48.	136/81	दिगम्बर जैन अग्रवाल समाज टोडा बनाम योगेन्द्रकुमार पुत्र रामदेव माली	18-9-81
49.	140/81	रामगलाल बनाम हीरा माली मालपुरा	23-9-81
50.	149/81	छोटू बनाम बीरधा खटीक गनवर	3-11-81
51.	152/81	रामनारायण बनाम फकीर मोहम्मद	5-11-81
52.	160/81	मु. धूली बनाम मोहन खाती तिलांजू	22-12-81
53.	6/82	भूरेखां बनाम अहमदखां मुसलमान	25-1-82
54.	7/82	मूर्तिबालाजी विराजमान सदरपुरा बनाम भूरू गूजर साकिन सदरपुरा	2-2-82

Page No 206

1	2	3	4
55.	17/82	श्योजी बनाम देवी जाट कुम्हारिया	3-3-82
56.	31/82	अल्लादीया बनाम सलामतअली मालपुरा	29-4-83
57.	33/82	मु. घनू बनाम छीतर जाट रिण्डल्या	29-4-82
58.	38/82	अब्दुलगनी बनाम गुलाबचन्द मालपुरा	5-5-82
59.	39/82	लादु बनाम केसरा खाती कुरथल	10-5-82
60	42/82	अमरा बनाम सुखा बैरवा माधोगंज	24-5-82
61.	46/82	जगदीश बनाम भूरा माली मालपुरा	5-6-82
62.	56/82	गिरवरदान बनाम सुज्या कुम्हार	28-6-82
63.	57/82	गोपी बनाम रामलाल गूजर तितरिया	1-7-82
64.	61/82	रामकल्याण बनाम बदरी जाट	7-7-82
65.	68/82	मु. गोरा बनाम रोडू बैरवा मेहपुरा	14-7-82
66.	87/82	रामदेव बनाम नारायण रैगर गणेती	10-8-82
67.	93/82	हीरा बनाम लादू गुजर इन्द्रोली	16-8-82
68.	101/82	नन्दा बनाम राजस्थान सरकार	31-8-82
69.	102/82	सैयद अली बनाम चान्द अली, मालपुरा	2-9-82
70.	103/82	राधाकिशन बनाम रामदेव, बलाई, सोडा	2-9-82
71.	104/82	इरसाद अली बनाम अनवर अली, मालपुरा	2-9-82
72.	118/82	मोहन बनाम जगदीश पूवरण दस्तोब	27-9-82
73.	125/82	मेधा बनाम परमा बनजारा टोडा	4-10-82
74.	129/82	ऊद्दा बनाम नन्ना जाट, टोपा	4-10-82
75.	139/82	ठा. रघुनाथजी बनाम रामकरण	5-10-82
76.	147/82	रूपनारायण बनाम उद्दा जाट	9-11-82
77.	173/82	फेजमोहम्मद बनाम अकबर अली, टोडा	31-12-82

हस्ता.
उप जिलाधीश,
मालपुरा ।

सूची राजस्व न्यायालयों में दुरुस्ती इन्द्राज के विचाराधीन मुकदमा सहायक जिलाधीश (प्रथम), टोंक ।

क्रमांक	कि. मुकदमा	सन्	उनवान
1	2	3	4
1.	दुरुस्ती इन्द्राज	126/1975	श्योजी बनाम राजू साकिन किशनपुरा, तह. टोंक
2.	,,	128/1975	रामनाथ बनाम छोटा सा. शोप, तह. अलीगढ़
3.	,,	67/1975	श्योनारायण बनाम मदनलाल कुण्डेर, तह. अलीगढ़
4.	,,	26/1976	हजारी बनाम गोपाल सा. गाडोली, तह. अलीगढ़
5.	,	96/1976	दिगविजय सिंह बनाम सरकार, उनियारा
6.	,	4/1977	बाबूलाल बनाम गिरीराज, तह. उनियारा
7	,,	43/1977	गूजरिया बनाम मोहम्मद हनीफ सा. शोप, तह. अलीगढ़
8.	,,	35/1978	मिर्जा मुस्तुफा बनाम सरवण
9.	,	32/1978	मिर्जा मुस्तफा बेग बनाम रामचन्द्रा
10.	,,	34/478	मिर्जा मुस्तुफा बेग बनाम जगन्नाथ
11.	,,	37/1978	मिर्जा मुस्तुफा बेगम बनाम शंकर
12.	,,	71/1978	रामाकान्त बनाम पुरुषोत्तम, उनियारा, तह. अलीगढ़
13.	,,	44/1980	संग्रामसिंह बनाम नन्दसिंह राजपूत, सा. नगर देवली
14.	,,	2/1981	जिला वक्फ कमेटी बनाम रामनिवास, कालीपलटन
15.	,,	3/1981	जिला वक्फ कमेटी बनाम हीरा आदि
16.	,,	239/1981	ओकाफ बनाम राजस्थान सरकार
17.	,,	57/1981	राधा मोहन बनाम झूतरा पनवाड़ी
18.	,,	187/1981	छोटू बनाम बदरी, सा. चतरभुजपुरा
19.	,,	140/1981	मूलचन्द बनाम रामसहाय, तह. निवाई
20.	,,	79/1981	रामनिवास बनाम घासी, चोरपुरा, तह. निवाई.
21.	,,	22/1982	सुखदेवा बनाम राजहंस, श्रीपुरा, तह. अलीगढ़
22.	,,	34/1982	भवानी शंकर बनाम कजोड, अलीगढ़

सहायक जिलाधीश
(प्रथम) टोंक ।

Page No 208

सूची मुकदमात न्यायालय सहायक जिलाधीश कोर्ट नं. 2, टोंक दुरस्ती इन्द्राज के केसेज न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

सन् 1976

क्र. सं.	मुकदमा नं.	उनवान	दिनांक रजू
1	2	3	4
1.	69/76	जंगा पुत्र जीवन मुसलमान डारडा हिन्दी बनाम राजस्थान सरकार	1-1-76
2	99/76	रामगोपाल बैरवा बनाम गोपी बैरवा, टोंक	11-7-76
3.	103/76	रामनारायण जाट बनाम छीतर जाट	21-7-76
4.	121/76	रामधन बैरवा बनाम राजस्थान सरकार	1-8-76
5.	143/76	गोविन्दनारायण महाजन बनाम गोपी अहीर	10-8-76
6.	177/76	उद्दा पुत्र भैरू जाट बनाम राज. सरकार	21-8-76
7.	252/76	श्रीमति सरूप बाई बनाम कृष्ण गोपाल	25-8-76
8.	284/76	जगराम बनाम मो. नसीम खां	26-8-76
9.	302/76	रामचन्द्र बैरवा बनाम रामस्वरूप बैरवा	27-8-76
10.	321/76	कल्याण पुत्र जगन्नाथ बैरवा	3-9-76
11.	366/76	जीवन बनाम रघुनाथ बैरवा	1-10-76
12.	379/76	किफायतुल्ला बनाम छोगा चन्दलाई	3-10-76
13.	410/76	मु. बुनियादी बनाम अब्दुल रहमान	18-12-76
14.	413/76	धूलिया बनाम राज. सरकार	21-12-76

सन् 1977

क्र. सं.	मुकदमा नं.	उनवान	दिनांक रजू
15.	377/77	गोपाल जाट बनाम राज. सरकार	3-2-77
16.	407/77	काले खां बनाम राज. सरकार	21-4-77
17.	448/77	मेहमूद खां बनाम तहसीलदार, टोंक	30-6-77
18.	465/77	श्रीनारायण बनाम ईसरा बैरवा	12-7-77
19.	466/77	हरिया नायब बनाम भूलीराम बैरवा	12-7-77
20.	490/77	मु. सादू बनाम मोहन माली	25-7-77
21.	500/77	मु. शकुन्तला बनाम भैरू गूजर	29-7-77
22.	524/77	अशोक कुमार बनाम सरकार	12-8-77
23.	555/77	नारायण सिंह बनाम जिला वन मण्डल अधि.	27-8-77
24.	558/77	नन्दा बलाई बनाम गोरधन गूजर	30-8-77

1	2	3	4
25.	578/77	हजारी बैरवा बनाम राज. सरकार	9-9-77
26.	619/77	फैज अहमद पुत्र मौहम्मद खां बनाम जगन्नाथ रैगर	19-12-77
		सन् 1978	
27.	10/78	रामगोपाल ब्राह्मण बनाम तह. टौंक	13-2-78
28.	29/78	श्योनारायण बनाम रामकरण वगैरहा	16-2-78
29.	30/78	मौहम्मद रफीक बनाम रामकवार आदि	16-3-78
30.	43/78	मंदिर मुरली मनोहर जी बनाम राज. सरकार	5-4-78
31.	98/78	श्रीमति शकुन्तला बनाम राज. सरकार	31-5-78
32.	129/78	रामपाल बनाम रामप्यारी माली	1-7-78
33.	167/78	गोपी बनाम घासी गूजर	3-8-78
34.	174/78	रामस्वरूप बनाम तहसीलदार, टौंक	21-8-78
35.	193/78	गोपाल बनाम बद्री खाती	26-9-78
36.	194/78	कल्याण बनाम बद्री खाती	26-9-73
37.	195/78	बद्री बनाम बदरी पुत्र लादू खाती	2C-9-78
38.	205/78	बजरंगा बनाम रतीराम माली	6-10-78
39.	213/78	देवीलाल बनाम सांवला मीना, पालड़ा	7-10-78
40.	252/78	रामकरण बलाई पुत्र महावीर प्रसाद, टौंक	23-12-78
41.	259/78	रुघा बनाम रामकंवार, सरवराबाद	29-12-78
		सन् 1979	
42.	41/79	जुगल किशोर बनाम जिलाधीश, टौंक	9-3-79
43.	42/79	मूर्ति मंदिर ठाकुर जी बनाम तह. टौंक	20-3-79
44.	50/79	नारायण बनाम तहसील टौंक	17-4-79
45.	53/79	लक्ष्मीनारायण बनाम रामनारायण मीना	26-4-79
46.	57/79	रंगलाल गूजर बनाम तहसील टौंक	4-5-79
47.	61/79	देवीलाल कलाल बनाम सरकार	3C-5-79
48.	68 79	जगदीश गूजर बनाम तह. टौंक	16-6-79
49.	75/79	नाथू बैरवा बनाम रामनिवास	18-6-79
50.	98/79	मूर्ति श्री राधाकिशन बनाम रामदेव बलाई	25-6-79
51.	158/79	नाथू बनाम राज्य सरकार	24-9-79
52.	160/79	जनता मूंडिया बनाम सरकार	15-10-79

२१४

1	2	3	3
53.	162/79	रामस्वरूप बनाम हरजी धाकड, सरसड़ी	16-10-79
54.	163/79	मु. नारायणी बेवा रोडू बनाम नान्या वगैरहा	19-10-79
55.	165/79	श्रीमती उषा कोहली बनाम तहसील टौंक	19-11-79
56.	166/79	ईश्वरलाल बनाम रामवल्लभ, निमोला	17-12-79
57.	169/79	जिला वक्फ कमेटी बनाम जिलाधीश, टौंक	17-12-79
58.	158/79	लल्लू गूजर बनाम स्टेट ऑफ राज.	24-12-79
59.	169/79	जिला वक्फ कमेटी बनाम जिलाधीश, टौंक	24-12-79
		सन् 1980	
60.	5/80	माली समाज टौंक बनाम मो. हयात खां	7-3-80
61.	33/80	चेतन माली बनाम रामस्वरूप आदि बिछारस	12-3-80
62.	35/80	रामचन्द्र बनाम भंवर लाल आदि फरासिया	12-3-80
63.	47/80	मु. नाथी बनाम गंगाधर वगैरहा	12-3-80
64.	48/80	नानगा बनाम राजस्थान सरकार	12-3-80
65.	56/80	श्रवण बनाम भूरा वगैरहा	12-3-80
66.	59/80	राधेश्याम बनाम भेरू वगैरहा	12-3-80
67.	60/80	जहूरन बनाम अलादीन वगैरहा	12-3-80
68.	61/80	गेंदीलाल बनाम लालचन्द वगैरहा	12-3-80
69.	63/80	सोन्या वगैरहा बनाम लालचन्द वगैरहा	12-3-80
70.	69/80	भूलीराम बैरवा बनाम हरिया नायक, बनवाड़ा	25-3-80
71.	71/80	मु. लादी मीना बनाम मु. कल्याणी मीना	25-3-80
72.	88/80	देवीलाल बनाम सोहन बाई वगैरहा, देवली	27-3-80
73.	91/80	जिला वक्फ कमेटी बनाम किशन अहीर वगैरहा शकूरपुरा	28-3-80
74.	95/80	गोकल बनाम नारायणसिंह, देवड़ावास	28-3-80
75.	96/80	जिला वक्फ कमेटी बनाम तह. टौंक, धोलाखेड़ा	28-3-80
76.	102/80	रामदेवा बलाई बनाम मु. भूरी वगैरहा	2-5-80
77.	110/80	काना बनाम मु. मांगी हरचन्देडा	20-5-80
78.	129/80	भूरा गूजर बनाम तहसीलदार, टौंक	9-7-80
79.	131/80	किशनलाल बनाम बरदा वगैरहा	[10-7-80
80.	147/80	रा. रा. राजेन्द्र सिंह बनाम जिलाधीश, टौंक	28-7-80
81.	163/80	गोपाल बनाम मु. बच्छी नायक आदि	1-8-80
82.	180/80	नानगराम बैरवा बनाम तहसीलदार, टौंक	9-9-80

1	2	3	4
84.	193/80	छीतर बनाम धूल्या माली वगैरहा	11-9-80
85.	194/80	देवकरण बनाम रामकिशन गूजर वगैरहा	11-9-80
86.	196/80	नाहरसिंह पुत्र महावीर प्रसाद, नानेर	11-9-80
87.	202/80	मु. तीजा मीणा बनाम बजरंगा आदि मीणा	11-9-80
88.	226/80	मु. सलीमन बनाम हकीम अब्दुल वगैरहा, टोंक	18-9-80
89.	228/80	रहमत खां बनाम खलीलु खां लहून वगैरहा	18-9-80
80.	230/80	समस्त जनता मोहम्मद नगर बनाम राज. सरकार	18-9-80
91.	276/80	सुन्दरलाल बैरवा बनाम राज. सरकार	3-11-80
92.	291/80	रतनसिंह बनाम तहसीलदार, देवली	3-12-80
93.	296/80	नसीम हैदरी बनाम राजस्थान सरकार	9-12-80
94.	310/80	अमीरा मीणा बनाम कोपरेटिव सोसायटी	29-12-80
95.	316/80	बड़ा रोहीताणी जी बनाम तहसीलदार, देवली	31-12-80

सन् 1981

1	2	3	4
96.	1/81	जिला वक्फ कमेटी बनाम जगदीश वगैरहा	3-2-81
97.	8/81	हजारीलाल बनाम जगदीश माली, नानेर	2-3-81
98.	17/81	मोहम्मद उमर बनाम अहसान तुल्लाखां, ताल कटोरा	30-3-81
99.	23/81	जिला वक्फ कमेटी बनाम हफीज मोहम्मद	30-3-81
100.	71/81	रामजीवन पुत्र प्रह्लाद जोला	1-6-81
101.	83/81	बन्ना लाल बनाम राजस्थान सरकार	29-6-81
102.	96/81	मोती बनाम राजस्थान सरकार वगैरहा	6-7-81
103.	99/81	जिला वक्फ कमेटी बनाम अहमदखां, टोंक	7-7-81
104.	101/81	दातरिया बनाम जिलाधीश, टोंक वगैरहा	8-7-81
105.	102/81	श्योजी बनाम गोरधन, दाखियां	8-7-81
106.	131/81	नानगराम बनाम हुकमचन्द, टोंक	21-9-81
107.	134/81	श्योजी बनाम जगदीश वगैरहा हाजीपुर	26-9-81
108.	136/81	ओंकार गुजर बनाम राज. सरकार	28-9-81
109.	143/81	काना बनाम तहसीलदार, टोंक	1-10-81
110.	161/81	सुभान खां बनाम सत्यनारायण	12-10-81
111.	163/81	रामनारायण बनाम लादू वगैरहा	16-10-81
112.	165/81	नूर मोहम्मद बनाम सत्यनारायण	17-10-81
113.	175/81	नूर मोहम्मद बनाम तहसीलदार, टोंक	20-10-81

Page No 212

1	2	3	4
114.	162/81	श्रवण बनाम अधिशाषी अभियन्ता	5-11-81
115.	192/81	देवीलाल बनाम जगदीश वगैरहा	30-11-81
116.	193/81	समस्त जनता बनाम बंथली बनाम रामचन्द्रा	30-11-81
117.	194/81	रंगलाल बनाम रंगानाथ, फजलपुरा	4-12-81
118.	195/81	श्रीलाल बनाम मु. सुन्दर, आकोडिया	5-12-81
119.	197/81	आम जनता अमीनपुरा बनाम लादू बैरवा वगैरहा	23-12-81
		सन् 1982	
120.	5/82	मुरली गुजर बनाम नाथूलाल वगैरहा	6-1-82
121.	9/82	चतरभुज बनाम श्रीमती जानकी वगैरहा	11-1-82
122.	10/82	रामनाथ माली बनाम बदरी कुमावत	18-1-82
123.	12/82	हनुमान सिंह बनाम बजरंगलाल	25-1-82
124.	11/82	रामदेवा बैरवा बनाम राज. सरकार	18-2-82
125.	44/82	नाथूलाल बनाम श्रीमती रतनबाई	18-5-82
126.	49/82	नेनू बनाम तहसीलदार, टौंक	26-5-82
127.	69/82	देवीलाल बनाम जिलाधीश, टौंक	25-6-82
128.	72/82	नारायण खटीक बनाम महादेव मीणा	25-6-82
129.	76/82	बद्री बनाम गोपी माली, मेहंदवास	29-6-82
130.	79/82	कल्याण गुजर बनाम रामचन्द्रा गुजर	29-6-82
131.	107/82	चन्द्रा जाट बनाम मुकना जाट	16-8-82
132.	111/82	सुखदेवा बैरवा बनाम रामकंवार मीणा	23-8-82
133.	116/82	कजोड़ बैरवा बनाम कलयाण बैरवा	1-9-82
134.	119/82	तहसीलदार बनाम कलयाण अहीर	8-9-82
135.	135/82	कालू खां बनाम अहमद खां	25-9-82
136.	146/82	तीतर बनाम रामनिवास मीणा	21-10-82
137.	156/82	पांचूलाल बनाम राज. सरकार	11-11-82
138.	158/82	मु. पुष्पा बनाम तहसीलदार, टौंक	12-11-82
139.	180/82	लादू लाल बैरवा बनाम तहसीलदार, टौंक	13-12-82
140. A	161/82	प्रेम कैलाश बनाम तहसीलदार, टौंक	15-12-82
140. B	163/82	कारी मोहम्मद खां बनाम तहसीलदार, टौंक	24-12-82

नोट :—क्रम संख्या 16 मिसिंग है।

ह.

सहायक जिलाधीश,

(कोर्ट नं. 2), टौंक

सूची राजस्व न्यायालयों में दुरुस्ती इन्द्राज के विचाराधीन मुकदमा सहायक जिलाधीश, टोंक प्रशिक्षण

क्रमांक	किस्म मुकदमा	सन्	उनवान
1.	दुरुस्ती इन्द्राज	35/1975	श्रीमती ग्रमानतुल्ला बनाम श्रीमती फत्तो, टोंक
2.	,,	55/1975	भूरा बनाम राम लक्ष्मण सा., देवड़ावास
3.	,,	73/1976	श्रीमती भूरी बनाम बजरंगा उटीटाड़ा, तहसील टोंक
4.	,,	126/76	कल्याण बनाम ग्रोंकार पलई, सा. निवाई
5.	,,	42/1980	मु. फूमा बनाम कल्याण, सा. सेदरी निवाई
6.	,,	268/81	ग्रोंकार बनाम बजरंगा माली, घोड़
7.	,,	202/1981	ग्रब्दुल हमीद खां बनाम राम देवा भील मोहम्मद
8.	,,	84/1981	प्रहलाद बनाम राम निवास, सा. निवाई
9.	,,	226/1981	बिशन बनाम शेरसिंह, सा. ग्रामली
10.	,,	1983	कल्याण बनाम गोपाल, रूपपुरा तह. ग्रलीगढ़

ह.
सहायक जिलाधीश
(प्रथम) टोंक

न्यायिक ग्रधिकारियों का वेतनमान एवं ग्रावासीय व्यवस्था

260. **श्री ग्रमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(1) क्या सरकार न्यायिक ग्रधिकारियों के वेतनमान दिल्ली के न्यायिक ग्रधिकारियों के समकक्ष करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार ने न्यायिक ग्रधिकारियों की ग्रावासीय समस्या के समाधान हेतु कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो इसके समाधान हेतु कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

(3) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गरीब को नि:शुल्क सहायता हेतु किसी स्वतंत्र संस्था का जिला मुख्यालय या सब-डिवीजनल मुख्यालय पर प्रबन्ध किया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उच्च न्यायालय के जजों के लिये सुसज्जित बंगले प्रथक-रक्षित

(214)

(विधि मंत्री)

हैं। सत्र न्यायाधीशों के लिये भी आवासीय भवन जिला स्तर पर प्रथक-रक्षित हैं। जिला न्यायाधीश के मुख्यालय के अलावा, अन्य स्थानों पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के लिये पृथक-रक्षित आवासीय गृह हैं। मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों के लिये कई स्थानों पर तो पृथक रूप से आवास भवन बने हुए हैं अन्य स्थानों पर जिलाधीश प्राथमी बेसिस पर उन्हें आवासीय गृहों का आवंटन करते हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह दिलाने के लिये राज्य स्तर पर राजस्थान विधिक सहायता सलाहकार बोर्ड, उच्च न्यायालय स्तर पर राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति एवं जिला उप खण्ड व तहसील स्तर पर मुफ्त कानूनी सलाह हेतु समितियां गठित कर रखी हैं जो गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह देती हैं।

तहसील वल्लभनगर में सीलिंग से अधिशेष भू-अवाप्ति

261. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला उदयपुर की तहसील वल्लभनगर के कितने भूतपूर्व जागीरदारों पर सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राज्य सरकार के पास कबसे विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के पांच भूतपूर्व जागीरदारों पर सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राज्य सरकार के पास दिनांक 12-12-78 से विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

सूची

तहसील वल्लभनगर के भूतपूर्व जागीरदारों के सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास विचाराधीन मामलों की सूची

क्र. सं.	प्रकरण सं. व वर्ष	उनवान
1.	24 सन् 1969	सरकार विरुद्ध राव कमलेन्द्रसिंह पुत्र श्री दलीपसिंह, बाटेडा कला
2.	11 सन् 1974	सरकार विरुद्ध श्री देवीसिंह पुत्र केशरसिंह
3.	57 सन् 1974	सरकार विरुद्ध श्रीमती सोलकनी जी पत्नि श्री माधोसिंह जी
4.	56 सन 1974	सरकार श्रीमती शकुन्तला कुमारी पुत्री श्री विजयसिंह
5.	69 सन 1974	सरकार विरुद्ध श्री भैरूसिंह पुत्र श्री किशनसिंह।

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 248 की सूची

जैसलमेर जिले के शहरी क्षेत्र का गांवों में "प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम" के अधीन निपटाये गये मामलों व विचाराधीन मामलों की गांववार सूची :—

क्र. सं.	नाम गांव	निपटाये गये मामलों की संख्या	शेष मामलों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	नाचना	21	59	इसमें 59 अतिक्रमण के मामले हैं।
2.	पांचों का तला	23	23	
3.	शेखों का तला	10	10	अतिक्रमण के 10 मामले शेष हैं।
4.	सांकडिया	—	2	
5.	सत्यापा	7	7	
6.	घटियालो	5	5	
7.	हरियार	5	—	
8.	खारिया	—	6	6 मामले अतिक्रमण के दायर थे वे शेष हैं।
9.	धाधूडेवाला	—	5	5 मामले अतिक्रमण के दायर थे वे शेष हैं।
10.	भडडिया	11	—	
11.	आसकेन्द्रा	8	—	
12.	अवाय	5	1	आबादी वृद्धि का मामला विचाराधीन है।
13.	चिन्नू	9	3	1 मामला आबादी वृद्धि का व 2 मामले अतिक्रमण के शेष हैं।
14.	मदासर	2	1	आबादी वृद्धि का 1 मामला शेष है।
15.	बोड़ाना	1	1	आबादी वृद्धि का एक मामला शेष है।
16.	भारमसर	5	7	अतिक्रमण के 7 मामले शेष हैं।
17.	खारा	1	1	1 मामला आबादी वृद्धि का शेष है।
18.	दादरोवाला	1	1	1 मामला आबादी वृद्धि का शेष है।
19.	पन्ना	—	—	1 मामला आबादी वृद्धि का शेष है।

1	2	3	4	5
20.	खेरथला	1	–	–
21.	करनेवाला	3	–	–
22.	जालुवाला	3	1	1 मामला आबादी वृद्धि का शेष है।
23.	रायचन्द-वाला	6	1	1 मामला आबादी वृद्धि का शेष है।
24.	मालासर	12	1	1 मामला आबादी वृद्धि का शेष है।
25.	मोहरेवाला	4	1	
26.	आकल का तला	24	1	
27.	रोहिड़ावाला	6	–	–
28.	भारेखाला	88	1	1 मामला आबादी वृद्धि का शेष है।
	योग	261	139	

नोट:–अतिक्रमण के मामले व आबादी वृद्धि के जो मामले शेष हैं उनमें अतिक्रमण के मामले तहसीलदारों द्वारा एवं आबादी वृद्धि के मामलों में तहसीलदार, सहायक आयुक्त, उपायुक्त व उपनगर नियोजक द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण करवाकर 3 माह में निर्णय ले लिया जावेगा ।

परिशिष्ट--7

अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की तालिका

एस्केप 507 पर बुर्जी की डिस्चार्ज तालिका, 1982

दिनांक	डिस्चार्ज एस्केप 507 आर. डी. का (क्यूसेक)
1	2
जनवरी, 1982	
1-1-82	352
2-1-82	80
3-1-82 से 21-1-82	लीकेज
22-1-82	224
23-1-82	लीकेज
24-1-82	384
25-1-82	512
26-1-82 से 27-1-82	लीकेज
28-1-82	928
29-1-82 से 31-1-82	लीकेज
फरवरी, 1982	
1-2-82	240
2-2-82	200
3-2-82	512
4-2-82 से 9-2-82	लीकेज
10-2-82	96
11-2-82	112
12-2-82	192
13-2-82 से 20-2-82	लीकेज
21-2-82	112
22-2-82	112
23-2-82	96

(218)

1	2	
24-2-82	224	
25-2-82	लीकेज	
26-2-82	112	
27-2-82	90	
28-2-82	96	
मार्च, 1982		
1-3-82	192	
2-3-82	192	
3-3-82	192	
4-3-82	192	
5-3-82	192	
6-3-82	192	
7-3-82	192	
8-3-82	80	
9-3-82	192	
10-3-82	320	
11-3-82	272	
12-3-82	320	
13-3-82 से 31-3-82	लीकेज	
अप्रेल, 1982		
1-4-82 से 13-4-82	लीकेज	6-4-82=320 9-4-82=96
14-4-82	240	
15-4-82	192	
16-4-82	256	
17-4-82	192	
18-4-82	128	
19-4-82	96	
20-4-82	192	

1	2
21-4-82	176
22-4-82	192
23-4-82	192
24-4-82	96
25-4-82	192
26-4-82	160
27-4-82	लीकेज
28-4-82	160
29-4-82	112
30-4-82 से 31-4-82	लीकेज
मई, 1982	
1-5-82 से 17-5-82	लीकेज
18-5-82	96
19-5-82 से 25-5-82	लीकेज
26-5-82	288
27-5-82 से 31-5-82	लीकेज
जून, 1982	
1-6-82 से 30-6-82	लीकेज
जुलाई, 1982	
1-7-82 से 31-7-82	लीकेज
अगस्त, 1982	
1-8-82 से 11-8-82	लीकेज
12-8-82	192
13-8-82	192
14-8-82 से 15-8-82	लीकेज
16-8-82	96
17-8-82	लीकेज

D.20

1	2
18-8-82	192
19-8-82	144
20-8-82	416
21-8-82	256
22-8-82	96
23-8-82	192
24-8-82	208
25-8-82	96
26-8-82 से 31-8-82	लीकेज
सितम्बर, 1982	
1-9-82 से 30-9-82	लीकेज
अक्टूबर, 1982	
1-10-82 से 21-10-82	लीकेज
22-10-82	92
23-10-82 से 31-10-82	लीकेज
नवम्बर, 1982	
1-11-82	लीकेज
2-11-82	128
3-11-82	800
4-11-82	500
5-11-82 से 30-11-82	लीकेज
दिसम्बर, 1982	
1-12-82 से 31-12-82	लीकेज,

220

परिशिष्ट—8

(222)

परिशिष्ट–

अतारांकित प्रश्न

खान सुधार योजना के किराये की बकाया

क्र. सं.	पट्टाधारी का नाम	70-71	71-72	72-73	73-74	74-75
1.	अम्बादास रामचन्द्र	–	–	–	–	–
2.	एसोसियेटेड सोपस्टोन	–	–	–	–	–
3.	अकबरअली अलीमोहम्मद	–	–	–	–	–
4.	अशोका मिनरल्स	–	–	–	–	–
5.	अशोक कालरा	–	–	–	–	–
6.	जे. पी. माथुर	–	–	–	–	–
7.	बन्सीलाल चौधरी	–	–	–	–	–
8.	डी. पी. गट्टाणी	–	6,980.51	–	–	–
9.	हरिराम नाथाणी	4,921.83	–	–	–	–
10.	जगन्नाथ जोशी	–	–	–	–	–
11.	जगदीशचन्द्र भंबानी	–	–	–	–	–
12.	कृष्णा माईनर्स एण्ड ट्रेडर्स	–	–	–	–	–
13.	खेतान एसोसियेटेड	–	–	–	–	–
14.	माणकलाल नोहर	–	–	–	–	–
15.	मेवाड़ इण्डस्ट्रीज	–	–	–	–	–
16.	मधु मार्बल	–	–	–	–	–
17.	मगनलाल मोहता	10,943.58	–	–	–	–
18.	माधवप्रसाद बियानी	–	–	–	–	–
19.	नरेन्द्र कुमार बडिया	–	–	–	–	–
20.	ओरियन्टल टांक	–	–	–	–	–
21.	राजस्थान मि. ड. कारपोरेशन	–	–	–	–	–
22.	रेवा कोल्डफिल्ड	–	–	–	–	–
23.	आर. एस. एम. एम.	–	–	–	–	–
24.	श्याम सुन्दरलाल बडिया	–	–	–	–	–
25.	सोहनसिंह जोगेन्द्रसिंह	–	–	–	–	–
26.	शक्ति मार्बल	–	–	–	–	–
27.	जियो एनोटोमिस्ट	–	–	–	–	–
28.	कन्तुलाल जैन	–	–	–	–	–
29.	आनन्दकुमार करवा	–	–	–	–	–
30.	लहरसिंह नलवाया	–	–	–	–	–
31.	वसन्तकुमार वीराणी	–	–	–	–	–
32.	सुगलसिंह बोदिया	–	–	–	–	–
33.	कृष्णा मार्बल	–	–	–	–	–
34.	रेणु मार्बल	–	–	–	–	–
35.	शिवजी राम मेघवाल	–	–	–	–	–
	योग..	15,865.41	6,980.51	–	–	–

8

संख्या 254 की सूची

सूची दिनांक 29-2-80 तक की

75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	योग
–	–	–	–	971.69	971.69
–	–	–	11,275.92	2,070.26	13,346.18
–	–	–	–	128.01	128.01
–	–	–	–	842.67	842.67
–	–	–	–	54.50	54.50
–	–	–	–	59.15	59.15
–	–	4,430.00	3,007.28	–	7,437.28
–	–	–	–	–	6,980.51
–	–	–	–	–	4,921.83
–	–	–	–	176.80	176.80
–	–	–	–	322.51	322.51
–	–	1,789.02	–	–	1,789.02
–	–	–	6,990.25	–	6,990.25
–	126.85	–	–	–	126.85
–	–	–	–	64.66	64.66
–	–	–	–	578.37	578.37
–	–	–	–	–	10,943.58
–	–	–	739.11	–	739.11
–	–	–	1,164.14	5,127.10	6,291.24
–	–	–	–	12,572.02	12,572.02
–	–	–	–	5,243.72	5,243.72
–	3,068.85	–	–	–	3,068.85
–	–	–	4,733.40	946.20	5,679.60
–	–	–	–	11,983.65	11,983.65
–	–	–	–	140.61	940.61
–	–	–	–	1,433.58	1,433.58
–	–	–	–	.02	.02
–	–	–	–	328.39	328.39
–	–	–	–	1,450.37	1,450.37
–	–	–	–	44.00	44.00
–	–	–	–	6,520.85	6,520.85
–	–	–	–	7,828.98	7,828.98
–	–	–	–	707.97	707.97
–	–	–	–	22.78	22.78
–	–	–	–	208.07	208.07
–	3,195.70	6,219.02	27,910.10	60,625.68	1,20,796.42

224

परिशिष्ट—9

परिशिष्ट – 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 255 की प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (सु.-5) विभाग

क्रमांक प. 7 (39) प्र. सु.–5/82 जयपुर, दिनांक 21-10-82

"आज्ञा"

राजस्थान में खनिज विकास तथा तत्सम्बन्धी समस्याओं पर विचार कर राज्य सरकार को सुझाव देने हेतु निम्नलिखित सदस्यों को राजस्थान खनिज परामर्शदात्री मण्डल के गठन की राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1.	राज्य मंत्री, खनिज	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, खनिज विभाग	सदस्य
3.	शासन सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
4.	निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	सदस्य
5.	प्रतिनिधि, जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, भारत सरकार	सदस्य
6.	प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि., जयपुर	सदस्य
7.	प्रतिनिधि, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर	सदस्य
8.	प्रतिनिधि, हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड इण्डस्ट्री, 10 कनाट स्ट्रीट, कलकत्ता	सदस्य
9.	प्रतिनिधि, फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसियेशन, जयपुर	सदस्य
10.	निदेशक, माइन्स सैफ्टी, अजमेर	सदस्य
11.	प्रतिनिधि, इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स, नागपुर–440001	सदस्य
12.	उप सचिव, खनिज (द्वितीय)	सदस्य

बोर्ड के अध्यक्ष को बैठकों में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी/विशेषज्ञों को आमन्त्रित करने का अधिकार होगा। यह मण्डल निम्न प्रकार कार्य करेगा:—

1. खनिज सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में किये जा रहे प्रयत्नों में समन्वय व एकीकरण करना।
2. विभिन्न कार्यक्रमों में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करना।
3. कठिनाइयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषय पर विचार कर विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं में यदि परिवर्तन आवश्यक हो तो उसमें सुझाव देना।

4. मण्डल के कार्य सलाहात्मक एवं समन्वयात्मक होंगे ।

उक्त मंडल स्थाई होगा जिसका प्रशासनिक विभाग, खनिज विभाग होगा जो अन्य आदेशों तक कार्य करता रहेगा । बोर्ड की बैठक आवश्यकतानुसार आमंत्रित की जावेगी ।

मण्डल के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समक्ष माना जाकर मद संख्या 328 खान और खनिज खानों का विनियमन एवं विकास (क) निदेशन तथा प्रशासन (1) संचालन एवं अधीक्षण यात्रा भत्ता (आयोजना भिन्न) से प्रभार्य होगा ।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर
विरेन्द्र सिसोदिया,
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार अनु. 4)

क्रमांक प. 7(39) प्र. सु.-5/82, जयपुर, दिनांक 23-11-82

"आज्ञा"

इस विभाग की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 21-10 व 82 में क्रम संख्या 1 पर अंकित "राज्य मंत्री" के स्थान पर "मंत्री" खनिज पढ़ा जावे ।

आज्ञा से,
ह0
उप शासन सचिव

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूची

साहूकारों की सूची तहसील, प्रतापगढ़

क्र. सं.	नाम साहूकार	निवासी	लाइसेन्स नं.
1	2	3	4
1.	श्री इन्दरमल/जवाहरमल	प्रतापगढ़	17
2.	,, रामेश्वर लाल/मोहन लाल	अरनोद	145
3.	,, माणक लाल/धरमचन्द महाजन	,,	146
4.	कवर मल/कशरुजी धोबी	प्रतापगढ़	158
5.	,, उम्मेद सिंह/रिखबदास	अरनोद	159
6.	,, खूब चन्द/किशन लाल	,,	160
7.	,, रिखबदास/बिशन लाल	,,	161
8.	,, दीपचन्द/वरदी चन्द	,,	162
9.	,, बिशनलाल/ओंकार लाल	,,	163
10.	,, मोतीलाल/अमृत लाल	,,	164
11.	,, केसरीमल/जवाहर लाल	,,	165
12.	,, भंवरलाल/भवानी शंकर	प्रतापगढ़	401
13.	,, लोभचन्द/इन्दर मल	,,	402
14.	,, सुन्दरमल/राजमल	,,	403
15.	,, शान्ति लाल/लाल चन्द	,,	404
16.	,, निहालचन्द/मगन लाल	,,	405
17.	,, नन्दराम/कन्हैया लाल	,,	406
18.	,, आशा राम/बाबू लाल	,,	407
19.	,, अम्बा लाल/नाना लाल	,,	408
20.	,, गोवर लाल/रतन लाल	,,	409
21.	,, चम्पा लाल/किशन लाल	,,	410
22.	,, लक्ष्मीचन्द/गुलाबचन्द	,,	411
23.	,, पन्ना लाल/चम्पा लाल	,,	412
24.	वसन्त लाल/राजमल	,,	413
25.	,, बिशन लाल/चान्द मल	,,	414
26.	,, धूलजी/वसन्ती लाल	,,	415

1	2	3	4
27.	श्री चम्पा लाल/लक्ष्मीचन्द	प्रतापगढ़	416
28.	,, धाधू जी/भैया लाल	,,	417
29.	,, माणक लाल/रतन लाल	,,	418
30.	,, चान्द करण/चन्दमैन	,,	419
31.	,, मगन लाल/सुन्दर लाल	,,	420
32.	,, चान्द मल/जवाहर लाल	,,	421
33.	,, कैलाशचन्द/खासगीवाल	,,	422
34.	,, आनन्दी लाल/भंवर लाल	,,	423
35.	,, भगवान दास/पन्ना लाल	,,	424
36.	,, सोहन लाल/मोती लाल	,,	425
37.	,, गेबी लाल/हीरा लाल	,,	426
38.	,, कानजी/अमृत लाल	,,	427
39.	,, किशन लाल/केसरी मल	,,	428
40.	,, शान्ति लाल/इन्दरमल	,,	429
41.	,, मगन लाल/सज्जन लाल	,,	430
42.	,, रती चन्द/बिशन लाल	,,	431
43.	,, हीरा लाल/चन्द मल	,,	432
44.	,, दाडम चन्द/चान्द मल	,,	433
45.	,, भैरू लाल/मन्ना लाल	,,	434
46.	,, मगन लाल/शान्ति कुमार	,,	435
47.	,, बिशन लाल/बद्री लाल	,,	436
48.	,, बसन्त लाल/शान्तिलाल	,,	437
49.	,, मन्ना लाल/मलूक चन्द	,,	438
50.	,, गिरधारी/गोविन्द राम	,,	439
51.	,, रेवा शंकर/मोती लाल	,,	440
52.	,, नाथू लाल/जगदीश लाल	,,	441
53.	,, लक्ष्मी चन्द/शंकर लाल	,,	442
54.	,, वर्धमान/कथुर लाल	,,	443
55.	,, भैया लाल/नाना लाल	,,	444
56.	,, धनाजी/नीम चन्द	,,	445
57.	,, पन्ना लाल/शिव लाल	,,	446
58.	,, गिरधारी/रमणीत लाल	,,	447
59.	,, गौतमजी/शंकर लाल	अरनोद	448

1	2	3	4
60.	श्री रतन लाल/दुश्रा चन्द,	भरनोद	449
61.	,, केसरी मल/शान्ति लाल	,,	450
62.	,, किशन लाल/बिजलाल	,,	451
63.	,, प्रभात स्टोर	,,	452
64.	,, भैराजी/बाला राम	,,	453
65.	,, भगवान दास/रिखबदास	,,	454
66.	,, निहाल चन्द/गुलाबचन्द	,,	455
67.	,, निहाल चन्द/मोतीलाल	,,	456
68.	,, चम्पालाल/मांगीलाल	,,	457
69.	,, मोती लाल/बसन्ती लाल	,,	458
70.	,, प्यार चन्द, ओंकार लाल	,,	459
71.	,, केशव दास/रखब दास	,,	460
72.	,, चिमन लाल/ओंकार लाल	,,	461
73.	,, हीरा चन्द/दुश्राचन्द	,,	462
74.	,, रतन लाल/माणक चन्द	,,	464
75.	,, शिवलाल/लच्छी राम	,,	466
76.	,, ओंकार लाल/चान्द मल	,,	467
77.	,, गेन्दा लाल/झमक लाल	सालमगढ़	468
78.	,, ताराचन्द/चम्पा लाल	,,	469
79.	,, रतन लाल/कस्तूर चन्द	,,	470
80.	,, मांगी लाल/नाथू लाल	,,	471
81.	,, राजमल/मांगी लाल	,,	472
82.	,, कस्तुर चन्द/मांगी लाल	,,	473
83.	,, नाथू लाल/कस्तुर चन्द	,,	474
84.	,, बद्रीचन्द/निकमचन्द	,,	475
85.	,, माणक लाल/पूनमचन्द	,,	476
86.	,, हजारी मल/पन्नालाल	,,	477
87.	,, चम्पालाल/जोधराज	,,	478
88.	,, बोध राज/नेनचन्द	,,	479
89.	,, हीरालाल/पूनमचन्द	,,	480
90.	,, बिशन लाल/मोतीलाल	,,	481
91.	,, चान्दमल/चम्पालाल	,,	482
92.	,, पूनम चन्द/नेम चन्द	,,	483

1	2	3	4
93.	श्री लक्ष्मी नारायण।	धमोतर	484
94.	,, मोहन लाल/पन्ना लाल	,,	485
95.	,, भंवर लाल/भगवती लाल	,,	485
96.	,, अम्बा लाल/माणक लाल	,,	486
97.	,, रूप चन्द/गेंद मल	,,	487
98.	,, हीरा लाल/सज्जन लाल	,,	488
99.	,, प्रद्युमन कुमार/भवानी शंकर	,,	490
100.	,, रतन लाल/शंकर लाल	,,	491
101.	,, बाबरू/भैरा आंजना	भोंवाई	492
102.	,, अमर चन्द/रतन लाल	,,	493
103.	,, बाबरू/नाथू जी	,,	494
104.	,, राक्षदास/मथुरा दास	,,	495
105.	,, रणछोड जी/ओंकार जी	,,	496
106.	,, छगन लाल/रामलाल	निनोर	497
107.	,, माणक लाल/पन्ना लाल	,,	498
108.	,, गट्टू लाल/निमक चन्द	,,	499
109.	,, सरदार कृपाल सिंह/खान सिंह	,,	500
110.	,, गुरुदयाल सिंह/पाल सिंह	,,	501
111.	,, मोहन सिंह/खजान सिंह	,,	502
112.	,, नाथूलाल	चूपना	503
113.	,, जीवराज/नाना लाल	,,	504
114.	,, गोपीदास/बगदी राम	,,	505
115.	,, रूपजी/शिव राम	गरदोड़ा	506
116.	,, ओंकार लाल/तारा चन्द	वरमण्डल	507
117.	,, नाथू लाल/चन्दन मल	बाराबरधा	508
118.	,, शरीफखां/हनीफउल्ला खां	कनोरा	509
119.	,, बेजराम/टेक चन्द	कोलवी	510
120.	,, अमृतराम/नारायण लाल	टाण्डा	511.
121.	,, मगन लाल/तारा चन्द	मेदुण्डला	512
122.	,, केसूराम/रखब दास	मथुरातालाब	513
123.	,, ओंकार लाल/माणक लाल	बोरी	514
124.	,, अमृतराम/रघुनाथ	नागदी	515
125.	,, भंवर लाल/अम्बा लाल	वम्बोरी	516
126.	,, चान्दमल/नाना लाल	अनोपपुरा	517

1	2	3	4
127.	श्री सुमेर मल/केसर लाल	दलोट	518
128.	,, ओंकार लल/मोहन लाल	काजली खेड़ा	519
129.	,, जेवर चन्द/नाथू लाल	,,	520
130.	,, केसरी मल/पूनम चन्द	,,	521
131.	,, चुन्नी लाल/विशन लाल	,,	522
132.	,, विशन लाल/माणक लाल	अंचलेश्वर	523
133.	,, मना लाल/मोती लाल	,,	524
134.	,, सागर मल/अम्बा लाल	नकोर	525
135.	,, बद्री चन्द/मांगी लाल	करंदिया	526
136.	,, नाथू जी/पन्ना लाल	,,	527
137.	,, नाथू लाल/माणक लाल	,,	528
138.	,, नाना लाल/केसरी मल	,,	529
139.	,, मयुरा लाल/चिमन लाल	,,	530
140.	,, श्रीलाल/ओंकार लाल	वसाढ	531
141.	,, हीरा लाल/गणेश लाल	,,	532
142.	,, कमर जी/नगा जी	,,	533
143.	,, हीरा लाल/गुलाब जी	,,	534
144.	,, तेज करण लाल	सुहांगपुरा	535
145.	,, दुआ चन्द/गुमान जी	,,	536
146.	,, देवी चन्द/निहाल चन्द	,,	537
147.	,, गोतम जी/ रखव दास	,,	538
148.	,, रूपचन्द/निमक चन्द	कोटडी	539
149.	,, नाथूजी/इन्दर मल	,,	540
150.	,, झमक लाल/कारू लाल	,,	541
151.	,, झमक लाल/शान्ति लाल	,,	542
152.	,, सूरज मल/भैरू लाल	,,	543
153.	,, कवर मल/वहादुर सिंह	,,	544
154.	,, रामरतन/नाथूलाल	प्रताप गढ़	552
155.	,, सज्जन लाल/कानमल	,,	554
156	,, बिशन लाल/बालमुकन्द	,,	556
157	,, मदन लाल/रतन लाल	बंसाढ	567
158.	,, चम्पा लाल/शिव लाल	अरनोद	568
159.	,, चान्दमल/भंवर लाल	जोलर	569

	2	3	4
160.	श्री फतेह लाल/मान मल	प्रताप गढ	570
161.	,, भैरू लाल/झमक लाल	अचनारा	571
162.	,, शोभाग लाल	निनोर	574
163.	,, आशा राम/नेम चन्द	,,	575
164.	,, नाथू लाल/भैरू लाल	धमोतर	584
165.	,, नाना लाल/रतन लाल	गंवाडिया	593
166.	,, इन्दर मल/मांगी लाल	प्रताप गढ	594
167.	,, मगन लाल/जवाहर लाल	,,	595
168.	,, शंकर चन्द/चान्दमल	,,	602
169.	,, मोडी लाल/लक्ष्मी चन्द	,,	603
170.	,, कस्तुर चन्द/रुपचन्द	,,	604
171.	,, बसन्ती लाल/ओंकार लाल	,,	607
172.	,, ओंकार लाल/रोशन लाल	अरनोद	608
173.	,, भैरू लाल/हीरालाल	दलोट	609
174.	,, भैरू लाल/माणक चन्द	कोटडी	611
175.	,, हंसमुख लाल/विरेन्द्र कुमार	प्रताप गढ	613
176.	,, किशोर दास/शिव नारायण	बेसरा	629
177.	,, धूलजी/अभय चन्द जी	सालम गढ़	643
178.	,, केसरी मल/हुकमी चन्द	,,	644
179.	,, शान्ति प्रकाश/गुलाब चन्द	अरनोद	648
180	,, हीरा लाल/कुन्दन मल	,,	649
181.	,, हरनामसिंह/जगमाल सिंह	सचई	650
182.	,, मोती लाल/निहाल चन्द	अरनोद	651
183.	,, मानमल/रतनलाल	प्रताप गढ	652
184.	,, सूबराती/छोटू खां	अरनोद	653
185.	,, किशनलाल/कालूराम	कुलथाना	655
186.	,, हंसमुखलाल/बिहारी लाल	प्रतापगढ	656
187.	,, कन्हैयालाल/चैन राम	,,	657
188.	,, चान्दमल/झमक लाल	,,	658
189.	,, विनोदी लाल/जवाहर लाल	सालम पुर	659
190.	,, मोहन लाल/माणक लाल	प्रतापगढ	660
191.	,, भंवर लाल/भवानी शंकर	,,	662
192.	,, महेन्द्र कुमार/जवाहर लाल	,,	663

Page No 233

1	2	2	4
193.	श्री कवल राम/भवानी राम	कुलमीपुरा	665
194.	,, केसरीमल/मथुरा लाल	प्रतापगढ	666
195.	,, मोतीलाल/माणक लाल	,,	667
196.	,, नरेन्द्र कुमार/मांगी लाल	धमोतर	669
197.	,, गवाजी/हीरा लाल	बरडिया	670
198.	,, नानालाल/माणक लाल	डावडा	674
199.	,, चम्पा लाल/नाना लाल	कुणी	675
200.	,, टीकम चन्द/कुन्दनतलाटी	प्रतापगढ	676
201.	,, देवराज/दौलत राम	बरखेड़ा	686
202.	,, गेंदमल/कैलाश चन्द	अरनोद	687
203.	,, अमृत लाल/बाबू लाल	,,	688

परिशिष्ट—11

अतारांकित प्रश्न संख्या 262 की सूची

अलवर जिले में प्राईवेट बस ऑपरेटर्स के विरुद्ध बकाया रोड टैक्स का विवरण

क्र. सं.	वाहन संख्या	समय	बकाया रकम	बस मालिक का नाम व पता
1	2	3	4	5
1.	आर. जे. ए. 108	1/71 से 3/83	15,600	भगवती देवी, अलवर।
2.	,, 110	,,	18,200	कर्मचन्द बिशन चन्द्र जति की बगीची, अलवर।
3.	,, 115	,,	17,160	प्रभाती लाल गोकुल चन्द, राजगढ़
4.	,, 116	,,	15,600	लाल चन्द, अलवर।
5.	,, 118	,,	15,600	मूलचन्द जोहरी लाल, अलवर।
6.	,, 122	,,	18,720	लाल चन्द, अलवर।
7.	,, 134	,,	15,600	भावलपुर सोसायटी, अलवर।
8.	,, 136	7/76 से 3/83	17,67.50	दशरथ कुमार, केडलगंज, अलवर।
9.	,, 138	1/71 से 3/82	18.200	मदनलाल जगन्नाथ, अलवर।
10.	,, 139	,,	11,907	विशम्भर दयाल, अलवर।
11.	,, 141	,,	15,600	लक्ष्मण दास, अलवर।

Page No 235

1	2		3	4	5
12.	आर.जे.ए.	142	1/71 से 3/83	31,69 2	भावलपुर रिफ्यूजी सोसायटी ।
13.	„	143	„	15,600	विशम्भर दयाल, अलवर ।
14.	„	146	„	18,720	जगदीश प्रसाद, राजगढ़ ।
15.	„	148	4/71 से 3/83	22,661.50	शिवप्रसाद सेढ का टीला, अलवर ।
16.	„	150	2/71 से 3/83	16,120	बी. एस. पंजाबी, अलवर ।
17.	„	151	„	15,600	प्रहलाद चन्द, अलवर ।
18.	„	153	„	18,200	छीतर मल, अलवर ।
19.	„	154	„	17,680	बीली ग्रा., अलवर ।
20.	„	155	7/73 से 3/83	19,792.50	गोपाल दास, अलवर ।
21.	„	200	1/71 से 3/83	18,200	„ „
22.	„	201	1/71 से 3/83		ठाकुर दास, अलवर ।
23.	„	203	„	18,200	भवानी देवी, अलवर ।
24.	„	206	„	18,200	चिरंजी लाल, अलवर ।
25.	„	221	„	10,400	रामलक्ष्मण, अलवर ।
26.	„	275	„	17,200	लालचन्द, अलवर ।
27.	„	328	„	17.600	सुरेश चन्द, भरतपुर ।
28.	„	329	„	13,000	ईश्वर चन्द, अलवर ।
29.	„	355	„	13,000	मंगतूराम, अलवर ।
30.	„	365	„	18,200	प्रभूदयाल, अलवर ।
31.	„	377	„	15,600	महेन्द्र सिंह, अलवर ।

1	2		3	4	5
32.	आर. जे. ए.	369	1/71 से 3/83	17,160	डी. पी., पाण्डे
33.	,,	380	,,	38,714	ग्रीन ब्रदस, अलवर।
34.	,,	405	7/77 से 3/83	22,221.50	भगवती देवी पत्नी खेमचन्द, तिजारा।
35.	,,	412	1/71 से 3/83	49,480	प्रेमनारायण, सिविल लाइन, अलवर।
36.	,,	428	,,	13,000	मै. गाड़ामल, अलवर।
37.	,,	431	,,	33,300	ग्रीन बस, अलवर।
38.	,,	457	,,	18,200	मुरारी लाल रामकंवार, बहरोड़
39.	,,	468	,,	18,200	सुच्चा सिंह, ग्रा. माचा
40.	,,	473	,,	17,600	श्रीमती वस्ती देवी, अलवर।
41.	,,	475	,,	15,600	मैसर्स सत्यनारायण अमरनाथ, कोटपूतली
42.	,,	485	,,	15,600	देनी राम कण्दूर वाली गली, अलवर।
43.	,,	537	4/79 से 3/83	19,712	केदार नाथ, मालने की गली, अलवर।
44.	,,	579	1/73 से 3/83	18120	बालसिंह, अलवर।
45.	,,	575	4/76 से 3/83	19,250	चिरंजी लाल, अलवर।
46.	,,	613	7/75 से 3/83	13,613	शान्ति लाल मोती सिंह का रास्ता, जयपुर।
47.	,,	682	4/73 से 3/83	15,300	रूपनारायण, जोनायचा कलां
48.	,,	668	1/71 से 3/83	24,600	रामजीलाल बंसल, मालबा।
49.		683	1/71 से 3/83	23,600	जेठा नन्द, तिजारा
50.	,,	684	,,	15,000	रामदत्त, शाहजहांपुर

1	2	3	4	5
51.	आर. जे. ए. 690	1/71 से 3/83	21,600	महेशचन्द मोहल्ला नला, सीसगरान, अलवर
52.	„ 693	„	18,750	भगवान दास, अलवर
53.	„ 739	„	21,875	वस्तीराम इन्दरजीत, ग्रा. पदमपुर, गंगानगर।
54.	„ 741	1/73 से 3/83	20,500	जगनभाई, गोपीलाल नाथद्वारा, उदयपुर।
55.	„ 785	1/705 से 3/83	19,000	लक्ष्मणदास पुत्र पुरुषोत्तम रथखाना मो., अलवर।
56.	„ 801 51 सीट	4/71 से 3/83	28,175	विनोद बस सर्विस, अलवर।
57.	„ 809 41 सीट	7/71 से 3/83	22,425	मोहम्मददीन, अलवर।
58.	„ 815 54 सीट	10/75 से 3/83	21,450	मुदतप्रसाद जैन, अलवर।
59.	„ 828 49 सीट	1/71 से 3/83	28,200	अलवर मोटर वर्कस यूनियन, अलवर
60.	„ 849 25 सीट	„	13,800	रामस्वरूप, मुण्डावर
61.	„ 853 52 सीट	7/72 से 3/83	25,740	फकीरचन्द, जयपुर
62.	„ 868 54 सीट	1/74 से 3/83	26,445	गुलाबदेवी, अलवर
63.	„ 875 29 सीट	1/73 से 3/83	16,875	अलवर बहादुरपुर सोसायटी, अलवर
64.	„ 902 45 सीट	10/73 से 3/83	21,375	शिवलाल, अलवर
65.	„ 925 50 सीट	1/79 से 3/83	11,720	भोले लाल मोती लाल, अलवर
66.	„ 1022 40 सीट	10/71 से	21,850	हीरालाल शर्मा
67.	„ 1017 53 सीट	1/71 से 3/83	21,250	ओमप्रकाश सोहन लाल, अलवर
68.	„ 1276 41 सीट	„	24,375	श्री प्रभातीलाल गोकुलचन्द
69.	„ 1284 49 सीट	10/76 से 3/83	18,883	हीरा लाल टाटा, अलवर।

1	2			3	4	5
70.	आर. जे. ए.	1404	41 सीट	7/72 से 3/83	22,360	देवकरण; अलवर
71.	,,	1435	53 सीट	7/74 से 3/83	24,063	श्री बुद्धासिंह, अलवर।
72.	,,	1451	50 सीट	1/71 से 3/83	29,400	प्रहलाद सिंह, मुण्डावर।
73.	,,	1457	50 सीट	,,	29,400	रेवाराम, अलवर।
74.	,,	1485	40 सीट	7/72 से 3/83	27,198	लालचन्द अमरचन्द अनन्तराम, अलवर।
75.	,,	1566	56 सीट	1/71 से 3/83	33,750	किशनलाल, अलवर।
76.	,,	1724	54 सीट	,,	32,500	नानकसिंह, अलवर।
77.		1897	40 सीट	4/77 से 3/83	12,540	सावन्तराम, खेड़ली
78.	,,	1941	47 सीट	10/71 से 3/83	25,875	गिरराज प्रसाद, अलवर
79.	,,	2524	48 सीट	1/71 से 3/83	26,803	मुरारी लाल रामकंवार, अलवर।
80.	,,	2568	49 सीट	,,	16,803	गिरधारी लाल पुत्र हीरा लाल
81.	,,	2632	54 सीट	1/71 से 3/83	32,500	प्रेमचन्द नन्दलाल
82.	,,	2636	25 सीट	1/76 से 3/83	19,677	जगदीश प्रसाद, रामबिहारी
83.	,,	2708	55 सीट	1/77 से 3/83	17'989	फूलचन्द रामबाबू, जयपुर
84.	,,	2798	55 सीट	10/74 से 3/83	24,778	सोहन पुत्र मुकन्दलाल
85.	,,	2888	55 सीट	1/75 से 3/83	24,849	सुभाष चन्द प्रकाश चन्द
86.	,,	2999	49 सीट	3/73 से 3/83	25,850	मोहन सिंह पुत्री मोती सिंह, जालौर
87.	,,	3775	55 सीट	2/72 से 3/83	43,725	अलवर मोटर वर्कस यूनियन, अलवर।
88.	,,	3792		10/74 से 3/83	23,760	नारायण दत्त रामकुमार प्रताप बास, अलवर।

1	2	3	4		5
89.	आर. जे. ए.	3921	4/79 से 3/83	11,000	महावीर प्रसाद तिवाड़ी, हरसाना
90.	,,	3923	4/74 से 3/83	26,235	मै. जीवा राम हरदयाल, अलवर।
91.	,,	3975	,,	25,235	अलवर मोटर वर्क्स यूनियन, अलवर।
92.	,,	3988	1/71 से 3/83	31,250	मुगुतिसिंह केडल गंज, अलवर।
93.	,,	4017	10/74 से 3/83	14,875	भम्मन लाल, लक्ष्मनगढ़
94.	,,	4086	1/71 से 3/83	20,625	मांगीलाल 25 स्कीम नं. 2, अलवर
95.	,,	4296	1/76 से 3/83	19,677	मदनलाल 507 स्कीम नं. 2, अलवर।
96.	,,	4321	4/73 से 3/83	25,850	राजेन्द्र कुमार, लक्ष्मणगढ़
97.	,,	4378	1/73 से 3/83	26,650	रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा यूनि0, अलवर।
98.	,,	4765	1/80 से 3/83	9,295	सोतीसिंह पुत्र भुरेराम, माचल
99.	,,	4961	1/74 से 3/84	27,225	बलदेव प्रसाद 629, बस स्टेण्ड, अलवर।
100.	,,	5147	4/79 से 3/83	12,540	श्रीमती सविता देवी, तिजारा।
101.	,,	5189	1/80 से 3/83	8,938	विशम्बर नाथ एण्ड ब्रादर्स, मोहम्मदपुर।

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची

क्र. सं.	नाम दुकान जो निरस्त की गई	नये आवंटियों का नाम	निरस्त किये जाने का कारण
1.	श्री विनोद कुमार पुत्र नित्यानन्द जोलर्वेल, बीकानेर।	श्री पूनम चन्द पुत्र गोविन्द राम मेघवाल, धोबी तलाई बीकानेर को दिनांक 3-1-81 को आवंटित की गई।	अनियमितता पाये जाने के कारण दिनांक 3-11-80 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर 500/- रुपये प्रतिभूति राशि जब्त की गई।
2.	श्री अखराम ग्राम हुसंगसर, तहसील बीकानेर।	श्री मंगतूराम पुत्र श्री कानाराम मेघवाल, निवासी हुसंगसर को दिनांक 17-12-80 को आवंटित की गई। श्री मंगतूराम द्वारा दिनांक 3-8-82 को इस्तीफा देने के कारण अब सहकारी समिति, कानासर को दिनांक 3-9-82 से अस्थाई रूप से आवंटित की गई।	अनियमितता पाये जाने के कारण 500/- रुपये प्रतिभूति राशि जब्त कर दुकान दिनांक 3-11-80 को निरस्त की गई।
3.	सुभाष सहकारी उपभोक्ता भण्डार बीकानेर, वार्ड संख्या 33	श्री विजयशंकर आचार्य को दिनांक 28-11-81 को आवंटित की गई। इनके द्वारा कार्य न करने पर 4-9-82 को श्री ख्यालीराम अरोड़ा को अस्थाई रूप से आवंटित की गई।	अनियमितता पाये जाने पर दिनांक 20-4-81 को दुकान निरस्त की गई एवं प्रतिभूति राशि जब्त की गई।
4.	ग्राम सेवा सहकारी समिति गांठवाला तहसील, बीकानेर।	श्री भैराराम पुत्र भोजाराम जाट गांठवाला को दिनांक 28-9-81 को आवंटित की गई इनके द्वारा स्तीफा दिये जाने पर गांठवाला सहकारी समिति को पुनः 26-2-82 को आवंटित की गई।	अनियमितता पाये जाने पर 11-8-81 को को दुकान निरस्त की गई एवं प्रतिभूति राशि जब्त की गई।

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची

STATEMENT SHOWING THE TOTAL NUMBER OF PENDING CASES (CIVIL AND CRIMINAL AND WRIT) OF UDAIPUR DIVISION IN THE HIGH COURT OF RAJASTHAN AS ON 1. 1 1983.

(I) CIVIL CASES:		
Civil First Appeal	243	
Civil Second Appeal	428	
Civil Revision	139	
Civil Misc. Appeal	152	
Civil Special Appeal	21	
Election Petition	2	
Company Petition	1	
Civil Reference	74	
Civil Review	11	
Civil Misc. Cases	56	
TOTAL:	1117	1117
(II) CRIMINAL CASES:		
Criminal Appeal	769	
Criminal Revision	294	
Criminal Bail	8	
Criminal Misc. Cases	27	
Criminal L. to A.	6	
TOTAL:	1104	1104
(III) CIVIL WRIT:		
Civil Writ Petition	498	
Civil Special Appeal (writ)	149	
TOTAL:	647	647
Grand Total of (I)(II)(III)		2868

242

बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, और उदयपुर में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित न्यायालय स्थापित किये हुए हैं।

जिले का नाम	जिला एवं सत्र न्याया.	अति0 जिला एवं सत्र न्याया.	मुख्य न्यायिक दण्ड नायक का न्याया.	अति0 व्यवहार दण्ड नायक एवं दण्ड न्यायिक	मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्याया0	अति0 मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्याया.	न्यायिक दण्ड-नायक का न्याया.
1	2	3	4	5	6	7	8
बांसवाड़ा	1	–	1	–	2	–	1
डूंगरपुर	1	–	1	–	2	1	–
चित्तौड़गढ़	1	–	1	–	7	–	2
उदयपुर	1	2	1	2	15	3	5

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की प्रति

सूची भूमि आवंटन दिनांक 3 अगस्त, 1980 तहसील शाहबाद

क्र. सं.	नाम आवंटी मय पता	आवंटित ग्राम	भूमि का ख. नं.	विवरण रकबा
1	2	3	4	5
1.	चिरोंजीलाल पिता कान्हा, सहर हरिपुरा	हरिपुरा	13	3.00
2.	भंवर लाल पिता सूरजमल गूज, केदारदुई	,,	13	3.00
3.	मान्या पिता कान्हा, सहर हरिपुरा	,,	13	5.00
4.	भोंदू पिता कान्हा, सहर हरिपुरा	,,	13	6.00
5.	जीवन लाल पिता नैनगा, सहर हरिपुरा	,,	13	4.00
6.	हजारी पिता भंवरिया, सहर हरिपुरा	,,	17	7.00
7.	कान्हा पिता पुरवा, सहर हरिपुरा	,,	17	5.00
8.	हरीलाल पिता अमरिया, सहर हरिपुरा	,,	17	2.00
9.	फोसू पिता कान्हा, सहर हरिपुरा	,,	17	8.00
10.	धूली पिता बिशना, सहर हरिपुरा	,,	18	4.00
11.	रमेश पुत्र लक्ष्मण, सहर हरिपुरा	,,	18	4.00
12.	बिशनलाल पिता मुकन्दी चमार, ढिकवानी	ढिकवानी	62	8.00
13.	हरज्ञान पिता ईश्वरलाल सहर	अडेरा	26	4.00
14.	हल्कू पिता गोविन्दा, सहर ढिकवानी	,,	29	8.00
15.	रघुवीर पिता कालीचरण ब्रा, ढिकवानी	,,	29	9.13
16.	नन्नूराम पिता वंशीलाल सोनी, ढिकवानी	,,	62	8.00
17.	रामजीलाल पिता मिश्री लाल किराड, रातइखुर्द	,,	26	5.00
18.	मुरारी लाल पिता श्री लाल किराड, समरानियां	रीठीपुरा	5	10.00
19.	घासीलाल पिता बंशीलाल सोनी, समरानियां	,,	6	5.00
20.	केशवनारायण पिता कालीचरण ब्रा., ढिकवानी	,,	6	10.00
21.	देवीलाल पिता कल्लू कलाल, समरानियां	,,	6	5.00
22.	रमेश चन्द पिता बंशीलाल सोनी, समरानियां	,,	6	5.00
23.	कन्हैयालाल पिता बैजनाथ सोनी	,,	6	9.00
24.	श्रीमति कालवा पति ओंकार लाल, समरानियां	,,	6	7.00
25.	खेमचन्द पिता सूरजमल खत्री, समरानियां	,,	6	10.00

1	2	3	4	5
26.	जगदीश पिता श्यामसुन्दर शर्मा, समरानियां	रीठीपुरा	6	12.00
27.	अब्दुल रहीद पिता सुबान खां, समरानियां	,,	6	9.00
28.	श्रीमती कमला बाई पत्नी महावीर प्रसाद जैन	,,	6	12.00
29.	शिवकुमार पिता हल्कूराम सोनी, समरानियां	,,	10	6.00
30.	फूलचन्द पिता रामबक्स किराड, ढिकवानी	,,	120	8.00
31.	लक्ष्मीचन्द पिता भगवान लाल किराड, समरानियां	,,	121	10.00
32.	हम्पू पिता गुल्ला धोबी, समरानियां	,,	121	10.00
33.	महेन्द्रसिंह पिता सन्तोष सिंह सिक्ख, ख्याता	ख्याता	14	9.80
			12	3.12
34.	रामलाल पिता फून्दीलाल कुम्हार, केलवाड़ा	ऊमी	3	6.00
35.	हरीराम पिता धूलीलाल अहीर, केलवाड़ा	छिहरोन	57	4.03
36.	मिश्रीलाल पिता नाथूलाल अहीर, केलवाड़ा	केलवाड़ा	42	2.00
37.	हीरा पिता फूला बंजारा, दुधयारा	दुधयारा	490	0.18
			491	0.10
			279	5.12
38.	जीवन लाल पिता रामलाल नाई, दुधयारा	,,	571	3.00
39.	जावो पिता चिन्टू किराड निवासी, कलोनियां	तिलोरा	12	10.00
40.	अमरिया पिता ओंकार आदिवासी, सिलोरा	,,	42	10.00
41.	बाबू अब्दुल अजीज पिता अब्दुल समद, केलवाड़ा	तिलोरा	42	5.00
42.	कैलाशनारायण पिता दया चन्द तेली केलवाड़ा	,,	42	6.00
43.	मुस. भूरी पति रंगीलाल किराड, कैलोनियां	,,	43	10.00
44.	लियाकत खां पिता मन्ना खां, केलवाड़ा	,,	43	10.00
45.	जगदीश पिता मल्लू ढीमर, केलवाड़ा	,,	44	5.00
46.	धूप्पा पिता नन्दू सहर, सिलोरा	,,	44	9.12
47.	अब्दुल शहीद पिता अब्दुल वहीद, केलवाड़ा	,,	44	5.00
48.	मांगीलाल पिता ओंकार ढीमर, केलवाड़ा	,,	45	4.00
49.	केशरी पिता धतुआ किराड, कलोनियां	,,	45	10.00
50.	श्याम किशोर पिता अमरलाल ब्रा., केलवाड़ा	,,	45	5.00
51.	रफीक अहमद पिता जहूर अहमद, केलवाड़ा	,,	45	10.00
52.	सोल्या पिता वेश्या सहर, दांता	,,	156	10.00
53.	अब्दुल रशीद पिता अब्दुल लतीफ, केलवाड़ा	,,	45	10.00
54.	महमूद खां पिता काले खां मुस., केलवाड़ा	,,	154	12.00
55.	हरिश्चन्द पिपलानी पिता फतेह चन्द, केलवाड़ा	,,	154	8.07

1	2	3	4	5
56.	असलम पिता महमूद खां, केलवाड़ा	तिलोरा	153	1.07
			154	5.00
			155	8.16
57.	हरीलाल पिता केसरा सहर दाता	"	156	10.02
58.	जगदीश पिता छयलाल किराड, मारानखेड़ा	मारानखेड़ा	16	6.00
			28	1.15
59.	कल्याणबाई पत्नी मोहन प्रताप किराड, मारानखेड़ा	"	372	10.00
60.	श्रीमति कुरी पत्नी गुलाबचन्द किराड, मारानखेड़ा		372	10.00
61.	रतनवाई पत्नी रामचरण किराड, मारानखेड़ा	"	315	10.00
62.	गुलाब पिता हीरालाल किराड, मारानखेड़ा	"	355	9.00
63.	मालती बाई पुत्री मदन किराड, मारानखेड़ा	"	150	15.00
64.	रणवीर पिता श्री किशन किराड, मारानखेड़ा	"	150	15.00
65.	मोहन प्रसाद पिता प्यारेलाल, किराड़	"	151	10.00
66.	परसराम पिता श्री किशन, किराड़	"	315	15.00
67.	लीला पुत्र मदन लाल किराड, मारानखेड़ा	"	150	9.00
			206	3.08
68.	प्रेम नारायण पिता प्यारेलाल किराड़	"	360	5.00
			420	
			360	3.00
			421	
69.	भागो पत्नी मदनलाल किराड, मारानखेड़ा	"	37	10.00
70.	हजारी पिता बजरंगलाल किराड, मारानखेड़ा	महोदरा	5	10.00
71.	गुलाब चन्द पिता नाथूलाल किराड, मारानखेड़ा	"	5	18.00
72.	जयलाल पिता नाथूलाल किराड मारानखेड़ा	"	5	10.00
73.	रतनलाल पिता जयलाल किराड, मारानखेड़ा	"	5	10.00
74.	मिश्री लाल पिता बजरंगलाल किराड, मारानखेड़ा	"	14	10.00
75.	फैरनसिह पिता मांगीलाल खंगार, महोदरा	"	14	10.00
76.	रामप्रसाद पिता मिल्लू चिडार, महोदरा	"	14	10.00
77.	किशनलाल पिता रामचन्द्र चिडार, महोदरा	"	14	10.00
78.	कन्हैयालाल पिता गंगाराम किराड, महोदरा	"	230	5.00
79.	प्रभू पिता गंगाराम किराड, महोदरा	"	379	10.00

परिशिष्ट–अ

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची

क्र. सं.	आगार का नाम	अनु-सूचित सेवाओं की सं.	निर्धारित दैनिक परि- चक्रों की सं.
1.	अलवर	114	374
2.	भरतपुर	65	284
3.	धौलपुर	20	48
4.	कोटपूतली	52	197
		259	803

परिशिष्ट--ब

(248)

परिशिष्ट—

मासिक निरस्त परिचक्र

क्र. सं.	मार्ग का नाम	जन.	फर.	मार्च	अप्रेल
1	2	3	4	5	6
1.	अलवर–दिल्ली	13	8	10	3
2.	अलवर–रेवाड़ी	51	11	36	14
3.	अलवर–नारनौल	54	–	–	–
4.	अलवर–फिरोजपुर	73	54	48	50
5.	अलवर–सोहना	–	–	6	2
6.	तिजारा–फिरोजपुर	22	24	16	11
7.	अलवर–मथुरा	28	18	22	4
8.	अलवर–मथुरा–मालाखेड़ा	–	–	–	–
9.	अलवर–जयपुर	168	129	87	1
10.	अलवर–जयपुर–राजगढ़	7	3	4	–
11.	अलवर–अजमेर	–	–	–	–
12.	अलवर–मुबारकपुर	119	68	160	59
13.	अलवर–दौसा–टहला	4	5	11	3
14.	अलवर–दौसा–प्रतापगढ़	5	3	7	3
15.	अलवर–प्रतापगढ़	8	2	24	2
16.	अलवर–अजबगढ़	2	2	–	1
17.	अलवर–नारायणपुर	11	19	28	14
18.	अलवर–खेड़ली–जालूकी	43	–	48	22
19.	अलवर–खेड़ली–मालाखेड़ा	43	18	9	12
20.	अलवर–गोविन्दगढ़	67	65	89	59
21.	अलवर–महुआ–राजगढ़	16	15	13	2
22.	अलवर–महुआ–लक्ष्मणगढ़	11	5	13	5
23.	अलवर–गढ़ी–राजगढ़	17	1	32	31
24.	अलवर–गडी–लक्ष्मणगढ़	16	3	14	4
25.	अलवर–डीग	6	6	5	–
26.	अलवर–भरतपुर	–	–	–	5
27.	अलवर–बालाजी	18	4	7	3

ब

जनवरी, 82 से जनवरी, 83

मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	जन., 83
7	8	9	10	11	12	13	14	15
–	–	2	1	–	–	–	–	–
18	3	7	6	2	4	8	11	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	38	50	34	40	36	46	52	22
4	–	6	4	–	–	–	7	6
19	8	20	14	4	8	12	7	2
4	6	19	10	11	11	15	34	11
1	–	3	–	–	–	–	–	–
7	–	1	–	5	4	168	10	10
3	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	2	–	1	–	–	–
66	46	83	90	15	66	73	61	17
–	–	–	2	1	3	3	3	–
5	2	2	6	8	3	–	–	–
–	–	5	3	2	1	7	16	1
–	–	–	1	–	–	–	2	–
3	4	2	11	8	3	2	16	10
19	5	11	7	8	1	21	32	13
5	–	1	–	6	–	17	6	2
26	19	31	72	30	21	40	17	1
1	–	7	4	6	2	10	15	4
1	–	4	4	5	4	12	3	–
13	4	8	4	13	–	28	4	–
–	–	3	3	5	–	11	9	–
4	–	4	–	2	–	–	–	1
–	2	5	25	25	1	3	–	–
4	–	4	6	4	–	1	29	9

Page No 250

250

1	2	3	4	5	6
28.	अलवर–बलाजी–सिकराय	77	36	57	15
29.	अलवर–राजगढ़	4	5	23	8
30.	अलवर–लक्ष्मणगढ़–जालुकी	53	19	16	24
31.	अलवर–लक्ष्मणगढ़–मालाखेड़ा	145	163	174	78
32.	अलवर–सिकन्दरा	40	27	28	24
33.	अलवर–रैणी	2	—	9	2
34.	अलवर–तिजारा	41	8	14	14
35.	अलवर–तिजारा–शाहबाद	46	26	34	34
36.	अलवर–निमली	—	–	—	—
37.	अलवर–भिवाड़ी	32	14	27	15
38.	अलवर–कोटकासिम	6	4	6	34
39.	अलवर–बहरोड़	94	14	21	55
40.	अलवर–बहरोड़–हरसोरा	39	12	16	11
41.	अलवर–नीमराना	6	3	8	—
42.	अलवर–खैरथल–ततारपुर	82	57	89	79
43.	अलवर खैरथल–किशनगढ़	156	137	101	66
44.	अलवर–रामपुर	24	21	3	15
45.	अलवर–बहादुरपुर	31	10	22	13
46.	अलवर–पृथ्वीपुरा	6	—	10	—
47.	अलवर बान्दीकुई	2	14	14	4
48.	अलवर–कोटपूतली	12	8	12	4
49.	अलवर–राज. सीमा	—	—	—	—
50.	अलवर–टपुकड़ा	8	2	5	4
51.	अलवर–चान्दोली	—	—	—	—
52.	अलवर–अकबरपुर	14	6	16	8
53.	अलवर–पहाड़ी	—	—	—	8
54.	अलवर–बानसूर	20	9	6	2
55.	अलवर–नगर	40	40	42	17
56.	राजगढ़–बान्दीकुई	6	21	9	—
57.	राजगढ़–सिकन्दरा	37	23	24	44
58.	राजगढ़–महुआ	3	—	4	4
59.	राजगढ़ गढ़ी	120	102	166	126
60.	राजगढ़–रैणी	21	37	12	15

7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	8	35	35	29	15	19	–	–
6	2	12	10	1	7	–	16	–
18	–	2	5	9	1	4	31	26
60	–	28	60	43	28	23	55	16
18	11	24	26	4	16	10	22	9
–	–	–	–	1	–	–	2	–
–	–	4	8	2	–	–	15	–
23	4	1	1	4	–	3	–	–
–	–	26	26	16	9	27	16	3
9	4	18	29	10	12	19	11	1
–	–	1	1	–	–	–	6	–
61	30	60	58	28	33	27	20	–
13	6	5	7	4	18	28	44	11
1	2	5	2	2	4	6	8	–
76	32	64	22	3	9	5	–	–
43	18	26	12	5	18	–	1	1
10	11	24	21	23	13	22	–	3
18	10	12	10	16	–	4	28	13
2	–	14	4	2	3	8	8	4
–	–	2	–	3	–	4	5	3
12	1	6	5	2	8	4	6	–
8	4	15	22	8	9	19	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
203	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	3	21	17	10	5	11	9	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	4	13	2	11	2	7
48	25	42	62	46	55	75	5	–
4	2	8	6	5	3	11	6	1
116	81	96	136	105	97	107	–	–
21	16	28	36	43	55	27	60	30

1	2	3	4	5	6
61.	राजगढ़–रैणी–नारायणपुर	14	29	37	36
62.	राजगढ़–टहला	28	38	66	52
63.	राजगढ़–दरीबा	3	–	7	–
64.	राजगढ़–प्रतागढ़	8	–	12	6
65.	राजगढ़–गोला-का-बास	–	–	8	11
66.	राजगढ़–बालाजी	71	57	71	63
67.	बान्दीकुई–सिकन्दरा	–	–	–	–
68.	थानागाजी–अजबगढ़	3	2	3	2
69.	थानागाजी–दौसा	3	2	3	3
70.	तिजारा–महावीरजी	3	8	8	3
71.	तिजारा–भिवाड़ी	33	32	48	15
72.	तिजारा–खैरथल	89	76	66	126
73.	तिजारा–किशनगढ़	3	6	9	6
74.	खैरथल–भिवाड़ी	16	10	7	10
75.	खैरथल–किशनगढ़	29	26	30	118
76.	खैरथल–कोटकासिम	64	29	51	10
77.	खैरथल–राज. सीमा	119	123	143	176
78.	खैरथल–टपुकड़ा	15	11	10	5
79.	खैरथल–रामपुर	30	21	22	12
80.	किशनगढ़–भिवाड़ी	7	10	11	–
81.	नगर–खेड़ली	41	44	53	–
82.	लक्ष्मणगढ़–खेड़ली	47	–	18	35
83.	लक्ष्मणगढ़–गोविन्दगढ़	63	56	90	59
84.	लक्ष्मणगढ़–गढ़ी	55	62	101	120
85.	खेड़ली–गोविन्दगढ़	–	5	13	9
86.	अलवर–औद्योगिक क्षेत्र	–	24	–	–
87.	अलवर–हरसौली	–	–	–	–
88.	बान्दीकुई–बालाजी	–	–	–	14
89.	अलवर–कोसी	–	–	–	–
90.	नीमली–भिवाड़ी	–	–	15	–
91.	हरसोली–कोटकासिम	–	–	–	–
92.	खैरथल–सोना	–	–	–	–
93.	मथुरा–लक्ष्मणगढ़	–	–	–	–

7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	16	28	36	43	55	27	60	30
39	32	34	37	–	–	–	–	–
26	31	21	50	37	45	54	8	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	4	1	4	5	9	2	11	–
29	20	4	11	15	12	19	2	8
63	65	69	70	64	58	69	49	24
23	17	31	26	13	13	6	–	–
5	–	–	6	2	1	4	5	1
6	–	3	5	3	2	4	10	3
–	–	1	4	3	1	1	2	–
21	4	–	29	29	27	30	60	13
109	68	69	45	83	82	69	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	11	23	24	11	13	17	26	6
112	–	–	7	7	–	54	–	–
7	5	10	28	138	141	151	14	14
150	151	173	161	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	11	15	13	15	13	20	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	–	20	78	11	2	27	5	1
15	6	10	28	16	17	42	29	6
100	81	119	142	100	121	221	3	11
–	–	6	12	8	–	–	26	13
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	13	14	18	13	16	–	–
28	8	18	27	30	3	6	16	8
–	–	8	5	–	2	2	39	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	23	25	21	24	19	–	8
–	–	–	–	–	–	–	7	5
–	–	–	–	–	–	–	15	9

Page No 254

(254)

1	2	3	4	5	6
94.	मथुरा–खेड़ली	–	–	–	–
95.	मथुरा–पहाड़ी	–	–	–	–
96.	मथुरा–नगर	–	–	–	–
97.	अलवर–कोसी–मालाखेड़ा	–	–	–	–
98.	लक्ष्मणगढ़–कोसी	–	–	–	–
99.	खेड़ली–कोसी	–	–	–	–
100.	अलवर–दरीबा	–	–	–	–
101.	अलवर–सिकराय	–	–	–	–
102.	अलवर–इस्माइलपुर	–	–	–	–
103.	राजगढ़–लक्ष्मणगढ़	–	–	–	–
104.	टहला–गढ़ी	–	–	–	–
105.	थानागाजी–प्रतापगढ़	–	–	–	–
106.	खैरथल–नीमली	–	–	–	–
107.	खेड़ली–पहाड़ी	–	–	–	–
108.	खेड़ली–नगर	–	–	–	–
109.	रेणी–बालाजी	–	–	–	–
	योग :	2713	1952	2549	1921
	औसत निरस्तीकरण (परिचक्र) प्र. दिन	87	70	82	64
	निर्धारित परिचक्र (माहवार)	12939	11732	12989	12630
	संचालित परिचक्र (माहवार)	10276	9780	10440	10709

कोटपूतली आगार

1	2	3	4	5	6
1.	कोटपूतली–जयपुर	62	81	75	21
2.	बहरोड़–जयपुर	33	22	32	22
3.	मेड़–शाहपुरा	3	11	5	3
4.	मेड़–कोटपूतली	–	–	1	3
5.	जयपुर–मेड़	–	–	1	7

Page No 255

7	8	9	10	11	12	13	14	15
–	–	–	–	–	–	–	16	2
–	–	–	–	–	–	–	10	7
–	–	–	–	–	–	–	51	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	17	6
–	–	–	–	–	–	–	12	13
–	–	–	–	–	–	–	3	2
–	–	–	–	–	–	–	10	–
–	–	–	–	–	–	–	9	–
–	–	–	–	–	–	–	83	28
–	–	–	–	–	–	–	46	19
–	–	–	–	–	–	–	9	1
–	–	–	–	–	–	–	45	17
–	–	–	–	–	–	–	19	5
–	–	–	–	–	–	–	11	7
–	–	–	–	–	–	–	–	6
1867	926	1531	1785	1266	1180	1631	1378	5141
60	31	49	57	42	38	54	44	17
13268	12840	13268	13082	12660	13082	12660	11532	11594
11401	11914	11737	11297	11394	11902	11029	10154	11080

7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	38	28	46	54	43	90	49	121
27	21	7	38	57	31	105	2	10
9	8	4	22	11	11	4	–	4
2	1	1	3	2	2	1	2	–
6	5	1	–	1	2	4	5	6

1	2	3	4	5	6
6.	जयपुर-डाबला	2	–	2	–
7.	जयपुर-किशनगढ़	6	–	15	2
8.	जयपुर-नारायणपुर	7	6	9	6
9.	नारायणपुर-कोटपूतली-शाहपुरा	3	10	4	5
10.	नीम-का-थाना-जयपुर	19	32	–	–
11.	कोटपूतली-बहरोड़	73	77	86	27
12.	कोटपूतली किशनगढ़ वाया बहरोड़	12	8	15	11
13.	कोटपूतली-खैरथल वाया बहरोड़	18	15	35	27
14.	कोटपूतली-जोधपुर	2	–	6	19
15.	कोटपूतली-शाहपुरा	16	17	28	47
16.	जयपुर-अमरसर	2	2	4	–
17.	जयपुर-शाहपुरा	25	23	33	13
18.	कोटपूतली-डाबला	17	10	19	9
19.	कोटपूतली-शाहपुरा-खण्डेला	13	4	–	–
20.	शाहपुरा-सीकर	8	6	–	–
21.	शाहपुरा-कांवट-जयपुर	30	33	33	49
22.	कोटपूतली-पावटा	111	149	194	239
23.	शाहपुरा-अजीतगढ़	25	44	40	20
24.	शाहपुरा-नीम-का-थाना	120	113	–	–
25.	कोटपूतली-नीम-का-थाना	185	157	101	45
26.	कोटपूतली-अलवर	60	67	74	19
27.	कोटपूतली-खैरथल-बानसूर	74	60	29	13
28.	कोटपूतली-रामपुर	12	19	10	–
29.	कोटपूतली-बानसूर	4	–	–	–
30.	कोटपूतली-बनेठी-बहरोड़	13	5	6	1
31.	कोटपूतली-पाटन	19	11	16	16
32.	बहरोड़-किशनगढ़	42	40	56	18
33.	बहरोड़-खैरथल	46	37	59	41
34.	खैरथल-ततारपुर चौराया	115	11[illegible]	98	132
35.	बहरोड़-तिजारा	2	1	3	1
36.	तिजारा-सोडावास-कोटपूतली	3	1	2	1
37.	सोडावास-किशनगढ़	4	–	4	2
38.	नीम-का-थाना-झाड़ली	25	25	–	–

7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	1	1	1	–	–	–	–	2
2	2	4	6	7	–	4	6	4
3	3	1	13	–	8	16	–	11
2	4	1	7	2	8	2	–	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	58	49	105	100	85	93	99	141
16	6	23	34	13	27	17	1	–
28	40	56	70	32	33	27	–	115
–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	5	2	7	4	8	10	4	5
3	–	–	6	2	–	–	–	3
18	14	8	–	10	–	19	–	4
10	13	13	30	22	26	14	46	46
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	2	–	2	2	–	–	1	3
109	57	110	115	50	283	227	–	–
22	10	6	20	18	8	10	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
88	62	45	106	137	141	183	86	121
31	20	55	116	145	191	223	50	69
49	21	37	96	73	37	56	122	–
98	44	95	102	102	127	124	29	28
14	9	45	42	48	63	59	2	–
4	8	–	3	7	1	5	8	–
10	6	2	8	13	12	12	–	–
26	24	48	74	58	79	67	83	66
22	17	43	70	59	77	57	79	89
148	119	120	108	118	120	146	94	79
5	2	4	9	4	2	3	–	–
4	4	14	9	6	–	4	–	–
7	3	13	24	5	–	3	6	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
39.	बानसूर--खैरथल	1	–	–	1
40.	कोटपूतली–नारनोल	11	12	6	1
41.	किशनगढ़–खैरथल–नारनोल	12	6	22	13
42.	जयपुर–नारनोल	5	7	6	–
43.	कोटपूतली–दिल्ली	56	49	51	37
44.	जयपुर–चण्डीगढ़	–	–	2	–
45.	कोटपूतली–रोहतक	–	–	1	–
46.	अलवर–नारनोल	–	–	–	1
47.	बानसूर–खैरथल	–	–	–	–
48.	बहरोड़–नीम-का-थाना	–	–	–	–
49.	कोटपूतली-जयपुर	–	–	–	–
50.	कोटपूतली–रेवाड़ी	–	–	–	–
51.	कोटपूतली–महेन्द्रगढ़	–	–	–	–
52.	कोटपूतली–नारनोल वाया बहरोड़	–	–	–	–
53.	बानसूर–रामपुर	–	–	–	–
54	अलवर–बानसूर	–	–	–	–
55.	जयपुर–रेवाड़ी	–	–	–	–
56.	जयपुर–महेन्द्रगढ़	–	–	–	–
	योग	1296	1264	1184	872
	औसत निरस्त परिचक्र प्रतिदिन	42	45	38	29
	निर्धारित परिचक्र (माहवार)	7781	7828	7781	6600
	संचालित परिचक्र (माहवार)	6485	6564	6597	5728

भरतपुर आगार

1	2	3	4	5	6
1.	भरतपुर–जयपुर-भुसेरा	36	16	15	13
2.	भरतपुर–जयपुर–कुम्हेर	13	7	8	–
3.	भरतपुर–जयपुर	–	–	6	–

7	8	9	10	11	12	13	14	15
–	–	–	–	–	–	1	4	–
–	–	1	3	8	2	4	4	3
15	–	10	16	10	2	11	21	–
2	–	3	3	4	9	14	7	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	3	2	1	–	1	6	8
–	–	–	–	7	1	–	–	–
4	–	–	3	3	1	–	–	–
9	3	1	3	2	4	6	–	–
–	15	17	30	26	18	22	–	–
–	–	–	12	–	–	–	31	–
–	–	–	–	8	–	–	31	–
–	–	–	–	–	–	18	5	–
–	–	–	–	–	–	–	5	3
–	–	–	–	–	–	–	3	4
–	–	–	–	–	–	–	20	–
–	–	–	–	–	–	–	6	–
9139	645	871	1364	1229	1462	1643	925	959
29	21	28	44	41	47	54	30	31
6820	6330	6541	6541	6330	6541	6330	6107	6107
5907	5685	5670	5177	5101	5079	4687	5182	5148

7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	16	16	12	5	20	8	–	–
2	4	4	–	–	–	1	1	2
11	–	4	9	2	1	2	14	–

(260)

1	2	3	4	5	6
4.	भरतपुर-तिजारा	–	–	–	–
5.	भरतपुर-अलवर	60	19	50	105
6.	भरतपुर-नगर-खेड़ली	400	360	282	376
7.	भरतपुर-गोविन्दगढ़	2	15	4	–
8.	भरतपुर-जनूथर	5	8	8	10
9.	भरतपुर-नगर-डीग	84	73	62	46
10.	भरतपुर-कुम्हेर-डीग	92	39	20	12
11.	भरतपुर-कामा-पहाड़ी	185	152	137	162
12.	भरतपुर-नदबई,पहाड़ी	262	181	225	228
13.	भरतपुर-वल्लभगढ़-सलेमपुर	60	58	133	95
14.	भरतपुर-भुसावर-बयाना	219	219	230	216
15.	भरतपुर-उच्चैन-बयाना	15	23	–	–
16.	भरतपुर-दिल्ली	6	–	4	2
17.	भरतपुर-मथुरा	50	20	28	10
18.	मथुरा-कोसी	31	13	15	–
19.	भरतपुर-खेड़ली	54	2)	17	8
20.	भरतपुर-फतेहपुरसीकरी	11	–	16	4
21.	भरतपुर-डीग-कोसी	64	46	47	46
22.	भरतपुर-पुराना-फिरोजपुर	31	7	29	35
23.	भरतपुर-गोवर्धनपुरिया	–	–	12	6
24.	भरतपुर-गोवर्धन-आजमपट्टी	2	–	14	6
25.	भरतपुर-कुम्हेर-खेड़ली	47	–	66	72
26.	भरतपुर-गुडगांवा	–	–	–	–
27.	अलवर-पहाड़ी	–	–	–	–
28.	भरतपुर-नदबई	–	–	–	–
29.	कामा-पहाड़ी	–	–	–	–
30.	नदबई-पहाड़ी	–	–	–	–
	कुल योग:	1729	1285	1428	1442
	औसत निरस्त परिचक्र प्रतिदिन	56	46	46	48
	निर्धारित परिचक्र (माहवार)	9176	8288	9176	8880
	संचालित परिचक्र (माहवार)	7447	7003	7748	7438

7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	–	–	–	–	–	–	–	–
145	125	108	9	32	18	–	–	–
372	340	300	416	351	390	386	–	64
6	8	–	6	–	8	21	–	4
8	14	2	8	6	8	18	4	18
20	2	32	–	–	–	35	–	43
4	22	28	22	12	27	49	–	70
217	125	177	256	179	125	227	93	3
465	583	611	681	555	398	492	52	136
54	255	148	129	103	92	91	2	2
181	196	265	366	281	296	264	4	–
–	–	–	–	–	–	–	5	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	24	26	31	26	17	18	–	–
9	8	24	28	23	19	22	–	–
10	23	30	39	18	15	20	–	–
62	–	3	8	–	–	4	–	–
20	23	25	10	–	–	50	–	–
83	96	83	88	78	66	71	6	–
–	9	4	8	8	–	–	6	–
–	8	4	9	4	–		2	–
80	85	110	40	12	8	26	–	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	136
–	–	–	–	–	–	–	–	66
–	–	–	–	–	–	–	–	45
1778	1946	2004	2175	1700	1510	1805	189	616
57	65	64	70	56	50	60	6	20
9176	8670	8959	8959	8670	8959	8670	5580	5704
7398	6724	6955	6784	6970	7449	6865	5391	5088

Page No 262

धौलपुर आगार

1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली–ग्वालियर	–	–	–	–
2.	मथुरा–ग्वालियर	–	–	–	–
3.	मुरेना–मथुरा	8	2	2	6
4.	धौलपुर–जयपुर	–	–	4	–
5.	धौलपुर–जयपुर	–	–	2	2
6.	धौलपुर–जयपुर–राजाखेड़ा	8	9	20	22
7.	धौलपुर–अलवर	6	16	4	12
8.	धौलपुर–भरतपुर	5	6	8	28
9.	धौलपुर–आगरा	62	56	64	–
10.	भरतपुर–आगरा	10	14	10	–
11.	धौलपुर–जयपुर	8	–	–	2
12.	धौलपुर–अजमेर	2	–	–	–
13.	धौलपुर–बालाजी	62	20	2	2
14.	भरतपुर–अलवर	16	4	4	–
15.	धौलपुर–मनिया	124	56	124	120
16.	धौलपुर–अजमेर	–	–	–	4
17.	धौलपुर–डीग	–	–	–	–
	योग:	311	183	244	198
	औसत निरस्त परिचक्र प्रतिदिन	10	65	78	66
	निर्धारित परिचक्र (माहवार)	1612	1456	1612	1560
	संचालित परिचक्र (माहवार)	1301	1273	1368	1362

Page No 263

263

7	8	9	10	11	12	13	14	15
–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–
37	–	–	4	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	2
2	5	–	3	6	–	5	2	40
43	4	4	2	2	4	5	2	12
15	20	–	2	–	2	10	6	18
52	29	10	10	10	2	2	4	12
–	58	4	14	2	4	4	8	32
–	–	–	–	14	3	–	–	–
6	4	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	1	6	14	13	2	18	10	24
–	–	6	10	7	6	4	11	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	22	18	14
161	121	30	75	54	24	70	61	161
5.2	4	1	12	2	1	2	2	5.2
1612	1560	1178	1178	1140	1178	1140	1364	1488
1451	1439	1148	1103	1086	1154	1070	1303	1327